शरतचन्द्र बोस

नेताजी

संपूर्ण वाङ्मय

खंड 9

संपादक
शिशिर कुमार बोस
सुगता बोस

अनुवादक
श्रीप्रकाश भगत

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

1998 (शक 1920)

ISBN . 81-230-0636-

मूल्य 105 रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित।

विक्रय केन्द्र • प्रकाशन विभाग

- पटियाला हाउस तिलक मार्ग नई दिल्ली– 110001
- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001
- हॉल न 196, पुराना सचिवालय दिल्ली–110054
- कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर मुबई– 400038
- 8 एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता– 700069
- राजाजी भवन, बेसेंट नगर चेन्नई– 600090
- बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना–800004
- प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम–695001
- पहली मंजिल, एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामगला, बंगलौर–560034
- 27/6, राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ–226001
- राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डेंस, हैदराबाद–500004

विक्रय काउंटर

- द्वारा/ पत्र सूचना कार्यालय, सी जी ओ काम्प्लेक्स ए विंग ए बी रोड, इंदौर (म प्र)
- द्वारा पत्र सूचना कार्यालय 80 मालवीय नगर भोपाल– 462003
- द्वारा पत्र सूचना कार्यालय, के-21, मालवीय मार्ग, सी स्कीम, जयपुर– 302001

NETAJI SAMPURNA VANGMAY, Khand IX, Eds Shishir Kumar Bose & Sugata Bose, Publications Division, Ministry of I & B Patiala House, New Delhi- 110001
मुद्रक बी एच एस प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर नई दिल्ली–3, फोन 4632395

खड 9

भाषण, लेख और वक्तव्य

जनवरी 1938-अप्रैल 1939

विषय-सूची

प्रमुख राजनीतिक पत्राचार

अन्य पत्र :

आभार

प्रोफेसर कृष्ण बोस और प्रोफेसर लियोनार्द ए गॉर्डन ने इस ग्रथ के लिए जो सपादकीय सुझाव दिए हैं, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। श्री कार्तिक चक्रवर्ती ने सचिव के रूप मे और श्री नाग सुदरम ने पुरातत्व सबधी जो हमारी मदद की है, उसके लिए हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं।

शिशिर कुमार बोस
सुगता बोस

संपादकीय

रजनी पाम दत्त को जनवरी 1938 मे दिए गए साक्षात्कार मे सुभाषचद्र बोस ने कहा था

आज मेरी राय यह है कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का व्यापक आधार साम्राज्यवाद–विरोध होना चाहिए तथा इसका उद्देश्य दोतरफा हो। पहला राजनीतिक स्वतत्रता हासिल करना और दूसरा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना।

काग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोस कुछ अरसे के लिए लदन गए। कैंब्रिज मे विद्यार्थी के रूप मे अध्ययन पूरा करने के बाद यह उनकी पहली लदन यात्रा थी। 1938 मे 15 जनवरी को उनकी मुलाकात आयरलैंड के राष्ट्रपति डी वेलेरा से हुई, जो साम्राज्यवाद-विरोधी थे। लदन प्रवास के दौरान वह कई ब्रिटिश राजनेताओ, विशेष रूप से लेबर पार्टी के नेताओ से मिले। *मैनचेस्टर गार्जियन* ने एक जगह लिखा है

सुभाष बोस से मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके शात और सौम्य व्यवहार से तथा भारतीय मसलो पर दृढ निश्चय के साथ बात करने की कला से प्रभावित हुए बिना न रह सका।

23 जनवरी, 1938 को अपने 41वे जन्मदिवस पर बोस भारत लौटे। कांग्रेस के अध्यक्ष काल मे जो दोहरे लक्ष्य उनके सामने थे, उसके अनुरूप उन्होने कार्य शुरू किया।

इस सकलन मे जनवरी 1938 से लेकर 29 अप्रैल, 1939 मे तब तक के – जब उन्होने काग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया – भाषण लेख पत्र आदि सकलित हैं। इनमे उन्होने साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद राष्ट्रीय योजना विज्ञान, सविधान, हिंदू-मुस्लिम सबध, महिलाओ की भूमिका यूरोपीय राजनीति आदि जैसे विभिन्न मुद्दो पर अपने विचार व्यक्त किया है।

इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख दस्तावेज हरिपुरा मे फरवरी 1938 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण है। हरिपुरा के लिए कलकत्ता से रवाना होने से पूर्व एक दिन मे लिखा गया यह भाषण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विश्वव्यापी ढाचे की कमियो और शक्तियो का विस्तृत विश्लेषण है। साथ ही यह स्वतत्र भारत के सामाजिक व आर्थिक पुनर्निर्माण का समतावादी दृष्टिकोण भी है। जिन साम्राज्यवादी नेताओ को उन्होने स्वतत्र राज्य बनाने की चेतावनी दी है, उनके प्रति इसमे किसी भी प्रकार की दुर्भावना या विद्वेष नहीं है। ब्रिटेन को शक्तिशाली और अन्य देशो को गुलाम बनाने की प्रतिक्रिया म. लेनिन का उल्लेख करते हुए बोस ने कहा

हम जो भारत तथा ब्रिटिश राज्य के अधीन देशो की राजनीतिक स्वतत्रता के लिए सघर्षरत हैं, ब्रिटेन से आर्थिक मुक्ति के प्रति भी सघर्षरत हैं। एक बार दृढ निश्चय कर लेने के पश्चात ऐसा कोई कारण नही है कि हम ब्रिटिश लोगो के साथ मधुर

साम्राज्यवाद-विरोधी आदोलन को खडित करने और उसे दबाने के उददेश्य से बनाए गए साम्राज्यवादी सविधान को स्वीकार करने के विरोध मे टिप्पणी करते समय बोस ने कहा :

बटवारा करके शासन करने की नीति सत्ता मे बैठी सरकार के लिए वरदान है।

तानाशाह राजकुमारो और नाटकीय ढग से निर्वाचित ब्रिटिश इडिया के प्रतिनिधियो मे बोस ने विभाजन के सिद्धातो के प्रति झुकाव महसूस किया। इसीलिए उन्होने *भारत सरकार अधिनियम, 1935* के सघीय भाग का विरोध करने का आग्रह किया। बोस को आशका थी कि यदि यह योजना किसी प्रकार असफल भी हो गई तो अग्रेज भारत के विभाजन का कोई अन्य सवैधानिक मार्ग खोज निकालेगे और इस प्रकार भारतीय लोगो के हाथो मे सत्ता देने की योजना को निष्फल कर देगे। दूसरी ओर उनका यह भी मानना था कि अपनी विभाजक नीतियो के परिणामस्वरूप अग्रेज स्वत ही राजनीति के द्वैतवादीजाल मे फसते चले जा रहे हैं – चाहे वह भारत फिलस्तीन मिस्र ईराक मे हो या आयरलैड मे। इसीलिए सुभाषचद्र बोस ने भारत के अल्पसख्यको का प्रश्न उठाया और धार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक मुद्दों पर आपसी समझ तथा *जियो और जीने दो* की नीति अपनाने की सलाह दी। उन्होने तथाकथित दलित वर्ग को न्याय देने के मुद्दे पर भी चर्चा की। विभिन्न भाषाई क्षेत्रो की सास्कृतिक स्वायत्तता का बढावा देने के साथ साथ सुभाषचद्र बोस ने हिंदुस्तानी (हिंदी और उर्दू का मिला-जुला रूप) को रोमन लिपि मे आम बोलचाल की भाषा के रूप मे स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। उनका कहना था कि एक मजबूत केंद्रीय सरकार के माध्यम से भारत को एकीकृत करने के लिए ऐसा सतुलन कायम करना आवश्यक है, जिसमे सभी अल्पसख्यक वर्गों और प्रातो को सुख-चैन से जीने दिया जाए और उन्हे सास्कृतिक व सरकारी मामलो मे पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए।

स्वतत्रता के लिए तैयार रहने की जरूरत को महसूस करते हुए सुभाषचद्र ने आजाद भारत के लिए अपने दो दीर्घकालीन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। उनके विचार मे प्रमुख समस्या बढती हुई आबादी थी, सबसे पहले जिसका निदान आवश्यक है। सभवत वह भारतीय नेताओ मे से पहले नेता थे जिन्होंने जनसख्या-नियत्रण की नीति बनाई। 'राष्ट्र के पुनर्निर्माण' के प्रश्न से जुडी प्रमुख समस्या यह थी कि देश से निर्धनता को खत्म कैसे किया जाए। इसके लिए हमे भूमि व्यवस्था मे सुधार की जरूरत होगी इसमे जमींदारी प्रथा समाप्त करना भी शामिल है। किसानो को ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाना होगा और ग्रामीणो को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना होगा, किंतु आर्थिक समस्याओ के निदान के लिए कृषि क्षेत्र मे किए गए सुधार ही पर्याप्त नही हैं। इसके लिए राज्य द्वारा निर्देशित औद्योगिक विकास की महत्वाकाक्षी योजना की आवश्यकता है। आधुनिक औद्योगीकरण को हम कितना भी नापसद और उसके दुष्प्रभावो की कितनी ही आलोचना क्यो न करे हमारे लिए पूर्व-औद्योगिक काल मे लौटना सभव नहीं। इसके लिए हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। स्वतत्र भारत मे सपूर्ण कृषि और औद्योगिक ढाचे का उत्पादन और विनिमय के क्षेत्र मे क्रमश समाजीकरण करने के उददेश्य से हमे

योजना आयोग के परामर्श से समेकित कार्यक्रम बनाना होगा।

1938 में बोस का विश्वास था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी समाप्त नहीं हो जाएगी, बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण मे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्हे विश्वास था कि देश मे कई पार्टियो की उपस्थिति और कांग्रेस पार्टी का आधार लोकतान्त्रिक होने के कारण भविष्य मे देश को एक-दल-वादी राज्य बनने से बचाया जा सकेगा। पार्टी का आतरिक लोकतत्र यह भी सुनिश्चित करेगा कि नेतागण ऊपर से थोपे न जाए, बल्कि नीचे से सर्वसम्मति से चुने जाए। बाद मे यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी की आतरिक लोकतत्र के प्रति प्रतिबद्धता के सबध मे श्री बोस के विचार ज्यादा ही आशावादी थे। कृषको व श्रमिक सगठनो को कांग्रेस मे मिलाने और अतर्राष्ट्रीय स्थिति से फायदा उठाने जैसे उनके विचारो को कांग्रेस के ही कई नेताओ और उनके सहयोगियो ने स्वीकृति नहीं दी।

1938 मे सुभाषचद्र बोस ने हरिपुरा बैठक के कार्यवृत्त के कई मुद्दो पर कार्यवाही करनी चाही। भारत के सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए ढाचा बनाने की दृष्टि से उन्होने कांग्रेस के राज्य-स्तरीय पार्टी प्रमुखो और उद्योग मत्रियो के सम्मेलन बुलाए तथा प्रमुख वैज्ञानिको के साथ भी बैठके आयोजित की। *भारतीय वैज्ञानिक सघ* की बैठक मे मेघनाथ साहा से बातचीत के दौरान उन्होने 'विज्ञान और राजनीति के बीच परस्पर व्यापक सहयोग' की जरूरत बताई। अतत अक्तूबर 1938 मे बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति के गठन की घोषणा की। 19 अक्तूबर 1939 को उन्होने जवाहरलाल नेहरू को लिखा— "मुझे आशा है कि आप योजना समिति का अध्यक्ष बनना स्वीकार करेगे। यदि इसे सफल बनाना है, तो आपको इसका अध्यक्ष बनना ही चाहिए।" 17 दिसबर, 1938 को समिति का उद्घाटन करते हुए बोस ने कहा कि बडे उद्योगो के लिए बनाई जाने वाली योजना मे समानता होनी चाहिए और लघु उद्योगो को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

1938 मे बोस के कार्यो की प्राथमिकता सूची मे जो महत्वपूर्ण कार्य था, वह धार्मिक समुदाय मे मधुर सबध स्थापित करने का था। बोस को तो पहले से ही विश्वास था कि हिदू-मुस्लिम एकता केवल साम्राज्यवाद-विरोधी सघर्ष के लिए ही नहीं, बल्कि स्वतन्त्र भारत मे धार्मिक व भाषाई वर्गो मे शक्ति के समान विभाजन के लिए भी आवश्यक है। मुबई मे 14 मई, 1938 को बोस ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष एम ए जिन्ना से बात की और हिदू-मुस्लिम प्रश्न पर समझौता करने का एक और प्रयास किया। इसकी पृष्ठभूमि बोस से पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर तैयार कर दी थी कि भारत मे केवल दो पार्टिया हैं, एक ब्रिटिश सरकार और दूसरी कांग्रेस। नेहरू की दूरदृष्टि ने हिदू-मुस्लिम समस्या को देख लिया था किंतु वे इसे स्वीकार करने को तैयार नही थे। इस पुस्तक मे प्रकाशित बोस-जिन्ना के पत्र-व्यवहार मे स्पष्ट होता है कि जिन्ना लगातार इस बात पर बल देते रहे कि *मुस्लिम लीग* को भारत

में मुसलमानो का प्रतिनिधित्व करने वाले सगठन के रूप म मान्यता दी जानी चाहिए— तभी काग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वार्ता व समझौता सभव हो पाएगा। काग्रेस इस बात का स्वीकार नहीं कर सकी कि वह केवल एक साप्रदायिक सस्था ही थी। 25 जुलाई, 1938 को बोस ने जिन्ना से कहा— "काग्रेस केवल लीग से मैत्रीपूर्ण सबध ही स्थापित नहीं करना चाहती बल्कि हिंदू-मुस्लिम समस्या को भी सम्मानजनक रूप से हल करना चाहती है। 2 अगस्त 1938 को जिन्ना ने उत्तर दिया कि लीग भी समझौता करने को उत्सुक है, लेकिन उससे पहले वह काग्रेस से वे आधार तय करना चाहती है जिन पर वार्तालाप आगे बढ सके, क्योकि नेहरू द्वारा लीग के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा चुका है। 1938 मे किए गए प्रयास निष्फल रहे जबकि काग्रेस और लीग के बीच बातचीत का आधार ही तय नहीं हो पाया।

बोस चाहते थे कि दो में से कम-से-कम एक चीज अवश्य हो जानी चाहिए—मुस्लिम लीग से अखिल भारतीय स्तर पर समझौता या मुस्लिम बहुत प्रातो मे काग्रेस व मुस्लिम लीग की मिली-जुली सरकारो का गठन, ताकि काग्रेस अग्रेजो के सम्मुख एकीकृत राष्ट्र की माग रखने की स्थिति में आ सके। काग्रेस अध्यक्ष के रूप में बोस असम मे गोपीनाथ बारदलोई के नेतृत्व वाली सरकार तथा सिध म अल्लाबख्श मन्त्रिमडल को समर्थन देने के लिए तैयार थे। अपने प्रात बगाल मे समर्थन प्राप्त सरकार के गठन को लेकर सुभाषचद्र बोस व उनके बडे भाई शरतचद्र बोस की काग्रेस हाईकमान तथा गाधीजी द्वारा भर्त्सना की गई, जिसका मुख्य कारण जी डी बिडला और नलिनीरजन सरकार का प्रभाव था। 1937 मे बोस को सिद्धातत सरकार के गठन का विरोध सहना पडा। किंतु सत्याग्रह का विस्तृत प्रचार न हो पाने के कारण और सात राज्यो मे मन्त्रिमडल के गठन का निर्णय ले लिए जाने के कारण, उनका विचार था कि शेष प्रातो मे मिली-जुली सरकार के गठन मे साप्रदायिक स्थिति मे सुधार आएगा। साथ ही, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राष्ट्रीय विरोध भी शक्तिशाली होगा। 21 दिसबर 1938 मे उन्होने गाधीजी को लिखा

शेष तीन प्रातो मे मिली-जुली सरकार के गठन के प्रयास मे अब हमे रत्ती-भर समय नष्ट नहीं करना चाहिए तथा उन हिंदू-मुस्लिम समस्याओ के विषय मे, जो काग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की बातचीत पर पैदा होगी, अपने निर्णय की घोषणा कर देनी चाहिए। साथ ही हमे काग्रेस सरकारो के प्रति मुसलमानो की शिकायत को भी सुनना चाहिए। हमारे इन दो वायदो से मुसलमानो को विश्वास हो जाएगा कि हम उनकी कठिनाइयो को सुनने व समझने को उत्सुक हैं और यथासभव दूर भी करना चाहते हैं।

अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के मार्ग मे धार्मिक समुदायो तथा भाषाई क्षेत्रो द्वारा पैदा की गई बाधाओ के प्रति बोस का रवैया बिल्कुल अलग था तथा काग्रेस के अन्य सदस्यो व नेताओ की अपेक्षा अधिक उदार भी था।

यूरोप-प्रवास के दौरान अतर्राष्ट्रीय मसलो पर पैदा हुई बोस की रुचि 1938

आते-आते और भी गहरी होती चली गई। जापानी आक्रमण के विरोध मे उन्होने चीन मे आपसी भाईचारे के नाते काग्रेस चिकित्सा दल भिजवाया। वर्ष की समाप्ति तक वे इस निर्णय पर पहुच चुके थे कि अतर्राष्ट्रीय स्थितिया अब ऐसी हैं कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध यदि व्यापक आदोलन छेडा जाए तो लाभ हो सकता है।

बोस द्वारा बनाए गए साम्राज्यवाद-विरोधी असहयोगी कार्यक्रम तथा स्वतत्र भारत के समाजवादी पुनर्निर्माण कार्यक्रमो को लेकर गाधीजी तथा कार्यकारिणी के अन्य सहयोगियो के बीच मतभेद पैदा हो गया जिसके परिणामस्वरूप वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व मे लोगो ने उन्हे काग्रेस का पुन अध्यक्ष चुनने का विरोध किया। मौलाना आजाद ने चुनाव लडने मे अपनी अनिच्छा व्यक्त की, जिससे कार्यकारिणी के कुछ लोगो ने मिलकर हाईकमान के पसदीदा एक अन्य सदस्य पट्टाभि सीतारामैया को उम्मीदवार के रूप मे खड़ा कर दिया। बोस की इच्छा थी कि काग्रेस का अध्यक्ष वामपथी होना चाहिए लेकिन जब एकमत से किसी व्यक्ति का चुनाव सभव न हो पाया तो उन्होने स्वय चुनाव लडने का निर्णय लिया। इसी प्रकार बगाल मे मिली-जुली सरकार के गठन को लेकर बोस के समर्थको व गाधी के प्रति वफादार उदारवादियो मे मतभेद हुआ दूसरी ओर बिडला के विरोध के कारण राष्ट्रीय योजना कमेटी के समाजवादी कार्यवृत्त मे भी मतभेद पैदा हुए। के एम मुशी ने खुले आम गाधीजी से शिकायत की कि बोस अग्रेजो के विरोध के लिए जर्मनी की सहायता लेना चाहते हैं जबकि वह बैठक *(जिसे गलत रूप मे जर्मन कौसिल के साथ षड्यत्रकारी बैठक कहकर प्रचारित किया गया)* जर्मनी के व्यापारियो के साथ एक सामान्य बैठक थी। बोस जर्मन नीतियो के कडे आलोचक थे। जनवरी 1939 के अत तक दो सप्ताह चली अध्यक्षीय चुनाव की बहस और उसके प्रत्युत्तर मे जो बयान प्रेस मे प्रकाशित हुए उसमे दो बाते प्रमुख रहीं– सघीय योजना के प्रति दृष्टिकोण तथा काग्रेस के भीतर लोकतत्र की स्थापना। 9 जुलाई 1938 को बोस ने कहा कि फेडरेशन के साथ चोरी-छिपे किया गया किसी भी प्रकार का सहयोग भारत की स्वतत्रता के साथ सबसे बडा धोखा होगा और वह एक भयानक खतरा सिद्ध होगा। चुनावी बहस के दौरान जब उन्होने आम लोगो मे फैली आशका का जिक्र करते हुए कहा कि काग्रेस के उदारवादियो और ब्रिटिश सरकार के बीच फेडरल योजना पर समझौता होने की सभावना है तो उन पर अपने साथियो का अपमान करने का आरोप लगाया गया। प्राप्त अभिलेख सामग्री से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि बोस की आशका निर्मूल नहीं थी और उस समय ब्रिटिश सरकार के उच्चाधिकारियो और पटेल के निकट सहयोगियो के बीच *गवर्नमेंट ऑफ इडिया एक्ट, 1935* के फेडरल भाग पर अनौपचारिक वार्तालाप चल रहा था। उस समय चूकि बोस कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाए इसलिए चुनाव हो जाने के बाद भी उन पर 'दोषारोपण' का आरोप लगाया जाता रहा। पार्टी के आतरिक लोकतत्र के विषय मे बोस का मानना था कि कार्यकारिणी के कुछ लोग किसी व्यक्ति को मनोनीत कर दे, यह ठीक नहीं। यह अति आवश्यक है कि प्रतिनिधि अपना स्वतत्र और निष्पक्ष

मत रख सके। यदि उन्हें इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है तो कांग्रेस का संविधान लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है ?

प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त लोकतांत्रिक मत 29 जनवरी 1939 को दो सौ से अधिक मतों द्वारा सुभाषचन्द्र बोस के पक्ष में गया। 31 जनवरी, 1939 में महात्मा गांधी ने घोषणा की

मौलाना साहब द्वारा नाम वापस ले लिए जाने पर मैंने ही डा. पट्टाभि को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था अतः उनकी हार मेरी हार है। यदि मैं निश्चित सिद्धांतों का और नीतियों का प्रतिनिधित्व करने में असफल रहता हूं तो मैं मैं नहीं हूं। अतः मुझे यह आभास हो गया है कि मैं जिन सिद्धांतों और नीतियों पर चल रहा हूं उन्हें प्रतिनिधिगण स्वीकृति नहीं देते। यह मेरी हार है। अधिकतर सुभाष बाबू भी देश के शत्रु नहीं हैं। उन्होंने भी देश के हित में कष्ट उठाए हैं।

4 फरवरी 1939 को अपने प्रत्युत्तर में सुभाष ने कहा

कई बार कई विषयों पर मैं महात्मा गांधी से सहमत नहीं हो पाया हूं, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व के प्रति मेरे मन में सम्मान बना हुआ है। मेरा सदा प्रयास रहेगा कि मैं उनका विश्वासपात्र बना रहूं, क्योंकि अन्य लोगों का विश्वास जीतने के बावजूद यदि मैं भारत के इस महान व्यक्ति का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया तो यह मेरे लिए बहुत दुःखद स्थिति होगी।

बोस का मानना था कि चुनाव के दौरान उमड़े विवादों को पीछे छोड़ा जा सकता है और गांधी के साथ समझौते पर भी पहुंचा जा सकता है। गांधी को वह उनके अनुयायियों से पृथक मानते थे। एम. एन. राय ने गांधी के मन को सही पहचाना था। उन्होंने गांधी के बयान की व्याख्या करते हुए लिखा था

यह तो गांधीवादी तरीके से युद्ध की घोषणा है– कांग्रेस की अंदरूनी ताकतों के जरिए असहयोग करवाकर आपके तथा आपके सहयोगियों के मार्ग में रुकावटें पैदा करके असम्मानजनक स्थितियां बनाना है। गांधीजी के बयान का सीधा-सीधा अर्थ यही है कि कांग्रेस के नेतृत्व में आपका कोई स्थान नहीं है और आपके चुनाव का विरोध करने वाले लोगों को कांग्रेस में बने रहना चाहिए।

फरवरी के मध्य में बोस गंभीर रूप से बीमार हो गए। तब कांग्रेस का संकट गहरा गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तथा शरतचंद्र बोस को छोड़कर कार्यकारिणी के अन्य सभी सदस्यों ने 22 फरवरी 1939 को अपने त्यागपत्र दे दिए। मार्च 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान भी बोस इतने अस्वस्थ थे कि वे अपना अध्यक्षीय भाषण देने में असमर्थ थे। अतः उनका भाषण उनके बड़े भाई शरतचंद्र बोस ने पढ़ा। अपने सीधे स्पष्ट और संक्षिप्त भाषण में बोस ने कांग्रेस का आह्वान किया कि अंग्रेज सरकार से संतोषजनक उत्तर न मिल पाने की स्थिति में हमें चाहिए कि हम विस्तृत अवज्ञा आंदोलन शुरू करें और ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम भी दें। बोस चाहते थे कि कांग्रेस

अलग-अलग रियासतो मे चल रहे आदोलनो का समेकित और व्यवस्थित तरीके से नेतृत्व करे। उनका विचार था कि साम्राज्यवाद-विरोधी प्रत्येक आदोलन विशेष रूप से कृषक आदोलन और ट्रेड यूनियन सघर्ष को स्पष्ट रूप से सहयोग दिया जाना चाहिए।

अध्यक्षीय चुनाव मे हुई अप्रत्याशित हार का बदला लेने के लिए सुधारवादी गुट ने त्रिपुरी काग्रेस अधिवेशन मे सुनियोजित ढग से सफलतापूर्वक राजनीतिक चोट की। अधिवेशन मे काग्रेस समाजवादी पार्टी के अनुपस्थित रहने के कारण वे लोग गोविंदवल्लभ पत के नेतृत्व मे यह प्रस्ताव पारित कराने मे सफल हो गए कि काग्रेस कार्यकारिणी मे गाधीजी का विश्वास व्यक्त होना आवश्यक है तथा अध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है कि वे कार्यकारिणी के सदस्यो को गाधीजी की इच्छानुसार मनोनीत करे। सत्य व अहिसा के मतावलबियो तथा अन्य लोगो के आपसी मतभेद के कारण त्रिपुरी का वातावरण इतना बिगड गया कि अतत बोस के पास निराश होकर पदत्याग देने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नही बचा।

गाधीजी एक छोटे-से राजा द्वारा शासित प्रदेश राजकोट के मामले मे इतने व्यस्त हो गए कि त्रिपुरी अधिवेशन तक मे उपस्थित न हो सके, इसलिए कार्यकारिणी के गठन की समस्या को पत्र-व्यवहार द्वारा हल करने का प्रयास किया गया। बोस चाहते थे कि कार्यकारिणी के लिए राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र से लोगो को मनोनीत किया जाना चाहिए लेकिन गाधीजी चाहते थे कि बहुसख्यक लोगो के सयुक्त परिषद् का गठन किया जाए। बोस का कहना था कि यदि वे गाधीजी की इच्छानुसार ससद का गठन कर भी देगे, तो भी पत प्रस्ताव की माग के अनुसार वह गाधीजी के विश्वास की कसौटी पर खरा नही उतर पाएगा। गाधीजी ने अपने उत्तर मे लिखा ' जितना मैं इस प्रस्ताव (पत प्रस्ताव) को पढता हू, उतनी ही मुझे इससे चिढ होती जाती है।' हालाकि बोस की इच्छा थी कि काग्रेस के दोनो गुटो से छह-छह सदस्य चुन लिए जाए लेकिन सकट को हल करने के लिए वे यहा तक तैयार थे कि गाधीजी स्वय ही कार्यकारिणी के सदस्यो को मनोनीत कर द। गाधीजी के इकार कर देने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी का गठन करती ही नही। सकट की एक ऐसी घडी मे जबकि गाधीजी के अधिकारो को सफलतापूर्वक चुनौती दी जा चुकी थी बोस ने काग्रेस मे लोकतत्र की स्थापना के लिए आह्वान करना उचित नहीं समझा क्योकि इससे उनका हृदय दुखी होता। कई दिन बाद अप्रेल 1939 मे सोदपुर म हुए व्यक्तिगत वार्तालाप से भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। कार्यकारिणी के गठन मे विफल रहने के बाद 29 अप्रेल 1939 मे कलकत्ता मे आयोजित अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के अधिवेशन मे उन्होने त्यागपत्र दे दिया।

जवाहरलाल नेहरू उन दिनो शरत बोस के घर ठहरे हुए थे। उन्होंने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि बोस का त्यागपत्र स्वीकार करने के बजाय उनके सामने यह प्रस्ताव रखा जाए कि वे कार्यकारिणी के सदस्यो कम से कम दो सदस्यो को अपनी इच्छानुसार मनोनीत करे। लेकिन बोस कार्यकारिणी मे अधिक

लोगो का प्रतिनिधित्व चाहते थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और बोस का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। इस संकटपूर्ण घड़ी मे नेहरू ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई लेकिन उन्होंने पटेल के नेतृत्व की कार्यकारिणी से स्वय को अलग रखा। इन दोनों के बीच हुए लंबे पत्र-व्यवहार से पता चलता है कि बोस को नेहरू की दो घोड़ो पर सवार होने की नीति से काफी धक्का पहुचा। वे नेहरू को अपना बड़ा भाई मानते थे जिन्होंने प्रतिद्वद्वियों मे विरोधी भावना का सदा विरोध किया। बोस ने नेहरू को लिखा– "जिस एकता की खोज मे हम लोग हैं या जिस एकता को बनाए रखना चाहते हैं वह कार्य की एकता होनी चाहिए, न कि अकर्मण्यता की एकता।" निश्चय ही बोस बहुत कटुभाषी थे और शायद निर्णायक क्षणों मे नेहरू की हिचकिचाहट की आलोचना करने मे अत्यधिक क्रूर भी थे। किंतु कई वर्षों के बाद 1939 मे ताया जिंकिन से साक्षात्कार के दौरान नेहरू ने स्वीकार किया कि सुभाष जो करना चाहते थे, वे उससे सहमत तो थे, लेकिन उन्होंने उन्हें हमेशा नीचा दिखाया।

त्रिपुरी तथा उसके बाद की घटनाओं ने बोस की हार को इस रूप मे प्रदर्शित किया कि वे स्वभाव से तथा एक सगठनकर्ता के रूप मे अयोग्य है हालांकि व्यक्तिगत रूप से लोकप्रिय हैं– फिर भी गाधी और उनके अनुयायियो की राजनीतिक चतुराई का मुकाबला करने मे असमर्थ हैं। इन सब घटनाओं के परिणामस्वरूप इस काल मे भारत के प्रमुख व्यक्ति के रूप मे गाधी का प्रभुत्व कम हुआ, जैसा कि हीरेन मुखर्जी ने लिखा भी कि गाधी का व्यवहार बोस की तुलना में निम्न और चिड़चिड़ाहट भरा प्रकट हुआ। दूसरी ओर बोस को रवींद्रनाथ जैसे महान व्यक्तियों से सम्मान प्राप्त हुआ। टैगोर ने अपने एक सदेश मे कहा भी

इस कठिन घड़ी मे जिस साहस और गरिमा का परिचय आपने दिया, उससे मैं आपका कायल हो गया और आपके नेतृत्व मे मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है। ऐसी गरिमा का परिचय अभी बगाल को अपनी प्रतिष्ठा के लिए देना है, जो आपकी इस हार को विजय मे बदलने मे सहायक सिद्ध होगी।

महात्मा गाधी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता छीन लेने के बावजूद सुभाषचद्र बोस उनका कहना मानते रहे। गुरुदेव ने उन्हें *देशनायक* का संबोधन दिया। रवींद्रनाथ टैगोर सुभाषचद्र बोस के पुन कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के पक्षधर थे और उन्होंने 21 जनवरी, 1939 मे शांति-निकेतन मे सुभाष का सम्मान भी किया। उन्होंने फरवरी माह के पहले सप्ताह मे कलकत्ता मे सुभाष बोस का जनसम्मान करने की दृष्टि से एक सभाषण भी तैयार किया, जिसे बाद मे स्थगित करना पड़ा। 'बगाल के कवि' के रूप मे रवींद्रनाथ ने लिखा

जनता के नेता के रूप मे मैं आपका स्वागत करता हू। गीता हमे यही सदेश देती है कि जब-जब देश मे बुरी शक्तियो का जोर बढ़ता है, तब-तब भगवान उसका नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। जब राष्ट्र की आत्मा पर हर दिशा से

आक्रमण हो रहा हो तो उसकी अतरात्मा की पुकार सुनकर उसे छुटकारा दिलाने वाला सामने अवश्य आता है। किसी भी व्यक्ति को इस भ्रम मे नहीं रहना चाहिए कि सकीर्ण प्रातीयता के अभियान मे वह देश के अन्य भागो को पृथक समझकर उसे अलग राज्य के रूप मे स्थापित करे।

आपका एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप अपने देशवासियो को दृढ निश्चयी बनाए और उनमे जिदा रहकर विजय प्राप्त करने की आशा जगाए तथा अपने जीवन से प्रेरणा देकर उन्हे शक्तिशाली बनाए। अरसे पहले मैने एक बैठक मे बगाल के भावी नेता का सबोधित किया था। कई वर्षो के अतराल के बाद इस बैठक म मैं एक ऐसे व्यक्ति को सबोधित कर रहा हू जिसे सब भली-भाति जान चुके हैं। सभव है कि आने वाले सघर्ष मे मै उसके साथ न होऊ। मै केवल उसे आशीर्वाद दे सकता हू और यह जानकर आश्वस्त हू कि उसने इस देश के कष्ट को अपना कष्ट स्वीकार किया है। उसके प्रयासो का फल उसे देश की स्वाधीनता के रूप मे अतत प्राप्त होगा।

गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ-साथ सुभाषचद बोस को जनसामान्य के एक बडे हिस्से से सहानुभूति ओर सम्मान पाप्त हुआ। अपने लेख 'मेरी विचित्र बीमारी मे उन्होने उन सभी पत्रों तारो पार्सलो दवाइयो के पैकटो फूलो व ताबीजो का जिक्र भी किया है जो उन्हे लोगो ने भजे

मैं इन पत्र-लेखको तथा विभिन्न वस्तुओ को भेजने वाले लोगो का धार्मिक विश्वास के आधार पर विश्लेषण कर रहा था तो मैने देखा कि इनमे प्रत्येक धार्मिक पथ का प्रतिनिधित्व है। केवल प्रत्येक धार्मिक पथ का ही नहीं बल्कि सभी चिकित्सा पद्धतियो (यदि मै ठीक शब्द का प्रयोग करू, तो सभी पैथियो) का प्रत्येक लिग का हिदू, मुसलमान क्रिश्चियन पारसी आदि तथा ऐलोपैथ होम्योपैथ वैद्य,हकीम प्राकृतिक चिकित्सक, भविष्यवक्ता आदि स्त्री एव पुरुष सभी ने मुझे पत्र लिखे, अपने-अपने सुझाव दिए कभी-कभी तो दवाइया और ताबीज भी भेजे।

नैतिक रूप से धक्का पहुचाने वाले त्रिपुरी के वातावरण के बावजूद यह प्यार ही बोस मे पुन आत्मविश्वास पैदा कर पाया। अतत उन्होने कहा कि यही वह भारत है जिसके लिए हम लोग सघर्षरत हैं और कठिनाइयो का सामना कर रहे हैं। यही वह भारत है, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति अपना जीवन न्यौछावर कर सकता है। यही वह वास्तविक भारत है जिसमे किसी की अटूट आस्था हो सकती है। फिर त्रिपुरी मे चाहे कुछ भी कहा या किया जाए, कोई फर्क नहीं पडता।

शिशिर कुमार बोस
सुगता बोस

भाषण, लेख तथा वक्तव्य

काग्रेस तथा सविधान और फासीवाद तथा साम्यवाद पर 24 जनवरी 1938 को लदन के डेली वर्कर मे प्रकाशित आर पाम दत्त के साथ बातचीत की रिपोर्ट

सवाल राष्ट्रीय सरकार के प्रवक्ता यह दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान म नया सविधान काफी सफल हुआ है और काग्रेस का सरकार म शामिल होना इसका *प्रमाण है।* इस नजरिये पर राष्ट्रीय काग्रेस की सोच क्या हे ?

जवाब सरकार म शामिल होना इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि काग्रेस हमेशा के लिए सविधान को स्वीकार करने जा रही ह। काग्रेस पार्टी कई आशकाओ के साथ सरकार मे शामिल हो रही है।

इस तरह इसका उद्देश्य दुहरा ह पहला अपनी जगह को मजबूत करना तथा दूसरा यह बताना कि वर्तमान सविधान की शर्तों पर वास्तव में कुछ बडा या सार्थक काम कर पाना सम्भव नहीं है। इस आशका के विपरीत यदि कुछ सार्थक होता हे तब वह स्वतत्रता के लिए सघर्षरत जनता के राजनैतिक सगठन को शक्तिशाली बनाएगा।

सवाल क्या सविधान के सघ वाले हिस्से को काग्रेस द्वारा स्वीकार कर लेने की कोई सभावना है ?

जवाब काग्रेस द्वारा अपनी सोच बदलने तथा सविधान के गणतत्र वाले हिस्से स्वीकार कर लेने की सभावना नहीं है जैसे इसने राज्यो वाले मामले मे किया था। सविधान के राज्यो वाले और सघ वाले हिस्सो मे कोई समानता नहीं है।

सवाल आपकी नजर मे राष्ट्रीय सघर्ष का अगला चरण क्या है ? क्या यह सच हे कि किसानो मे अशाति और हडताल व आदोलन तजी से बढे हैं ?

जवाब बढते हुए उत्साह के साथ जन-चेतना का विकास राष्ट्रीय सघर्ष का अगला चरण होगा। *काग्रेस का काम होगा इस ताकत को लामबद करना और सही दिशा मे बढाना।* दूसरे शब्दो मे व्यापक गैर-साम्राज्यवादी मोर्चे पर आधारित पार्टी सगठन को खडा करना एक समस्या होगी यदि हम इसका हल निकाल सकते हैं तो भविष्य म आने वाले किसी भी खतरे का आशा और साहस के साथ सामना करने के लिए हम तैयार होग। सरकार मे काग्रेस के शामिल होने के बाद किसानो मे अशाति तथा मजदूर-हडताल जन-चेतना के विकास की अभिव्यक्ति हैं।

सवाल क्या आप नेशनल काग्रेस के जनाधार को इस तरह बढाने के पक्ष मे हैं कि यह मजदूर तथा किसान सगठनो के सामूहिक जुडाव से बने एक सर्वदलीय राष्ट्रीय मोर्चा की

तरह हो?

जवाब हा निश्चित ही।

सवाल आपकी नजर मे हिंदुस्तान के सबध मे ब्रिटेन की लेबर पार्टी या भविष्य की लेबर सरकार कौन-सी नीति अपनाएगी ?

जवाब हम चाहेगे कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी काग्रेस के उद्देश्यों को पूरी तरह से समर्थन दे।

सवाल आपकी किताब द *इडियन स्ट्रगल* के अतिम भाग मे फासीवाद के सदर्भ मे कई सवाल किए गए हैं। क्या आप फासीवाद के बारे मे अपने विचार पर कोई टिप्पणी करेगे?

जवाब तीन साल पहल अपनी किताब लिखने के बाद अब मेरे राजनीतिक विचारो मे काफी विकास हुआ है।

वास्तव मे मैं कहना चाहता था कि हिंदुस्तान मे हम अपनी राष्ट्रीय मुक्ति चाहते हैं– इसे हासिल करने के बाद हम समाजवाद की दिशा मे बढना चाहते हैं। जब मैंने 'समाजवाद और फासीवाद के बीच सश्लषण' की बात की, तब मेरा मतलब यही था। शायद जिस तरह से मैंने बात कही है, वह अच्छी न लगे, लेकिन यहा मैं यह बताना चाहता हू कि जब मैं वह किताब लिख रहा था, तब तक फासीवाद ने अपना साम्राज्यवादी अभियान शुरू नहीं किया था और मुझे वह सिर्फ राष्ट्रवाद के एक आक्रामक रूप की तरह लगा था।

मैं यह भी कहना चाहूगा कि हिंदुस्तान मे साम्यवाद के समर्थक माने जाने वालो मे से कइयो ने जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया है, उससे मुझे साम्यवाद ही राष्ट्रविरोधी लगा और भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के लिए उनमे से कइयो द्वारा दिखाए गए शत्रुतापूर्ण व्यवहार ने मेरी इस समझ को मजबूत ही किया है। मैं एक बात और कहना चाहूगा। मने हमेशा माना है और अपनी इस मान्यता से सतुष्ट रहा हू कि मार्क्स और लेनिन के लेखन और कम्युनिस्ट इटरनेशनल की नीतियो पर आधिकारिक बयानो मे जिस प्रकार साम्यवाद को अभिव्यक्त किया गया है वह राष्ट्रीय मुक्ति सघर्ष को पूरा समर्थन देने वाला है और इसे अपने वैश्विक नजरिये के अभिन्न हिस्से के तौर पर स्वीकार करता है।

आज मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को व्यापक गैर-साम्राज्यवादी मोर्चे के रूप मे सगठित होना चाहिए और राजनीतिक स्वतत्रता को हासिल करने तथा साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना करने का दुहरा उद्देश्य अपनाना चाहिए।

हरिपुरा भाषण

फरवरी 1938 म हरिपुरा मे सपन्न भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 51वे अधिवेशन के अवसर पर अध्यक्षीय भाषण

अध्यक्ष महादय और साथियो
अगले साल के लिए मुझे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का अध्यक्ष चुनकर आपने जा सम्मान दिया है उसे मैने हार्दिक रूप से महसूस किया है। एक क्षण के लिए भी मुझे इसका आभास नही था कि मै इतने बड़े सम्मान के लिए किसी काबिल हू। मैं इसे आपकी उदारता की निशानी मानता हू और देश के उन युवाओ की भेट मानते हुए इसका सम्मान करता हू जिनके राष्ट्रीय सघर्ष मे सगठित योगदान के बिना हम वहा नहीं होते जहा आज खडे है। एक तरह के भय और विह्लता के साथ में उस मच पर आसीन हू, जिसे अब तक हमारी मातृभूमि के सुविख्यात बेटे-बेटियो ने सुशोभित किया है। अपनी सीमाओ का जानते हुए मे सिर्फ आशा और प्रार्थना करता हू कि आपकी सहानुभूति और सहायता की बदौलत इस ऊचे पद के साथ इसाफ करन के थाडा-बहुत योग्य हा पाऊ जिसे सभालने के लिए आपन मुझे बुलाया है।

सबसे पहले मै श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू आचार्य जगदीशचद्र बोस ओर डॉ शरतचद्र चटर्जी के निधन पर आपके गहरे दु ख को दर्ज करते हुए आपकी भावनाओ को वाणी देना चाहता हू। श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू हमारे लिए सिर्फ पडित मोतीलाल की धर्मपत्नी तथा पडित जवाहरलाल नेहरू की आदरणीया मा ही नहीं थी, बल्कि हिदुस्तान की आजादी के लिए उनकी पीडा त्याग और सेवा ऐसी थी – जिस पर किसी को भी गर्व हो सकता है। उनके निधन से शोक-सतप्त परिवार के सदस्यो के लिए हमारा हृदय सहानुभूति से भरा हुआ है।

आधुनिक वैज्ञानिक दुनिया मे सबसे पहले देश को एक सम्मानजनक स्थान दिलान के लिए आचार्य जगदीशचद्र बोस का भारत हमेशा आभारी रहेगा। हृदय से राष्ट्रवादी आचार्य जगदीश ने सिर्फ विज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए अपना जीवन अर्पित किया। भारत को यह मालूम है और वह इसके लिए कृतज्ञ है। हम श्रीमती बोस के लिए हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं।

डॉ शरतचद्र चटर्जी के असमय निधन से हिदुस्तान ने अपन साहित्यिक आकाश का सबस चमकीला तारा खो दिया है। बगाल मे बरसो तक एक घरेलू शब्द रहा उनका नाम भारत की साहित्यिक दुनिया मे भी कम चर्चित नहीं है। लेकिन यदि शरत बाबू एक साहित्यकार के रूप मे महान थे, तो शायद एक देशभक्त के रूप मे उससे कहीं अधिक महान थे। उनके निधन से बगाल मे काग्रेस निश्चित ही आज पहल के मुकाबले कमजोर

साम्राज्य के बाहर भी दीखता है। स्पेन के मामले में ब्रिटेन के राजनेता ऐसे ही विकल्पों, जैसे फ्रैंको और वैध सरकार के बीच बट हुए हैं। यूरोपीय राजनीति के व्यापक क्षेत्र मे फ्रास और जर्मनी के सदर्भ मे भी यही स्थिति है।

ब्रिटेन की विदेश नीति मे मौजूद विरोधाभास और विसगतिया उसके साम्राज्य के वैविध्यपूर्ण ढाचे का सीधा परिणाम है। ब्रिटेन के कबीना को यहूदियो को सतुष्ट करना ही है क्योकि वह यहूदियो की विशाल वित्तीय क्षमता की अनदेखा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ, निकट पूर्व तथा हिंदुस्तान मे साम्राज्य के हितो के मद्देनजर हिंदुस्तान के केद्र तथा विदेशी केद्र को अरबो को राजी करना होगा। ग्रेट ब्रिटेन के पास अपने साम्राज्य को मुक्त राष्ट्रो के गणतत्र मे बदलना ही सिर्फ एक रास्ता है, जिसके जरिए वह स्वय को ऐसे विरोधाभासो और असगतियो से मुक्त कर सकता है। यदि वह ऐसा कर सका, तो वह इतिहास मे चमत्कार को अजाम देगा। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने उस बडे साम्राज्य से धीरे-धीरे सदस्यो के निकलते जाने की नौबत मे समझौता करना ही पडेगा, जिसके बारे मे माना जाता है कि वहा सूरज कभी नहीं डूबता। ब्रिटेन को इन लोगों के मामले मे आस्ट्रियाई-हगरी साम्राज्य से मिली सीख को नहीं भूलना चाहिए।

आजकल बर्तानिया साम्राज्य कई वजहो से तनावग्रस्त है। साम्राज्य के अतर्गत ही पश्चिम मे एक छोर पर आयरलैंड है तथा पूर्व मे एक छोर पर हिंदुस्तान। बीच मे मिस्र और इराक को साथ लिए फिलस्तीन है। साम्राज्य के बाहर भूमध्य मे इटली तथा सुदूर पूर्व मे जापान जैसे जुझारू, आक्रामक और साम्राज्यवादी देश होने के कारण पडने वाला दबाव है। अशाति की इस पृष्ठभूमि के सामने रूस खडा है जिसका अस्तित्व ही प्रत्येक साम्राज्यवादी राज्य के सत्ताधारी वर्ग के दिल मे आतक पैदा कर देता है। बर्तानिया साम्राज्य आखिर कब तक दबाव और तनाव के इस सगठित असर को नकार सकता है ?

आज ब्रिटेन स्वय को समुद्रो की मल्लिका' नहीं कह सकता। 18वीं और 19वीं सदी मे इसका असाधारण उत्थान इसकी समुद्री ताकत का ही परिणाम था। बीसवीं शताब्दी मे इसका पतन विश्व इतिहास मे एक नए कारक—वायुसेना— के उदय के परिणामस्वरूप होगा। इस नए कारक (वायुसेना) के कारण ही भूमध्य मे अक्खड इटली ब्रिटेन की पूरी तरह से तैरा नौसेना को सफलतापूर्वक चुनौती दे सका। ब्रिटेन थल, जल तथा वायु को यथासभव फिर से हथियारबद कर सकता है। युद्धपोत आकाश से बमबारी के लिए अब भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन वायुसेना आधुनिक युद्धशैली के एक शक्तिशाली घटक क रूप मे अपनी जगह बना चुकी है। दूरिया मिट चुकी हैं और एअरक्राफ्ट-विरोधी सारी सुरक्षा के बावजूद लदन किसी महाद्वीपीय केद्र के किसी बमवर्षक दल की दया पर आबाद है। सक्षेप मे, वायु-सैन्य बल ने आधुनिक युद्धशैली मे क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, ग्रेट ब्रिटेन की परिरोधकता को नष्ट किया है तथा

विश्व-राजनीति मे शक्ति-सतुलन को बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। विशाल साम्राज्य की कमजोर बुनियाद अब अनावृत हो चुकी है, जो पहले कभी नहीं हुई थी।

विश्व-शक्तियो के इस आपसी क्रियाकलाप के बीच हिंदुस्तान पहले की अपेक्षा काफी शक्तिशाली बनकर उभरा है। हमारा देश 35 करोड जनसख्या वाला एक विशाल देश है। हमारा विशाल क्षेत्रफल और जनसख्या अब तक हमारी कमजोरी का स्रोत रही है। यह कमजोरी ही आज हमारी ताकत का एक स्रोत बन सकती है यदि हम सगठित रहे और अपने शासको का साहस के साथ सामना कर सके। हिंदुस्तानी एकता के मद्देनजर पहली बात यह याद रखनी है कि ब्रिटेन-शासित हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी राज्यो के बीच विभाजन पूरी तरह कृत्रिम है। हिंदुस्तान एक है और ब्रिटेन-शासित हिंदुस्तान तथा हिंदुस्तानी राज्यो की जनता की आशाए और आकाक्षाए समान हैं। आजाद हिंदुस्तान हमारा लक्ष्य है और मेरी समझ मे यह लक्ष्य सिर्फ उस सघीय गणतत्र के जरिए ही हासिल किया जा सकता है जिसमे सूबे और राज्य स्वैच्छिक साझीदार होगे। राज्य की जनता द्वारा चर्चित हिंदुस्तानी हिंदुस्ता। मे लोकतात्रिक सरकार की स्थापना के लिए चलाए गए आदोलन को काग्रस ने हर बार अपनी सहानुभूति और सहायता दी है। इस समय ऐसा हो सकता है कि हम इतने व्यस्त हो कि काग्रेस राज्यो के अपने हमवतनो के लिए इससे अधिक कुछ कर पाने की स्थिति मे न हो। लेकिन आज भी किसी काग्रेस कार्यकर्ता द्वारा राज्य की जनता के लिए काम करने तथा उनके सघर्ष मे भाग लेने मे कोई अडचन नहीं है। काग्रेस मे मेरे जैसे भी लोग हैं जो राज्य की जनता के आदोलन मे काग्रस की पहले से अधिक सक्रिय भागीदारी चाहगे। मै व्यक्तिगत तौर पर आशा करता हू कि निकट भविष्य मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के लिए आगे कदम बढाना और राज्यो म अपने साथी आदोलनकारियो की सहायता मे हाथ बढाना सभव होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हे हमारी सहानुभूति और हमारी सहायता की जरूरत है।

हिंदुस्तानी एकता की बात करते हुए जो दूसरी बात हमारा ध्यान खींचती है वह है अल्पसख्यको की समस्या। काग्रेस ने इस सवाल पर अपनी नीति भी समय-समय पर घोषित की है। अक्तूबर 1937 में कलकत्ता मे हुई बैठक मे ऑल इडिया काग्रेस कमेटी ने अपनी नवीनतम घोषणा मे कहा है

हिंदुस्तान मे अल्पसख्यको के अधिकारो के सबध मे काग्रेस ने दृढतापूर्वक फिर स अपनी नीति की घोषणा की है और कहा है कि वह इन अधिकारो की रक्षा करना तथा इन अल्पसख्यको के विकास तथा राष्ट्र के राजनीतिक आर्थिक व सास्कृतिक जीवन मे इनकी पूरी तरह से भागीदारी के लिए हर सभव अवसर जुटाना अपना कर्तव्य समझती है। काग्रेस का लक्ष्य एक स्वतत्र और सयुक्त भारत है जहा कोई वर्ग या समूह या बहुसख्यक या अल्पसख्यक अपने निजी फायदे के लिए दूसरे का शोषण न कर सके तथा जहा राष्ट्र के सभी तत्व जनता की भलाई और उन्नति के लिए मिलकर सहयोग कर सके। आम स्वतत्रता के लिए एकता और आपसी सहयोग के उद्देश्य का अर्थ किसी तरह

हिदुस्तानी जीवन की उस समृद्ध शैली तथा सास्कृतिक विविधता को समाप्त करना नहीं है, बल्कि इसे हर व्यक्ति तथा हर समूह को आजादी और अवसर देने के लिए सरक्षित करना होगा, ताकि वे निर्बाध होकर अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार विकास कर सके।

फिर भी, इस सबध मे काग्रेसी नीति की गलत व्याख्या करने के कई प्रयासो के मद्देनजर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी इस नीति को दुहराना चाहती है। काग्रेस ने मौलिक अधिकारो पर लाए गए प्रस्ताव मे जोडा है कि

1 भारत के प्रत्येक नागरिक के पास विचारो की स्वतत्र अभिव्यक्ति की, स्वतत्र सगठन तथा मेलजोल की तथा कानून और नैतिकता का विरोध न करने वाले उद्देश्य के लिए शातिपूर्वक तथा हथियारो के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है।

2 प्रत्येक नागरिक अपने विवेक की स्वतत्रता का इस्तेमाल करेगा और वह सार्वजनिक जीवन तथा नैतिकता से जुडे अपने धर्म का स्वतत्र रूप से पालन और प्रवचन करने का अधिकार रखता है।

3 अल्पसख्यको तथा विभिन्न भाषाई इलाको की सस्कृति, भाषा तथा लिपि का सरक्षण किया जाएगा।

4 धर्म, जाति, सप्रदाय या लिग से निरपेक्ष कानून की नजरो मे सभी नागरिक बराबर हैं।

5 सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान के पद या किसी व्यापार या आह्वान के दौरान किसी नागरिक को उसके धर्म, जाति, सप्रदाय और लिग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

6 सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए राज्य, स्थानीय निकायो या व्यक्ति विशेष द्वारा लगाए गए कुओ, तालाबो, सडको, स्कूलो तथा सार्वजनिक मनोरजन स्थलो के सदर्भ मे सभी नागरिको के अधिकार और कर्तव्य समान होगे।

7 सभी धर्मो के सदर्भ मे राज्य का निरपेक्ष नजरिया रहेगा।

8 विश्वजनीन वयस्क मताधिकार का आधार ही मतदान के लिए मान्य होगा।

9 प्रत्येक नागरिक भारत मे कहीं भी आने-जाने और इसके किसी भी भाग मे रहने और बस जाने, जमीन-जायदाद का अनुसरण करने के लिए स्वतत्र होगा तथा देश के सभी भागो मे उनके साथ कानूनी मुकदमा तथा सुरक्षा के सदर्भ मे समान रूप से बर्ताव किया जाएगा।

मौलिक अधिकारो के प्रस्ताव की ये धाराए यह स्पष्ट करती है कि विवेक, धर्म या सस्कृति के मामले मे कोई दखलदाजी नहीं होगी और किसी अल्पसख्यक को बहुसख्यक द्वारा थोपे गए किसी बदलाव के बिना ही अपना निजी कानून

मानने का अधिकार होगा।

काग्रेस के प्रस्तावो तथा अतत पिछले साल जारी चुनाव घोषणा-पत्र मे सामुदायिक निर्णय के सबध मे काग्रेस की भूमिका बारबार स्पष्ट की जा चुकी है। काग्रेस इसे राष्ट्रविरोधी अलोकतात्रिक और हिंदुस्तान की आजादी तथा हिंदुस्तान की एकता मे बाधक मानती है। फिर भी काग्रेस ने घोषित कर दिया है कि सामुदायिक निर्णय मे कोई बदलाव या इसका दमन सबधित दलो की आपसी रजामदी से ही किया जाना चाहिए। इस तरह से बदलाव लाने के हर अवसर का काग्रेस ने हमेशा स्वागत किया है और इसका उपयोग करने के लिए तैयार है।

भारत मे अल्पसख्यको को प्रभावित करने वाले सभी मामलो मे काग्रेस सामूहिक उत्तरदायित्व के उनके सहयोग तथा उनकी सदिच्छा से भारतीय जनता की स्वतत्रता तथा खुशहाली के समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढना चाहती है।

इस समस्या के निराकरण के निमित्त हमारे प्रयासो के नवीनीकरण के लिए यही सही वक्त है। राष्ट्रवाद के मौलिक सिद्धातो के अनुरूप सर्वसम्मत हल निकालने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करने के प्रति जब मै उत्सुक होने की बात करता हू, तो मुझे विश्वास है कि मै सारे काग्रेसियो की भावनाओ को अभिव्यक्ति दे रहा हू। इस समाधान के तरीको की रूपरेखा की तरह ही मैं नहीं समझता कि इस मामले के विस्तार मे जाने की जरूरत है। पिछली सभाओ तथा बातचीत मे पहले ही कई उपयोगी बात तय हो चुकी हैं। मैं सिर्फ यही कहूगा कि सामूहिक, आर्थिक और राजनीतिक हितो पर जोर देते हुए ही हम सामुदायिक अलगाव तथा मतभेदो के पार जा सकते हैं। धार्मिक मामलो मे *जिओ और जीने दो* की नीति तथा आर्थिक एव राजनीतिक मामलो मे समझदारी की नीति अपनाना ही हमारा उद्देश्य होगा। यद्यपि जब कभी हम अल्पसख्यको के सवाल पर विचार करते है तो मुसलमानो की समस्या काफी कठिन दिखती है और चूंकि हम हमेशा के लिए इस समस्या के समाधान के प्रति उत्सुक हैं, इसलिए मुझे यह कहना चाहिए कि काग्रेस अन्य अल्पसख्यको और खासतौर पर तथाकथित बहुसख्यक दलित वर्ग के प्रति न्याय की समान रूप से इच्छुक है। इसे निष्पक्ष विवेचन के लिए मैं हिंदुस्तान के अल्पसख्यक समुदायो के सदस्यो के सामने रखना चाहूगा कि क्या काग्रेस के कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर उन्हे किसी किस्म का डर है। काग्रेस समग्रता मे जनता के राजनीतिक और आर्थिक अधिकारो का समर्थन करती है। यदि वह अपने कार्यक्रमो को लागू करने मे सफल होती है तो हिंदुस्तानी जनता के किसी अन्य वर्ग जितना ही अल्पसख्यक समुदाय भी लाभान्वित होगा। इसके बावजूद राजनीतिक सत्ता पाने के बाद भी यदि राष्ट्रीय पुनर्रचना समाजवादी तरीके से हुई – और इसमे मुझे कोई सदेह नहीं है- तो धनिकों की कीमत पर निर्धनो को लाभ मिलेगा और हिंदुस्तानी अवाम को निर्धनो

की श्रेणी मे ही रखा जाएगा। लेकिन एक सवाल रह ही जाता है, जो अल्पसख्यको की चिता का कारण बन सकता है ओर वह है धर्म तथा धर्म पर आधारित सहमति का एक पहलू। इस सवाल पर काग्रेसी नीति विभिन्न भाषाई क्षेत्रो के लिए सास्कृतिक स्वायत्तता के साथ ही विवेक, धर्म और सस्कृति के मामलो मे पूरी तरह धर्म-निरपेक्ष रहने तथा *जिओ और जीने दो* की नीति है। इसलिए मुसलमानो को हिदुस्तान की स्वतत्रता को लेकर किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत सब कुछ मिलता ही है। जहा तक तथाकथित दलित वर्ग की धार्मिक तथा सामाजिक अयोग्यता का मामला है, सर्वविदित है कि पिछले सत्रह वर्षो के दौरान काग्रेस ने इसके निराकरण के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी है और मुझे जरा भी सदेह नहीं है कि वह दिन अब दूर नहीं, जब ऐसी बात अतीत की वस्तु बनकर रह जाएगी।

अब मैं आने वाले वर्षो मे काग्रेस द्वारा अपनाए जाने वाले तरीको तथा राष्ट्रीय सघर्ष मे इसकी भूमिका पर विचार करूगा। मैं पहले से कहीं ज्यादा विश्वास करता हू कि यह तरीका नागरिक अवज्ञा सहित सत्याग्रह या राष्ट्र के व्यापक अर्थो मे अहिसक असहयोग होना चाहिए। अपने तरीके को निष्क्रिय विरोध कहना सही नहीं होगा, बल्कि इसे सक्रिय विरोध कहना उचित होगा। यह गतिविधि अहिसक चरित्र की होनी चाहिए। इस तरह अपने देशवासियो को यह याद दिलाना जरूरी है कि अहिसक असहयोग को फिर से बहाल करना पड सकता है। प्रयोग के तौर पर राज्यो मे पद हासिल करने का मतलब यह नहीं निकालना चाहिए कि इस तरह हमारी आगामी गतिविधिया सख्त सविधानवाद के घेरे म कैद हो जाती हैं। बहुत सभावना है कि सघ के जबरदस्ती उद्घाटन के प्रति दृढ विरोध हमे नागरिक अवज्ञा के दूसरे बडे अभियान मे पहुचा दे।

स्वतत्रता के लिए अपने सघर्ष मे इन दोनो विकल्पो मे से हम किसी को चुन सकते हैं। जब तक हमे अपनी पूरी आजादी नहीं मिल जाती, हम लडाई जारी रख सकते हैं और इस बीच कूच के दौरान मिल सकने वाली किसी भी ताकत के इस्तेमाल के लिए झुक सकते हैं। दूसरी तरफ, तब हम पूर्ण स्वराज्य या सपूर्ण आजादी के लिए अपना सघर्ष जारी रखते हुए अपनी स्थिति को सुदृढ बना सकते हैं। सिद्धात के मद्देनजर दोनो विकल्प समान रूप से स्वीकार योग्य हैं और प्राथमिकताओ को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हर कदम पर हमे गभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय उन्नति के लिए कौन-सा विकल्प बेहतर होगा। किसी भी दशा मे हमारी प्रगति मे अतिम स्थिति ब्रिटेन के साथ हमारे सबधो की कीमत होगी। जब हम यह कीमत चुका देगे और ब्रिटेन के वर्चस्व की निशानी नहीं रह जाएगी, तब हम इस स्थिति मे आ पाएगे कि दोनो पक्षो द्वारा स्वेच्छापर्वक तैयार किए गए सधि-पत्र के जरिए भविष्य के सबधो की रूपरेखा निर्धारित हो सके। ग्रेट ब्रिटेन के साथ भविष्य मे हमारे सबध क्या होगे या होने चाहिए, यह बताना अभी सभव नहीं है– यह काफी हद तक ब्रिटेन के लोगो की सोच पर निर्भर रहेगा। इस मामले मे मैं आइरे की राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति डी वेलेरा

की सोच से काफी प्रभावित हो चुका हू। मुझे यह भी कहना चाहिए कि ब्रिटेन की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम ग्रेट ब्रिटेन से लड रहे हैं और हम इसके साथ भविष्य के अपने सबधो को तय करने की पूरी आजादी चाहते ह। लेकिन यदि एक बार हमे आत्मनिर्णय का अधिकार मिल जाता है, तो ब्रिटेन की जनता के साथ मधुर सबध न रखने को कोई कारण नहीं है।

मुझे इस बात का डर है कि हमारे राष्ट्रीय सघर्ष के इतिहास मे काग्रेस की भूमिका को लकर कई काग्रेसजनो के दिमाग मे तस्वीर साफ नहीं है। मैं जानता हू कि एस साथी भी हैं, जो सोचते हैं कि स्वतत्रता का अपना लक्ष्य पूरा करन के बाद काग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। ऐसी कोई सोच पूरी तरह से सही नहीं है। जो पार्टी हिंदुस्तान के लिए आजादी हासिल करती है, उसी पार्टी का पुनर्रचना के सारे कार्यक्रमो को भी अमल मे लाना चाहिए। *जिन्होने यह सत्ता हासिल की है, सिर्फ वे ही इसे कायदे से सभाल सकते हैं।* यदि दूसरे लोग अकस्मात इस सत्ता पर आसीन कर दिए जाते हैं, जो उसे हासिल करने लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो क्रातिकारी पुनर्रचना के लिए सर्वथा जरूरी शक्ति, आत्मबल तथा आदर्शवाद का उनमे अभाव होगा। यही वह कारण है जो प्रातीय स्वायत्तता के बिल्कुल सकीर्ण दायरे म काग्रेसी या गैर-काग्रेसी मत्रिमडलो के बीच के अतर को सामने लाता है।

नहीं, राजनीतिक आजादी मिल जाने के बाद काग्रस पार्टी के खत्म हो जाने का कोई सवाल नहीं है। इसके विपरीत पार्टी को सत्ता सभालनी होगी, प्रशासन की जिम्मेदारी लेनी होगी तथा पुनर्रचना के अपने कार्यक्रमो को लागू करना होगा। सिर्फ तभी काग्रेस अपनी भूमिका को पूरा कर सकेगी। युद्धोत्तर-कालीन यूरोप का देखते हुए हम पाते हैं कि सिर्फ उन देशो म ही व्यवस्थित ढग से तथा लगातार प्रगति हुई है, जहा सत्ता हासिल करने वाली पार्टी ने ही पुनर्रचना का काम भी अपने हाथो मे लिया।

मुझे मालूम है, यह बहस छिडेगी कि ऐसी परिस्थिति मे राज्य के पीछे खडी पार्टी का बने रहना उस राज्य का सर्वसत्तावादी बना देगा। लेकिन मैं इस आरोप को नहीं स्वीकारता। यदि रूस जर्मनी और इटली जैसे देशो की तरह यहा भी सिर्फ एक ही दल हो, तो राज्य सभवत अधिनायकवादी बन जाएगा। लेकिन दूसरे दलो को प्रतिबधित करने का कोई तुक नहीं है। फिर, नेता के हित-सिद्धात पर टिकी किसी नाजी पार्टी के उदाहरण के विपरीत हमारे दल का अपना एक लोकतात्रिक आधार भी होगा। एक से अधिक दलो का अस्तित्व तथा काग्रेस पार्टी का लोकतात्रिक आधार ही भविष्य के हिंदुस्तानी राज्य को अधिनायकवादी बनने से रोकेगा और फिर दल का लोकतात्रिक आधार यह सुनिश्चित भी करेगा कि जनता पर नेता ऊपर से नहीं थोपे जाते बल्कि नीचे से चुनकर आते हैं।

यद्यपि पुनर्रचना की विस्तृत योजना बता पाना कुछ-कुछ अपरिपक्व हो सकता है, लेकिन हम कुछ सिद्धातो के बारे म विचार कर सकते हैं जिनके मुताबिक भविष्य की

हमारी सामाजिक पुनर्रचना आकार ग्रहण करेगी। मुझे अपने मन मे कोई सदेह नही है कि गरीबी अशिक्षा और बीमारी के उन्मूलन तथा वैज्ञानिक उत्पादन एव वितरण से सबधित हमारी मुख्य राष्ट्रीय समस्याए समाजवादी रास्ते से जुडकर ही प्रभावी ढग से हल की जा सकती हैं भविष्य की हमारी राष्ट्रीय सरकार को जो काम सबसे पहले करना होगा वह है पुनर्रचना की सपूर्ण योजना निर्धारित करना। इस योजना के दो भाग होगे- पहला तात्कालिक कार्यक्रम तथा दूसरा दीर्घकालिक कार्यक्रम। पहले भाग का खाका तैयार करते वक्त तिहरा लक्ष्य दिमाग म रखना होगा। एक तो आत्मबलिदान के लिए देश को तैयार करना, दूसरे, हिंदुस्तान को एक बनाए रखना और तीसरे, स्थानीय तथा सास्कृतिक स्वायत्तता के लिए माहौल बनाना। दूसरे और तीसरे लक्ष्य परस्पर विरोधी लग सकते हैं लेकिन वस्तुत वे वैसे हैं नहीं। एक जीवत राष्ट्र के नाते हमारी जो राजनीतिक योग्यता या श्रेष्ठता है उसको इन दो लक्ष्यो को हासिल करने मे हमे इस्तेमाल करना होगा। हम देश को एक बनाए रखना होगा, ताकि किसी भी तरह के विदेशी हमले से भारत की रक्षा करने मे हम समर्थ हो सके। देश को एक बनाए रखने के दौरान एक सुदृढ केंद्रीय सरकार के जरिए सभी अल्पसख्यक समुदायो तथा प्रातो को अपने सास्कृतिक और सरकारी मामलो मे काफी स्वायत्तता देते हुए उन्हे सतुष्ट किया जा सकता है। विदेशी वर्चस्व का बोझ हटने के बाद लोगों की एकता बनाए रखने के लिए विशेष प्रयासो की आवश्यकता पडेगी क्योकि विदेशी शासन न एक हद तक हमे हतोत्साहित तथा असगठित कर दिया है। राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिए बोलचाल की आम भाषा तथा एक लिपि का विकास करना होगा। फिर हवाई जहाज, टेलीफोन रेडियो फिल्म तथा टेलीविजन आदि जैसे आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारो की सहायता के जरिए हम देश के विभिन्न हिस्सो को एक दूसरे के और करीब ला सकते हैं तथा एक आम शिक्षा नीति के जरिए सारी जनता मे समान रूप से उत्साह पैदा कर सकते हैं। जहा तक हमारी बोलचाल की भाषा का सवाल है, मुझे लगता कि हिंदी और उर्दू के बीच फर्क करना बनावटी है। सबसे सहज बोलचाल की भाषा इन दोनो का मिला-जुला रूप होगी जैसा कि देश के बहुत बडे हिस्से के आम जीवन मे बोली जाती है और इस आम भाषा को इन दोनो लिपियो में से किसी मे लिखा जा सकता है- नागरी या उर्दू। इस बात के प्रति मैं सावधान हू कि भारत मे ऐसे लोग भी हैं जो एक के निष्कासन की कीमत पर ही इन दोनों मे से किसी एक लिपि का मजबूती से समर्थन करेगे। हमारी नीति तो भी निष्कासन की नहीं होनी चाहिए। किसी भी लिपि के इस्तेमाल के लिए हमे पूरा अवसर देना चाहिए। फिर भी मैं सोचता हू कि अतिम और सबसे अच्छा समाधान एसी लिपि को अपनाना होगा, जो हमे बाकी दुनिया की कतार मे ला दे। शायद हमारे देशवासियो मे से कुछ लोग रोमन लिपि को अपनाने के नाम पर आतक से भरकर ताकने लगे, लेकिन मै उनसे इस मसले पर वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने की विनती करूगा। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम तत्काल ही यह महसूस करेगे कि किसी लिपि मे अतिपवित्र जैसा कुछ

भी नही है। हम जिस नागरी लिपि को आज देखते है वह विकास के अनेक चरणो से होकर गुजरी है। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान की उर्दू बोलने वाली जनता तथा पजाब और सिध जैसे प्रातो मे मुसलमान तथा हिंदू दोनो समुदायो द्वारा उर्दू लिपि का खूब इस्तेमाल होता है, ऐसी विविधता के मद्देनजर सपूर्ण हिंदुस्तान के लिए एक समान लिपि का चयन वस्तुत हर तरह की पक्षधरता से मुक्त होकर गहरी वैज्ञानिक और भेदभावरहित भावना से किया जाना चाहिए। मै स्वीकार करता हू कि एक वक्त था जब हमारे लिए एक विदेशी लिपि को अपनाना राष्ट्र-विरोधी होता लेकिन 1934 मे मेरी तुर्की की यात्रा ने मेरी सोच को बदल दिया। तब मैने पहली बार अनुभव किया कि बाकी दुनिया की तरह एक समान लिपि अपनाने का कितना फायदा है। हमारी जनता मे 90 प्रतिशत से अधिक अशिक्षित है तथा किसी भी लिपि को नही समझते, तो जहा तक हमारी जनता का सवाल है उन्हे इससे कोई फर्क नही पड़ेगा कि उनके शिक्षित होने पर उन्हे कौन-सी लिपि से परिचित कराया जाए। इसके बावजूद रोमन लिपि अपनाने से उनको एक यूरोपीय भाषा को समझने मे मदद मिलेगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि रोमन लिपि को तुरत अपनाना हमारे देश म कितना अलोकप्रिय होगा फिर भी मैं अपने देशवासियो से गुजारिश करूगा कि वे लबे दौर के लिए उपयुक्त सबसे कारगर समाधान पर ही विचार करे।

आजाद भारत के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम के सबध मे पहले कदम के तौर पर हमे अपनी बढती आबादी के सकट का समाधान ढूढना है। भारत की आबादी अधिक है या कम-- इस तरह के सैद्धातिक सवालो मे उलझने की मेरी कोई इच्छा नही है। मै यह दिखाना चाहता हू कि जब धरती पर गरीबी भुखमरी और बीमारी बढ रही है तब एक दशक मे ही 30 करोड तक बढ चुकी आबादी को हम नहीं सभाल सकते। यदि आबादी पिछले वर्षो की तरह ही बेतहाशा बढती रही तो हमारी योजनाओ के विफल होने की सभावना है। इसलिए जब तक हम पहले से ही मौजूद आबादी के लिए रोटी कपडे तथा शिक्षा का प्रबध नहीं कर लेते अपनी आबादी को रोकना जरूरी है। इस समय आबादी रोकने के तरीको के बारे मे बतलाने की जरूरत नहीं है लेकिन मै गुजारिश करूगा कि इस सवाल की तरफ जनता का ध्यान खींचना होगा।

पुनर्रचना के सदर्भ मे हमारी मुख्य समस्या होगी कि अपने देश से गरीबी कैसे हटाए। इसकी खातिर जमींदारी उन्मूलन के साथ ही हमारी भूमि-व्यवस्था मे आमूल सुधार की भी आवश्यकता है। कृषि मे कर्जदारी की समस्या को दूर करना होगा तथा ग्रामीण आबादी के लिए कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था करनी होगी। उत्पादको तथा उपभोक्ताओ दोनो की भलाई के लिए सहकारिता आदोलन का प्रसार जरूरी होगा। भूमि से पैदावार बढाने को ध्यान मे रखकर कृषि को वैज्ञानिक आधार देना होगा।

आर्थिक समस्या के समाधान के लिए कृषि म प्रगति ही पर्याप्त नहीं होगी। राज्य स्वामित्व तथा राज्य-नियत्रण के अतर्गत औद्योगिक विकास की एक व्यापक योजना जरूरी होगी। देश के बाहर बडी मात्रा मे उत्पादन तथा देश के अदर विदेशी शासन

के परिणामस्वरूप ढह चुके पुराने औद्योगिक तंत्र की जगह पर एक नई औद्योगिक व्यवस्था बनानी होगी। योजना आयोग को सावधानीपूर्वक विचार करना होगा और यह तय करना होगा कि आधुनिक कारखानों की प्रतिस्पर्धा में किस गृह उद्योग का पुनरुद्धार हो सकेगा तथा किस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर भी हम आधुनिक औद्योगीकरण को बहुत ही नापसंद तथा उससे पैदा होने वाली सारी बुराइयों की भर्त्सना कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें भी तो पूर्व-औद्योगिक युग में नहीं जा सकते इसलिए अच्छा यही है कि हम औद्योगीकरण तथा औजार-उपकरणों के साधनों से स्वयं को जोड़ें, ताकि हम इसकी बुराइयों को दूर कर पाएं और साथ ही कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार की उन संभावनाओं को खोज सकें जहां कारखानों की अपरिहार्य प्रतिस्पर्धा के दौर में उनका अस्तित्व बने रहने की गुंजाइश हो। भारत जैसे देश में कुटीर उद्योगों, खासतौर पर हथकरघों और बुनकरों के काम सहित कृषि से जुड़े उद्योगों के लिए प्रचुर अवसर हैं।

अंतिम बात, उत्पादन और उपयोग दोनों ही क्षेत्रों में हमारी समस्त कृषि तथा औद्योगिक व्यवस्था को धीरे-धीरे समाजोन्मुख बनाने के लिए योजना आयोग की सलाह पर राज्य सरकार को एक विस्तृत योजना पर अमल करना पड़ेगा। इसके लिए अतिरिक्त पूंजी का इंतजाम करना होगा- चाहे वह आंतरिक या बाहरी ऋणों के जरिए हो अथवा मुद्रास्फीति के जरिए।

कांग्रेस पार्टी ग्यारह प्रांतों में से सात में पद भार को स्वीकृति दे चुकी है इसलिए संविधान के प्रांत वाले हिस्से के खिलाफ होना या इसका विरोध करना अब संभव नहीं होगा। अब इसके जरिए कांग्रेस को सुदृढ़ और व्यवस्थित ही किया जा सकता है। मैं उन लोगों में से हूं, जो पद-भार लेने के पक्ष में नहीं थे। यह इसलिए नहीं कि ऐसा करने में कोई अंतर्निहित बुराई है और इसलिए भी नहीं कि इस नीति में से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकेगा बल्कि इसलिए कि यह समझा गया था कि पद स्वीकार करने से उसकी बुराइयां अच्छाइयों को कमजोर करेंगी। आज मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा पूर्वाभास निराधार था।

अब जबकि हमारे मंत्री ही पदभार ग्रहण कर चुके हों, तो कांग्रेस को हम कैसे सुदृढ़ और व्यवस्थित बना सकते हैं ? पहला काम जो हमें करना है वह नौकरशाही के ढांचे तथा चरित्र को बदलना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो सकती है। प्रत्येक देश में मंत्री आते-जाते रहते हैं लेकिन स्थाई सेवाओं का इस्पाती ढांचा स्थिर रहता है। यदि नौकरशाही के ढांचे और चरित्र में बदलाव नहीं आता है, तो अपने सिद्धांतों को व्यवहार रूप में बदलने में सरकारी पार्टी तथा इसकी मंत्रिपरिषद संभवतः अप्रभावी सिद्ध होगी। युद्धोत्तर जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा शायद 1924 और 1929 में ग्रेट ब्रिटेन में लेबर पार्टी के मामले में यही हुआ था। किसी भी देश में स्थाई सेवाएं ही वास्तव में शासन करती हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा ही ये सेवाएं अस्तित्व में आईं और

इस ढाचे मे ऊचे ओहदो पर अधिकतर अग्रेज ही रहे हैं। अधिकतर मामलो मे उनका नजरिया और उनकी मानसिकता न तो भारतीय थी और न ही राष्ट्रीय। कहना न होगा कि जब तक स्थाई सेवाए अपने नजरिए और मानसिकता मे राष्ट्रीय नहीं हो जाती तब तक किसी राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित नही किया जा सकता। निस्सदेह कठिनाई यह पेश आएगी कि सविधान के अतर्गत स्थाई सेवाओ के ऊचे पदो पर प्रातीय सरकार व भारत के राज्य सचिव का नियत्रण होने के कारण सेवाओ के ढाचे म बदलाव लाना आसान नहीं हागा।

दूसरी ओर, विभिन्न प्राती के काग्रेसी मत्रियो को सरकार मे जाने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य मद्यनिषेध ,कारागार-सुधार सिचाई उद्योग भूमि-सुधार, मजदूर-कल्याण इत्यादि क्षेत्रो मे पुनर्रचना की योजनाओ को शुरू करना चाहिए। इस सदर्भ मे जहा तक सभव हो समग्र भारत के लिए समान नीति बनाने के प्रयास होने चाहिए। नीति मे यह एकरूपता दो मे से किसी भी एक तरीके से लाई जा सकती है। 1937 के अक्तूबर महीने मे कलकत्ता मे सपन्न हुई श्रम मत्रियो की बैठक की तरह विभिन्न प्रातो के काग्रेसी मत्री साथ मिलकर एक समान कार्यक्रम का खाका खींच सकते है। इसके अतिरिक्त काग्रेस कार्यसमिति जो काग्रेस पार्टी की आलाकमान है, अपने विशेषज्ञों से मिले सलाहो की रोशनी म काग्रेस शासित प्रातीय सरकारो के विभिन्न विभागो को निर्देश देकर अपना सहयोग दे सकती है। इसके लिए काग्रेस कार्यसमिति को उन समस्याओ से परिचित होना पड़गा जो प्राता मे काग्रेस सरकारो के सामने आते हैं। इसका अर्थ यह नही कि उनको प्रशासन के विस्तार मे जाना चाहिए। उनको विभिन्न समस्याओ की एक आम समझ रखनी जरूरी है ताकि वे नीति की विस्तृत रूपरेखा तय कर सके। इस सदर्भ मे काग्रेस कार्यसमिति अब तक किए गए काम से कहीं अधिक कर सकती है और जब तक यह ऐसा नही करेगी मैं नही समझ पा रहा कि फिर वह कैसे विभिन्न काग्रेसी मत्रिमडलो पर असरदार नियत्रण रख सकेगी।

यहा मैं काग्रेस कार्यसमिति की भूमिका के बारे मे कुछ और कहना चाहूगा। मेरी नजर म यह समिति आजादी के योद्धाओ की राष्ट्रीय सेना के मस्तिष्क को सिर्फ सचालित ही नहीं करती है, बल्कि यह आजाद हिदुस्तान की छाया मत्रिमडल भी है और उसी के अनुसार इसे काम भी करना चाहिए। यह कोई मेरा अपना अन्वेषण नहीं है। यह भूमिका है जो अपनी राष्ट्रीय मुक्ति के लिए सघर्ष कर चुके अन्य देशो की इस जेसी समितियो को सोपी गई है। मैं उनमे से एक हू, जो आजाद भारत की शब्दावलियो मे सोचते हैं और जो अपने जीवन के सक्षिप्त कालखड मे ही इस देश मे राष्ट्रीय सरकार को साकार करना चाहते हैं। हमारे लिए यह कहना स्वाभाविक है कि काग्रेस कार्यसमिति को आजाद हिदुस्तान के छाया मत्रिमडल की तरह सोचना-विचारना तथा काम करना चाहिए। राष्ट्रपति वेलेरा की रिपब्लिकन सरकार ने अग्रेज सरकार स लड़ने और भागने क दौरान ऐसा ही किया था। सरकार बनाने से पहले मिस्र की वफ्द पार्टी ने भी ऐसा ही किया था। दैनिक काम निबटाते हुए कार्यसमिति के सदस्यो को उन समस्याओ का भी अध्ययन

करना चाहिए, जिनसे राजनीतिक सत्ता हासिल करन की प्रक्रिया के दौरान उन्हे टकराना होगा।

काग्रेसी सरकारो की उचित कार्य शैली के सवाल से अधिक महत्वपूर्ण यह तात्कालिक समस्या है कि सविधान के सघीय भाग के उद्घाटन का विरोध कैसे करे। प्रस्तावित सघीय योजना को लेकर काग्रेस का नजरिया 4 फरवरी, 1938 को वर्धा मे हुई कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव मे साफ-साफ प्रकट हो गया है कि इस विषय पर निर्धारित समिति के विचार करने के बाद ही प्रस्ताव को काग्रेस के सामने रखा जाएगा। यह प्रस्ताव कहता है

काग्रेस ने नया प्रस्ताव खारिज कर दिया है और घोषणा की है कि जनता मे स्वीकृत हो सकने योग्य भारतीय सविधान को आजादी पर आधारित होना चाहिए और यह बिना किसी विदेशी ताकत के हस्तक्षेप के एक सविधान सभा के जरिए खुद जनता द्वारा ही बनाया जा सकता है। नामजूरी की इस नीति के समर्थन के बावजूद काग्रेस ने प्रातो मे काग्रेसी मत्रिमडल बनाने की अनुमति दे दी। काग्रेस की दृष्टि मे मत्रिमडल सघर्षरत राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगे। प्रस्तावित सघ के सबध मे इस तरह की सोच अस्थाई तौर पर थोडे समय के लिए भी लागू नहीं होती और इस तरह से सघ को थोपना भारत के लिए गहरा जख्म साबित होगा और यह उन बधनो को तनावग्रस्त कर देगा, जो इसे साम्राज्यवादी वर्चस्व के अधीन रखते है। सघ की यह योजना वस्तुत किसी सरकार के सबसे जीवत कार्य को ही उत्तरदायित्व के दायरे से बाहर कर देती है।

सघ की अवधारणा के खिलाफ नहीं है काग्रेस, लेकिन उत्तरदायित्व के सवाल से अलग होकर भी ऐसी मुक्त इकाइयो से एक वास्तविक सघ बनना चाहिए- जो कमोबेश एक समान आजादी, नागरिक स्वतत्रता तथा चुनाव की लोकतात्रिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिनिधित्व का उपभोग करती हो। सघ मे शामिल हो रहे हिंदुस्तानी राज्य प्रतिनिधि सस्थानो, उत्तरदायी सरकार नागरिक स्वतत्रताओ की स्थापना तथा सघीय सरकार की चयन-प्रक्रिया मे प्रातो के निकट ही ठहरते हैं, अन्यथा, जैसा कि अपेक्षित है- सघ हिंदुस्तानी एकता बनाने की जगह अलगाववादी रुझानो को ही बढावा देगा और राज्यो को अतत आतरिक और बाहरी द्वद्वो मे फसा देगा।

इसलिए काग्रेस प्रस्तावित योजना की फिर निंदा करती है और इसका उद्घाटन रोकने के लिए प्रातीय एव स्थानीय काग्रेस समितियो तथा आम जनता सहित प्रातीय सरकारो एव मत्रिमडलो का आह्वान करती है।

जनता की घोषित इच्छा के बावजूद इसे थोपने के किसी भी प्रयास मे स्थिति का हर तरीके से सामना किया जाना चाहिए और प्रातीय सरकारो

तथा मंत्रिमंडलो को इनके साथ सहयोग करने से इंकार कर देना चाहिए। यदि इसमे अनिश्चय की कोई स्थिति आती है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस संदर्भ मे आगे बढने की कार्य दिशा तय करने के लिए अधिकृत तथा निर्देशित है।

प्रस्तावित सघ के लिए जबरदस्त विरोध के अपने नजरिए को समझाने के लिए मैं कुछ और दलीले देना चाहूगा। सघीय योजना की सबसे आपत्तिजनक बातो मे से एक, नए सविधान मे व्यावसायिक तथा वित्तीय सुरक्षा से सबधित है। जनता सिर्फ रक्षा या विदेश नीति पर किसी किस्म के नियत्रण से ही नही वचित होगी बल्कि खर्च का एक बडा हिस्सा भी चर्चित नियत्रण से पूरी तरह बाहर होगा। 1937-38 के लिए केंद्रीय सरकार के बजट के अनुसार 77 90 करोड रुपये (58 42 मिलियन पौड) के कुल खर्च मे सैन्य खर्च 44 61 करोड रुपये (33 46 मिलियन पौड) है जो कि केंद्रीय सरकार के कुल खर्च का लगभग 57 प्रतिशत है। लगता है कि गवर्नर जनरल द्वारा नियंत्रित होने वाला सघीय सरकार का आरक्षित हिस्सा सघीय खर्च के लगभग 80 प्रतिशत का सचालित करेगा। तो भी रिजर्व बैंक तथा सघीय रलवे अथॉरिटी जैसे सस्थान बन चुके है या बनाए जाएगे जो उत्तराधिकार प्राप्त बडे सस्थानों के बीच विशिष्ट और स्वय के सपूर्ण अधिकार रखने वाले सस्थानो' की तरह सघीय विधानमडल से मुक्त होकर काम करेगा। रलवे नीति को निदेशित और प्रभावित करने वाली ताकत, जो इस वक्त विधानमडल के पास है उससे वह वचित हो जाएगा। देश के आर्थिक विकास पर एक जीवत पकड रखने वाली मुद्रा और विनिमय नीति को निर्धारित करने मे विधानमडल की कोई भूमिका नहीं होगी।

सघीय सरकार के अतर्गत विदेशी मामला एक आरक्षित मसला होगा। यह तथ्य व्यापार समझौते को खत्म करने के हिदुस्तानी विधानमडल की स्वतत्रता को ही पूर्वाग्रही होकर प्रभावित करेगा और असल मे यह राजकोष की स्वायत्तता को गभीरतापूर्वक बाधित करेगा। अपने समर्थन मे ऐसे व्यापार समझौतो को विधानमडल के सामने रखने मे सघीय सरकार किसी भी सवैधानिक इकरारनामे से नही बधी होगी। अगर वे इस समय हिंदुस्तानी विधानसभा के सामने हिंदुस्तान ब्रिटेन व्यापार-समझौता रखने के प्रयास मे विफल हो जाते है तो भी वे किसी सवैधानिक नैतिकता से नहीं बधे है। तथाकथित राजकोषीय स्वायत्तता के समझौते का इस शर्त के बिना कोई अर्थ नहीं है कि हिंदुस्तानी विधानमडल के समर्थन के बिना कोई भी हिंदुस्तान की ओर से किसी भी व्यापार-समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा। इस सदर्भ मे मैं कहना चाहूगा कि मेरे विचार से हिंदुस्तान को जर्मनी चेकोस्लोवाकिया इटली तथा सयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे उन देशो के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते करने चाहिए, जिनके साथ अतीत मे उसके अतरग व्यापारिक सबध रहे हैं। लेकिन नए सविधान के अतर्गत सघीय सरकार पर ऐसे व्यापारिक समझौतो मे शामिल होने के लिए दबाव डालना सघीय विधानमडल के सामर्थ्य

से बाहर होगा।

अधिनियम मे सम्मिलित अन्यायपूर्ण तथा अनुचित व्यावसायिक सुरक्षा के उपाय भारत के राष्ट्रीय उद्योगो को बचाने तथा विकसित करने के किसी भी प्रभावी रास्ते को अपनाने को असभव बनाते हैं, खास-तौर से वहा, जहा इन उद्योगो का ब्रिटेन के व्यावसायिक तथा औद्योगिक हितो के साथ द्वद्व हो सकता है और जैसा कि प्राय होता भी रहता है। कानून मे शामिल भेदभाव सबधी धाराओ के पूरी तरह लागू होने की जाय सबधी गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व के साथ ही भारत मे आयातित ब्रिटेन की वस्तुओ को किसी तरह के भेदभाव तथा दडात्मक व्यवहार से बचाना भी उसका कर्तव्य है। इन कठोर तथा धूर्ततापूर्ण धाराओ का ध्यानपूर्वक अध्ययन बताता है कि भारत अतत ब्रिटेन के साथ प्रतिस्पर्धा मे ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकता, जिसे असल मे गवर्नर जनरल विधायिका या प्रशासनिक दायरे मे निरर्थक न घोषित कर दे या अपने विशेषाधिकार से दबा न दें। इस देश मे *समान शर्तो पर राष्ट्रीय लोगो के साथ विदेशियो को प्रतिस्पर्धा* करने की अनुमति देना निस्सदेह हास्यास्पद है और यदि भारत को राष्ट्रीय आर्थिक नीति तय करने तथा इसे अपनाने और जरूरत पडने पर राष्ट्रीय तथा गैर-राष्ट्रीय मे फर्क करने का अधिकार नहीं मिलता है, तो इसे सही स्वराज नहीं कहा जा सकता। 1931 मे हुए गाधी-इरविन समझौते के तुरत बाद *'द जायट एड द ड्वार्फ'* शीर्षक से *'यग इडिया'* मे छपे अपने बहुचर्चित लेख मे महात्मा गाधी ने साफ शब्दो म कहा है कि हिंदुस्तानी हितो *तथा अग्रेजी या यूरोपीय हितो के बीच फर्क नहीं करने की बात करना हिंदुस्तानी गुलामी* को जारी रखना होगा। विशालकाय और बौने के बीच अधिकारो की आखिर बराबरी ही क्या ? हिंदुस्तानी स्वामित्व वाले तथा हिंदुस्तानियो से सचालित जजमानो के लिए हिंदुस्तानी समुद्रतटीय व्यापार को आरक्षित करने सबधी कदम उठाने के लिए इस वक्त जो भी थोडी ताकत केद्रीय विधानमडल के पास थी, वह तथाकथित सशोधित सविधान के जरिए छीनी जा चुकी है। नौ परिवहन एक जीवत उद्योग है जो सुरक्षात्मक तथा आर्थिक उद्देश्यो के लिए आवश्यक है। अग्रेजो के नियत्रण मे अपनाए गए कई तरीको सहित इस मूल उद्देश्य को विकसित करने के लिए सभी स्वीकृत तथा वैध तरीके अब भारत के लिए असभव बन गए है। पारस्परिकता तथा साझेदारी के आधार पर ऐसी सीमाओ को उचित ठहराना बिल्कुल चोट लगने के बाद अपमानित करने की तरह है। भविष्य के भारतीय ससद का भारतीयो के हितो के लिए जरूरत पडने पर राष्ट्रीय तथा गैर-राष्ट्रीय के बीच फर्क करने या भेदभाव करने का अधिकार बने रहना चाहिए। और इस अधिकार को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड सकते। इस सदर्भ मे मैं आयरलैंड के लोगो का समान रूप से जिक्र करना चाहूगा। 1935 मे बना आयरलैंड का राष्ट्रीयता और नागरिकता अधिनियम चुनाव-व्यवस्था सार्वजनिक जीवन मे प्रवेश व्यापारिक और परिवहन कानून तथा वायुयान के मामले मे एक खास आयरलेंड नागरिकता का प्रबध करता है-- जैसा कि यह अधिनियम उन खास आयरलैंड के उद्योगो मे सहायता के लिए

दी गई सुविधाओ के मामले मे करता है, जिसे वह आयरलैंड की जनता के लिए ही आरक्षित रखना उचित समझता है। दूसरे शब्दो मे आयरलैंड की नागरिकता ब्रिटेन से अलग है जो ब्रिटेन की नागरिकता के आधार पर स्टेट ऑफ आयर (आयरलैंड) में समान अधिकार का दावा नही कर सकता। आयरलैंड मे ब्रिटेन की नागरिक्ता मान्य नहीं है। मैं महसूस करता हू कि इसी तरह भारत को अपनी अलग राष्ट्रीयता को विकसित और अपनी अलग नागरिक्ता को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

राजकोषीय स्वायत्तता और व्यावसायिक सुरक्षा के उपायो के सवाल पर मैं सक्षेप म भारत क लिए सक्रिय विदेशी व्यापार नीति की आवश्यकता का जिक्र करूगा। हिंदुस्तान के विदेश व्यापार को लापरवाहीपूर्वक या खडित रूप मे नहीं देखा जाना चाहिए जैसा कि पहले भी अक्सर ब्रिटिश उद्योगो को तात्कालिक या अस्थाई तौर पर लाभ पहुचाने की गरज से किया गया है, बल्कि भारत के आर्थिक विकास को सयोजित करने के लिए एक तरफ उसक निर्यात व्यापार तथा दूसरी तरफ उसके विदेशी सबधा को व्यवस्थित ढग से सयोजित किया जाना चाहिए। भारत क निर्यात व्यापार की प्रकृति भी इसक लिए बाध्य करती है कि हिंदुस्तान को इग्लैंड के साथ ऐसा कोई पाबदी समझोता नहीं करना चाहिए जिससे उन विभिन्न साम्राज्यवादी देशो से उसका व्यापार शिथिल पडे, जो कई अर्थो मे इसके सबसे अच्छे खरीदार रह चुके है या फिर उसे ऐसे समझौते भी नहीं करने चाहिए, जिससे अन्य देशो के समक्ष भारत की मोल-भाव की क्षमता ही कमजोर पड जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत और ब्रिटेन मे व्यापार समझौते के लिए सुरक्षित वार्ता अभी चल रही है जबकि ओटावा समझोता अपनी निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी और विधानसभा के द्वारा उसे खत्म करने के निर्णय के बावजूद अब भी जारी है और ब्रिटेन के उद्यागो के लिए सारे लाभ जुटाता है। इसमे कोई सदेह भी नहीं कि ब्रिटेन के उपलब्ध इस्पात और कपडो पर विशिष्ट करो क साथ कथित ओटावा समझौता ब्रिटेन के उद्योगो के लिए लाभ ही लाभ जुटाता है। इसमे भी कोई सदह नहीं है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियो म इग्लैंड ओर भारत क बीच कोई भी व्यापार समझोता गैर बराबरी की प्रकृति वाला होने के लिए बाध्य है क्योंकि हमारे वर्तमान राजनीतिक सबध इग्लैंड के पक्ष मे ही जाएगे। इसमे भी कोई सदेह नहीं है कि ब्रिटेन की प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था अपने जन्म से राजनीतिक है। इस देश मे व्यापार-समझौता की छत्रछाया मे गैर-हिंदुस्तानी निहित स्वार्थो की स्थापना तथा सुदृढीकरण के लिए अनुमति देने मे पहले हमे इसके राजनीतिक प्रतिघातो तथा आर्थिक परिणामो के प्रति सावधान रहना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत और ब्रिटेन के बीच वर्तमान व्यापार-वार्ता अन्य देशो के साथ द्विपक्षीय व्यापार-समझोते के परिणामो को बाधित नही करेगी और भारतीय विधानमडल के समर्थन के बिना भारत की सरकार किसी व्यापार-समझौते पर दस्तखत नहीं करेगी।

उपरोक्त बातो मे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि प्रातीय मत्रिमडलो तथा

प्रस्तावित संघीय मंत्रिमंडल के बीच कोई समानता नहीं है। फिर भी संघीय विधानमंडल का संयोजन एक हद तक प्रतिक्रियावादी है। भारतीय राज्यों की कुल आबादी पूरे भारत की आबादी का 24 प्रतिशत है। तो भी इन राज्यों के शासकों को प्रजा में नहीं, बल्कि संघीय विधानमंडल के लोवर हाउस में 33 प्रतिशत तथा अपर हाउस में 40 प्रतिशत सीटें दी गयी हैं। इन परिस्थितियों में, मेरी नजर में, संघीय योजना के बनने की प्रक्रिया में किसी समय कांग्रेस द्वारा अपने विचार बदलने की कोई संभावना नहीं है। ब्रिटेन की सरकार द्वारा थोपे जा रहे संघ के प्रतिरोध में हमारी सफलता पर ही हमारा तात्कालिक राजनीतिक भविष्य निर्भर है। हमें संघ के साथ सिर्फ संवैधानिक रास्ते से ही नहीं, बल्कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से लड़ना है तथा अंत में हमें नागरिक अवज्ञा का सहारा लेना है जो हमारे हाथ में अंतिम दंड-विधान की तरह है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि भविष्य में किसी ऐसे अभियान के आरंभ होने पर आंदोलन सिर्फ ब्रिटेन-शासित हिंदुस्तान में ही सीमित न रहकर राज्यों की प्रजा तक में फैल जाएगा।

निकट भविष्य में एक प्रभावी लड़ाई की शुरुआत के लिए हमें अपने घर को ही दुरुस्त करना है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी जनता के बीच आई जागरूकता इतनी व्यापक है कि हमारी पार्टी में अनेक नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आजकल किसी सभा में पचास हजार मर्दों व औरतों का जमा हो जाना आम बात है। कभी-कभी यह होता है कि ऐसी सभाओं और प्रदर्शनों पर नियंत्रण रखने के लिए हमारी मशीनरी अपर्याप्त होती है। लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों के अतिरिक्त इस विशाल जन-उभार तथा उत्साह को गतिशील बनाना और इसे सही दिशा देना वस्तुतः एक बड़ी समस्या है, लेकिन क्या हमारे पास इसके लिए अनुशासित स्वयंसेवकों का कोई दल है ? क्या राष्ट्रीय सेवा के लिए हमारे पास अधिकारियों का कोई संगठन है ? क्या हम अपने उभरते नेताओं तथा प्रतिभावान युवा कार्यकर्ताओं के लिए किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं ? इन सवालों के जवाब इतने स्पष्ट हैं कि इस बारे में कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। हम अभी तक एक आधुनिक राजनीतिक दल की इन सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए हैं।

प्रशिक्षित अधिकारियों से लैस एक अनुशासित स्वयंसेवक दल की सख्त जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि हम भविष्य में बेहतर किस्म के नेता बना सकें। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों द्वारा गर्मी के दिनों में चलने वाले स्कूलों तथा अन्य संस्थानों के जरिए ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है और सर्वसत्तात्मक राज्य की यह एक विशेषता होती है। भारतीय संघर्ष में शानदार भूमिका निभाने वाले अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करूंगा कि हमारे दल में अभी और प्रतिभाओं के लिए भी जगह है। इस कमी को अंशतः कांग्रेस के लिए प्रतिभाशाली युवाओं की भर्ती करके तथा अंशतः पहले से भर्ती हो चुके युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण देकर पूरा किया जाना आवश्यक है। हर किसी ने यह

देखा कि किस तरह कुछ यूरोपीय देशो ने अपने यहा इस समस्या का समाधान किया। यद्यपि हमारे आदर्श और प्रशिक्षण की हमारी पद्धतिया उनसे बिल्कुल भिन्न हैं, किन्तु यह सब को स्वीकार्य होगा कि हमारे कार्यकर्ताओ के लिए एक गहन वैज्ञानिक प्रशिक्षण की अत्यत आवश्यकता है। फिर इसके अतिरिक्त नाजियो के श्रमिक सेवा दल जैसे सस्थान भी गभीर अध्ययन की माग करते हैं जो आवश्यक फेर-बदल के साथ भारत के लिए भी फायदेमद साबित हो सकते हैं।

अपने ही दल मे अनुशासन बरतने के सवाल का समाधान ढूढते हुए हम एक ऐसी समस्या पर भी विचार करना होगा, जो हमम से कई लागो की चिता और उलझन का कारण है। मैं श्रमिक सघ काग्रेस, किसान सभाओ तथा भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के साथ उनके सबधो की बात कर रहा हू। इस सवाल पर दो परस्पर विरोधी विचार हैं- एक वे जो काग्रेस के बाहर के किसी भी सगठन की निदा करते है तथा दूसरे, वे जो उनका समर्थन करते हैं। मेरी निजी सोच है कि हम उन्हे नजरअदाज या उनकी निदा करके ऐसे सगठनो को खत्म नही कर सकते। वे वस्तुगत सच्चाई की तरह मौजूद हैं और क्योकि वे अस्तित्व मे आ चुके है तथा स्वय को खत्म करने का कोई सकेत नहीं देते हैं इसलिए यह सिद्ध होना चाहिए कि उनके अस्तित्व के पीछे कोई ऐतिहासिक जरूरत है। फिर एस सगठन अन्य देशो में भी पाए जाते है। मुझे डर है कि हम चाहे इसे पसद करे या नहीं हमे उनके अस्तित्व के साथ समझौता करना होगा। सवाल सिर्फ यही है कि काग्रेस को उनके साथ कैसे सबध बनाना चाहिए। स्पष्ट है कि ऐसे सगठन उस राष्ट्रीय काग्रेस के लिए चुनौती नहीं बनेगे, जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए जन-सघर्ष का साधन है। इसलिए उन्हे काग्रेस के आदर्श और तौर तरीको से प्रेरित होना चाहिए तथा काग्रेस से अतरग सहयोग करके काम करना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए काग्रेस कार्यकर्ताओ को अधिक-से-अधिक सख्या मे श्रमिक सघो तथा किसान सगठनो मे भाग लेना चाहिए। श्रमिक सघ के कार्यो के अपने अनुभव से मैं महसूस करता हू कि बिना द्वद्व या सामजस्यहीनता मे पडे यह आसानी से किया जा सकता है। यदि अन्य दो सगठन प्राथमिक तौर पर मजदूरो तथा किसानो के आर्थिक परेशानियो के समाधान मे जुटे तथा अपने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सघर्षरत लोगो के लिए काग्रेस का एक आम मच की तरह उपयोग करे तो काग्रेस और अन्य दो सगठनो के बीच सहयोग सभव है।

और यही हमे काग्रेस की उस विवादास्पद समस्या से रू-ब-रू कर देती है जो मजदूर और किसान सगठनो की सामूहिक सबद्धता से सबधित है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब काग्रेस के प्रभाव तथा नियत्रण तले सभी प्रगतिशील तथा साम्राज्यवाद विरोधी सगठनो को लाने के लिए इस सबद्धता के तरीके तथा सीमा को लेकर हमारे विचारो मे भिन्नता रहेगी तथा सबद्धता को स्वीकृति देने से पहले ऐसे सगठनो के चरित्र तथा सबद्धता की हमे जाच करनी पडेगी। रूस मे अक्तूबर क्राति मे मजदूरो, किसानो तथा सैनिको की सोवियतो के सयुक्त मोर्चे ने प्रमुख भूमिका

निभाई थी। लेकिन इसके विपरीत ग्रेट ब्रिटेन मे हम पाते हैं कि लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर श्रमिक सघ काग्रेस एक हल्का दबाव बनाए रखती है। भारत मे हमे सावधानीपूर्वक इस पर विचार करना पडेगा कि श्रमिक सघ काग्रेस और किसान सभाओ जैसे सगठन सबद्धता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस पर किस किस्म का दबाव डालेंगे और हमे इस सभावना को नही भूलना चाहिए कि यदि इन सगठनो की आर्थिक चिताओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इन मामलो मे ये कोई आधारभूत नजरिया नहीं रख सकते। किसी भी दशा में सामूहिक सबद्धता के सवाल से बिल्कुल अलग तौर पर राष्ट्रीय काग्रेस तथा अन्य साम्राज्यवाद-विरोधी सगठनो के बीच अतरग सहयोग होना चाहिए और यह उद्दश्य काग्रेस के सिद्धाता तथा तार-तरीका को इन सगठनो द्वारा अपनाकर ही पूरा हो सकता है।

काग्रेस के भीतर ही काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जैसे दल के गठन पर काफी विवाद रहा है। मै काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे मे कुछ भी नहीं जानता और न मैं इसका सदस्य रहा हू। तो भी मैं कहना चाहूगा कि शुरुआत से ही मैं इसके आम सिद्धातो तथा नीतियो को मानता रहा हू। पहले तो जरूरी यह है कि वामपथी तत्व एक दल मे सगठित हो— फिर यदि इसका चरित्र समाजवादी है तो इस वामपथी खेमे का एक उद्देश्य होना चाहिए। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, जो इस खेमे को एक दल मानने से इंकार करेगे– लेकिन मेरी समझ से यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इस खेमे को एक समूह कहे या लीग या दल। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के सविधान के दायरे मे किसी वामपथी खेमे के लिए समाजवादी कार्यक्रम अपनाना बिल्कुल सभव है। उस स्थिति मे इस खेमे को एक समूह या लीग या दल कहा जा सकता है। लेकिन काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या ऐसे ही किसी अन्य दल की भूमिका उस वामपथी खेमे की ही होगी। हमारे लिए समाजवाद तात्कालिक समस्या नहीं है। फिर भी जब राजनीतिक आजादी मिल जाएगी, तब समाजवाद के निमित्त देश को तैयार करने के लिए समाजवादी प्रचार जरूरी है और यह प्रचार सिर्फ काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जैसे दल ही चला सकते हैं जो समाजवाद के लिए लडते हैं और उसमे विश्वास करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से मैं एक समस्या मे रुचि ले रहा हू और उसी सदर्भ मे मैं आत्म-निवेदन करना चाहूगा- मेरा मतलब, भारत के लिए विदेश नीति तथा विकासमान अतर्राष्ट्रीय सपर्को से है। मैं इसे बहुत महत्व देता हू, क्योकि मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षो मे भारत मे जारी हमारे सघर्ष को अतर्राष्ट्रीय घटनाए समर्थन प्रदान करेगी। हर मौके पर हमे विश्व की परिस्थितियो का सही आकलन करना होगा और जानना होगा कि कैसे हम इसका फायदा उठा पाए। हमारे सामने मिस्र का मसला एक नमूने की तरह है। मिस्र ने बिना कोई गोली दागे ग्रेट ब्रिटेन से मैत्री-सधि-पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मिस्र भूमध्य मे ब्रिटेन-इटली तनाव का फायदा उठाना जानता था।

हमारी विदेश नीति के सदर्भ मे पहला सुझाव है कि हम किसी भी देश की आतरिक राजनीति तथा उसके राज्य के ढाचे से अप्रभावित रहेगे। हम हर देश मे ऐसे मर्दो और औरतो को पाते है, जो भारत की आजादी से सहानुभूति रखते हैं– भले ही उनका अपना राजनैतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो। इस मामले मे हम सोवियत कूटनीति से भी कुछ सीख सकते हैं। यद्यपि रूस एक साम्यवादी देश है, लेकिन उसके राजनयिक गैर-समाजवादी देशो से भी सबध रखने मे नहीं हिचके तथा किसी भी तरफ से मिलने वाली सहानुभूति या सहायता को उन्होने नहीं ठुकराया। ऐसा केद्र बनाने और विकसित करने मे विदेशी प्रेस, हिंदुस्तानी फिल्मे तथा कला-प्रदर्शनिया भी सहायक होगी– जैसे चीनियो ने अपनी कला-प्रदर्शनियो के माध्यम से स्वय को यूरोप मे काफी लोकप्रिय बनाया है। लेकिन व्यक्तिगत सपर्क सबसे जरूरी है। बिना ऐसे व्यक्तिगत सपर्को के भारत को अन्य देशो मे लोकप्रिय बनाना कठिन होगा। यदि हम विदेशो मे रहने वाले हिंदुस्तानी विद्यार्थियो की आवश्यकताओ का ध्यान रखे, तो इस काम मे वे भी सहायता कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस और विदेशो म रह रहे ऐसे विद्यार्थियो के बीच नजदीकी रिश्ता होना चाहिए। यदि हम भारत मे बनी सास्कृतिक तथा शैक्षणिक फिल्मे विदेशो मे भेज सके तो मै निश्चित तौर पर कह सकता हू कि देश के बाहर के लोगो म भी भारत और उसकी सस्कृति की पहचान बनेगी और प्रशसा होगी। ऐसी फिल्मे भारतीय विद्यार्थियो तथा विदेशो मे बसे हिंदुस्तानियो के लिए भी काफी उपयोगी होगी, जो फिलहाल हमारे गैर-सरकारी राजदूतो की तरह हैं।

मै प्रचार शब्द को पसद नहीं करता इसमे झूठ की बू आती है– लेकिन मैं जोर देता हू कि हमे दुनिया मे भारत तथा उसकी सस्कृति की पहचान बनानी है। मै ऐसा इसलिए कहता हू, क्योकि मुझे पता है कि यूरोप तथा अमेरिका के प्रत्येक देश मे ऐसे प्रयासो का स्वागत होगा। यदि हम इस काम को करते हैं, तो हम विभिन्न जगहो पर अपने भविष्य के दूतावासो और प्रतिनिधिमडलो का आधार तैयार करेगे। हमे ग्रेट ब्रिटेन को भी नजरअदाज नहीं करना चाहिए। हमारे लिए उस देश मे भी पुरुषो और महिलाओ का एक प्रभावी समूह है, जो हिंदुस्तानी आकाक्षाओ के प्रति हृदय से सहानुभूति रखते हैं। खासतौर पर उभरती पीढी तथा विद्यार्थियो की हिंदुस्तान मे दिलचस्पी तथा सहानुभूति तेजी से बढ रही है। इसे महसूस करने के लिए आप सिर्फ एक बार ग्रेट ब्रिटेन के विश्वविद्यालयो का दौराभर कर ले।

इस कार्य को प्रभावी ढग से करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को यूरोप, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी, मध्य व दक्षिणी अमेरिका मे, जहा लोग हिंदुस्तान मे गहरी दिलचस्पी लेते हैं अपने विश्वासपात्र प्रतिनिधि रखने होगे। इस कार्य मे भारत मे सक्रिय सास्कृतिक सगठनो द्वारा अतर्राष्ट्रीय सपर्क बनाते हुए, अतर्राष्ट्रीय सस्कृति के क्षेत्र मे काम करते हुए अतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के क्षेत्र मे कार्यरत इडियन चेबर ऑव कॉमर्स के जरिए काग्रेस की सहायता की जानी चाहिए।

अतर्राष्ट्रीय संपर्कों की बात करते हुए मुझे उस आशका को दूर कर देना चाहिए, जो कुछ लोगो के दिमाग मे बनी हुई है। अतर्राष्ट्रीय सपर्क बढाने का अर्थ अग्रेज सरकार के खिलाफ कोई कुचक्र रचना नहीं है। हमे ऐसे कुचक्रो मे जाने की जरूरत भी नहीं है और हमारे सारे तौर-तरीके लोगो के सामने होगे। दुनिया-भर मे जो प्रचार भारत के खिलाफ किया जाता है, उससे यह साबित होता है कि भारत एक असभ्य देश है और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें सभ्य बनाने के लिए अग्रेजो की जरूरत है। इसके जवाब मे हमे सिर्फ दुनिया को यह बता देना है कि हम क्या है और हमारी सस्कृति कैसी है। यदि हम यही कर सके तो हम अपने पक्ष मे इतनी बडी अतर्राष्ट्रीय सहानुभूति जुटा लेगे कि विश्व दृष्टिकोण की अदालत मे हिदुस्तान का प्रतिरोध करना मुश्किल हो जाएगा।

मुझे उन समस्याओ, तकलीफो तथा मुकदमो का जिक्र करना नहीं भूलना चाहिए, जिनका हमारे देशवासियो ने एशिया और अफ्रीका के विभिन्न हिस्सो– खासकर जाजीबार, केन्या दक्षिण अफ्रीका मलाया और सीलोन– मे सामना किया है। काग्रेस ने उनके मामलों मे हमेशा काफी गभीरता से दिलचस्पी दिखाई है और भविष्य मे भी ऐसा करना जारी रखेगी। यदि हम उनके लिए कुछ अधिक नहीं कर पाते हैं, तो यह सिर्फ इसलिए कि हम अपने घर मे अभी गुलाम हैं। आजाद भारत विश्व राजनीति मे एक ऊर्जावान और ताकतवर कारक बनेगा और विदेशो मे बसे अपने लोगों क हितो की देखभाल करन में सक्षम होगा।

इसी सदर्भ मे मैं अपने पडोसियो– जैसे ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बर्मा, मलाया राज्य, ईस्ट इंडीज तथा सीलोन– के साथ अतरंग सास्कृतिक सबध बढाने की इच्छा और जरूरत पर भी जोर डालूगा। यदि वे हमारे बारे मे अधिक जान पाए तथा हम उनके बारे मे अधिकाधिक जानकारी रखे, तो यह दोनो पक्षो के लिए अच्छा होगा। खासतौर पर बर्मा और सीलोन के साथ अपने युगो पुराने सपर्कों के कारण हमे सर्वाधिक अंतरग सास्कृतिक आदान-प्रदान रखना चाहिए।

साथियो, माफ करिए कि मैने पहले तय किए गए समय से अधिक आपका समय ले लिया है लेकिन अब मैं अपना भाषण खत्म करने वाला हू। एक महत्वपूर्ण सवाल, जो *आज का ज्वलंत विषय है, उसकी तरफ मुझे अब आपका ध्यान खीचना चाहिए।* यह सवाल है नजरबदियो तथा राजनीतिक बदियो की मुक्ति का। हाल ही मे हुई भूख हडतालो ने इस सवाल का सामने ला दिया है और इस ओर जनता का ध्यान भी खींचा है। मुझे विश्वास है कि मैं उस वक्त काग्रेस के आम कार्यकर्ताओ की भावनाओ को ही आवाज दे रहा होता हू, जब मैं कहता हू कि मनुष्यता के स्तर पर जो कुछ भी सभव है, वह इन बदियो की शीघ्र मुक्ति के लिए किया जाना चाहिए। जहा तक काग्रेस मंत्रिमडलो की बात है, उनमे से कुछ लोगों की प्रगति जनता की आशाओं के मुताबिक नहीं है। जितना जल्द वे जनता की माग को पूरा करेंगे, उतना ही यह काग्रेस तथा गैर-काग्रेसी मत्रिमंडलो

द्वारा शासित प्रातो की पीडित जनता के लिए बेहतर होगा। इस मामले मे विशेष कुछ कहना मेरे लिए आवश्यक नहीं है और म उत्साहपूर्वक उम्मीद करता हू कि निकट भविष्य मे जनता अब तक की तरह काग्रेस मन्त्रिमडलो की प्रगति के बारे मे कोई शिकायत नही करेगी।

अपने दु खो का बयान करने वाले सिर्फ जेलो मे तथा नजरबद राजनीतिक बदी ही नहीं हैं। जो जेल से मुक्त हो चुके है कभी-कभी उनकी हालत भी अच्छी नही होती। प्राय बिगडे हुए स्वास्थ्य तथा टी बी जेसी बीमारियो के शिकार होकर वे घर लौटते हैं। भयकर भुखमरी उन पर टकटकी बाधे रहती है और उनका स्वागत मुस्कानो की बजाय सगे-सबधियो के आसुओ से होता है। जिन्होने देश के लिए अपना उत्कृष्टतम को न्योछावर कर दिया और इसकी खातिर दु ख और गरीबी पाई, क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ? इसलिए हमे चाहिए कि उन लोगो के प्रति हम हार्दिक सहानुभूति दिखाए जिनको अपने देश-प्रेम के अपराध मे सजा मिली तथा उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए हम अपने तुच्छ धन को अर्पित करे। साथियो बस एक बात और फिर मेरा भाषण समाप्त। आज हम एक गभीर सकट का सामना कर रहे है। काग्रेस के भीतर दक्षिण तथा वामपथ के बीच मतभेद हैं जिसे नजरअदाज करना निरर्थक होगा। काग्रेस के बाहर ब्रिटेन के साम्राज्यवाद की चुनौती है जिसका हमे सामना करना है। इस सकट मे हम क्या करेगे? क्या यह कहने की जरूरत है कि रास्ते मे आने वाले हर तूफान के सामने हमे अटल रहना है– साथ ही शासकों की हर चाल से अप्रभावित भी रहना है? काग्रेस आज जन-सघर्ष का श्रेष्ठतम साधन है। इसके अपने दक्षिणपथी खेमे और वामपथी खेमे तो हो सकते हैं पर भारत की मुक्ति की कामना करने वाले सभी साम्राज्य विरोधी सगठनो का यह सचमुच एक सामूहिक मच है। इसलिए हम सारे देश को भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के बैनर तले आने दे। मैं देश के सारे वामपथी समूहो से अपील करूगा कि काग्रेस को लोकतान्त्रिक बनाने तथा व्यापक साम्राज्य-विरोधी आधार पर इसकी पहचान करने के लिए अपनी सारी ताकत और स्रोतो को लगा दे। यह अपील करते हुए मैं ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओ के दृष्टिकोण से काफी प्रेरित हुआ हू, जिनकी भारत के सबध मे आम नीति मुझे ऐसी लगती है, जैसे वह नीति भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस से सबधित हो।

अत मे मैं यह कहते हुए आपकी भावनाओं को स्वर दूगा कि समूचा भारत उत्साहपूर्वक आशा करता है और प्रार्थना करता है कि अगले कई-कई वर्षो तक महात्मा गाधी हमारे राष्ट्र के लिए मौजूद रहे। भारत के लिए उन्हे खोना सभव नहीं हो सकता और इस घडी मे तो बिल्कुल ही नहीं। अपनी जनता की एकता के लिए हमें उनकी जरूरत है। अपने सघर्ष को द्वेष और घृणा से मुक्त रखने के लिए हमे उनकी जरूरत है। भारत की आजादी के लिए हमे उनकी जरूरत है। और क्या कहू- मानवता के लिए

हमे उनकी जरूरत है। हमारा सघर्ष सिर्फ ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के खिलाफ ही नहीं, बल्कि विश्व साम्राज्यवाद के खिलाफ है, जिसके लिए ब्रिटेन का साम्राज्यवाद प्रधान-प्रस्तर की तरह है। इसलिए हम महज भारत के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए लड रहे हैं। भारत की मुक्ति का अर्थ है मानवता की रक्षा।

वदे मातरम्।

नगरपालिका समाजवाद

10 मई 1938 को बबई महापालिका मे भाषण

मेयर महोदय, महापालिका के सदस्यगण तथा दोस्तो,
इस दोपहर मुझे दिए गए इतने बडे सम्मान के लिए मैं आप लोगो को हार्दिक धन्यवाद देता हू। मुझे इसका बिल्कुल आभास नहीं था कि मैं इस सम्मान का किसी तरह से हकदार हू। अपनी निजी कमियो और सीमाओं के बावजूद इस दोपहर मे आपके सामने मैं एक प्रतीक के रूप मे उपस्थित हू। मैं यहा भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस और आम जनता के सेवक के रूप मे मौजूद हू।

मेयर महोदय आपके मुख से निकले स्नेहिल शब्द आपकी उदारता और आपके हृदय की विशालता के प्रतीक हैं। मेरी नजर मे आपके हृदय की यह उदारता और विशालता भारत के स्वतत्रता आदोलन तथा इस आदोलन मे लगे तमाम लोगो के प्रति आपकी भावनाओ का प्रदर्शन है। आज हम महत्वपूर्ण दौर मे जी रहे हैं। आपने अतर्राष्ट्रीय मामलो का भी जिक्र किया है। वे दिन लद गए, जब हिंदुस्तान सारी दुनिया से कटा हुआ देश था। वैज्ञानिक उपलब्धियो तथा हमारी बौद्धिक और नैतिक विकास की बदौलत आज सारी दुनिया एक है। वर्तमान विश्व के किसी एक कोने मे जो कुछ घटता है वह सारी दुनिया मे दूरगामी असर छोडता है। इसीलिए हिंदुस्तान के किसी एक शहर मे हमारी कोई उपलब्धि होती है, तो वह सिर्फ उसी शहर के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि यदि मैं ठीक कहू तो वह सारी मानवता के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह सिर्फ राजनीतिक मामलो का सच नहीं है बल्कि नागरिक मामलो का सच भी यही है। मुझे याद है कि यूरोप मे बिताए कुछ वर्षो के दौरान मेरे ध्यान मे जो एक महत्वपूर्ण बात आई वह थी वियना की समाजवादी नगरपालिका। मुझे विश्वास है कि जिसे भी उस नगरपालिका की कुछ उपलब्धियों को देखने का अवसर मिला होगा, वह बिना इस धारणा के नहीं लौटा होगा कि नागरिक-कल्याण मे दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण और सार्थक उपलब्धि है, भले ही उसकी राष्ट्रीयता कोई हो। बारह वर्षो के दौरान वियना नगरपालिका ने कम-से-कम 2,00,000 लोगो के लिए आवास उपलब्ध कराए और

2,00,000 लोगो की यह आवास-व्यवस्था बिना किसी अतिरिक्त कर लगाए या बिना ऋण लिए की गई है। यह सारा खर्च राजस्व से ही लिया गया था और यह राजस्व मनोरजन पर कर लगाकर इकट्ठा किया गया था। हम जानते हैं कि इस देश मे भी मनोरजन पर कर लगाया जाता है लेकिन दुर्भाग्य से शहरो को इस कराधान से कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए मुझे सबसे अधिक इसी बात ने प्रभावित किया कि अतिरिक्त कराधान और ऋण के बिना ही एक शहर मे इतना कुछ उपलब्ध कराया गया। इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हू कि यदि आप किसी एक शहर मे कुछ हासिल कर लेते हैं तो वह सारी दुनिया के लिए सार्थक और महत्वपूर्ण होता है।

यह जानकारी अत्यधिक सतोषजनक है कि बबई मे आपने सीमित मताधिकार और मनोनयन को खत्म कर दिया है तथा वयस्क-मताधिकार लाने जा रहे हैं। एक बार फिर मैं कहूगा कि यह सिर्फ एक शहर के लिए सार्थक नहीं है, बल्कि सारे हिंदुस्तान तथा सभवत हिंदुस्तान जैसी परिस्थितियो वाले अन्य देशो के लिए भी सार्थक होगा। मैं सोचता हू कि इस बदलाव के लिए हम वर्तमान बबई सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। हम इच्छा जाहिर करते हैं कि हिंदुस्तान के सारे शहर, खासतौर पर प्रमुख शहर, इस मामले मे बबई के इतिहास से सबक लेगे और वयस्क-मताधिकार को लागू करेंगे तथा मनोनयन की व्यवस्था को खत्म करेंगे।

महोदय बबई शहर के पास समुद्र से घिरा एक वैभवशाली क्षेत्र है। यह शहर सुदर प्राकृतिक दृश्यावली के बीच स्थित है। बबई की गलिया और इमारतो- कम-से-कम बबई के अपेक्षाकृत अच्छे और धनी इलाको की तुलना दुनिया के किसी भी शहर से सहज ही की जा सकती है, लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। हम शहर की गरीबी और मलिन बस्तियो को भी नहीं भूल सकते जहा हमारे गरीब देशवासी रहने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान के महान सपूतो मे से एक सी आर दास ने कभी कहा था कि नगरीय निकायो को गरीबो की नगरपालिकाए बनाना ही इन निकायो का आदर्श होना चाहिए और कलकत्ता के मेयर के रूप मे उन्होने अपने भाषण मे गरीबो की सेवा के लिए एक कार्यक्रम रखा। कई मायने मे यह एक आदर्श कार्यक्रम था और कलकत्ता नगरपालिका और परोक्षत अन्य नगरीय निकायो के लिए एक प्रेरणा बन गया। वास्तव मे अपने नगरीय निकायो के गरीबो की नगरपालिका बनने का ईमानदारी के साथ दावा करने से पहले मैं सोचता हू कि हमें अभी काफी कुछ करना है। अभी ढेरो काम किया जाना है लेकिन सबसे जरूरी है- गरीबो की सेवा के लिए प्रेरणा, उत्साह और लगन। यह उत्साह और यह लगन ही वह प्रेरक शक्ति है, जो हमे सेवा के रास्ते पर चलने तथा अपने शहर को गरीबो की नगरपालिका बनाने के लिए सक्षम करती है। महोदय यहा बबई मे खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे आपने काफी उपलब्धि हासिल कर ली है। अन्य क्षेत्रो की तरह शिक्षा के क्षेत्र मे भी आपकी उपलब्धि बबई के नागरिको के लिए काफी लाभदायक है तथा अन्य जगहो पर नगरीय सरकार मे रुचि रखने वालो के लिए प्रेरणा बन चुकी

है। मैं यह आशा तो करता ही हू कि आपने जितना किया है, उससे ही संतुष्ट होकर नहीं बैठेगे, बल्कि वक्त की रफ्तार के साथ चलेगे और अपनी नगरपालिका को एक आदर्श नगरपालिका बनाने की दिशा मे तेजी से आगे बढेगे।

दुनिया-भर मे नगरीय विकास उस दिशा मे जा रहा है, जिसे हम 'नागर समाजवाद' कह सकते हैं। 'समाजवाद' एक ऐसा शब्द है जो कभी-कभी कई लोगो के लिए हौवा होता है, लेकिन मै मानता हू कि यदि हम समाजवाद के सही मायने का और खासतौर पर नागर समाजवाद का विश्लेषण करे तथा इसको समझने की कोशिश करे, तो हमें इससे संघर्ष करने तथा झिझकने की जरूरत नहीं है। जाने-अनजाने हम नागर समाजवाद की दिशा में ही जा रहे हैं। आज प्रत्येक आधुनिक नगरपालिका ने अपने कंधो पर उन बडे कर्तव्यो का बोझ उठा रखा है जिसके बारे मे आज से तीस-चालीस साल पहले सोचना तक असंभव था। हम कह सकते हैं कि इन सामाजिक कर्तव्यो तथा उत्तरदायित्व का दायरा दिन-प्रतिदिन बडी तेजी से फैलता जा रहा है। आज किसी आधुनिक नगरपालिका को सिर्फ शुद्ध पेयजल सडके रोशनी आदि की व्यवस्था ही नहीं करनी है, बल्कि इसे प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भी करनी है और इसे जनता के स्वास्थ्य की देखभाल भी करनी है– साथ ही शिशु दर प्रसव तथा ऐसी ही कई समस्याओ का भी समाधान करना है, जो कुछ साल पहले की नगरपालिका ने सोचा भी नहीं था। भविष्य मे आप क्या तय करेगे कहना कठिन है। बर्मिघम नगरपालिका की तरह आप के पास नगरपालिका बैंक है। पश्चिम मे अन्य नगरपालिकाए भी हैं, जिन्होने अपने कधो पर ऐसे कर्तव्यो तथा उत्तरदायित्वो को उठा रखा है, जिनके बारे मे कुछ दशक पहले न तो सुना गया था और न सोचा ही जा सकता था। इसीलिए मैं कहता हू कि हम जाने-अनजाने नागर समाजवाद की तरफ चले जा रहे हैं। नागर समाजवाद और कुछ नहीं बल्कि पूरे समुदाय की सेवा के लिए एक सामूहिक प्रयास है। उस आदर्श का अपने सामने रखते हुए यदि हम स्वय को ही अपनी राह देख रहे काम की तरफ ले चले और बहुत ही संतोषजनक ढग से अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो हम सिर्फ अपने शहरों के लिए ही नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए भी काम कर पाएगे। नगरीय मामलो में रुचि रखने वाले हमारे जैसे लोगों को सिर्फ अपनी नगरपालिकाओ से ही सीख नहीं लेनी चाहिए,बल्कि हमे देश के बाहर यूरोप और अमेरिका तथा सुदूर पूर्व मे भी यात्रा करनी चाहिए। वहा का भी साहित्य पढना चाहिए तथा नागर समस्याओ के बारे मे सूचनाए एकत्र करनी चाहिए ताकि हम अपने शहरो मे अधिक दक्षतापूर्वक तथा संतोषपूर्वक काम कर सकें। इसीलिए मैं इस बात पर जोर देता हू कि यहा बबई मे आपकी उपलब्धिया सिर्फ आपके साथी नागरिको के लिए ही नहीं हैं, बल्कि इनका काफी व्यापक महत्व है।

नगरीय निकायो से जुडने से हमें नगरीय सेवा के लिए मिले अवसरो के अतिरिक्त एक अन्य सकारात्मक लाभ यह भी मिलता है कि इन निकायो के साथ जुडा काम हमे सार्वजनिक जीवन के बडे कामो के लिए तैयार कर देता है। मैं सोचता हू कि इंग्लैंड के

महान राजनीतिक चिंतको मे से एक ब्राइस ही था जिसने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को लोकतंत्र का वास्तविक विद्यालय कहा है। प्रोफेसर लास्की और अन्य विद्वानो की भी सोच ऐसी ही है। आज सभी राजनीतिक चिंतको और नगरीय मामलो के विद्यार्थियो के सामने यह स्पष्ट हो चुका है कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ही लोकतंत्र का वास्तविक विद्यालय है। इसलिए स्थानीय निकायो से जुडकर हम दुहरा लाभ पाते है। बस इस एक बात के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूगा। विदेशियो ने हमसे बारबार कहा है कि इस देश मे *सामाजिक प्रगति के अन्य प्रयासो की तरह नागर विकास भी हमारे पश्चिमी संपर्क का* परिणाम है और 18वी एव 19वीं शताब्दियो मे यूरोप के नजदीकी सपर्क मे आने से पहले *नगरीय विकास की दिशा मे भारत की उपलब्धिया बहुत कम थीं। महोदय मैं इस अवसर* पर इस झूठ पर खुले-आम अभियोग लगाना चाहूगा। नागर विकास के क्षेत्र मे आज हम शून्य म से कुछ नहीं बना रहे हैं बल्कि हम प्राचीन काल की बुनियाद पर ही यह सब खडा कर रहे हैं। ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था के क्षेत्र मे हम बहुत ही पुरानी बुनियाद पर काम रहे हैं और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के क्षेत्र मे भी हम यही कर रहे है। इस प्राचीन धरती पर हमारे पूर्वजो ने किस ऊचे स्तर की नगरीय उपलब्धिया हासिल की थी इसे समझने के लिए आपको सिर्फ मोहनजोदडो के अवशेषो की तरफ मुडना पडेगा। और मोहनजोदडो के बाद यदि आप मौर्य साम्राज्य की तरफ आए और साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के दस्तावेजो तथा निर्माण का अध्ययन करे तो आप पाएगे कि पाटलिपुत्र शहर न सिर्फ काफी विकसित था बल्कि उस शहर मे नागर सरकार के विभिन्न तरह के कार्य-भार थे जिनकी तुलना किसी भी आधुनिक नगरपालिका से सहज ही की जा सकती है। मेयर तथा अन्य आधुनिक नागर शब्दो के लिए आप अपनी उस प्राचीन भाषा मे अनेक ऐसे समानार्थी शब्द पाएगे जो उस वक्त प्रचलित थे। इसके बाद वह वक्त आता है जिसे भारत के इतिहास का अधकार युग कहा जा सकता है। इस अधकार युग के दौरान न सिर्फ नागर प्रगति म ही बल्कि राष्ट्रीय जीवन के कई अन्य क्षेत्रो मे भी उथल-पुथल हुई। लेकिन अधकार युग के कारण ही किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि इससे पूर्व हमने नगरीय मामलो म कोई प्रगति नहीं की थी। अपने देशवासियो को यह याद *दिलाना जरूरी है क्योकि दुर्भाग्य से हमारी युगो पुरानी दासता के परिणामस्वरूप हम* अपने अतीत को काफी हद तक भूल चुके है। अपने विद्वानो तथा इतिहासकारो द्वारा अतीत मे किए गए या वर्तमान म हो रहे शोधो ने हमारे भूले-बिसरे अतीत को सामने ला दिया है। इन शोधो के कारण ही अब हम यह जान सकते हैं कि किसी दौर मे हमारे पूर्वजो ने नगरीय मामलो के क्षेत्र मे कितनी प्रगति की थी। हम दावा कर सकते हैं कि नगरीय प्रगति के मामले मे हम प्राचीन बुनियाद पर ही नए निर्माण कर रहे हैं। मैं सोचता हू कि इससे हमे वर्तमान और भविष्य की समस्याओ से स्वय को जोडने मे प्रेरणा मिलगी।

महोदय, मुझे लगता है कि मेरा छोटा-सा जवाब उपदेश जैसा हो चुका है। लेकिन उपदेश देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं मूलत इस इरादे से खडा हुआ था कि आपने

मुझे जो सम्मान दिया है और जिस मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए स्वीकार है, जिसका मैं एक साधारण सेवक हू, उसके प्रति आभार ज्ञापित कर सकू।

मुझे यह उत्साहपूर्ण उम्मीद है कि आपका शहर नगरीय गतिविधियो की छत्र-छाया मे दिन-प्रतिदिन प्रगति करेगा और इस देश मे तथा देश के बाहर भी अन्य नगरीय निकायों के लिए एक उदाहरण बनेगा। महोदय, मैं आपकी और नगरपालिका के वर्तमान तथा भविष्य मे आपकी राह देख रहे इस श्रम-साध्य कार्य मे हर तरह से सफलता की कामना करता हू। एक बार फिर मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हू।

चीन के लिए कांग्रेस-चिकित्सा मिशन

बोस का सार्वजनिक बयान और अपील, 28 जून, 1938

मुझे भारत के चीनी वाणिज्य दूतावास से खबर मिली है कि चीन सरकार ने कांग्रेस कार्यसमिति के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, जिसमे भारत ने चीन को एक एबुलेस भेजने का जिक्र किया था। अब जितना जल्द हो सके, इस सारे इतजाम को आगे बढाना और चिकित्सा-दल को रवाना कर देना आवश्यक है।

12 जून को 'अखिल भारतीय चीन दिवस' देश-भर मे धूम-धाम से मनाया गया। इस अवसर पर जनता ने अपनी शानदार प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हू। फिर भी यह अफसोसजनक रहा कि समय से सूचना न मिलने के कारण इस अवसर के लिए सतोषजनक तरीके से धन-सग्रह नहीं किया जा सका। देश के विभिन्न हिस्सो से मित्रो ने सुझाव दिया है कि अपने चिकित्सा-मिशन के लिए धन-सग्रह के लिए जुलाई मे कोई दिन या कुछ दिन तय हो।

अति आवश्यक धन

मैं हृदय से इस विचार का अनुमोदन करता हू तथा 7,8 एव 9 जुलाई को 'चीन फड दिवस' के रूप मे तय करता हू। जहा तक चीनी जनता का सवाल है, उनके लिए 7 और 9 जुलाई का महान ऐतिहासिक महत्व है। मैं देश-भर के कांग्रेस सगठनो से इस फड को जुटाने की खातिर एक गहन अभियान मे शामिल होने की प्रार्थना करता हू। एकत्र किया गया धन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के इलाहाबाद स्थित कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। हमे भूलना नहीं है कि उस अवसर पर हमे 22,000 रुपये का सग्रह करना है।

चीनी जनता के प्रति हमारे सम्मान का यह एक प्रतीक होगा और इस अवसर पर

चीनी झडे के लघु रूपो को बेचना भी धन-सग्रह मे अच्छी-खासी मदद कर सकता है। यह तरीका बडे शहरो मे उपयोगी हो सकता है और मैं आशा करता हू कि जहा तक सभव हो, इन तीन दिनो को 'चीनी झडा दिवस' के रूप मे मनाया जाए।

जिन जगहो पर चीन उपसमिति के सदस्य हैं वे स्थानीय काग्रेस सगठनो से विचार-विमर्श करके धन-सग्रह के लिए जरूरी व्यवस्थाए कर सकते हैं। खासतौर से बबई म चीन उपसमिति के सचिव सार्जेट जी पी हठीसिह को बबई प्रातीय काग्रेस समिति से राय-मशविरा करके आवश्यक व्यवस्थाए करने के लिए अधिकृत किया गया है। मैं आशा करता हू कि हमारा धनसग्रह हमारे चिकित्सा-मिशन द्वारा कम से कम एक साल तक काम जारी रखने के लिए पर्याप्त होगा।

एबुलेस कार के लिए आर्डर

अत मे मैं जनता को सूचित करना चाहूगा कि उपकरणो से पूरी तरह सुसज्जित एबुलेस के लिए फोर्ड्स को पहले ही आदेश दिया जा चुका है जो उन्हे सीधे हागकाग भेज देगा। महान चीनी जनता के लिए चिकित्साकर्मियो के साथ एबुलेस का इस तरह भेजा जाना इतिहास के उनके सबसे अधेरे वक्त मे भारत की सहानुभूति तथा सदिच्छा का जीवत प्रतीक है। मैं गभीरतापूर्वक आशा और विश्वास करता हू कि जनता की शुभकामनाए काग्रेस और भारत राष्ट्र के काम आएगी।

यूनिवर्सिटी इस्टीट्यूट हॉल मे बोस का भाषण, 12 अगस्त, 1938 ★

भारत मे हमारी निजी समस्याए भी हैं। हम दु ख के साथ इस तथ्य से वाकिफ हैं कि हम चीन के लिए उसकी इन कठिनाइयो के दौरान बहुत कम सहायता कर सकते है, लेकिन हमारा हृदय चीनी जनता के साथ है और अपनी सहानुभूति के प्रतीक के तौर पर चीन के लिए हम एक छोटा-सा चिकित्सा-मिशन भेज रहे हैं।

मुझे नहीं मालूम कि चीन के लिए इस चिकित्सा-मिशन का व्यावहारिक मूल्य क्या है। लेकिन इसका एक नैतिक मूल्य है क्योकि यह मिशन चीन मे हमारे भाई-बहनो के लिए हमारी हार्दिक सहानुभूति का प्रतीक होगा।

★सुभाषचद्र बोस ने चीन के जन शिक्षा निदेशक और राजनीतिक परिषद् के सदस्य प्रो ताई-ची ताओ के सम्मान मे दिए गए भोज के अवसर पर यह भाषण दिया था। —सपादक

मुझे विश्वास है कि प्रो ताओ तथा उनके देशवासी हमारी गहरी रुचि तथा सहानुभूति से वाकिफ होंगे जिसके साथ हम चीन मे चल रहे संघर्ष का अनुसरण कर रहे हैं। चीनी जनता आज जिस स्थिति से गुजर रही है उसे हम उसके इतिहास का सबसे अंधेरा दौर कह सकते हैं। हमे तथा दुनिया को वर्तमान दौर जो कुछ भी दिखा रहा हो पर इसमे कोई सदेह नहीं कि चीनी जनता इस संघर्ष मे अतत विजयी बन कर उभरेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि चीनी सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओ मे से एक है और अपने राष्ट्रीय इतिहास मे कई उतार-चढावो से होकर गुजरी है। मानव इतिहास के इन उतार-चढाव वाले दिनो के बावजूद चीनी जनता मानवता के सामूहिक लक्ष्य की तरफ ही बढती जा रही है। ऐसा चीनी जनता की परपरा है और आधुनिक चीन की शक्ति तथा चरित्र के कारण है और यही वजह है कि चीनी-जापानी विवाद के परिणाम के प्रति हम इतना आश्वस्त हैं।

चीन के लिए कांग्रेस चिकित्सा-मिशन को बोस का विदाई-सदेश

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस द्वारा सगठित चिकित्सा-मिशन की चीन के लिए रवानगी एक ऐतिहासिक घटना है। हमे सहज ही उन पुराने दिनो का ख्याल आता है, जब भारत को बाहरी देशो से जोडने के लिए पहली बार अतर्राष्ट्रीय सबध बनाए गए थे। चीन के साथ हमेशा हमारे अतरग और मधुर सबध रहे हैं। हमारे ये दोनो राष्ट्र शातिप्रिय हैं और एक जैसी ही उनकी सस्कृति और दर्शन है। पुराने जमाने के हिंदुस्तानी मिशनरियो की तरह ही अब हमारे चिकित्साकर्मी सेवा सदिच्छा तथा प्रेम के राजदूत बनकर चीन जा रहे हैं। हम इस दुखद तथ्य से वाकिफ हैं कि चीन के लिए हमारा यह उपहार उसके इतिहास की इस निर्णायक घडी मे बहुत ही छोटा है। तो भी इस छोटे से उपहार के पीछे भारत की जनता की आत्मा मौजूद है। मुझे विश्वास है कि चिकित्सा-मिशन को जो तार सदेश मैं भेज रहा हू उसमे सारे देश की भावनाओ को स्वर मिलेगा। यह कोई छोटी बात नहीं कि अतर्राष्ट्रीय मच पर आज भारत साम्राज्यवादी, तानाशाही तथा आध्यात्मिक बुराई के खिलाफ एक ढाल की तरह मौजूद है। इसलिए हम चीन मे तैनात अपने गैर-सरकारी राजदूतो मे गर्मजोशी से अपनी हमदर्दी जताए, उनकी शुभ-यात्रा की कामना करे तथा उनके इस पवित्र मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करे।

डा. अटल के लिए सदेश

अपने इतिहास मे सकट की सबस बडी घडी के दौरान जब चीन अपने अस्तित्व ओर आजादी के लिए लड रहा है भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस द्वारा आप और आपके साथियो को महान चीनी राष्ट्र के लिए भारत की सदिच्छा, सम्मान तथा सवेदना के प्रतीक के तौर पर भेजा जा रहा है। सभावित खतरो तथा असुविधा के साथ आप सेवा और प्यार के अपने मिशन पर कल कूच कर रहे ह। आपका मिशनरी उत्साह आपकी उस जीवटता का सूचक है, जिसने अतीत मे भारतीय मिशनरियो को प्रेरणा दी है। आप अपने देश के लिए मान-सम्मान ला सके और उसे एक अन्य उत्पीडित राष्ट्र के साथ जोड सके, इसी आकाक्षा के साथ हम भारत के लिए ख्याति लाने वाले इस पवित्र कार्य मे आपकी सफलता की कामना करते हैं —वदे मातरम्।

संघीय योजना के बारे मे

सघीय योजना के बारे मे नेताजी के पहले वक्तव्य से काग्रेस के दक्षिणपथ के सदस्यो के बीच काफी तीखी प्रतिक्रिया पैदा की। दूसरा वक्तव्य उन्होने पहले वक्तव्य के मूल भाव के बचाव मे दिया था।

1

9 जुलाई, 1938

ब्रिटेन के पत्रकारिता-जगत मे आए दिन ऐसे वक्तव्य या दबे स्वर मे सकेत आते रहे हैं जिससे यह भनक मिलती है कि *गवर्नमेंट ऑफ इडिया एक्ट* के अतर्गत विचारार्थ सघीय योजना के मसले पर काग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता अग्रेज सरकार से समझौते की शैली म बातचीत कर रहे हैं। मुझे याद है कि जो अतिम वक्तव्य मैंने पढा था, वह *मानचेस्टर गार्डियन* मे छपा था, जिस पर मैंने तत्काल तथा जोरदार असहमति भेज दी थी। बिना किसी साक्ष्य के मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कोई प्रभावशाली काग्रेसी नेता काग्रेस के पीछे से अग्रेज सरकार के साथ समझौते की दृष्टि से बातचीत कर रहा है।

मैं तो कहूगा कि प्रातीय स्वायत्तता तथा सघीय योजना म कोई सादृश्य नहीं है। प्रातो मे काग्रेस द्वारा सरकार मे शामिल होने का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि यह केद्र मे सघीय योजना थोपवाने की स्वीकृति की दिशा मे बढा कदम है। मुझे कोई सदेह नहीं है कि काग्रेस पर सघीय योजना थोपने का ऐसा कोई भी प्रयास अपरिहार्य तौर पर असफल सिद्ध होगा। यदि दुर्भाग्यवश सफल भी हो जाता है, तो इससे काग्रेस में टूटन आएगी,

क्योंकि मैं नहीं समझ पाता कि जो काफी सचेत होकर संघीय योजना का विरोध कर रहे हैं, वे इसे सफल कैसे होने देंगे।

व्यक्तिगत तौर पर मैं सोचता हू कि भारत के इतिहास की इस निर्णायक घडी मे काग्रेस या उसके किसी घटक के द्वारा किसी किस्म की कमजोरी दिखाना भारत लोगो के साथ काफी बडा धोखा होगा। हम आज इतनी अनुकूल स्थिति मे है कि यदि सिर्फ एक होकर एक आवाज मे बोल सके तो हम अग्रेज सरकार को अपनी सारी मागे मान लेने के लिए राजी कर सकते हैं। सघीय योजना के बारे मे हमारी सोच की सप्रति किंचित् दुर्बलता हमारे हाथो को कमजोर और अग्रेज सरकार के हाथो को मजबूत ही करेगी। जहा तक मैं समझता हू, यदि काग्रेस के भीतर ही बहुमत द्वारा सघीय योजना अच्छा-सानी विकराल सघीय योजना के खिलाफ खुला दृढ तथा अविकल- विरोध कर पाने के लिए मुक्त हो पाऊगा।

2

15 जुलाई, 1938

इस मामले मे प्रेस के विवाद मे पडने का न तो मेरा कोई इरादा है और न ही यह मेरा कर्तव्य। मैंने वही किया है जो मैने अपना कर्तव्य समझा है— यानी *गवर्नमेंट ऑव इंडिया एक्ट 1935* में दर्ज सघीय योजना के बारे मे काग्रेस के नजरिए की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित किया है। 9 जुलाई को जारी मेरा वक्तव्य सघ के बारे मे काग्रेस के दृष्टिकोण की सशक्त पुनरावृत्ति के सिवा और कुछ नहीं है। अक्तूबर 1937 मे अखिल भारतीय काग्रेस समिति ने इस दृष्टिकोण को स्पष्टतया प्रतिपादित किया था और पिछले फरवरी मे हरिपुरा काग्रेस मे फिर से स्वीकृत किया था।

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का प्रस्ताव निम्नवत था

अखिल भारतीय काग्रेस समिति योजना के प्रति निंदा तथा सपूर्ण विरोध दुहराती है, साथ ही वह उपलब्ध सभव तरीके से इससे टकराने के निर्णय को भी दुहराती है। राष्ट्र-सकल्प की स्पष्ट अभिव्यक्ति के बाद भी इस योजना की शुरुआत का प्रयास भारत की जनता के लिए एक चुनौती होगा। इस संघ को लागू होने से रोकने के लिए समिति प्रातीय तथा स्थानीय काग्रेस समितियो और आम जनता के साथ-ही-साथ प्रातीय सरकार तथा मत्रिमडलो से भी अपील करती है। यह सघ भारत को अपूरणीय क्षति पहुचाएगा और साम्राज्यवादी शासन तथा उसके खिलाफत के वक्त भी भारत को जोडे रखने वाले सूत्र को तनावग्रस्त बनाएगा। समिति का विचार है कि प्रातीय सरकारो को अपने विधानमडलो को भी प्रस्तावित सघ के इस विरोध को अपना औपचारिक स्वर देने और अग्रेज सरकार को अपने प्रातो पर इसे न थोपने की सूचना देने के लिए प्रेरित करना

चाहिए इसलिए काग्रेस प्रस्तावित सघीय योजना के प्रति अपनी निदा दुहराती है तथा प्रातीय और स्थानीय काग्रेस समितियो और आम जनता और प्रातीय सरकार तथा मत्रिमडलो से इसके उद्घाटन को रोकने की अपील करती है। इसे थोपने के किसी भी प्रयास के दौरान, जनता की घोषित इच्छा के बावजूद ऐसे किसी भी प्रयास का हर तरह से मुकाबला होना चाहिए और प्रातीय सरकारो तथा मत्रिमडलो को इसके साथ सहयोग करने से इकार कर देना चाहिए। अगर ऐसी कोई सभावना सामने आती है, तो अखिल भारतीय काग्रेस को इस सबध मे कार्य-दिशा तय करने के लिए अधिकृत और निर्देशित किया जाता है।

9 जुलाई को अपना वक्तव्य जारी करने से पहले सघीय योजना के पक्ष मे काग्रेसियो की सहानुभूति तथा सहायता हासिल करने के लिए अग्रेज सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासो की रिपोर्ट मेरे पास पहुच चुकी थीं। इसलिए हरिपुरा काग्रेस के आदेश के पालन के लिए इस अनर्थकारी कदम से भिडने का पहले मिले अवसर का उपयोग करना मेरा कर्तव्य था। यदि मैने ऐसा नहीं किया होता, तो मै अपने पद के उत्तरदायित्व का उचित निर्वाह करने मे असफल हो गया होता।

मै वैधता के साथ दावा कर सकता हू कि मेरा वक्तव्य हरिपुरा काग्रेस मे पारित प्रस्ताव के प्रति अतर्निहित ईमानदारी के अहसास से निकला है। यदि मैने कठोर भाषा का इस्तेमाल किया है तो यह एक हद तक इसलिए हुआ कि मैने इस मसले को काफी गहराई से महसूस किया और एक हद तक इसलिए भी कि काग्रेस की अपनी सोच काफी दृढ है– जैसे सघीय योजना की 'पुरजोर निदा' तथा 'सपूर्ण विरोध' की सोच। मुझे इस बात को बिल्कुल साफ करने दे कि हरिपुरा मे निर्विरोध स्वीकृत काग्रेसी प्रस्ताव ने टालमटोल के लिए कोई जगह नहीं छोडी है और किसी काग्रेसी को चाहे वह कितने ही ऊचे पद पर क्यो न हो इस मुद्दे पर काग्रेस के दृढ तथा अटल सोच को कमजोर करने का प्रयत्न करने की छूट नहीं दी जाएगी। हरिपुरा काग्रेस के अधिवेशन के बाद से ऐसा कुछ नहीं घटा, जो सघ के बारे मे हमारे दृष्टिकोण को जरा भी बदलने के लिए प्रेरित कर सके।

अतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इतनी अनुकूल दिशा मे विकसित हो चुकी है कि हरिपुरा मे लिए गए निर्णय पर काफी दृढता से डटे रहना हमारे लिए आवश्यक हो गया है।

फिर ऐसे वक्तव्य को जारी करने की जरूरत को लेकर यदि कोई सदेह था तो इसके छपने के बाद की घटनाओ ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया और यदि कुछ समय के लिए हम धैर्य रख सकें, तो मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही यह मान लेगे कि मेरा वक्तव्य वक्त से एक दिन भी पहले जारी नहीं हुआ था।

हमारे ऊपर सघीय योजना को जबरदस्ती थोपने के किसी भी प्रयास के परिणामो के सदर्भ मे यह मान लेना मुश्किल है कि काग्रेस कभी अपनी पिछली सोच को छोड देगी

और इस मुद्द से जुडे सभी लोगो के लिए यह आकलन करना ठीक रहेगा कि यदि भविष्य मे ऐसी कल्पनातीत सभावना बनती है, तो क्या होगा। काग्रेस की वर्तमान मनोदशा को देखते हुए थोडा भी सदेह नहीं रह जाता कि काग्रेस के बहुमत द्वारा सघीय योजना की स्वीकृति निश्चित ही दल मे ही गहरा विभाजन करा देगी। यदि हम व्यावहारिक राजनेता हैं, तो हमे परिस्थिति की सच्चाई से आख नहीं चुराना होगा और हमे इस उम्मीद में भी रहना चाहिए कि बहुमत द्वारा सघीय योजना की स्वीकृति असतुष्ट अल्पसख्यको द्वारा विनम्रता से सह ली जाएगी।

मेरे वक्तव्य को लेकर हुई कुछ आलोचनाओ से मुझे आश्चर्य और दु ख हुआ है। सघ क बारे म काग्रेसी नजरिए को सशक्त तरीके से उद्घाटित करने को एक धमकी की तरह चिन्हित करना अर्थहीन है। यह आरोप भी उसी तरह अर्थहीन है कि यदि दल अपनी पिछली सोच की तरफ मुडता है तो मैं काग्रेस से निकल जाऊगा। मेरी अतिम सास के अतिरिक्त कोई भी मुझे काग्रेस से कभी बाहर नहीं निकाल सकता। मेरे वक्तव्य पर अतिम और उतनी ही अर्थहीन आलोचना यह है कि बहुमत द्वारा इस राष्ट्रीय 'आत्म बलि' के लिए तैयार होने की स्थिति मे मुझे त्यागपत्र देने की आजादी नहीं है। काग्रेस द्वारा सघीय योजना की स्वीकृति एक तरह की राजनीतिक आत्महत्या है और यदि यह कल्पनातीत सभावना बनती है कि बहुमत ही इसे तय कर चुका है, तो आत्महत्या के इस खेल मे मेरे साथ होने की अतार्किक उम्मीद कोई कैसे कर सकता है? अतत मै आशा और विश्वास और प्रार्थना करता हू कि हमारी राष्ट्रीय माग को काग्रेसियो की तरफ से नुकसान पहुचाने के सभी प्रयास हमेशा के लिए निष्फल हो जाए। हम अनचाही सघीय योजना के दिल्ली तथा व्हाइट हॉल के सशाधनो को स्वीकार करते हुए खुद को ससदीय मध्यस्थ के स्तर तक न उतारे। इसके विपरीत, हम अपने मतभेदो को खत्म करे तथा अग्रेज सरकार से सयुक्त मोर्चा बनाकर मिले और हम इस सकल्प में दृढ रहे कि अग्रेजी साम्राज्यवाद सयुक्त और पुनर्जीवित भारत की राष्ट्रीय माग को अधिक दिनो तक नजरअदाज नहीं कर सकता।

विज्ञान और राजनीति

मेघनाथ साहा के प्रश्नों का उत्तर

इडियन साइस न्यूज एसोशिएशन ने काग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नेताजी सुभाषचद्र बोस को 21 अगस्त 1930 को हुई अपने एसोशिएशन की तृतीय

अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया था। बैठक में प्रो. मेघनाथ साहा ने नेताजी से कुछ सवाल पूछे थे। यहां कुछ प्रासंगिक अंश प्रस्तुत हैं

सवाल : क्या मैं पूछ सकता हूं कि भविष्य का भारत अपने ग्रामीण जीवन तथा बैलगाड़ी के दर्शन और इससे संबंधित गुलामी को पुनर्जीवित करने जा रहा है या अपने सारे प्राकृतिक स्रोतों को विकसित करके अपनी गरीबी, अज्ञानता तथा सुरक्षा की समस्याओं को हल करने वाला एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनकर अन्य राष्ट्रों की कतार में सम्मानित स्थान लेगा और इस तरह सभ्यता के नए चक्र की शुरुआत करेगा ?

यदि कांग्रेसी आलाकमान औद्योगीकरण की नीति तय करते हैं तो क्या वे औद्योगीकरण की सुव्यवस्थित योजना या राष्ट्रीय परिषद बनाने और देश के वैज्ञानिक बुद्धिजीवियों को संगठित करने जा रहे हैं ? मैं इस सवाल को इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस कई प्रांतों में सत्ता में आ चुकी है और भारत के भावी औद्योगीकरण के संबंध में विचारों का काफी भ्रम बना हुआ है।

जवाब : भारत की आजादी के लिए जारी आंदोलन अब उस स्थिति तक आ पहुंचा है जहां स्वराज केवल एक सपना नहीं है और न ही उस आदर्श की तरह रह गया है जिसे भविष्य में काफी देर बाद पाना हो। इसके विपरीत हम सत्ता के दायरे में हैं- ग्यारह प्रांतों में से सात प्रांत कांग्रेस मंत्रिमंडल के अधीन हैं। यद्यपि उनके पास सीमित ताकतें हैं लेकिन इन्हीं के जरिए उन्हें अपने क्षेत्रों में पुनर्रचना की समस्याओं का निराकरण करना है। सबसे पहले हम इस कार्य में विज्ञान की सहायता चाहते हैं।

कांग्रेस और पुनर्रचना कार्य के बारे में मेरी हमेशा से यह राय रही है और मैंने हरिपुरा कांग्रेस में अध्यक्षीय भाषण में कहा भी था कि जो दल आजादी के लिए लड़ता है वह आजादी हासिल करने के बाद खत्म नहीं किया जाएगा। इस दल को युद्धोत्तर पुनर्रचना के कार्य को निबटाना होगा। इसलिए आजकल के कांग्रेसी सिर्फ आजादी के लिए नहीं लड़ें बल्कि उनको राष्ट्रीय पुनर्रचना की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी सोच-समझ तथा जोश-खरोश को भी समर्पित करना होगा और राष्ट्रीय पुनर्रचना सिर्फ विज्ञान और हमारे वैज्ञानिकों की सहायता से ही संभव है।

अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राष्ट्रीय पुनर्रचना की समस्याओं के बारे में अपनी सोच बताऊं। इन दिनों प्रायः हम इस देश में औद्योगिक उद्धार की योजनाओं के बारे में सुनते हैं। अभी हाल में इसी प्रांत के एक अधिकारी ने बंगाल की उद्धार योजना पर एक भारी-भरकम पुस्तक लिखी है। पर जिस समस्या का हमें सामना करना है वह औद्योगिक उद्धार नहीं बल्कि औद्योगीकरण है। भारत अभी विकास के पूर्व औद्योगिक युग में ही है। जब तक हम औद्योगिक क्रांति की व्यथा से नहीं गुजरते कोई औद्योगिक उन्नति संभव नहीं है, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि

वर्तमान दौर आधुनिक इतिहास का औद्योगिक काल है। इस दौर में औद्योगिक क्राति से पलायन सभव नहीं है। हम अपनी पूरी समझ से तय कर सकते हैं कि यह क्राति यानी औद्योगीकरण ग्रेट ब्रिटेन की तरह धीरे-धीरे हो या सावियत रूस की तरह बलपूर्वक बदलाव लाकर। मुझे तो डर है कि इस देश मे बलपूर्वक बदलाव ही आना है।

मुझे कोई सदेह नहीं है कि जब सारे देश के लिए राष्ट्रीय सरकार होगी तो सारे देश के लिए एक राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति उन पहले कामो मे से एक होगी, जो हम करेगे। वास्तव मे सातो प्रातो मे हमारे मत्रिमडल पहले से ही समान औद्योगिक नीति और कार्यक्रम की जरूरत महसूस कर रहे हैं। इसका पूर्वानुमान लगाते हुए काग्रेस कार्यसमिति ने एक साल पहले ही काग्रेसी मत्रिमडलो के सत्ता मे आने के तुरत बाद एक प्रस्ताव पास किया था कि औद्योगिक मामलो मे काग्रेसी मत्रिमडलो को सलाह देने के लिए विशेषज्ञो की एक समिति नियुक्त करना आवश्यक है। मई 1938 मे बबई मे मेरी अध्यक्षता मे हुई काग्रेस-प्रमुखो की सभा ने इस विचार का अनुमोदन किया है। इसके बाद कार्यसमिति की बैठक के पहले ही विशेषज्ञो की समिति की नियुक्ति हो चुकी है और जुलाई मे हुई पिछली बैठक मे कार्यसमिति ने तय किया है कि प्रारभिक कदम के तौर पर मैं काग्रेस-शासित सात प्रातो के उद्योग मत्रियो की सभा का आयोजन करूगा। मैं यह सारी बात यह दिखाने के लिए बता रहा हू कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना हम आर्थिक नियोजन की दिशा मे आगे बढ रहे हैं।

यद्यपि मैं कुटीर उद्योग को खारिज नहीं करता हू और यद्यपि मैं मानता हू कि जहा तक सभव हो, कुटीर उद्योगो के सरक्षण तथा पुनरुद्धार की हर कोशिश की जानी चाहिए, फिर भी मैं कहता हू कि भारत के लिए आर्थिक नियोजन का मतलब है भारत के औद्योगीकरण के लिए बडे पैमाने पर नियोजन और औद्योगीकरण का अर्थ— जैसा कि सर जान एडरसन ने समझा होगा— छाते का हैंडल तथा कासे की प्लेट बनाने वाले उद्योगो की उन्नति नहीं है, इस तथ्य से आप सभी लोग सहमत होगे।

मैं प्रसन्नतापूर्वक इस तथ्य को स्वीकार करता हू कि आपकी पत्रिका *'साइंस एड कल्चर'* ने इस देश के बौद्धिक विचारो को औद्योगीकरण की समस्याओ की तरफ मोडने मे सहायता की है। विद्युत आपूर्ति बाढ-नियत्रण, नदी विज्ञान, राष्ट्रीय अनुसधान परिषद् बनाने की आवश्यकता आदि पर समय-समय पर प्रकाशित रचनाए काफी विचारोत्तेजक तथा शिक्षाप्रद हैं।

अब मैं राष्ट्रीय नियोजन के सिद्धातो पर कुछ टिप्पणिया करना चाहूंगा

1. यद्यपि औद्योगिक दृष्टि से विश्व एक इकाई है, फिर भी हमे राष्ट्रीय स्वायत्तता पर, खासकर अपनी मुख्य आवश्यकताओ के क्षेत्र मे ही ध्यान केद्रित करना चाहिए।
2. हमे मूल उद्योगो यानी विद्युत-आपूर्ति धातु-उत्पादन मशीन और

औजार-निर्माण आवश्यक रसायनो के उत्पादन परिवहन तथा सचार उद्योग आदि की वृद्धि तथा विकास केंद्रित नीति को अपनाना चाहिए।

3 हमे तकनीकी शिक्षा तथा तकनीकी शोध की समस्या का भी समाधान निकालना चाहिए। जहा तक तकनीकी शिक्षा का मामला है, जापान के विद्यार्थियो की तरह हमारे विद्यार्थियो को भी स्पष्ट और निश्चित योजना के अतर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेशो मे भेजा जाना चाहिए, ताकि जैसे ही वे देश मे लौटे, नए उद्योगो को खडा करने के काम मे सीधे जुट जाए।

जहा तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है हम सभी सहमत हैं कि इसे हर तरह के सरकारी नियत्रण से मुक्त होना चाहिए। सिर्फ इसी दुर्भाग्यशाली देश मे ही ऐसा है कि शाही तनख्वाह लेने के लिए सरकारी नौकर वैज्ञानिक अनुसधान मे लगे हुए हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलता है।

4 एक स्थाई राष्ट्रीय अनुसधान परिषद् का गठन होना चाहिए।

5 अतत राष्ट्रीय नियोजन की ओर प्रारभिक कदम के बतौर राष्ट्रीय योजना आयोग के लिए जरूरी आकडे इकट्ठा करने की दृष्टि से वर्तमान औद्योगिक दशा का एक आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए।

सक्षेप मे ये सब औद्योगीकरण तथा राष्ट्रीय पुनर्रचना की समस्याओ पर मेरे कुछ विचार है और मुझे विश्वास है कि ये इस देश के वैज्ञानिक पुरुषो और महिलाओ द्वारा सामूहिक रूप मे समझे जाएगे। हम जैसे व्यावहारिक राजनेताओ के लिए विचारो के रूप मे आप वैज्ञानिको की सहायता की जरूरत है। फिर हम लोग इन विचारो के प्रचार-प्रसार मे सहायता कर सकते हैं और जब सत्ता की मीनार पर हमारा कब्जा हो जाएगा हम इन विचारो को यथार्थ मे बदलने मे सहायक हो सकते है। फिलहाल हम विश्वास और राजनीति के बीच दूरगामी सहयोग की आवश्यकता है।

अपने विचारोत्तेजक भाषण के दौरान प्रोफेसर साहा ने मुझसे पूछा है कि औद्योगीकरण की समस्याओ पर काग्रेस का नजरिया क्या है। मैं कहूगा कि सभी काग्रेसियो का इस सवाल पर समान नजरिया नही है। तो भी मै बिना किसी अतिशयोक्ति के कह सकता हू कि उभरती पीढी औद्योगीकरण के पक्ष मे है और उसका यह समर्थन कई कारणो से है। सबसे पहले औद्योगीकरण बेरोजगारी के सकट को दूर करने के लिए जरूरी है। यद्यपि वैज्ञानिक ढग से की गई खेती उपज मे वृद्धि कर देगी और यदि प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अन्न मिले तो अच्छी खासी जनसख्या खेती से उद्योग की तरफ आ सकती है। दूसरे, उभरती पीढी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के स्वरूप को समाजवाद के ढाचे मे सोचती है और समाजवाद औद्योगीकरण को पहले ही स्वीकार कर लेना है। तीसरे, यदि हम

विदेशी उद्योगो से प्रतिस्पर्धा करनी है, तो औद्योगीकरण आवश्यक है।

अतत आम जीवन-स्तर मे सुधार लाने के लिए औद्योगीकरण की आवश्यकता है।

प्रो साहा ने दूसरा सवाल किया है कि ब्रिटेन के नियत्रण से मुक्त होने के बाद क्या भारत एक राष्ट्र बनेगा ? इसके बारे मे मेरा उत्तर यही है कि काग्रेस के सभी लोग भारतीय एकता तथा अखडता की प्राप्ति के मामले मे अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हैं। हम चीन के रास्ते नहीं, बल्कि तुर्की के रास्ते जाना चाहते हैं। यदि हम आजादी के बाद स्वय को एक राष्ट्र के रूप मे सगठित रखना चाहते हैं, तो हमे वास्तव मे कडी मेहनत करनी पडेगी। राष्ट्रीय एकता और अखडता के प्रसार के लिए कई चीजो की जरूरत है- जैसे आम बोलचाल की भाषा, आम पहनावा आम खानपान आदि। जैसा कि आप जानते हैं कि काग्रेस इस देश की बोलचाल की भाषा के रूप मे हिंदुस्तानी की वकालत कर रही है। लेकिन मेरा विश्वास है कि विदेशी वर्चस्व खत्म होने के बाद एक राष्ट्र बनने तथा एक राष्ट्र के रूप मे साथ रहने की हमारी इच्छाशक्ति सबसे अधिक आवश्यक है। इस तरह मेरी नजर मे एकता की समस्या व्यापक तौर पर एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। लोगो को इतना शिक्षित और अभ्यस्त होना चाहिए कि वे स्वय को एक राष्ट्र की तरह महसूस कर सके। भाषा पहनावा, खानपान आदि अन्य कारक एकता के लिए सहायक हो सकते हैं, लेकिन इसे बना नही सकते। इस राष्ट्रीय इच्छाशक्ति के साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखडता के लिए एक अखिल भारतीय पार्टी की आवश्यकता है। वह पार्टी काग्रेस है। इतिहास मे हम पाते हैं कि प्रत्येक देश ने उस देश की जनता के एकीकरण के लिए एक पार्टी का निर्माण किया है। इस सदर्भ मे रूस मे कम्युनिस्ट पार्टी, जर्मनी मे नाजी पार्टी, इटली मे फासिस्ट पार्टी तथा तुर्की मे कमाल की पार्टी उदाहरण हैं। भारत मे काग्रेस पार्टी एकीकरण की वही भूमिका निभाएगी, जो उपरोक्त दलो ने अपने-अपने देशो मे निभाई है।

भारत की औद्योगिक समस्याए

2 अक्तूबर, 1938 को दिल्ली मे उद्योग मत्रियो की सभा मे दिए गए भाषण का पूरा पाठ

इस सभा की शुरुआत करने से पहले मेरे आमत्रण पर ध्यान देने तथा तमाम असुविधाओ तथा समयाभाव के बावजूद इस सभा मे उपस्थित होने के लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हू। प्रातो मे काग्रेस द्वारा सरकार का उत्तरदायित्व लेने के बाद अपनी तरह की यह पहली सभा है। जब से मत्रिपरिषद् मे पद-भार लेने के लिए काग्रेसियो को अनुमति देना तय हुआ था, तब से अपने देश के उद्योगो के विकास की समस्या और इस

सबध मे अपने स्रोतो के साथ सयोजन का सवाल कार्यसमिति का गभीरतापूर्वक ध्यान खींच रहा है।

अगस्त 1937 मे अपनी बैठक मे कार्यसमिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया था

कार्यसमिति काग्रेसी मत्रिमडलो से उन अति आवश्यक तथा सवेदनशील समस्याओ पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की सिफारिश करती है जिनका समाधान राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा सामाजिक नियोजन के किसी भी कार्यक्रम के लिए जरूरी है। ऐसे समाधान के लिए व्यापक सर्वेक्षण तथा आकडो का सग्रह और साथ ही स्पष्टतया परिभाषित सामाजिक उद्देश्य की जरूरत होगी। इनमे से कई समस्याए प्रातीय आधार पर प्रभावी ढग से हल नही की जा सकतीं तथा निकटवर्ती प्रातो के हित भी एक दूसरे से जुडे रहते है। विनाशकारी बाढो को रोकने सिंचाई के लिए जल का उपयोग करने मृदाक्षरण की समस्या पर विचार करने, मलेरिया-उन्मूलन तथा जल-विद्युत और अन्य योजनाओ के विकास हेतु एक नीति बनाने के लिए व्यापक नदी सर्वेक्षण आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए सारी नदी-घाटी का सर्वेक्षण तथा जाच करनी होगी तथा बडे पैमाने पर राज्य-नियोजन लागू करना होगा। उद्योगो के विकास और नियत्रण के लिए विभिन्न प्रातो की तरफ से सयुक्त तथा सयोजित कार्यवाही की भी जरूरत होती है। इसलिए कार्यसमिति विशेषज्ञो की एक अतर्प्रातीय समिति बनाने की सलाह देती है, जो सामने आने वाली आम समस्याओ की प्रकृति तथा इन समस्याओ के निराकरण के तरीके और तरकीब पर विचार करे। विशेषज्ञ समिति हर ऐसी समस्या का अलग-अलग समझने के लिए तथा प्रस्तावित सयुक्त कार्यवाही मे सलग्न प्रातीय सरकारो को सलाह देने के लिए विशेष समितिया या बोर्ड बनाने की भी सलाह दे सकती है।

पिछली मई म मैने बबई म सात काग्रेस शासित प्रातो के प्रमुखो की सभा बुलाई जिसमे कार्य समिति के कुछ सदस्य तथा कई मत्री भी उपस्थित थे। उस अवसर पर— *जैसा कि आप मे से कुछेक लोगो को याद होगा*— हमने औद्योगिक पुनर्निर्माण की समस्याओ बिजली के स्रोतो का विकास तथा विद्युत आपूर्ति सहित काग्रेसी प्रातो के बीच सयोजन और सहयोग के आम सवालो पर विचार-विमर्श किया था। यदि मै ठीक-ठाक याद कर पा रहा हू, तो सभा मे उपस्थित लोगो का विचार था कि कार्यसमिति को उपरोक्त सवालो पर काग्रेसी मत्रिमडलो को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने मे पहल करनी चाहिए।

पिछली जुलाई को कार्यसमिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया था

16-17 अगस्त 1937 को वर्धा मे कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सदर्भ मे

अखिल भारतीय औद्योगिक कार्यक्रम की सभावनाओ की खोज के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के सबध मे यह प्रस्तावित किया जाता है कि प्राथमिक कदम के रूप मे उद्योग मन्त्रियो की शीघ्र ही एक सभा बुलाने तथा विभिन्न प्रातो मे चल रहे उद्योगो और नए उद्योगो की आवश्यकताओ तथा सभावनाओ पर एक रिपोर्ट देने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है।

इस प्रस्ताव के अनुसरण के लिए ही इस सभा को बुलाया गया है।

मुझे यह बताना अनावश्यक लगता है कि वर्तमान राष्ट्रीय जीवन मे व्यापक तौर पर घुसपैठ कर रही गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याओ सहित अपने सभी स्रोतो का राष्ट्र के हित मे अधिकतम लाभ के लिए उपयोग के सवाल ने काफी महत्व हासिल कर लिया है। अपने किसानों की दयनीय स्थिति मे सुधार लाना तथा जन-जीवन के आम स्तर को ऊचा करना जरूरी है और यह सिर्फ कृषि मे सुधार से ही नहीं किया जा सकता । कृषि उपकरणो की दक्षता निश्चित तौर पर हमे अधिक और सस्ता अन्न दे सकती है तथा कृषि से मिलन वाली जीवन की अन्य आवश्यकताओ को पूरा कर सकती है। लेकिन इससे गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी। यह बात परस्पर विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन थोडा विचार करे, तो इस वृहत्तर दक्षता का अर्थ निकलेगा कि किसानो की वर्तमान सख्या को कम करके पूर्ववत कृषि उत्पादन किया जा सकता है। इस स्थिति मे बेरोजगारी की वर्तमान समस्या वैज्ञानिक खेती के परिणामस्वरूप बदतर हो सकती है।

तब हम इस भयकर समस्या का निराकरण कैसे करेगे ? यह देखना हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष तथा बच्चा बेहतर पहने बेहतर शिक्षा पाए और उसे मनोरजन तथा सास्कृतिक गतिविधियो के लिए पर्याप्त अवकाश मिले। यदि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो औद्योगिक उत्पादो की मात्रा मे अच्छी-खासी वृद्धि हो सकती है, साथ ही आवश्यक कार्यो को सुव्यवस्थित किया जा सकता है तथा अधिकाश ग्रामीण जनता को औद्योगिक रोजगारो की तरफ मोडा जा सकता है।

भारत स्रोतो के मामले मे सयुक्त राष्ट्र अमरिका जैसा देश है। यहा खनिज सपदा तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत काफी प्रचुर मात्रा मे मौजूद हैं। देशहित म इनके सुचारू रूप से तथा व्यवस्थित तरीके से दोहन की जरूरत है। दुनिया के प्रत्येक अमीर और समृद्ध देश ने उद्योगो के पूरे विकास के जरिए ऐसा ही किया है। मैं यहा सिर्फ एक देश का उदाहरण दूगा। विश्वयुद्ध से पहले रूस की स्थिति भारत से अच्छी नहीं थी। वह एक कृषिप्रधान देश था और उसकी 70 प्रतिशत जनसख्या प्राय आज के हमारे किसानो की तरह ही दयनीय तथा दु खी थी। उद्योग बदहाली की स्थिति मे थे, बिजली अविकसित थी और विलासिता की वस्तु समझी जाती थी। उसे अपने विद्युत स्रोतो की जानकारी नहीं थी तथा उसके पास विशेषज्ञ और मिस्त्री भी नहीं थे। लेकिन पिछले सोलह वर्षो मे वह अर्ध-भुखमरी के शिकार किसानो के समुदाय से मुख्यतया रोटी-कपडे से तृप्त औद्योगिक

कामगारो क समुदाय मे बदल चुका है। उसने गरीबी, बीमारी तथा अकाल की उन समस्याओ को हल करने के प्रयास मे अच्छी सफलता पाई है जिन्होने क्रांति-पूर्व की उसकी किसान जनता को काफी परेशान किया था। अधिकतर यह नियोजित विद्युतीकरण की योजना का पूर्वानुमान लगा चुके देश के नियोजित औद्योगीकरण के कारण हुआ। अल्पावधि मे रूस की इतनी आश्चर्यजनक प्रगति इसके राजनीतिक सिद्धातो से निरपेक्ष होकर हमारे चिंतन-मनन का विषय हो सकती है। मैंने रूस का उदाहरण सिर्फ वहा की कुछ पूर्व स्थितियो से अपनी स्थितियो की समानता दिखाने तथा यह बताने की गरज से दिया है कि एक नियोजित औद्योगीकरण की योजना हम चौतरफा समृद्धि की राह पर कितनी दूर तक ले जा सकती है।

आज के हम काग्रेसियो को सिर्फ आजादी के लिए ही नहीं लडना है बल्कि हमे अपनी सोच और ताकत का एक हिस्सा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याओ मे यह सोचते हुए लगाना है कि हम सत्ता तक पहुचने ही वाले हैं तथा स्वराज अब कोई दूर भविष्य मे पूरा होने वाला सपना नहीं है। विज्ञान और हमारे वैज्ञानिको की सहायता से ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य सभव है। इस देश मे आर्थिक उद्धार के लिए लाई जा रही योजनाओ को लेकर आजकल काफी बाते हो रही हैं। मेरी नजर म मुख्य समस्या यह है कि हमे आर्थिक उद्धार का सामना नहीं बल्कि औद्योगीकरण का सामना करना है। भारत अभी विकास के पूर्व-औद्योगिक दौर मे है। औद्योगिक क्राति की पीडा से गुजरे बिना औद्योगिक उन्नति सभव नहीं है। यदि औद्योगिक क्राति कोई बुराई है तो यह एक आवश्यक बुराई है। हम सिर्फ अन्य देशो मे आ चुकी बुराइयो को कम करने का हर सभव प्रयास कर सकते हैं और फिर हमें यह भी करना है कि यह क्राति ग्रेट ब्रिटेन की तरह अपेक्षाकृत धीमे-धीमे होगी या सोवियत रूस की तरह बलपूर्वक लाए गए बदलाव के जरिए। मुझे तो डर है कि इस देश म बलपूर्वक ही बदलाव आना है। आज की दुनिया मे औदयोगीकरण का विरोध करने वाले समुदाय के लिए अतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मे बने रहने का अवसर बहुत कम है।

इस स्थिति मे मे इसे पूरी तरह स्पष्ट करना चाहूगा कि कुटीर उद्योगो तथा बडे उद्योगो के बीच किसी द्वद्व की जरूरत नहीं है। यदि कोई ऐसा द्वद्व है भी तो वह किसी गलतफहमी मे ही उभरता है। हमारे कुटीर उद्योगो के विकास की जरूरत म मेरा विश्वास अटल है यद्यपि मै यह भी मानता हू कि हमे औद्योगीकरण से परहेज नहीं रखना होगा। यूरोप के औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित देशो मे अभी भी ढेर सारे कुटीर उद्योग अस्तित्व बनाए हुए हैं तथा फल-फूल रहे हैं। अपने देश मे हम कुटीर उद्योगो जैसे हथकरघा उद्योग के बारे मे जानते हैं, जो हिदुस्तानी तथा विदेशी मिलो के साथ प्रतिस्पर्धा मे है तथा पैर जमाए हुए है। औद्योगीकरण का कतई यह मतलब नहीं है कि हम कुटीर उद्योगो की तरफ ध्यान न दे। इससे बिल्कुल ही अलग इसका अर्थ सिर्फ यह है कि कौन-सा उद्योग कुटीर के आधार पर तथा कौन-सा उद्योग बडे उद्योग के आधार पर

विकसित होना चाहिए। आज हिंदुस्तान मे मौजूद खस्ता अर्थव्यवस्था तथा हमारी जनता के सीमित स्रोतो को देखते हुए हमे बडे उद्योगो के साथ-साथ कुटीर उद्योगो के भी विकास का अधिकतम प्रयास करना चाहिए।

साधारणतया उद्योगो को तीन श्रेणियो मे बाटा जा सकता है- भारी, मध्यम तथा कुटीर उद्योग। निसदेह देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए आज भारी उद्योगो का सर्वाधिक महत्व है। वे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ हैं। पर दुर्भाग्यवश जब तक हम केंद्र मे सत्ता नहीं हासिल कर लेते तथा अपनी राजकोषीय नीति पर पूरा नियन्त्रण नहीं कर लेते हम इस दिशा मे अधिक दूर तक नहीं जा सकते। मध्यम श्रेणी के उद्योग प्रमुख व्यापारियो द्वारा सरकार के सहयोग तथा सहायता से शुरू किए जा सकते हैं। कुटीर उद्योगो के सबध म मने पहले ही कहा है कि उनके तथा बडे उद्योगो के विकास के बीच किसी द्वद्व की जरूरत नहीं है। मैं राष्ट्रीय नियोजन के सिद्धातो के बारे मे अपने कुछ विचार रखना चाहूगा।

1 *यद्यपि औद्योगिक दृष्टि से विश्व एक इकाई है, फिर भी हमे राष्ट्रीय स्वायत्तता पर खासकर अपनी मुख्य आवश्यकताओ के क्षेत्र मे, ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए।*

2 *हमे मूल उद्योगो यानी विद्युत-आपूर्ति, धातु-उत्पादन, मशीन और औजार-निर्माण, आवश्यक रसायन उत्पादन, परिवहन तथा सचार उद्योग आदि की वृद्धि तथा विकास केंद्रित नीति को अपनाना चाहिए।*

3 *हमे तकनीकी शिक्षा तथा तकनीकी शोध की समस्या का भी समाधान निकालना चाहिए। जहा तक तकनीकी शिक्षा का मामला है, मेरा कहना है कि जापान के विद्यार्थियो की तरह हमारे विद्यार्थियो को भी स्पष्ट और निश्चित योजना के अतर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेशो मे भेजा जाना चाहिए, ताकि जैसे ही वे देश मे लौटे नए उद्योगो को खडा करने के काम मे जुट जाए। जहा तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है, हम सभी सहमत हैं कि इसे हर तरह के सरकारी नियत्रण से मुक्त होना चाहिए।*

4. *एक स्थाई राष्ट्रीय अनुसधान परिषद् का गठन होना चाहिए।*

5 *अतिम, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय नियोजन की ओर प्रारभिक कदम के बतौर राष्ट्रीय योजना आयोग के लिए जरूरी आकडे इकट्ठा करने की दृष्टि से वर्तमान औद्योगिक दशा का एक आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए।*

अब मैं आपका ध्यान कुछ ऐसी समस्याओ की तरफ खींचना चाहूगा, जिन पर आप इस सभा मे विचार कर सकते हैं

1 *प्रत्येक प्रात के लिए समुचित आर्थिक सर्वेक्षण की व्यवस्था।*
2. *कुटीर तथा बडे उद्योगो के बीच सयोजन रखना ताकि वे एक दूसरे के लिए व्यवधान न खडा कर सके।*
3. *उद्योगो के क्षेत्रीय वितरण का औचित्य।*
4. *हमारे विद्यार्थियो के लिए भारत तथा विदेशो म तकनीकी प्रशिक्षण के सबध मे नियमावली।*
5 *तकनीकी शोध की व्यवस्था।*
6 *औद्योगीकरण की समस्याओ पर भविष्य म सलाह देने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का औचित्य।*

यदि इस सभा मे इन समस्याओ का समाधान हो सके तो मुझे यकीन है कि इस दोपहर यहा हमारे मिलने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत म ही इंगित कर दिया था हमे विभिन्न प्रातो मे चल रहे उद्योगो तथा नए उद्योगो की आवश्यकताओ और सभावनाओ पर विचार करना होगा। यदि हम इन सारी समस्याओ का समाधान निकालते हैं जिनमे से कुछ के बारे मे मैं पहले ही इशारा कर चुका हू तभी हम इस कार्य को पूरा कर सकते है।

अतत मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी सहायता और सहयोग स यह सभा सफल सिद्ध हो सकती है जो हमारे दरिद्र व शोषित देश के औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बन सकती है।

छात्र–आदोलन

29 अक्तूबर 1930 को इलाहाबाद मे हुए स प्र छात्र सम्मेलन मे दिए गए सदेश का पाठ

मैं हमेशा कई कारणो से भारत के छात्र–आदोलनो के निकट सपर्क मे रहा हू। एक विद्यार्थी के तौर पर मेरे अनुभवो ने मुझे वर्षो पहले ही जता दिया था कि यदि छात्रो को स्वाभिमानी इसान के रूप मे बने रहना है और एक महान देश क नागरिक के रूप मे अपने भावी जीवन की तैयारी करनी है, तो छात्रो को अपना सगठन बनाना चाहिए। जब मैं शब्द के सीमित अर्थो म एक छात्र बनने से रह गया तब मैंने भीतर–ही–भीतर सकल्प किया कि जब और जहा जरूरत पडेगी मैं छात्रो की भावी पीढी की सहायता के लिए हर तरह से प्रयत्नशील रहूगा।

सारी दुनिया के छात्र, चाहे उनकी राष्ट्रीय सीमाए कुछ भी हो भाईचारे तथा न्यायप्रियता के नाते खुद को देखते हैं। यह सिर्फ किसी एक पीढी की बात नहीं है कि

आज के छात्र कल के नेता हैं और ये राष्ट्र की आशाओ और आकाक्षाओ के जीवत रूप हैं। छात्र नियमानुसार राष्ट्र के सबसे अधिक आदर्शवादी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और सारे ससार के छात्र अपने स्वाभाविक आदर्शवाद के कारण यह अनुभव करते हैं कि वे एक बडे भाईचारे के सहभागी हैं। अपने छात्रो के बीच भाईचारे की इस भावना को फैलाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ताकि उनके जरिए हिंदुस्तानी जनता भविष्य मे सदा के लिए एक राष्ट्र मे बध जाए।

किसी आजाद देश मे छात्रो को वही अधिकार मिले होते हैं जो स्वतत्र स्त्री-पुरुष के पास होते हैं लेकिन हमारे छात्रो के साथ ऐसी स्थिति नही है। हमारे छात्रो को उन अडचनो का सामना करना पडता है, जिनसे किसी पराधीन समाज के सदस्य बच नहीं सकते। अपने अभिभावको की नजर मे वे घर मे और बाहर भी बच्चे की तरह होते हैं तथा सत्ता की नजर मे वे राजनीतिक तौर पर प्राय सदिग्ध। काग्रेस सरकारो के आने के बाद स्थितिया कुछ बेहतर हुई हैं। ऐसी परिस्थितियो मे छात्रो को अपनी सहायता स्वय करनी चाहिए। उन्हे अपने साथ वयस्क स्त्री-पुरुषो जैसे व्यवहार के लिए जोर देना चाहिए और किसी स्वतत्र देश के नागरिको को मिलने वाले अधिकारो की माग करनी चाहिए।

शैक्षणिक तथा सरकारी दोनो तरह की सत्ता से छात्रों का लगातार द्वद्व नहीं रहता। शैक्षणिक प्राधिकरणो से द्वद्व सामान्यत तब होता है, जब वे छात्र होने के कारण अपने अधिकारो से वचित किए जाते हैं । इसी तरह जब वे अपने नागरिक अधिकारों से वचित किए जाते हैं तब सरकारी प्राधिकरणो से उनका द्वद्व होता है। दोनो मे से किसी भी स्थिति मे छात्र केवल तभी अपने-आप को प्रमाणित करने की उम्मीद कर सकते हैं, जब वे भली-भाति सगठित हो। इसलिए सगठन उनका पहला और प्रमुख काम है। छात्र सभाए सिर्फ तभी कारगर हो सकती हैं जब वे शक्तिशाली और प्रेरक हो। सिर्फ छात्र-अधिकारो को न्यायसगत ठहराने वाला सगठन ही पर्याप्त नहीं है। सगठन को शारीरिक बौद्धिक तथा नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से बेहतर मनुष्य तथा बेहतर नागरिक बन सके।

मेरा निश्चित तौर पर यह विचार है कि छात्र-आदोलन के मच को व्यापक आधार वाला होना चाहिए तथा उसे विभिन्न विचारों वाले छात्रों के लिए खुला होना चाहिए। यदि किसी खास दल समूह या विचारधारा के छात्र अन्य छात्रो को बाहर कर सगठन पर कब्जा का प्रयास करते हैं तो काफी सकट खडा हो जाएगा। यदि यह होता ही है तो छात्र-आदोलन मे विभाजन होगा और कई छात्र-सघ बन जाएगे। छात्रो को चाहिए कि अपने विचार-विमर्श मे वे अपनी नजरे मुक्ति, बराबरी,भाईचारे और प्रगति पर टिकाए रखे तथा हमेशा याद रख कि मुक्ति का अर्थ हर तरह के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बधनो से छुटकारा है।

हमारी आवश्यकताए और हमारे कर्तव्य

अक्तूबर 1930 के *'नेशनल फ्रट'* मे स्वलिखित रचना का पूरा पाठ

यदि हम आज भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के प्रभाव ओर ताकत के रहस्य का विश्लेषण करे तो हम इसके तीन कारक पाते है

1 काग्रेस की वृहद सदस्य सख्या

2 काग्रेस का सगठन तथा अनुशासन तथा

3 पिछले 53 वर्षो के दौरान काग्रेसियो द्वारा की गई सेवा तथा त्याग की भावना।

1885 म अपने जन्म के समय से आज काग्रेस काफी आगे बढ चुकी है तथा भारतीय जनता को उसने स्वराज या स्वतत्रता के लक्ष्य के काफी नजदीक ला दिया है। लेकिन आज हम यद्यपि सत्ता के समीप है फिर भी हमारे सामने लबा सघर्ष है।

यदि हम इस सघर्ष को स्वतत्रता की दिशा मे जारी कूच की अतिम बाधा के तौर पर लेना चाहते हैं तो हमे तीन काम करने होगे। काग्रेस की सदस्य सख्या इतनी बडी होनी चाहिए कि वह हमारे देशवासियो के व्यापक बहुमत को समेट सके। हमारा सगठन तथा अनुशासन सुव्यवस्थित होना चाहिए और अत मे सबसे महत्वपूर्ण यह कि हमे गहरी पीडा तथा बडी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस छोटे-से लेख मे मैं मुख्यत इन्हीं तीन सवालो मे से पहले पर बात करना चाहता हू।

सशस्त्र सघर्ष की जगह अहिसा के तरीका को अपनाने वाले राजनीतिक सगठन मे सख्या का सवाल काफी महत्वपूर्ण होता है। किसी अहिसक सघर्ष मे अतिम हथियार सत्याग्रह या नागरिक अवज्ञा है जिसका अर्थ ही होता है- एक झडे तले जनता को इकटठा करना। काग्रेस अपने सगठन मे जिस अनुपात मे लोगो को लाती जा रही है *उसने इसकी असरदारी और ताकत बढी है।*

1885 मे बबई मे जब काग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, तब मध्य तथा उच्च वर्ग के सिर्फ मुट्ठी-भर बुद्धिजीवी इस अवसर पर इकटठा हुए थे लेकिन आज काग्रेस का एक अधिवेशन जितना चाहे उतन लोगो को खींच सकता है।

इसमे कोई सदेह नही है कि काग्रेस का इस देश की आम जनता से अतरग सपर्क कराने वाले पहले नेता महात्मा गाधी हैं। आम जनता को काग्रेस की तरफ आकर्षित करन वाले महात्मा गाधी के व्यक्तित्व तथा कार्यक्रम के विश्लेषण की बात मैं नहीं कहता। महात्मा गाधी ने जिस प्रकिया की शुरुआत की, उसके फल देने का अब वक्त आ गया है। यह कैसे हो सकता है ? कई कृत्रिम तथा विषयेतर मुददे उठे हैं, जो करोडो गूगो

जनता को गलत दिशा दे सकते है, अलगाव और असतोष पैदा कर सकते है तथा विघटनकारी रुझानो को बढा सकते हैं। इनके खिलाफ हमारा हथियार दोतरफा है— एक तो राजनीतिक तथा दूसरा सामाजिक-आर्थिक। राजनीतिक पक्ष से हमे सकीर्ण साप्रदायिक कुचक्र के खिलाफ राष्ट्रवादी अपील पर जोर देना चाहिए।

हम सभी को राष्ट्र के पक्ष मे सोचना तथा महसूस करना चाहिए, एक समूह या सप्रदाय के रूप मे नहीं। सामाजिक-आर्थिक पक्ष के लिए हमे अपनी निरक्षर जनता को इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए कि धर्म, जाति और भाषा की विभिन्नताओ के बावजूद हमारी आर्थिक समस्याए और तकलीफे समान हैं जो तभी हल हो सकती हैं, जब हम स्वतत्र हो और हमारी सरकार वास्तव मे जनाकाक्षा की प्रतिनिधि राष्ट्रीय सरकार हो।

आर्थिक मुददो पर जोर देना बहुत आवश्यक है जो साप्रदायिक विभाजनो और बाधाओ को अलग-थलग कर देते हैं। गरीबी और बेरोजगारी, निरक्षरता और बीमारी, कराधान और कर्जदारी की समस्याए हिंदू, मुस्लिम तथा जनता के अन्य वर्गो को भी समान रूप से प्रभावित करती हैं और जनता को यह समझाना आसान है कि उनकी समस्याओ का समाधान राजनीतिक समाधान होने यानी राष्ट्रीय लोकप्रिय तथा लोकतात्रिक सरकार की स्थापना पर ही निर्भर करता है।

इन मुददो पर व्यवस्थित जन-प्रचार पर यदि जोर दिया जाता है, तो सभी धर्म और जातियो के लोगो को स्वराज के झडे तले लाना निश्चित हो जाएगा। जब लाखो की तादाद मे हमारी जनता काग्रेस मे आती है, तो उसी अनुपात मे काग्रेस की असरदारी और ताकत भी बढती है। तब सिर्फ इतनी बडी सदस्यता को सगठित और अनुशासित करने तथा स्वराज के भावी सघर्ष के लिए अपरिहार्य तकलीफ तथा त्याग की दृष्टि से उनको तैयार करने की समस्या शेष रह जाएगी।

फिर भी एक प्रासगिक सवाल रह ही जाता है, जिसका मै यहा जिक्र करना चाहूगा। व्यवस्थित तरीके से किए गए प्रचार के परिणामस्वरूप जो नए सदस्य काग्रेस मे आएगे, वे बेजुबान पशुओ की तरह नहीं होने चाहिए। यदि सदस्य पहल लेने मे असमर्थ हैं, तो वे जिन समितियो को बनाएगे, उनमे भी सक्रियता का अभाव रहेगा। इस तरह लोकतत्र असफल सिद्ध हो सकता है। भारत मे लोकतत्र की सफलता व्यक्तिगत पहल तथा सहायक काग्रेस समितियो की सक्रियता पर निर्भर करती है। यदि यह पहल ऊपर से होती है परतु निचले स्तर से नहीं होती, तो लोकतत्र प्राय सर्वसत्तावाद मे ही बदल सकता है। लेकिन हम इसलिए तो सक्रिय नहीं हैं। अत हमे याद रखना है कि व्यक्तिगत पहल को लगातार प्रोत्साहित तथा विकसित करना होगा और सहायक काग्रेस समितियो को हमेशा चौकस तथा सक्रिय रखना होगा।

फिलहाल हमारी आवश्यकताए तथा हमारे कर्तव्य वास्तव मे साधारण हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमें भगीरथ प्रयत्न करने होंगे। अवसर खोने का वक्त नहीं है, इसलिए हमे इसी क्षण से काम मे जुट जाना है।

यूरोपीय संकट विध्वंस का विश्लेषण

अक्तूबर 1938 में *'द कांग्रेस सोशलिस्ट'* में छपे हस्ताक्षरित लेख का पूरा पाठ

वर्तमान यूरोपीय संकट का विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न नजरिए से अध्ययन तथा व्याख्या किया जा चुका है। यहां पाठकों के लिए ऐसा ही एक अध्ययन प्रस्तुत है।

19 जनवरी 1938 को मैं प्राग से होकर गुजरा और चेकोस्लोवाक गणतंत्र के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. बेनेस द्वारा आतिथ्य का सौभाग्य मुझे मिला था। इससे पहले भी जब वे राष्ट्रपति मसारिक के शासनकाल में विदेशमंत्री थे, तब मुझे उनसे दो बार मिलने का सौभाग्य मिल चुका था। डॉ. बेनेस ने एक घंटे की बातचीत में मुझसे कहा था कि अब से पहले चेकोस्लोवाकिया ने स्वयं को इतना सुरक्षित कभी नहीं पाया। आम राय में डॉ. बेनेस यूरोप के सर्वाधिक चतुर राजनेता हैं लेकिन वे भी नहीं समझ पाए कि वे ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। वास्तव में हमारे बीच के कई चतुर लोग कभी कभी भारी गलती कर बैठते हैं। चेक मैगीनाट लाइन तथा नवविकसित वायुसेना ने राष्ट्रपति को सुरक्षित होने का भ्रम पैदा कर दिया था।

अगले दिन मैं वियना से होकर गुजरा। सब कुछ शांत था। जैसा कि आमतौर पर आस्ट्रिया में रहता है। शुशनिग आसानी से चांसलर बन गए लगते थे और उनके पीछे काले चोगेवाले पादरी तथा काली कमीज वाले फासीवादी लोग बिना कठिनाई के आस्ट्रिया का राज-काज चला रहे थे। इसका उन्हें बोध नहीं था कि कुछ ही महीनों में नाजी आस्ट्रिया में आने वाले हैं तथा उन आस्ट्रियाई समाजवादियों की तरह ही उनको कैदी बना दिया जाएगा जिनको उन्होंने जेल में डाल दिया था।

नाजियों ने इससे पहले ही वर्सेल्स-संधि को खत्म कर दिया था तथा सैन्यबल द्वारा रिनलैंड पर आधिपत्य के लिए कूच कर दिया था। फ्रांस की गुप्तचर सेना ने फ्रांस सरकार को सूचना दी कि रेश्हेर (जर्मन सेना) को हिटलर का संदेश निर्देश मिला है कि फासीसी सेना यदि जर्मनी पर आक्रमण करती है तो रेश्हेर को पीछे लौट जाना है तथा युद्ध को टाल देना है। ब्लम के पास हिटलर के धौंस का जवाब देने की सामर्थ्य नहीं थी।

आस्ट्रिया की स्वतंत्रता को महाशक्तियों द्वारा मान्यता मिल चुकी थी। लेकिन जब नाजियों ने आस्ट्रिया पर आक्रमण किया और अधिकार जमा लिया तब किसी के पास विरोध दर्ज करने तक का साहस नहीं था। जुलाई 1934 में डाल्फस की हत्या के बाद इटली ने जर्मनी को आस्ट्रिया में घुसने पर आक्रमण की धमकी दे दी थी लेकिन 1938 में इटली पूरी तरह बदल गया था। फिर एक आश्चर्य यह भी घटित हुआ कि कुछ ही महीनों में आस्ट्रिया को हथियाने के बाद भी संतुष्ट न हो पाए जर्मनी ने सेडेटनेलैंड को

भी अपने अधिकार में ले लेना चाहा। एक बार फिर हिटलर ने सोचा कि कोई भी उसकी धौंस को चुनौती देने का साहस नहीं करेगा। हिटलर का फिर आक्रमण का इरादा क्यों बना ? उसे मालूम था कि इटली इसका विरोध नहीं करेगा तथा महाशक्तियां उसके साथ युद्ध का जोखिम नहीं उठाएंगी। उनकी खासतौर पर इग्लैंड की, युद्ध सामग्री तैयार नहीं थी। इसलिए अभी या कभी नहीं हिटलर का आदर्श वाक्य बन गया।

यह बात फैली कि चेम्बरलिन जब हवाई जहाज से हिटलर से मिलने गए, तो वह चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण की तैयारी कर चुका था। यह प्रक्षेपित आक्रमण एक धोखा था या सच्चाई ? यदि आप मुझसे पूछे, तो मैं यही कहूंगा कि यदि जर्मनी को अपने खिलाफ ग्रेट ब्रिटेन की व्यूह रचना का पता होता, तो उसने युद्ध का जोखिम कभी न उठाया होता। इसलिए मेरी समझ से ब्रिटेन के राजनेताओं को या तो हिटलर ने मूर्ख बनाया या उन्होंने जानबूझकर इस महाद्वीप पर जर्मन प्रभुत्व की सहायता की। हिटलर के सामने अंग्रेजों के समर्पण का अर्थ था एंग्लो फ्रेंच मैत्री की जगह एंग्लो-जर्मन मैत्री की अप्रत्यक्ष प्रतिस्थापना। कैबिनेट में फ्रांस समर्थक खेमे को कैबिनेट के जर्मन समर्थक खेमे ने बेदखल कर दिया था। लेकिन फ्रांस ने इस ब्लैकमेल के सामने समर्पण क्यों किया ? यह ऐसा सवाल है, जिसका जवाब देना मेरे लिए कठिन है। महायुद्ध के बाद महाद्वीप पर फ्रांसीसी प्रभुत्व रातों-रात खत्म हो गया है और फ्रांस अब द्वितीय श्रेणी की यूरोपीय शक्ति हो चुका है। मैं नहीं सोचता था कि फ्रांसीसी साम्राज्यवादी बिना लड़े ही हार मान जाएंगे और फ्रांसीसी समाजवादी क्यों आदेश पालन के लिए तैयार हो गए ? मुझे लगता है कि वे हीन-ग्रंथि के शिकार हैं। इसीलिए वे हिटलर के सामने टिक नहीं सके। वे ब्लम युद्ध के आसार से इतना डर गए कि सही कदम नहीं उठा पाए।

लेकिन फ्रांस चेकोस्लोवाकिया को और उसी वक्त युद्ध को भी रोक सकता था। फ्रांस ने हठपूर्वक ब्रिटेन तथा जर्मनी से चेकोस्लोवाकिया के प्रति अपनी पक्षधरता जाहिर की होती, तो रूस भी साथ देता और चूंकि ब्रिटेन की सरहदें अब रिने तक हैं, इसलिए उसने फ्रांस को कभी धोखा नहीं दिया होता। यूरोप से अभी हाल में लौटे एक दोस्त से पता चला है कि बेल्जियम में युद्ध की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। इस तरह 1914 के इतिहास ने स्वयं को दुहराया होता। मैं नाजी जर्मनी के बारे में भली-भांति जानता हूं कि 1914 जैसी स्थिति के सामने नाजी हिम्मत हार गए होते।

मेरी यह सुविचारित मान्यता है कि यदि ब्रिटेन ने फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया के साथ रहने के आसार का किंचित् भी संकेत जर्मनी को दिया होता, तो यही संकेत चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करने की अपनी सारी योजनाएं छोड़ने के लिए हिटलर को बाध्य करने की खातिर पर्याप्त हुआ होता।

ब्रिटेन तथा फ्रांस के धोखे के सामने चेकोस्लोवाकिया क्या कर पाया ? लगता है कि यदि उसने जर्मन-आक्रमण का सामना किया होता तो फ्रांस और रूस ने अंतत ग्रेट

ब्रिटेन को भी जंग के मैदान में ला दिया होता। लेकिन अंततः यह एक अनुमान-मात्र ही है। डॉ बेनेस की नजरों के सामने अबिसीनिया की नियति थी। शायद उन्होंने सोचा कि नेगस जैसे व्यावहारिक राजनेता के लिए होएर-लावाल-संधि के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेना ही बेहतर होता। यही वजह है कि उन्होंने स्डेटनलैंड को जर्मनी को समर्पित कर दिया और पोलैंड तथा हंगरी को खुश करने के बाद अपने देश के बाकी बचे भाग से ही संतोष कर लिया। हम लोगों ने जो अभी-अभी देखा, वह नाटक का पहला दृश्य है-संभवतः जिसका अंत चार शक्तियों की संधि, फ्रांस की जीत तथा यूरोपीय राजनीति से रूस के निष्कासन के साथ ही होगा। सारे यूरोप के फासीवादी राजनेताओं की किसी कीमत पर यही योजनाएं हैं। क्या वे सफल होंगे ? कौन बता सकता है ?

एक बात साफ है। यदि सोवियत रूस वापसी चाहता है तो उसे सबसे पहले महाशक्तियों को यह समझाना होगा कि उसकी युद्ध तकनीक भी उतनी ही शक्तिशाली है, जितनी फ्रैंको-सोवियत-संधि में लावाल के दरार डालने के वक्त थी।

कमाल अतातुर्क के बारे में

नवंबर 1938 में तुर्की के नेता के निधन पर श्रद्धांजलि

महायुद्ध से निकले स्वप्नद्रष्टाओं में कमाल पाशा निःसंदेह सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में से एक थे। प्रसिद्धि तथा लोकप्रियता की ओर उनकी आश्चर्यजनक उन्नति सचमुच इतिहास में दुर्लभ है। इसके बावजूद कमाल पाशा स्वप्नद्रष्टा या विजयी नायक से अलग भी बहुत कुछ थे। एक ही समय में वे एक चतुर व्यूहनीतिज्ञ तथा प्रखर कूटनीतिज्ञ थे। जीवन में उनकी जो अपूर्व सफलता थी, वह उनके दिलोदिमाग की बहुस्तरीय खूबियों के अद्वितीय मेल के बिना संभव न होती। कमाल पाशा सिर्फ अनातोलिया के युद्धस्थल में ही क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के क्षेत्र में भी वे क्रांतिकारी थे।

इस उक्ति के वे उत्कृष्ट उदाहरण थे कि जो मुक्ति के लिए लड़ते हैं तथा उसे पाते हैं उनको ही युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के कार्यक्रम लागू भी करना चाहिए। जनरल, कूटनीतिज्ञ, समाज सुधारक, राजनेता, योद्धा तथा निर्माता कमाल पाशा या कमाल अतातुर्क निःसंदेह इस शताब्दी के महानतम व्यक्तियों में से थे। यूरोपीय शक्तियों के जबड़ों से अपने देश को बचा लेने और पुराने ऑटोमन साम्राज्य के अवशेषों पर नए तुर्की का निर्माण करने का श्रेय उन्हीं को है। अब यूरोपीय शक्तियां यदि फिर कभी एशिया को उजाड़ने की कोशिश करती हैं तो कमाल का तुर्की हमारे महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा करेगा। ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व की मृत्यु सारी दुनिया, खास तौर पर हमारे जैसे दलित तथा शोषित देशों को गहराई से उद्वेलित कर सकती है।

मानवता और स्वतंत्रता के इस महान पुजारी के प्रति अपनी सम्मानजनक श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। इसलिए मैं राय देना चाहता हूं कि आगामी 19 नवंबर को 'कमाल दिवस' मनाया जाए तथा इस अवसर का उपयोग ऐसी बैठकें करने में किया जाए जिनमें कमाल अतातुर्क की स्मृति में सम्मानजनक श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा उनके प्रिय देश के स्वाधीन जनता को मित्रवत शुभकामनाएं और उनके राष्ट्रीय शोक में अपनी हार्दिक सहानुभूति देने के प्रस्तावों को पारित किया जा सके।

राष्ट्रीय योजना समिति

17 दिसंबर, 1938 को बंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति की पहली बैठक पर उद्घाटन भाषण

शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुभाषचंद्र बोस ने देश में औद्योगिक संभावनाओं का एक खाका खींचा तथा समिति द्वारा इस बात पर नजर रखे जाने के लिए जोर दिया कि देश के औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए राय देते वक्त लघु ग्रामीण उद्योगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था

पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान खास क्षेत्रों, विशेषकर अखिल भारतीय बुनकर संघ तथा अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ के तत्वावधान में क्रमशः खादी उत्पादन तथा कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए 1921 से चल रहे आंदोलन पर हमारी औद्योगिक योजना के प्रयासों के संभावित प्रभाव के बारे में मेरी एक खास समझ बनी है। याद किया जा सकता है कि दिल्ली में मैंने अपने उद्घाटन भाषण में ही कुटीर तथा बड़े उद्योगों के बीच कोई अंतर्निहित द्वंद्व न होने की बात की थी। तथ्यों के आधार पर मैंने उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा था– कुटीर उद्योग, मध्यम तथा बड़े उद्योग। मैंने ऐसी योजना की गुजारिश भी की थी जो इन तीनों श्रेणियों के लिए अवसर जुटाए। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय योजना आयोग में भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ के प्रतिनिधि के लिए हमने एक सीट आरक्षित कर दी है और ऐसी ही एक और सीट की व्यवस्था राष्ट्रीय योजना समिति में भी हो सकती है। यह निश्चित ही अत्यंत अन्यायपूर्ण होगा, यदि लोग ऐसा कहें या समझें कि राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रवर्तक ही कुटीर उद्योग के पुनरुद्धार के आंदोलन असफल कर देंगे।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है या उसे जानना चाहिए कि यूरोप और एशिया के औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित देशों जैसे जर्मनी और जापान में भी काफी संख्या में कुटीर उद्योग अच्छी दशा में चल रहे हैं। फिर हमें अपने देश के संबंध में ऐसी कोई

बात क्यो सोचनी चाहिए ?

मुझे कुछ बाते कुटीर तथा बडे उद्योगो के सबधो पर कहनी हैं। बडे उद्योगो के बीच मूल उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है क्योकि ये उत्पादन के साधनो का उत्पादन करते हैं। वे शीघ्र तथा सस्ते उत्पादन के लिए कारीगरो के हाथो मे जरूरी उपकरण तथा औजार थमा देते हैं। उदाहरणस्वरूप यदि बनारस शहर म प्रति यूनिट आधा आना की दर से बिजली के साथ विद्युतचालित करघो की आपूर्ति की जाए, तो कारीगरो के लिए अपने घरो मे ही विभिन्न तरह की साडियो तथा कशीदाकारी किए गए वस्त्रो का वर्तमान उत्पादन दर से पाच-छह गुना अधिक उत्पादन करना सभव हो सकता है और यह उनको इस तरह के विदेशी सामानो के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने मे सक्षम बनाएगी। एक अच्छे विपणन सगठन तथा कच्चे मालो की आपूर्ति हेतु सगठन के साथ ही ऐसे कदमो के जरिए इन कारीगरो को उस गरीबी और दरिद्रता से बाहर निकाला जाए, जिसमे ये फसे हुए हैं।

सिर्फ यही इकलौता उदाहरण नहीं है जिसे मे बता सकता हू। यदि राष्ट्र की भलाई के लिए राज्य द्वारा ऊर्जा उद्योग तथा कल-पुर्जा-निर्माण उद्योगो का नियत्रित कर लिया जाता है तो इस देश मे परिवार के साथ एक इकाई की तरह काम करते हुए कारीगर वर्ग से पुरुषो द्वारा साइकिलो फाउटेनपेन तथा खिलोना के निर्माण जैसे हल्के उद्योग शुरू किए जा सकते हे। यही काम जापान मे हुआ हे। सफलता पूरी तरह इसी तथ्य पर निर्भर करती है कि बिजली तथा कल-पुर्जे काफी सस्ते हो। जापानी सरकार ने कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति तथा सुव्यवस्थित विपणन के लिए बोर्ड गठित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि अपने देश के रेशम उद्योग के पुनरुद्धार के लिए भी सिर्फ यही एक रास्ता है।

राष्ट्रीय योजना समिति को खास किस्म की समस्याओ का समाधान निकालना होगा। इसे पहले मूल उद्योगो की तरफ ध्यान देना होगा— यानी ऊर्जा उद्योग, धातु-उत्पादन के लिए भारी रसायन , मशीनरी कल-पुर्जो के उद्योगो तथा रेलवे, तार दूरभाष और रेडियो जैसे सचार उद्योगो की स्थापना करनी होगी जिनसे अन्य उद्योग सुचारू रूप से चलते है।

औद्योगिक रूप से विकसित अन्य देशो की तुलना मे हमारा देश ऊर्जा आपूर्ति के मामले म पिछडा हे, खासतौर पर विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र म हिंदुस्तान के पिछडेपन का आकलन महज इस तथ्य से किया जा सकता ह कि हमारे पास जब अभी प्रति व्यक्ति सिर्फ सात यूनिट ही बिजली है, तो मेक्सिको जैसे पिछडे देश मे प्रति व्यक्ति 96 यूनिट बिजली उपलब्ध है। विद्युत ऊर्जा के विकास मे सरकार ने फिजूलखर्ची की है। मडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना का उदाहरण ले, जिस पर सरकार ने दूसरे देशो की ऐसी योजनाओ पर हुए खर्च से दस गुना अधिक खर्च किया है। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता

हू कि युद्ध या किसी अन्य कारण से विदेशों से सचार मे आए व्यवधान के चलते आपूर्ति के सबध म कल-पुर्जों के निर्माण की जाच की जा सकेगी। ईंधन उद्योग धातु-उत्पादन तथा भारी रसायन उद्योग जैसे मूल उद्योगो की भी जाच शुरू करनी चाहिए। इस तरह देश के स्रोतो को व्यवस्थित तरीके से परखा नहीं गया है और जो थोडे बहुत उद्योग हैं, वे भी विदेशियो के नियत्रण मे हैं, जिससे काफी क्षति हो रही है– खासतौर से ईंधन उद्योग के लिए तो यह एकदम सच है।

अतिम मूल उद्योग है– परिवहन तथा सचार– जिसमे रेलवे, भाप से चलने वाले जहाज, विद्युत, सचार रेडियो इत्यादि शामिल हैं। रेलवे फिलहाल रेलवे बोर्ड के नियत्रण मे है। यह रेलवे बोर्ड पूरी तरह से यूरोपीय प्रबधन के अतर्गत है तथा रेलवे की आवश्यकताओ का सिर्फ छोटा-सा हिस्सा ही देश मे तैयार किया जाता है। समुद्रतटीय ट्रैफिक को छोड कर वाष्पचालित नौपरिवहन के मामले मे सारा सचार अनुचित तौर पर गैर-हिंदुस्तानियों के हाथो मे है। विद्युत सामग्री की आपूर्ति तो पूर्णत विदेशो से होती है। जहा तक रेडियो की बात है मैं इस बारे मे दूसरी समावनाओ की जाच करने वाली विशेष उपसमितियो के गठन का सुझाव देना चाहूगा।

अत मे हम अपनी औद्योगीकरण की योजना के लिए आवश्यक धन तथा कर्ज जुटाने की सबसे महत्वपूर्ण समस्या की तरफ ध्यान देना होगा। जब तक यह समस्या हल नहीं हो जाती सभी योजनाए सिर्फ कागजी कार्यवाही बन कर रह जाएगी और हम अपनी औद्योगिक प्रगति मे एक कदम भी आगे नहीं बढ पाएगे।

न्यूनतम सुस्पष्ट कार्यक्रम

17 जनवरी 1939 को बबई से जारी वक्तव्य का पाठ

पिछले कुछ महीनो से जो कुछ मैं कह रहा हू उसमें जोडने के लिए मेरे पास कुछ खास नया नहीं है। आज जब मैं देश की स्थिति का विश्लेषण करता हू, तो दक्षिणपथ का सविधानवाद की तरफ झुकाव पाता हू, जबकि वामपथ का झुकाव गैर-जिम्मेदारी तथा अस्पष्टता की तरफ है।

सरकार मे शामिल होने से निस्सदेह काग्रेस की शक्ति तथा प्रतिष्ठा बढी है। लेकिन साथ ही इसने राष्ट्रीय चरित्र में कमजोर तत्वो को महत्वपूर्ण बनाने मे मदद की है। मैं देखता हू कि आज तमाम लोग हैं जो आगे की लडाई को लडे बिना ही पूर्ण स्वराज के हमारे लक्ष्य की ओर बढने का सपना देख रहे हैं और इस बारे मे सोच रहे हैं।

काग्रेस को एक सुरक्षित सगठन समझने वाले अथवा समस्याओं के अपने-अपने

समाधान रखने वाले अन्य लोग भी अब काग्रस मे आ रहे है। इसस विभिन्न प्राता ग पाए जाने वाले फर्जी सदस्यो का नामाकित करने की प्रवृत्ति का भी काफी बल मिलेगा।

वामपक्ष की तरफ देखता हू, तो मैं पाता हू कि वहा कई क्षुद्र मतभेद तथा आपत्तिया हैं। काग्रेस के वामपथी तत्व पिछले कुछ महीनो के दौरान आग बढने की जगह मैदान छोड चुके हैं। खास अवसरो पर सदस्य इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि व अपने आलोचको को यह विश्वास दिलाना चाहते है कि वे चाहे या अनचाहे हिसा को बढावा दे रहे हैं।

निश्चित तौर पर मेरी यही मान्यता है कि पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की तरफ बढने के क्रम मे इस अवसर को खोना नहीं चाहिए, क्योकि एक राष्ट्र के जीवन म ऐसा अवसर दुर्लभ होता है। इस मोड पर जहा तक सभव हो सके वामपथ के साथ सहयाग करना चाहिए। लेकिन जब वे इतने असगठित और अनुशासनहीन है तो सहयाग क्या कर सकते हैं ? वामपथ म आस्था रखने वाले विचार करेगे कि एक सुस्पष्ट कार्यक्रम के आधार पर काग्रेस मे मौजूद सभी अतिवादी तत्वो को सगठित तथा अनुशासित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाए। जब वे सगठित और अनुशासित हो जाएगे तब व पूर्ण स्वराज के कार्य मे दक्षिणपथ को सही सहयोग देने के योग्य हो पाएगे।

हमारी सबसे पहली जरूरत है कि सभी काग्रेसी एक आवाज म बोले तथा एक इच्छाशक्ति से सोच-विचार करे। मुझे दुख है कि अभी हाल म कुछ काग्रसी सदस्यो मे काग्रेस के सघ-प्रस्ताव का दृढता स विरोध करने का असर कम करने की प्रवृत्ति पनप रही है। मैं इस एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हू कि किसी काग्रेसी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मै आशा करता हू कि ऐसा कोई भी प्रयास भविष्य मे नहीं किया जाएगा। मैं यह भी आशा करता हू कि ऐसे गैर-जिम्मेदार व्यक्तियो द्वारा अग्रेज सरकार को दी गई किसी भी बिना मागी सलाह स कोई भी किसी गलतफहमी मे नहीं पडेगा।

मै कहना चाहूगा कि यदि सघीय योजना जबरदस्ती लागू होती है तो इस मोर्चे पर एक लडाई शुरू हो जाएगी और यदि ऐसी लडाइ शुरू होती है तो मुझे विश्वास है कि यह ब्रिटेन-शासित हिंदुस्तान की जनता तक ही सीमित नहीं रहेगी। फिर भी हम इस स्थिति तक पहुच चुके है, जहा मुख्य समस्या यह नहीं है कि सघ से कैसे जुडा जाएगा बल्कि यह है कि, यदि इस सघ को पूरी तरह हमारे ऊपर लाद दिया जाता है या इसका प्रवर्तन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तब हमे क्या करना चाहिए। यह सिर्फ मरी ही सोच नहीं है कि सघीय योजना को पूरी तरह से ताक पर रख दिए जाने की हर सभावना है बल्कि हाल मे ऐसी ही सोच की तरफ लार्ड मेस्टन ने भी इशारा किया है। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का त्रिपुरी काग्रेस मे उचित जवाब मिल जाएगा। इस मसले पर मेरी निजी सोच बिल्कुल साफ है और मैं इसकी चर्चा पहले ही कर चुका हू। बिना सघर्ष के आजादी नहीं मिल सकती- ईमानदारी से ऐसा सोचने वाले लोग काग्रेस

के मूल सिद्धातो के अनुसार भावी विकास के लिए इसे हर तरह से तैयार करना अपना पुनीत कर्तव्य समझेग। इसका अर्थ न्यूनतम सुस्पष्ट कार्यक्रम के आधार पर काग्रेस मे महान सेवा, त्याग, आत्मशुद्धि और सभी क्षुद्र मतभेदो का खात्मा तथा साम्राज्यविरोधी तत्वो का सगठन होगा। ऐसे सगठन एक तरफ भौतिक रूप से धारा को सविधानवाद की तरफ मोडने मे सहायक होगे, तो दूसरी तरफ गैर-जिम्मेदारी तथा अनिर्णय की ओर।

त्रिपुरी अध्यक्षीय चुनाव बहस

वक्तव्य तथा प्रति-वक्तव्य, 21 जनवरी से 4 फरवरी, 1939

सुभाषचंद्र बोस का पहला वक्तव्य

21 जनवरी, 1939

मौलाना अबुल कलाम आजाद के अलग होने से बनी परिस्थिति मे तथा उनके द्वारा जारी वक्तव्य का पठन के बाद मेरे लिए अध्यक्षीय चुनाव के बारे मे कुछ कहना जरूरी हो जाता है। इस मुद्दे पर चर्चा करते वक्त झूठी शालीनता की सारी समझ एक तरफ रख देनी होगी, क्योंकि यह मुद्दा व्यक्तिगत किस्म का नहीं है। भारत की साम्राज्य-विरोधी प्रगतिशील धार तेज होने से नए विचारो, सिद्धातो, समस्याओ तथा कार्यक्रमों का जन्म हुआ है। परिणामस्वरूप जनता लगातार इस सोच की तरफ मुड रही है कि अन्य स्वतत्र देशो की तरह भारत मे भी अध्यक्ष का चुनाव निश्चित समस्याओ तथा कार्यक्रमो के आधार पर लड़ा जाना चाहिए, ताकि मुकाबले से मुद्दो को स्पष्ट करने मे मदद मिल सके तथा जनता की सोच का साफ सकेत प्राप्त हो। ऐसी परिस्थितियों मे कोई चुनावी मुकाबला अवाछनीय नहीं हो सकता।

अब तक मुझे किसी भी प्रतिनिधि की तरफ से मुकाबले से हटने को लेकर कोई सलाह या सुझाव नही मिला है। इसके विपरीत मेरी जानकारी या सहमति के बिना ही कई प्रातो से एक उम्मीदवार के तौर पर मेरा नामाकन हो चुका है। देश के विभिन्न इलाको से समाजवादी तथा गैर-समाजवादी दोनों ही समान रूप से मुझसे सेवानिवृत्त न होने का अनुरोध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक आम भावना भी दीखती है कि मुझे एक और सत्र के लिए पद पर बने रहना चाहिए। यह सभव है कि मेरी यह धारणा सच न हो और प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा मेरा चुनाव चाहा न जाए, लेकिन यह 29 जनवरी को मतदान के दौरान ही सत्यापित होगा, उससे पहले नहीं।

एक कार्यकर्ता के नाते मेरी स्थिति पूरी तरह साफ है। मुझे किस तरह कार्यरत

रहना चाहिए यह बताना मेरा काम नहीं है। यह मसला मेरे देशवासियो तथा इस खास मामले मे मेरे साथी प्रतिनिधियों द्वारा तय होना है, लेकिन यदि किसी खास काम के लिए मुझे आदेश मिले, तो मुझे उस काम से इकार का कोई अधिकार नही है। सौंपे गए उत्तरदायित्व से यदि मैं भी चुराता हू, तो मैं वास्तव मे अपने काम मे ही असफल रहूगा। बढते अन्तर्राष्ट्रीय सकट तथा सघ के सवाल पर भावी सघर्ष के दृष्टिकोण से नववर्ष हमारे राष्ट्रीय इतिहास मे यादगार बनेगा। इस तथ्य तथा अन्य कारणो से यदि प्रतिनिधियो का बहुमत मुझे पद पर बनाए रखना चाहता है तो फिर मैं किस आधार पर मुकाबले से हट सकता हू ? जब किसी भी कीमत पर यह मुद्दा व्यक्तिगत नहीं है तो भी यदि मौलाना आजाद जैसे प्रमुख नेताओ की अपील के परिणामस्वरूप प्रतिनिधियो का बहुमत मेरे पुनर्निर्वाचन के खिलाफ मतदान करता है तो मैं निष्ठापूर्वक उनके निर्णय को स्वीकार करूगा और काग्रेस तथा देश के आम सिपाही की तरह सेवा करता रहूगा। इन सभी विचारो की दृष्टि से मैं यह महसूस करने के लिए बाध्य हू कि मेरे पास इस मुकाबले से हटने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं नि सकोच स्वय को अपने साथी प्रतिनिधियो के सामने रखता हू और मैं उनके निर्णय को स्वीकार करूगा।

24 जनवरी 1939 को काग्रेस कार्यसमिति के सदस्य वल्लभभाई पटेल तथा शरत चद्र बोस के बीच तार-सदेशो का आदान-प्रदान

1 पटेल द्वारा बोस के लिए

सुभाष बाबू के वक्तव्य को महसूस किया। अध्यक्ष के चुनाव के लिए इस साल पुनर्निर्वाचन को अनावश्यक मानने वाले कार्यसमिति सदस्यो के प्रतिवक्तव्य की जरूरत है। सक्षिप्त वक्तव्य तैयार है। इसके मुताबिक पुनर्निर्वाचन खास परिस्थितियो मे ही सभव है। सुभाष बाबू के पुनर्निर्वाचन के लिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। यह सुभाष बाबू के सघ आदि के बारे मे दावे का खडन करता है और बताता है कि कार्यक्रम और नीतिया अध्यक्ष द्वारा नहीं तय होतीं, बल्कि काग्रेस या कार्यसमिति द्वारा तय होती हैं। प्रतिवक्तव्य निर्वाचन के लिए डॉ पट्टाभि की सिफारिश करता है और सुभाष बाबू से अध्यक्षीय निर्वाचन के सवाल पर काग्रेसियो मे विभाजन न करने की अपील करता है।

2 बोस द्वारा पटेल के लिए

इसी सुबह तार मिला। सिलहट से यात्रा के दौरान मौलाना तथा सुभाष का बयान पढा। मेरी दृष्टि से मौलाना के हटने के बाद डॉ पट्टाभि की बात करना आपत्तिजनक होगा। 1937 की अपेक्षा आने वाला साल हर दृष्टि से अधिक सकटपूर्ण और खास है। मैं पूरी समझ से महसूस करता हू कि सहकर्मियो के बीच मुकाबले मे कार्यसमिति के किसी सदस्य को पक्षधरता नहीं करनी चाहिए। आपका प्रस्तावित बयान वामपथी तथा दक्षिणपथी खेमो के बीच मनमुटाव बढाएगा जिसे टाला जाना चाहिए। भावी सघर्ष मे डॉ पट्टाभि देश के आत्मबल को प्रेरित नहीं करेंगे। कृपया काग्रेस को न बाटें।

3 पटेल द्वारा बोस के लिए

आपके तार-सदेश की प्रशसा करता हू— वक्तव्य के पीछे और कुछ नही, बल्कि कर्तव्य की भावना है। व्यक्तियो के बीच मतभेद नहीं है बल्कि सिद्धातो के बीच है। यदि मुकाबला अपरिहार्य है तो आशा करता हू कि यह कटुता तथा उददेश्यो पर लाछन के बिना सफल हो। देश के लिए पुनर्निर्वाचन हानिकारक होगा।

अखिल भारतीय काग्रेस की कार्यसमिति के सदस्य सर्वश्री वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, जयराम दास, दौलत राम, जे बी कृपलानी, जमनालाल बजाज, शकरराव देव तथा भूलाभाई देसाई का वक्तव्य

24 जनवरी, 1939

हमने सुभाषबाबू के वक्तव्य को यथायोग्य सावधानी बरतते हुए पढ़ा है। जहा तक हम जानते हैं अब तक अध्यक्षीय चुनाव निर्विरोध हुए हैं। सुभाषबाबू ने एक नई मिसाल रखी है, जिसका उन्हे पूरा अधिकार था। उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की अक्लमदी सिर्फ अनुभव से ही समझ मे आती है। इस बारे मे हमे काफी सदेह है। काग्रेस के अध्यक्षीय चुनाव को विवादग्रस्त बनाने से पहले हम काग्रस के पक्ति-क्रम की पहले से अधिक एकजुटता, एक दूसरे के दृष्टिकोणो के प्रति पहले से अधिक सहनशीलता तथा अधिक सम्मान के लिए प्रतीक्षा कर सकते थे। वक्तव्य पर कुछ भी कहने से हम प्रसन्नतापूर्वक बच सकते हैं। लेकिन हम महसूस करते हैं कि जब हम भावी चुनाव के बारे मे पक्के विचार रखते हैं तो फिर हम अपने स्पष्ट कर्तव्य को भी नजरअदाज करेगे।

यह हमारे लिए गहन दुख का विषय है कि मौलाना साहब ने मुकाबले मे हटने की बात को वापस बुला लेने की तरह लिया है। लेकिन जब वह अंतिम तौर पर हटने की बात सोच चुके हैं, तो उन्होने हम लोगो से राय-मशविरे के दौरान डॉ पट्टाभि के निर्वाचन की वकालत की है। यह निर्णय काफी विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। हम मानते हैं कि ऐसा किन्हीं खास परिस्थितियो के बिना उसी अध्यक्ष का पुनर्निर्वाचन न करने के नियम से बधे रहने की स्पष्ट नीति के नतीजतन है।

अपने वक्तव्य मे सुभाषबाबू ने सघ के प्रति अपना विरोध दर्ज किया है। इस विरोध मे कार्यसमिति का हर सदस्य शामिल है। उन्होने विचारधाराओ, नीतियो तथा कार्यक्रमो का भी जिक्र किया है। हम समझते हैं कि ये सब बाते काग्रेस अध्यक्ष के चयन के विचारार्थ प्रासगिक नहीं हैं।

काग्रेस की नीति और कार्यक्रम इसके क्रमिक अध्यक्षो द्वारा तय नहीं होते हैं। यदि ऐसा होता, तो पद-भार सविधान को एक वर्ष के लिए ही सीमित नहीं करता। काग्रेस की

नीति तथा कार्यक्रम स्वय काग्रेस द्वारा भी नहीं बल्कि कार्यसमिति द्वारा तय होते हैं। काग्रेस मे अध्यक्ष की स्थिति वस्तुत सभापति जैसी होती है। इसके अतिरिक्त, सवैधानिक राजतत्र की तरह यह राष्ट्र की एकता तथा अखडता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह पद एक बडे सम्मान की तरह ठीक ही देखा जाता है और इस तरह राष्ट्र वार्षिक निर्वाचनो के जरिए इस सम्मान को अपने राष्ट्र के अधिक से अधिक सपूतो को देने के लिए वचनबद्ध है। निर्वाचन- जैसा कि इस ऊचे पद की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त भी है- हमेशा ही निर्विरोध रहा है। चुनाव के मामले मे कोई भी विवाद चाहे वह नीतियो और कार्यक्रमो पर ही आधारित हो निदनीय है। हमे विश्वास है कि डॉ पटटाभि काग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वह कार्यसमिति के वरिष्ठतम सदस्यो मे से एक है तथा जनसेवा का एक लबा और अखड रिकार्ड भी उनके नाम है। अत इस चुनाव के लिए हमलोग काग्रेस प्रतिनिधियो से उनके नाम का अनुमोदन करते है। उनके सहयोगी के नाते सुभाषबाबू से भी हमलोग आग्रह करते हैं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और डॉ पटटाभि सीतारमैया के निर्वाचन को निर्विरोध सम्पन्न होने दे।

सुभाषचद्र बोस का दूसरा वक्तव्य

25 जनवरी,1939

मेरे लिए कार्यसमिति के अपने कुछ विशिष्ट सहकर्मियो के साथ सार्वजनिक विवाद मे उलझना काफी पीडादायक मामला है। लेकिन जैसी समस्या मौजूद है इस सदर्भ मे मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इसी महीने की 21 तारीख को जारी मेरा बयान मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के वक्तव्य के प्रतिक्रियास्वरूप है और अब मैं जो कह रहा हू, वह सरदार पटेल तथा अन्य नताओ के चुनौती भरे वक्तव्यो का आवश्यक जवाब है। इस सार्वजनिक विवाद की शुरुआत की जिम्मेदारी मेरी नहीं बल्कि मेरे खास सहकर्मियो की है। कार्यसमिति के दो सदस्यो के बीच चुनावी मुकाबले मे अन्य सदस्यो द्वारा सगठित तरीके से पक्षधरता करने की उम्मीद कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा क्योकि वह स्पष्टत उचित नहीं है। सरदार पटेल और अन्य सदस्यो ने अखिल भारतीय काग्रेस कार्यसमिति के सदस्यो के नाते वक्तव्य जारी किया है व्यक्तिगत तौर पर काग्रेसियो के नाते नहीं। मैं पूछता हू कि जब कार्यसमिति मे इस सवाल पर कभी बातचीत न हुई तो क्या यह उचित है कि वक्तव्य मे हमे पहली बार बताया जाए कि डॉ पटटाभि के निर्वाचन का समर्थन देने का निर्णय काफी विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। न तो मुझे और न मेरे सहकर्मियो को ही इस विचार-विमर्श या निर्णय की कोई समझ है और न कोई जानकारी। काश ! हस्ताक्षर करने वालो ने कार्यसमिति के सदस्यों के नाते नहीं बल्कि

व्यक्तिगत हैसियत से कांग्रेसियों के नाते वक्तव्य जारी किया होता।

यदि अध्यक्षीय चुनाव को अपने नाम के अनुरूप ही 'चुनाव' होना है, तो बिना किसी नैतिक दबाव के मतदान की स्वतत्रता होनी चाहिए। लेकिन क्या इस तरह के वक्तव्य नैतिक दबाव के बराबर नहीं हैं ? यदि अध्यक्ष का प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन होना है, कार्यसमिति के प्रभावशाली सदस्यों द्वारा उसे मनोनीत नहीं होना है, तो क्या सरदार पटेल तथा अन्य नेता अपना व्हिप वापस ले लेंगे और मतदान का मामला प्रतिनिधियों की मर्जी पर छोड़ देंगे ? यदि प्रतिनिधि अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करते हैं, तो चुनावी मुकाबले के सदर्भ मे जरा भी सदेह नहीं रह जाएगा- अन्यथा चुनाव प्रक्रिया को ही क्यों न खत्म कर दिया जाए और अध्यक्ष को कार्यसमिति द्वारा मनोनीत होने दिया जाए ?

मेरे लिए यह खबर है कि खास परिस्थितियों के बिना कोई व्यक्ति पुनर्निर्वाचित नहीं होगा- ऐसा नियम है। यदि कांग्रेस का इतिहास देखें तो हम पाते हैं कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक बार चुना गया है। मुझे इस टिप्पणी पर भी आश्चर्य है कि अब तक अध्यक्षीय चुनाव निर्विरोध हुए हैं। मुझे याद है कि मैंने कई अवसरों पर एक की तुलना मे दूसरे उम्मीदवार के पक्ष मे मतदान किया है। सिर्फ इधर के वर्षों मे चुनाव निर्विरोध हुए है।

1934 में कांग्रेस के नए सविधान को अपनाने के बाद कार्यसमिति, कम-से-कम सैद्धांतिक रूप से सही अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होती रही है। इसी वर्ष से कांग्रेस अध्यक्ष का महत्व पहले से बड़े स्तर का हो गया है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष और इसके चुनाव को लेकर नई परपराओं का उदय होना लाजिमी है। अब अध्यक्ष का महत्व किसी बैठक के सभापति के समान नहीं रहा। अध्यक्ष सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रधानमत्री या राष्ट्रपति जैसा है, जो अपने कैबिनेट का मनोनयन करता है। कांग्रेस अध्यक्ष को सवैधानिक राजा बताना बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहूंगा कि नीति और कार्यक्रम के सवाल अप्रासगिक नहीं है। अगर 1934 के कांग्रेस के बाद वामपथी तथा दक्षिणपथी खेमो के समर्थन से हर समय एक वामपथी अध्यक्ष नहीं बना होता, तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के सदर्भ मे ये सवाल काफी पहले सामने लाए जा चुके होते। इस साल इस प्रक्रिया से हटना और एक दक्षिणपथी उम्मीदवार को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप मे लाना बिना मतलब नहीं है। यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि अगले वर्ष के दौरान कांग्रेस के दक्षिणपथी खेमे तथा अंग्रेज सरकार के बीच सघीय योजना को लेकर एक समझौते की सभावना है। परिणामस्वरूप दक्षिणपथी खेमा एक वामपथी अध्यक्ष को नहीं चाहता है, जो समझौते के रास्ते मे एक कांटा बन जाए तथा बातचीत के बीच मे रोड़े अटकाए। यह विश्वास कितना व्यापक है इसे जानने के लिए सिर्फ जनता के बीच जाना होगा और उनसे बातचीत करनी होगी। ऐसी परिस्थितियों मे असली गैर-सघवादी अध्यक्ष का निर्वाचन आवश्यक है।

अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम प्रस्तावित होना वास्तव मे मेरे लिए

अफसोस की बात है। मैंने अपने कई दोस्तो को सलाह दी थी कि इस साल वामपथी खेमे की तरफ से एक नए उम्मीदवार को खडा कर किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका और कई प्रातो से मेरा ही नाम प्रस्तावित हो गया। इस अतिम दौर मे भी, यदि आचार्य नरेंद्रदेव जैसे सच्चे गैर–सघवादी, किसी नाम को अगले साल के अध्यक्ष के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं अपना नाम वापस लेने के लिए तैयार हू। मैं काफी शिद्दत से महसूस करता हू कि इस यादगार वर्ष मे हमे अध्यक्ष की कुर्सी पर एक सच्चे गैरसघवादी को बैठाना चाहिए। यदि दक्षिणपथी खेमा वास्तव मे राष्ट्रीय है तो उसे एक वामपथी को अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करने की सलाह दी जानी चाहिए। ऐसे अशोभनीय ढग से किसी भी कीमत पर एक दक्षिणपथी उम्मीदवार पर जोर देकर सेवानिवृत्ति की कगार पर खडे तथा अध्यक्ष पद के लिए अपने नाम के सुझाव पर ही आश्चर्य व्यक्त करने वाले उम्मीदवार को खडा करके उन्होने पर्याप्त गलतफमिया पैदा कर दी है। देश की खास परिस्थितियो मे इस वक्त यह अध्यक्षीय चुनाव वस्तुत सघीय योजना के खिलाफ हमारे सघर्ष का ही हिस्सा है और ऐसी स्थिति मे हमारे लिए इससे उदासीन होना सभव नहीं है। देश के सामने अगली मुददा सघीय योजना का है। सघ के खिलाफ सघर्ष मे विश्वास रखने वाले तथा सकट म राष्ट्रीय अखडता बनाए रखने वाले सभी लोगो का स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले रहे उम्मीदवार के लिए दबाव डाल कर काग्रेस के विभाजन का प्रयास नहीं करना चाहिए।

अध्यक्षीय चुनाव पूरी तरह से प्रतिनिधियो का मामला है और इसे उन पर ही छोड देना चाहिए। काग्रेस मे असरदार बहुमत रखने वाले दक्षिणपथी खेमे पर ही छोडे दे कि इस अतिम घडी मे ही सही वह किसी वामपथी उम्मीदवार को स्वीकार करने क लिए वामपथी खेमे की तरफ बढे। मुझे उम्मीद है कि मेरी अपील व्यर्थ नहीं जाएगी।

पट्टाभि सीतारमैया का वक्तव्य

25 जनवरी 1939

अब जबकि अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला अपरिहार्य हो चुका है इसलिए दो उम्मीदवारो मे से एक होने के नाते मुझे भी उन मुद्दो से सबधित एक वक्तव्य देना चाहिए जो हाल मे ही प्रकाशित हुए हैं और जिन पर लोगो की खास निगाहे टिकी हुई हैं।

काग्रेस कार्यसमिति की बैठको की समाप्ति के बाद मैं 17 जनवरी को बारदोली से चल पडा और शाम को ही बबई पहुच गया। उस वक्त मेरे दिमाग में यह बात थी कि काग्रेस के अगले सत्र के लिए अध्यक्ष पद हेतु मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुन लिया गया है।

एकाधिक कारणो से यही विचार मेरे दिमाग मे हमेशा बना रहा। फिर जब मैं बबई मे अपने निवास पर 7 बजे शाम को पहुचा, तो मौलाना का टेलीफोन सदेश मेरा इतजार कर रहा था जिसमे उन्होने पहुचने ही फोन करने के लिए कहा था। मैंने उन्हे फोन किया और मुझे मौलाना ने आकर मिलने के लिए कहा।

मैं अदाज नहीं लगा सका कि वह मुझसे क्यो मिलना चाहते हैं। लेकिन इसे मैं उन पर ही छोडकर डिनर के लिए चल पडा। क्योकि उसी रात मुझे मद्रास मेल से बबई से विदा लेना था और इस बीच मौलाना से मिलना भी चाहता था।

इसी बीच कुछ अखबार वाले मित्र मेरे निवास पर आए और उन्होने सूचना दी कि उम्मीदवार तीन हैं जिनमे से एक मैं भी हू। मौलाना अध्यक्ष पद के लिए योग्य उम्मीदवार थे। इसलिए मैं अपनी उम्मीदवारी को वापस लेने के लिए प्रेस को सूचित करने की जल्दी मे था।

फिर मैं मौलाना के घर की ओर चल पडा। रास्ते मे मैंने बेजावाडा का टिकट ले लिया। जब मैं मौलाना से मिला और कुछ हडबडी मे ही उनको अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बारे मे बताया, तो उन्होने कहा कि वे स्वय ही नाम वापस ले रहे हैं और कल सुबह ही बारदोली जा रहे हैं। उन्होने मुझ पर उम्मीदवारी से न हटने पर जोर डाला।

मैंने उनसे इस दिशा मे न सोचने के लिए अनुरोध भी किया लेकिन फिर मैं निर्णय को प्रेरित करने वाली उनकी पारदर्शी सद्भावना से प्रभावित हुआ और तब मैंने टेलीफोन के पास पहुचने के बाद नाम वापसी का अपना इरादा छोड दिया।

अगली शाम मैं बबई से चल पडा। 21 जनवरी की शाम को मुझे मौलाना का तार सदेश मिला जिसमे उन्होने मेरे पक्ष मे अपना नाम वापस लेने की घोषणा तथा मेरे निर्विरोध निर्वाचन की कामना की थी।

यह सच है कि मेरा नामाकन मेरी जानकारी मे नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा होने की मुझे उम्मीद भी थी क्योकि पिछले कुछ समय से आमतौर पर दक्षिण भारत तथा विशेषतया आध्र की जनता मे सबकी इच्छा रही है कि दक्षिण के और वह भी आध्र के किसी काग्रेसी को एक मौका मिलना चाहिए।

मैने हमेशा ऐसी महत्वाकाक्षाओ को हतोत्साहित तथा उनको पूरा करने के विकल्पो के दायरे को सीमित किया है।

हर साल काग्रेस को अपने अध्यक्ष के रूप मे ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो वक्त की जरूरत को पूरा कर सके और अध्यक्ष के चुनाव को विभिन्न प्रातो के विभिन्न आवेदको के बीच सम्मान के बराबर वितरण का मामला नहीं बनाना चाहिए।

तो भी व्यक्तिगत तौर पर मैं 1916 से अपने डॉक्टरी पेशे को छोडने के बाद पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप मे सार्वजनिक जीवन मे रहते हुए हमेशा सेवा की भावना से चलता रहा हू और अपने मन के किसी कोने मे भी महत्वाकाक्षाओ को नही पाता।

लेकिन जब मौलाना नाम वापस ले चुके थे तब काग्रसियो और अन्य लोगा ने विभिन्न विचारो वाले आम लोगो की तरफ से प्रख्यात बुजुर्गो तथा पितातुल्य पूज्य लोगो की तरफ से एक व्यापक इच्छा जाहिर की थी। जब मौलाना ने पुन मुकाबले से हटने का फैसला किया और उन्होने मेरी सफलता की कामना के साथ ही दुबारा नाम वापस ले लिया तब मेरे पास भी यह मानने के तर्क थे कि मौलाना की उम्मीदवारी के विकल्प के रूप मे मेरी उम्मीदवारी कार्यसमिति और अन्य क्षेत्रो के मेरे कुछ सहयोगियो की मर्जी से है। इसलिए मैने उम्मीदवारी को जनता की तरफ से कर्तव्य की पुकार माना जिसे मैं हल्के तौर पर टाल नहीं सकूगा।

आज के ज्वलन्त सवालो के सदर्भ मे अपनी स्थिति के बारे मे अब मै एक वक्तव्य देना चाहूगा। म गाधीवाद के पथ का सच्चा पुजारी हू और यह बात देश-भर मे चर्चित है। प्राय इस विषय पर तथा आज के विशुद्ध राजनैतिक सवालो पर मै काफी बोल और लिख चुका हू। मै देश के अन्य कई लोगो जितना ही भारत सरकार के 1935 के कानून में शामिल किए गए सघीय योजना के खतरो का खुलासा कर चुका हू।

लखनऊ काग्रेस तथा हरिपुरा अधिवेशन के बीच के अतराल क दौरान मुझे काफी वक्त मिला जिसका इस्तेमाल मैंने देश पर थोपे जाने वाले इस भारतीय विधान की बखिया उधेडने के लिए किया।

हरिपुरा अधिवेशन के बाद केबिनेट का सदस्य होने के कारण मुझे स्वय को नियत्रित करना पडा।

मेरी पूरी जानकारी और विश्वास' क अनुसार सघ के सवाल पर अग्रेजो से समझौते के लिए कार्यसमिति क किसी भी सदस्य द्वारा प्रयास नही हुआ है। मैने स्वय भी हाल मे ही स्पष्ट किया है कि वायसराय का वक्तव्य कांग्रेस क दरवाजे पर एक शिष्ट दस्तक था लेकिन उनके लिए काग्रेस का उत्तर काग्रेस अध्यक्ष द्वारा पहले ही दिया जा चुका है।

मैं राज्यो के सवाल पर भी कुछ कहने की अनुमति चाहता हू। पिछले तीन वर्षो के दौरान इस विषय मे मैंने इस पक्की धारणा के साथ रुचि ली है कि हम अपने देश को साप्रदायिक तौर पर विच्छिन्न होने के लिए छूट देने अथवा देश के और अधिक राज्यवार बटवारे की अनुमति नहीं दे सकते।

निसदेह हम सघ चाहते हैं लेकिन अग्रेजो द्वारा उपेक्षित तरीके से प्राप्त सघ निश्चित ही भारत को असतुलित तथा अशक्त बनाएगा— ऐसा देश जिसका एक हिस्सा स्वस्थ हो, तो दूसरा हिस्सा विकलाग।

हो सकता है, राज्यो को पूरी तरह से जागरूक बनाने मे काग्रेस को काफी समय लग जाए। यदि मैं निर्वाचित हुआ तो राज्यो की तरफ से अपने कार्यो की प्रशसा के तौर पर मैं अपने निर्वाचन का सम्मान करूगा। आध्र प्रातीय काग्रेस समिति के अध्यक्ष तथा

कार्यसमिति के एक सदस्य के रूप मे मैं कार्यरत हू। काग्रेसजनो में अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार के मामले भी मेरी नजर मे आए हैं। यदि मे निर्वाचित हुआ, तो मैं अपने घर को भी ठीक करने मे अपनी ऊर्जा लगाऊगा।

एक बात का खुलासा रह जाता है और वह यह कि श्री सुभाषचद्र बोस के समर्थन म मैंने अपना नाम वापस क्यो नहीं लिया। मैं ले भी नहीं सकता हू, क्योकि मुझे अपने प्रतिनिधि सहकर्मियो की इच्छा का विरोध नहीं करना है।

यदि मैंने अपने सहकर्मियो से अपनी सोच पर बातचीत नहीं की होती, तो मैंने पसन्नतापूर्वक अपना नाम वापस ले लिया होता। मेरी सोच है कि बिना किन्हीं खास परिस्थितियो के किसी का लगातार दूसरी बार पुनर्निर्वाचन नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामले मे ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है।

वल्लभभाई पटेल का वक्तव्य

बारदोली,
25 जनवरी, 1939

श्री सुभाषचद्र बोस का बयान आश्चर्यजनक है। यहा कुछ तथ्य दे रहा हू। 1920 से प्राय हर मामले मे कार्यसमिति के कुछ सदस्यो ने अनौपचारिक बातचीत की है। जब श्री गांधी कार्यसमिति मे थे, तब वह अध्यक्ष पद के चुनाव क लिए कोई एक नाम पहले ही सुझा दिया करते थे, लेकिन काग्रेस से हटने के बाद उन्होने ऐसे वक्तव्य देना बद कर दिया है।

फिर भी व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक तौर पर सदस्यो ने उनकी पसद के बारे मे उनसे राय ली है। इस साल भी मैने कई सदस्यो के साथ बातचीत की है। हमारे बीच उपस्थित हर सदस्य ने महसूस किया कि मौलाना आजाद ही एकमात्र विकल्प हैं, लेकिन उनको राजी नहीं किया जा सका।

बारदाली के पूरे सप्ताह जब कार्यसमिति का सत्र चल रहा था, श्री गाधी मौलाना से अपना नामाकन होने देने के लिए अनुरोध करते रहे। पर वह अटल रहे। किसी तरह 15 जनवरी को तडके वह गाधी के पास आए और उनसे कहा कि उनका प्रतिरोध कर पाना उनके लिए सभव नहीं है और हमारी राहत के लिए उन्होने चुनाव मे भागीदारी तय कर ली।

उस वक्त हम जान गए थ कि डॉ पट्टाभि सीतारमैया का नामाकन भी आध्र के कुछ मित्रो ने कर दिया है और हम यह भी जानते थे कि श्री सुभाष बोस का भी नामांकन हो चुका है। हम पूरा विश्वास था कि मुकाबले से दोनो ही हट जाएगे तथा मौलाना साहब

निर्विरोध निर्वाचित होंगे।

बारदोली मे हुई अनौपचारिक बातचीत किसी वक्त योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई, पर सयोगवश जब मौलाना अबुल कलाम आजाद पडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेद्र प्रसाद श्री भूलाभाई देसाई आचार्य कृपलानी श्री गाधी और मैं मौजूद थे इस पर सहमति बनी कि यदि सयोगवश मौलाना अपने प्रतिरोध पर अटल रहते हैं तो सविधान के अनुसार डॉ सीतारमैया ही विकल्प बच जाते हैं। क्योकि श्री सुभाष बोस का पुनर्निर्वाचन हमारी नजर मे अनावश्यक था। हमारे दिमाग मे वामपथ या दक्षिणपथ का कोई सवाल कभी नहीं रहा।

इसे दर्ज किया जाना चाहिए कि पिछले साल उनके निर्वाचन मे जो प्रक्रिया अपनाई गई वैसी ही प्रक्रिया इस बार भी अपनायी जा रही है और यह तथ्य सुभाष बोस भी जानते हैं। सिर्फ उस वक्त अन्य उम्मीदवारो को नामाकन वापस लेने के लिए राजी करने मे हमे कोई कठिनाई नहीं हुई थी। यद्यपि मौलाना साहब ने अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन बबई पहुचने ही वे फिर परेशान हो गए और उन्होने सोचा कि वे इतने बडे पद का बोझ नहीं सभाल सकते। तो इस समस्या को सुलझाने की दृष्टि से ही श्री गाधी के पास अपना नामाकन वापस लेने के लिए पूछने आए। श्री गाधी ने मौलाना पर अब अधिक दबाव डालना आवश्यक नहीं समझा। उसके बाद जो हुआ वह सारा देश जानता है।

श्री बोस द्वारा (बारदोली वक्तव्य के) हस्ताक्षरकर्ताओं तथा कार्यसमिति के बहुमत पर चाल चलने का दोष मढना मुझे दुखी करता है। मै सिर्फ यही कह सकता हू कि भारत सरकार के सघीय कानून को कोई भी सदस्य को नही चाहता।

और अतत, वर्तमान अध्यक्ष अथवा कोई भी एक सदस्य इतने बडे मुद्दे पर निर्णय नहीं कर सकता है। सिर्फ काग्रेस ही है जो निर्णय कर सकती है अत जब काग्रेस का सत्र नहीं चल रहा हो, तब सामूहिक तौर पर कार्यसमिति ही निर्णय कर सकती है। और कार्यसमिति को भी काग्रेस की घोषित नीति के शब्दो या भावनाओ से विमुख होने का कोई अधिकार नहीं है।

मैं उस सोच से पूरी तरह असहमत हू कि काग्रेस के अध्यक्ष के पास कार्यसमिति की सहमति या नीति पर किसी किस्म की पहल-कदमी करने का अधिकार है।

अनेक अवसरो पर हमेशा कार्यसमिति की इच्छानुरूप चलने वाले (उनकी प्रतिष्ठा मे यही कहा जा सकता है) काग्रेस अध्यक्ष के विरोध के बावजूद कार्यसमिति ने अपनी बात रखी है।

बारदोली मे सभी सदस्यो के न रहने तथा समयाभाव के कारण मैंने अपनी बात कहने के लिए स्वतत्र सहकर्मियों का जिक्र किए बिना श्री सुभाष बोस के वक्तव्य का उत्तर देने की छूट ली है।

मेरे लिए तथा जिनसे मैं उस समस्या पर बातचीत कर सकता हू, उनके लिए भी यह मुद्दा व्यक्तियो या सिद्धातो, वामपथियो या दक्षिणपथियो का नहीं है। देश के सर्वाधिक हित की सोच ही सब कुछ है।

मेरी दृष्टि मे जिन लोगो ने अपनी बात रखी है, उन्हें अपने प्रतिनिधियो के मार्ग-निर्देशन का पूरा अधिकार है। मुझसे प्राय प्रतिदिन ही प्रतिनिधियो द्वारा तार, सदेश या पत्र के माध्यम से मार्ग-निर्देश मागा जाता है और मैं उम्मीद करता हू कि अन्य सहकर्मियो से भी यह मागा जाता होगा।

खास परिस्थितियो मे अधिकार कर्तव्य भी बन जाता है। लेकिन दिया गया यह मार्ग-निर्देशन प्रतिनिधियो के लिए पूरी तरह से अपनी समझ मे सबसे अच्छे ढग से अपने मतो का उपयोग करने के लिए है।

जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य

अल्मोड़ा,
26 जनवरी, 1939

पिछले दस दिनो से मैं कुमाऊ की पहाडियो मे एक हद तक अलग-थलग पडा हुआ हू, जहा अखबार देर से पहुचते हैं तथा कभी-कभी मेरी सूचनाए रेडियो पर आधारित होती हैं। इन परिस्थितियो मे रहते हुए किसी विवाद मे पडना मेरा काम नहीं है और किसी भी घटना के सदर्भ मे ऐसा करने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। लेकिन प्राप्त खबरो से मुझे लगता है कि अध्यक्षीय चुनाव ने दुर्भाग्यपूर्ण मोड ले लिया है और गलत मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसलिए मैं जनता के सामने कुछ बाते रखना चाहता हू जो इस स्थिति को स्पष्ट करने मे सहायक सिद्ध हो सकती हैं। अभी तक मैंने काग्रेस अध्यक्ष के पहले वक्तव्य के अतिरिक्त जारी हुए किसी अन्य वक्तव्य को नही पढा है।

मैं पहले ही यह स्पष्ट कर देना चाहूगा कि अध्यक्ष पद के दावेदार किसी भी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध मे मैं यह वक्तव्य नहीं दे रहा हू। अध्यक्षीय चुनाव ही महत्वपूर्ण है, इसलिए विरोध या समर्थन द्वितीय श्रेणी का मसला हो जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है काग्रेस की नीति और कार्यक्रम। अतीत मे मैं देख चुका हू कि अध्यक्षीय चुनावो से स्वय कांग्रेस या ए आई सी सी द्वारा निर्धारित की गई नीति मे कोई खास फर्क नहीं पडता। एक हद तक नीति को लागू करने मे अध्यक्ष कुछ फर्क ला सकता है और काग्रेस-अध्यक्ष मेरी निगाह मे सिर्फ सभापति ही नहीं है।

कह सकता हू कि मैं चुनाव-प्रक्रिया का विरोधी नहीं हू कि तयशुदा नीतिया तथा कार्यक्रम जब द्वद्व मे फसे हों तो चुनाव आवश्यक है और यह स्पष्टीकरण मे सहायक

होता है। अध्यक्षीय चुनाव के दौरान सामने आए द्वद्व मे कार्यक्रम क्या-क्या है ? भारत मे कई ज्वलत समस्याए हैं लेकिन सघ की ही चर्चा को देखते हुए मुझे अन्य समस्याओं के सदर्भ मे अध्यक्षीय चुनाव मे कोई द्वद्व नजर नहीं आता। क्या सघ के सवाल पर कोई द्वद्व है ? मुझे जानकारी नहीं है। इसके बारे मे काग्रेस का दृष्टिकोण निश्चित तथा स्पष्ट है। इग्लैड मे सीधी भाषा मे मैंने अपने इस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया था और ऐसा करते हुए मैं सिर्फ अपने विचार को ही नहीं बल्कि कार्यसमिति को भी अभिव्यक्त कर रहा था। वहा मैने जो कुछ भी कहा और किया था उनकी पूरी रिपोर्ट मैंने काग्रेस-अध्यक्ष तथा कार्यसमिति को भेजी थी और दिशा-निर्देश के लिए पूछा था। मुझे सूचित किया गया कि सघ के सवाल पर मैने जो दृष्टिकोण अपनाया था वह कार्यसमिति तथा गाधीजी के दृष्टिकोण से मिलता-जुलता है। लेकिन उसके बाद मे स्थिति काफी बिगड चुकी है और सघ से समझौते के दायरे मे सोचना किसी भी काग्रेसी के लिए डरावना है। भारत के राज्यो मे बढता सघर्ष क्या सघ के प्रति हमारे झटके का मगलाचरण है ? विश्व की तरह हम भारत मे भी सकट की तरफ तेजी से बढ रहे हैं।

मुझे लगता है कि फिलहाल हमने सघ के सवाल को अपने दिमाग से ऐसे निकाल दिया है जैसे कि वह हमारे न चाहने से हमारे ऊपर थोपा ही नहीं जा सकता और अतर्राष्ट्रीय स्थितियो से अलग हटकर हमने पहले से अधिक सकारात्मक ढग से आत्मनिर्णय तथा अपने निजी भविष्य के बारे मे सोच लिया। अग्रेज सरकार की विदेश नीति इतनी खराब और घृणित है कि मेरा देश ऐसी सरकार के साथ कोई सबध नहीं रखे यही मै चाहता हू। इस तरह इस चुनाव मे सघ के सदर्भ में द्वद्व का कोई प्रश्न नहीं है। निस्सदेह काग्रेस मे कई द्वद्व है लेकिन उनमे से कोई भी इस चुनाव से प्रभावित नही है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन द्वद्वों तथा समस्याओ का स्पष्टीकरण चाहूगा। हमारे सामने यह महत्वपूर्ण समस्या है कि भावी अतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सकट मे हम स्वय को कैसे तैयार करते हैं ? हमे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, जिससे आतरिक कलह पैदा हो और जो इस तरह हमारी सयुक्त शक्ति की आवश्यकता के दौरान हमे कमजोर करे।

मुझे अपने बोझिल कार्यकाल के दौरान काग्रेस-अध्यक्ष पद का कुछ अनुभव है और कई अवसरो पर मैं त्यागपत्र देने की स्थिति मे पहुच गया था क्योकि मुझे लगा कि बिना पद पर रहे ही मैं अपने काम और काग्रेस के हित मे सक्रिय हो सकता हू। इस साल कुछ सहकर्मियो ने अध्यक्ष पद हेतु फिर से खडा होने के लिए कहा था। लेकिन कुछ कारणो से मैने पूर्णतया इकार कर दिया, जिनकी यहा चर्चा करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

उन कारणो तथा अन्य कुछ कारणो से समान रूप से स्पष्ट था कि सुभाषबाबू को चुनाव नहीं लडना चाहिए। मुझे लगा कि इस स्थिति मे इस पद को स्वीकार कर असरदार काम करने की उनकी और हमारी क्षमता ही कम होगी। मैंने सुभाष बाबू से ऐसा ही कहा था।

इसी तरह मेरे दिमाग मे यह भी स्पष्ट था कि इस साल अध्यक्ष पद के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ही उचित व्यक्ति हैं। हर तरफ से सोच-विचार कर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुचा। हमारी कुछ ज्वलत समस्याओ से निबटने के लिए वे खास तौर पर उपयुक्त है।

उनके पास अपने से अधिक दूसरो के दृष्टिकोण को समझने की सूक्ष्म अतर्दृष्टि और सवेदनशीलता है। वह समादृत और विश्वसनीय हैं तथा विभिन्न कार्यकर्ताओ को एकजुट रखने मे सक्षम होने के साथ ही काग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि तथा दुर्लभ अतर्दृष्टि के प्रति मेरी प्रशसा पिछले बीस सालो के दौरान साल-दर-साल उनको जानने के लिए मिले अवसरो पर आधारित है। अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए मैंने उन पर दबाव डाला था और ऐसा ही अन्य लोगो ने भी किया था। हम लोगो ने सोचा था कि हमने उनको राजी कर लिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश अतत यह सहमत नहीं हुए। इसके पीछे उनका कमजोर स्वास्थ्य तथा प्रचार और चुनावी मुकाबले के प्रति उनकी अरुचि थी।

व्यक्तिगत तौर पर मुझे मालूम नहीं कि इस चुनाव मे सिद्धात या कार्यक्रम क्या हैं। मैं अत मे यह चर्चा नहीं सुनना चाहता कि मुद्दा न होने के सच के बावजूद किसी खास कार्यक्रम को खारिज कर दिया गया। जीते कोई भी, नुकसान तो सघ का ही होगा। मुझे विश्वास है कि यदि कोई प्रतिस्पर्धा होती भी है, तो सभी सबधित लोगो को हमारे उद्देश्यो की महानता का अहसास रहेगा तथा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, जो उस महान सस्था को कमजोर करने का काम करेगा जिसके लिए हममे से कई लोग अपना जीवन लगा चुके हैं। द्वद्व के कारण भविष्य अधकारमय दीखता है और इसका सामना करने के लिए हमे व्यक्तियो को भूलकर सिद्धातो तथा अपने उद्देश्य को याद करते हुए साहस और आत्मबल के साथ एकजुट हुए लोगो की तरह साथ रहना होगा।

राजेन्द्र प्रसाद का वक्तव्य

पटना,

27 जनवरी, 1939

सुभाषबाबू तथा कार्यसमिति के कुछ खास सदस्यो के बीच सघ के सवाल पर उपजे काल्पनिक मतभेद के कारण वास्तविक मुद्दे को दरकिनार करना अच्छा नहीं है। उस बिदु पर विचारो का मतभेद बिल्कुल नहीं है। हरिपुरा काग्रेस प्रस्ताव स्पष्ट है तथा वह किसी विरोध या दबाव के बिना पारित हुआ था। ए आई सी सी की पिछली बैठक तक प्रस्ताव किसी भी असतुष्ट आवाज के बिना फिर से दुहराया गया। यदि अध्यक्षीय चुनाव

राजनीतिक दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम मे ऐसे मतभेद का आधार बनता है, तो मुद्दे के विभिन्न बिंदुओं को साफ-साफ सामने रखा जाना चाहिए तथा कोई काल्पनिक मतभेद दिखा कर इनको धुंधला नहीं किया जाना चाहिए।

संघ के संदर्भ मे सुभाष बोस ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में शामिल संघीय योजना का कांग्रेस द्वारा विरोध किए जाने की योजना पूरी तरह से असहयोग जैसी आम कांग्रेसी नीति तथा सिद्धांत के अनुसार होगी। यह असहयोग जो भी कदम उठाएगा— संघीय चुनाव की स्थिति मे या चुनाव के बाद सरकार मे शामिल होने की स्थिति मे भी असहयोग या नहीं, यह विस्तृत विमर्श तथा रणनीति का मामला है, जिसे तत्कालीन स्थिति की अपेक्षाओं के आधार पर तय किया जाएगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या संघ के खिलाफ कांग्रेस के अभियान के रूप मे कांग्रेसी मन्त्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाएगा, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसी स्थिति मे यदि संघर्ष चलता है तो हर तरफ से विरोध करने पर मेरा जोर होगा। यदि हम लगता है कि सत्ता मे उनकी मौजूदगी से हमारे संघर्ष को बल मिलता है, तो यह पूरी तरह संभव है कि हम मन्त्रियों से त्यागपत्र न देने के लिए कहे। इसके विपरीत यदि हम महसूस करते हैं कि उनके द्वारा त्यागपत्र देने से हमारा संघर्ष अधिक मजबूत होगा तो हम ऐसा ही करेगे।

जैसा कि *'माडर्न रिव्यू'* मे कहा गया है, सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस-अध्यक्ष ने कई 'यदि' का इस्तेमाल किया है। उनमे से दो हैं 'यदि संघर्ष होता है तो संघीय विधानमंडल के चुनाव मे भागीदारी का विरोध करेगे- यद्यपि संघ के प्रति कांग्रेस ने अपना दृष्टिकोण अटल तौर पर सामने रखा है। पहला 'यदि' शायद इस आशय को व्यक्त करता है कि संघर्ष अपरिहार्य है। दूसरा 'यदि' शायद यह अनुमान जगाने की गुंजाइश देता है कि कांग्रेसी दृष्टिकोण किसी भी हालत मे अंग्रेजों की संघीय योजना के अटल विरोध का नहीं हो सकता।

यदि कार्यसमिति के दक्षिणपंथी खेमे के किसी सदस्य ने ऐसी कोई बात कही होती तो मुझे आश्चर्य होता। ऐसा नहीं है कि सुभाष बाबू को अपनी निजी राय रखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अन्य लोगों के मनगढ़त दृष्टिकोण के लिए उनकी निंदा क्यों करे, जब उनका निजी दृष्टिकोण ही 'यदि' को हटा पाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट रूप नहीं अपनाता और जिसने एक प्रख्यात पत्रकार को उनमे से काफी अनर्थकारी अर्थ निकालने का अवसर दे दिया है।

अब जबकि प्रतिस्पर्धा होने ही जा रही है, तो प्रतिनिधियों को उनकी रुचि तथा स्वतंत्र विचार से मतदान करने के लिए सलाह देना वस्तुतः उनकी बुद्धिमत्ता तथा उनके उत्तरदायित्व का अपमान है। यदि वे डॉ पट्टाभि सीतारमैया के पक्ष में अपना मत डालते हैं, तो उनकी अखंडता तथा स्वतंत्रता को बाधित करना गलत है।

सुभाषचंद्र बोस का तीसरा वक्तव्य

27 जनवरी 1939

डॉ पट्टाभि तथा सरदार पटेल के वक्तव्यो के कारण मैं फिर एक बार सार्वजनिक विवाद मे फस गया हू। डा पट्टाभि कहते हैं कि अगला अध्यक्ष आध्रप्रदेश का हो ऐसा सामान्यतया दक्षिण भारत तथा आध्र प्रदेश की जनता के बीच एक निर्विरोध इच्छा बन चुकी है।

यह विश्वास करना कठिन है कि देश के किसी भी हिस्से के काग्रेसजन प्रातीयतावाद के रूप मे सोचते हैं। इसके अतिरिक्त, इस वक्त मेरे पास स्वैछिक रूप से मेरे समर्थन मे आए आध्र प्रदेश के तार सदेश भी हैं और जहा तक तमिलनाडु का सबध है यहा ऐसे दोस्त भी हैं जो प्रतिस्पर्धा से न हटने के लिए मुझ पर जोर डाल रहे हैं।

सरदार पटेल के वक्तव्य मे अपेक्षाकृत कुछ अधिक घातक आत्मस्वीकृति है। वह कहते हैं कि कार्यसमिति के कुछ सदस्य आपस मे महत्वपूर्ण सलाह-मशविरा कर क किसी निर्णय पर पहुचे हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि न तो अध्यक्ष और न ही कार्यसमिति के अन्य सदस्यो को इस बारे मे कुछ पता है?

स्पष्ट है कि वह एक ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं, जो महज नाम-मात्र का प्रमुख और कार्यकारिणी क अन्य सदस्यो के हाथो की कठपुतली हो। उपरोक्त स्वीकारोक्ति इस आम धारणा की पुष्टि करती है कि कार्यकारिणी अपने-आप मे वस्तुत एक समूह द्वारा नियत्रित है और यह भी कि अन्य सदस्य यहा महज हा-हू करने के लिए हैं।

सघ के मसले पर काग्रेस का प्रस्ताव हालाकि अदम्य विरोधो मे से एक है फिर भी वास्तविकता यही है कि कुछ प्रभावी काग्रेसी नेता सघीय योजना को सशर्त स्वीकार किए जाने की निजी और सार्वजनिक तौर पर वकालत करते रह हैं।

ऐसी गतिविधियो की भर्त्सना करने के लिए दक्षिणपथी नेताओ की ओर से अब तक किचित् भी इच्छा सामने नहीं आई है। स्थिति की सच्चाई से आखे मूद लेने से कोई फायदा नही है। इस सच्चाई को क्या कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता है कि आगामी वर्ष यही धारणा गहराएगी कि ब्रिटिश सरकार और काग्रेस के दक्षिणपथी खेमे के बीच एक समझौता प्रभावी होगा ? सभव है कि यह धारणा पूर्णत भ्रातिमूलक हो, किंतु यहा तो सब कुछ ऐसा ही है और कोई भी इसके अस्तित्व से इकार नहीं कर सकता । महज यही नहीं, बल्कि आम तौर पर ऐसा भी माना जाता है कि सघीय कबीना के लिए मत्रियो की प्रस्तावित सूची भी तैयार की जा चुकी है।

इन परिस्थितियो मे स्वाभाविक है कि काग्रेस के प्रगतिशील या वामपथी खेमे को सघीय योजना के सवाल को इतनी गभीरता से लेना चाहिए और एक सच्चे सघ-विरोधी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने की आकाक्षा रखनी चाहिए। अध्यक्ष की कुर्सी पर एक

दक्षिणपथी को किसी भी कीमत पर बिठाने की काग्रेस हाईकमान की हठधर्मिता से होगा सिर्फ यही कि प्रगतिशील तत्व अधिक सदह महसूस करगे। यह पूरी समस्या ही दरअसल अध्यक्षीय चुनाव मे दक्षिणपथी खेमे द्वारा बरते गए रुख के कारण पैदा हुई है।

इस अतिम दौर मे भी यदि वे एक सघ-विरोधी अध्यक्ष स्वीकार कर लेते है तो इस विवाद को वे तुरत समाप्त कर सकते हैं और इसके जरिए काग्रेस के भीतर जारी कलह को भी टाल सकते है। अपने बारे म कहू, तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि सघ ही वास्तविक मुददा है। यदि एक सच्चा सघ-विरोधी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप मे स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं उसके पक्ष मे प्रसन्नतापूर्वक हट जाऊगा। सार्वजनिक तौर पर घोषित मरा यह प्रस्ताव मतदान की पूर्व सध्या तक अडिग बना रहगा।

सुभाषचद्र बोस का चौथा वक्तव्य

28 जनवरी 1939

रविवार को होने वाले अध्यक्षीय मतदान की पूर्व-सध्या पर मैं प्रेस के जरिए उस सदर्भ मे कुछ कहना चाहता हू, जिसके चलते मैं एक प्रत्याशी के रूप मे प्रस्तुत होने के लिए राजी हुआ। याद रहे कि पिछले चार-पाच महीनो के दौरान देश के विभिन्न हिस्सो मे मौजूद काग्रेसजनो ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मेरे फिर से चुने जाने की सार्वजनिक तौर पर वकालत की है। एक प्रत्याशी के रूप मे जब मेरा नाम अनेक प्रातो से औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया तब इसे बिना मेरी जानकारी या सहमति के ही किया गया। सही या गलत, काग्रेस के भीतर इस राय का एक बहुत बडा समुदाय रहा है, जो एक और सत्र के लिए मेरा चुना जाना चाहते थे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यकारिणी के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यो ने उन कारणो के चलते इस राय को स्वीकार नहीं किया जिन्हे समझना कठिन है। यदि मेरे खिलाफ मतदान का व्हिप उन्होंने न जारी किया होता तो इसमे सदेह नहीं कि मेरा दुबारा चुना जाना वस्तुत निर्विरोध होता। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास मुझ जसे तुच्छ व्यक्ति की बजाय कोई और भी था।

हरिपुरा अधिवेशन के जमाने से ही काग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यो के साथ मेरा सबध सौजन्यपूर्ण रहा है और कार्यकारिणी मे हमारा काम भी कुल मिलाकर बहुत शाति से चलता रहा है। इन परिस्थितियो मे कोई भी इस निर्णय पर पहुचने का प्रयास कर सकता है कि आखिर क्या कार्यकारिणी के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य मेरे इतने अधिक खिलाफ हैं जबकि मेरे दुबारा चुने जाने के प्रति काग्रेस पदाधिकारियो म एक आम आकाक्षा थी ? उनकी आपत्ति क्या इसलिए थी कि मैं उनके हाथो की कठपुतली नहीं

बन पाता ? या मेरे विचारो और सिद्धातो के चलते उन्होने मेरे नाम पर आपत्ति की ? दूर तक ले जाने वाले तर्क न्यूनतम मात्रा मे भी विश्वसनीय नहीं लगते। कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन एक अपवाद घटना है। इसका दो-टूक उत्तर यह है कि सविधान मे ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जो पुनर्निर्वाचन को रोकता हो– यह भी कि अपने पूर्व काग्रेस-अध्यक्षो ने एक से अधिक बार कार्यभार ग्रहण किया है– यह भी कि आगामी वर्ष एक अपवाद व घटनाप्रधान वर्ष के रूप मे सामने आने वाला है तथा मेरे फिर से चुने जाने के बारे में एक आम राय भी है।

शरतचद्र बोस को प्रेषित अपने पत्र मे सरदार पटेल ने जिस एक अन्य तर्क को सामने रखा है वह यह है कि मेरा फिर से चुना जाना देश के लिए हानिकारक होगा। यह अनर्गल तर्क अपने-आप मे इतना चौंका देने वाला है कि इसे बमुश्किल ही किसी खडन की दरकार है। यदि उपरोक्त नेताओ ने अपने प्रभाव का सारा वजन मेरे खिलाफ झोक न दिया होता और मेरी उम्मीदवारी का विरोध करते हुए व्हिप जारी न किया होता, तो हम काग्रेस प्रतिनिधियो की वास्तविक राय से अवगत हो पाते और मुझे कोई शक नहीं कि वह राय सरदार पटेल को अतिशय आश्चर्य मे डाल देती।

कुछ खास तबको मे यह बात भ्रातिमूलक तरीके से प्रचारित की गई कि इस वर्ष पहली बार चुनावी भिडत होने जा रही है। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षो से कोई चुनावी भिडत नहीं हुई थी। यह भी सच है कि इस वर्ष यह चुनावी भिडत होने जा रही है। हालांकि उस कौतुकपूर्ण रूप में चुनावी भिडत कभी नहीं हुई, जिस रूप मे इसके इस वर्ष होने के आसार हैं– लेकिन यह भूलना गलत होगा कि पहले कभी चुनावी भिडत हुई ही नहीं। इसलिए कार्यकारिणी के भीतर मौजूद किसी एक गुट के लिए दावा करना इतिहा है कि अध्यक्ष का चुनाव वे हर समय अपनी आज्ञानुसार ही सपन्न कराएगे। यदि हमे प्रतिनिधियो द्वारा चुनाव कराए जाने की यथोचित पद्धति बनाए रखनी है और कार्यकारिणी के भीतर मौजूद किसी भी एक गुट द्वारा नामाकन किए जाने की पद्धति से गुरेज बरतना है, तो जरूरी है कि प्रतिनिधियो को अपनी स्वतत्र व निष्पक्ष पसद को प्रस्तुत करने देना चाहिए। वर्तमान दौर मे न केवल उपरोक्त आज्ञा-पत्र को वापस लेना होगा बल्कि प्रतिनिधियो पर इसके लिए नैतिक दबाव भी बनाना होगा ताकि वे स्वतत्रता और निष्पक्षता के अनुरूप अपना मत दे सके।

अपने वक्तव्य मे सरदार पटेल ने कहा है कि इस वर्ष भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो पिछले वर्ष अपनाई गई थी। यह बात सत्य से परे है। कार्यकारिणी के भीतर मौजूद सत्तासीन गुट ने यदि इस वर्ष भी अपनी पसद को राजी-खुशी ही बनाया होता तो इस वर्ष भी कोई चुनावी भिडत नहीं होती। लेकिन यदि उनकी पसद या उनका सुझाव लोकप्रिय संस्तुति के अनुरूप न हो, तो क्या प्रतिनिधियो को उस व्यक्ति को मत

देने की आजादी नहीं दी जानी चाहिए जिसे कि वे सर्वोत्तम समझते हो ? यदि उन्हे इस आजादी की गारटी नहीं होगी तो फिर काग्रेस का सविधान एक लोकतान्त्रिक सविधान भी नहीं रह जाएगा। काग्रेस के पास एक लोकतान्त्रित सविधान है- इस दावे का तब कोई मतलब नहीं होगा, अगर प्रतिनिधियो को सोचने और अपनी पसद के मुताबिक मत देने की आजादी ही न हो।

लोकतत्र के इस मुद्दे के अलावा भी अन्य तमाम मुद्दे है और कुछ अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण मसले भी हैं, जो इस चुनाव से सबधित हैं। यदि काग्रेस के भीतर एकता और घनिष्ठता को बरकरार रखना है तथा भारत की आजादी को अर्जित करने के लिए दक्षिण और वाम खेमो को कधे से कधा मिलाकर काम करना है तो यह जरूरी है कि काग्रेस-अध्यक्ष को उन दोनो वर्गो का विश्वास हासिल हो। पडित जवाहरलाल नेहरू ने सतोषजनक ढग से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है– और शायद मैं भी दावा कर सकू कि भले ही उनकी अपेक्षा कम मात्रा मे ही सही मगर मैने भी ऐसा ही किया है। यही वजह है कि काग्रेसजनो के एक बडे समुदाय के साथ ही मैं भी इस बात पर जोर देता हू कि आगामी वर्ष के लिए हमे अपने अध्यक्ष के रूप मे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो तहे-दिल से सघ-विरोधी हो– एक ऐसा व्यक्ति, जिसे न केवल दक्षिणपथियो बल्कि वामपथियो का भी विश्वास और सम्मान हासिल हो। यह सब अत्यत आवश्यक है– न सिर्फ निकट भविष्य मे सघ के खिलाफ छिडने वाले सघर्ष के नाते, बल्कि इसलिए भी कि कुछ खास दक्षिणपथी नेताओ के इरादो को लेकर जनता के मन मे व्यापक तौर पर आशका व्याप्त है। अपने इस वक्तव्य को समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहूगा कि मौजूदा चुनाव से जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे जुडे हुए हैं वे हैं– लोकतत्र और सघीय योजना का अदम्य विरोध। इस चुनावी भिडत मे व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है और मै अपने साथी प्रतिनिधियो से गुजारिश करता हू कि वे सभी व्यक्तिगत सवालो को एक-साथ भुला दे या नजरअदाज कर दे। मैं महज दुर्घटनावश ही उम्मीदवार हू, बस इसलिए कि वामपथी खेमे से कोई और व्यक्ति इस चुनावी भिडत के लिए सामने नहीं आया। मैं पहले ही एकाधिक बार यह कह चुका हू कि इस चुनावी भिडत को टालना अब भी मुमकिन है– यदि दक्षिणपथी खेमा किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष स्वीकार कर ले, जिसे वामपथी खेमे का भी विश्वास हासिल हो। अगर यह चुनावी भिडत होती है– जिसका कि इन पक्तियो को लिखते समय तक आसार दिख रहा है– तो काग्रेस के विभाजन की पूरी जिम्मेदारी दक्षिणपथी खेमे पर ही होगी। क्या वे इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेगे अथवा इन अतिम मे ही सही, राष्ट्रीय एकता और घनिष्ठता के लिए एक प्रगतिशील कार्यक्रम के आधार पर टिके रहने का निर्णय करेगे ?

महात्मा गाधी का वक्तव्य

बारदोली,
31 जनवरी, 1939

श्री सुभाषचद्र बोस अपने प्रतिद्वद्वी डॉ पट्टाभि सीतारमैया के खिलाफ एक निर्णायक जीत हासिल कर चुके हैं। शुरू मे ही इसे मैं जरूर स्वीकार करूगा कि मैं निर्णयात्मक रूप से उनके फिर से चुने जाने के खिलाफ था। जिन वजहो से मैं उनके फिर से चुने जाने के खिलाफ था, उन सब का जिक्र करना यहा मे जरूरी नहीं समझता। मैं उनके उन तथ्यो व तर्को को स्वीकार नहीं करता, जिन्हे उन्होने अपने घोषणापत्रो मे व्यक्त किया है। मेरा सोचना है कि अपने सहयोगियो के बारे मे उनके हवाले अन्यायपूर्ण और अयोग्यतापूर्ण थे। तिस पर भी मैं उनकी जीत से प्रसन्न हू ओर मौलाना साहब द्वारा नाम वापस लिए जाने पर डॉ पट्टाभि को अपना नाम वापस न लेने के लिए प्रेरित करने मे चूकि मैं ही निमित्त बना था, इसलिए डॉ पट्टाभि की हार उनकी हार की अपेक्षा कहीं अधिक मेरी हार है। यदि मैं निश्चित सिद्धातो व नीतियो का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो मरे होने का कोई मतलब नहीं। लिहाजा, मेरे लिए इसका सीधा-साफ अर्थ यही है कि काग्रेस प्रतिनिधि उन सिद्धातो व नीतियो को मजूर नहीं करते, जिन पर मैं खडा हू। तो भी इस हार से मैं आनदित हू।

यह मुझे उन चीजो मे अभ्यास का एक मौका देता है, जिनके बारे मे मैंने अपने उस लेख मे उपदेश दिया था, जिसे दिल्ली मे आयोजित अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की पिछली बैठक से अल्पसख्यको के बहिष्कार पर मैंने लिखा था। सुभाष बाबू जिनको दक्षिणपथी कहते हैं, उनकी मजूरी से अध्यक्ष होने के बजाय अब चुनाव लडकर चुने हुए अध्यक्ष हैं। दरअसल यही चीज उन्हे एक समजातीय कैबिनेट चुनने और अपने कार्यक्रमो को बिना किसी आज्ञा या बाधा के प्रेरित करने के योग्य बनाती है।

बहुसख्यको और अल्पसख्यको के बीच एक चीज समान है— काग्रेस सगठन की *आतरिक शुद्धता पर जोर। हरिजन मे प्रकाशित मेरे लेखा ने स्पष्ट किया है कि काग्रेस* तेजी से एक भ्रष्ट सगठन मे तब्दील हो रही है— इस अर्थ मे कि इसके रजिस्टरों मे बडी सख्या मे फर्जी सदस्य मौजूद हैं। पिछले कई महीनों से मैं इन रजिस्टरो के आमूल पडताल की सलाह देता रहा हू। अगर यह पडताल हुई होती, तो मुझे कोई शक नहीं कि बहुत से प्रतिनिधि तक चुने ही न जा पाते, जो इन फर्जी वोटो की ताकत से चुने गए हैं।

लेकिन मैं ऐसे किसी कठोर कदम की राय नहीं देता। यदि रजिस्टरो को तमाम फर्जी मतदाताओ से शुद्ध कर लिया जाए और ऐसी नासमझियो को भविष्य के लिए असभव बना दिया जाए, तो यही काफी होगा। कोई वजह नहीं है कि अल्पसख्यको का

दिल टूटे। यदि वे कांग्रेस के चालू कार्यक्रमो मे विश्वास रखते हैं तो वे पाएगे कि इस कदम को क्रियान्वित किया जा सकता है– चाहे वे लोग अल्पसख्यक समुदाय मे हो या बहुसख्यक समुदाय मे– और चाहे वे कांग्रेस के भीतर हो या कांग्रेस से बाहर। ससदीय कार्यक्रम ही वह एकमात्र चीज है, जो परिवर्तनो के जरिए प्रभावी हो सकता है।

पिछले बहुसख्यक समुदाय द्वारा ही मन्त्रियो का चुनाव हुआ है और कार्यक्रमो को आकार दिया गया है। लेकिन ससदीय कार्य वस्तुत कांग्रेस के कार्यक्रमो का एक बेहद छोटा-सा अश है। इन सबके बावजूद कांग्रेसी मन्त्रियो को दिनो-दिन आगे बढना है। उनके लिए इस बात का बहुत कम महत्व है कि या तो उस मुद्दे पर उन्हे वापस बुला लिया जाए जिनके प्रति वे कांग्रेस के साथ एकमत हो या फिर वे त्यागपत्र दे दे क्योकि वे कांग्रेस से सहमत नही है।

आखिरकार, सुभाष बाबू अपने देश के शत्रु नहीं हैं। उन्होने देश के लिए कष्ट सहा है। उनकी राय म उनकी नीतिया व कार्यक्रम सर्वाधिक प्रगतिशील और साहसी हैं। अल्पसख्यक समुदाय के लोग उनकी सफलता की मात्र कामना कर सकते है। यदि वे इसके साथ तादात्म्य नहीं स्थापित कर सकते तो उन्हे कांग्रेस से बाहर आना होगा। यदि वे ऐसा कर सके तो इसके जरिए वे बहुसख्यक समुदाय मे शक्ति का इजाफा करेगे। यदि वे सहयोग नहीं कर पाते तो वे अवश्य ही अलग-थलग रहेगे। सभी कांग्रेसजनो को मैं यह जरूर याद दिलाना चाहूगा कि जो लोग कांग्रेसी मानसिकता का होने के बावजूद इस सगठन से बाहर हैं वही लोग इसका अधिक प्रतिनिधित्व करते है। इसलिए जो लोग कांग्रेस मे असुविधा महसूस करते हो वे इससे बाहर आ सकते हैं– किसी रुग्ण भावनावश नहीं बल्कि पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली सेवा का सकल्प लेकर।

सुभाषचंद्र बोस का पांचवा वक्तव्य

4 फरवरी 1939

हाल के अध्यक्षीय चुनाव के सदर्भ मे जारी महात्मा गाधी के वक्तव्य को मैंने बहुत ध्यान से पढा है जिसका कि वह पात्र है। यह जानकर मुझे पीडा होती है कि महात्मा गाधी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार के रूप मे लिया। इस मुद्दे पर मैं उनसे सादर असहमति व्यक्त करता हू। मतदाताओ– अर्थात प्रतिनिधियो का आह्वान महात्मा गाधी के पक्ष या विपक्ष मे मत देने के लिए नहीं किया गया था। नतीजतन मेरे और अधिकतर लोगो के विचार से इस चुनावी भिडत का परिणाम उन्हे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं करता।

पिछले कुछ दिनो के दौरान कांग्रेस के वामपथी और दक्षिणपथी खेमो के बारे म अखबारो मे बहुत-कुछ कहा जा चुका है। चुनाव के परिणाम को बहुत-से व्यक्तियो ने

वामपथियो की विजय के रूप मे आका है। तथ्य यह है कि जनता के समक्ष मैंने दो मुद्दे रखे थे— सघ के विरुद्ध सघर्ष और अध्यक्ष के चुनाव के मामले मे प्रतिनिधियो को अपनी पसद स्वतत्रतापूर्वक तथा बधनमुक्त तरीके से व्यक्त करने देने की आजादी। इन मुद्दो ने मतदान को काफी हद तक प्रभावित किया और फिर उम्मीदवारो के व्यक्तित्वो ने भी कुछ असर छोडा। इन परिस्थितियों मे मैं महसूस करता हू कि जब हम चुनाव के अभिप्राय का विश्लेषण कर रहे हो, तो हमें न तो कल्पना से काम लेना चाहिए और न इसमे निहित अर्थों से कही अधिक अर्थ ही तलाशना चाहिए।

यह महज तर्क के लिए तर्क है कि चुनाव का परिणाम वामपथियो की जीत का सकेत करता है। हमे इस पर गौर करना भी छोड देना चाहिए कि वामपथियो का कार्यक्रम क्या है। निकट भविष्य मे वामपथी सघीय योजना के निर्मम विरोध और राष्ट्रीय एकता के अपने इरादे पर अटल हैं। इसी क्रम मे यह भी कि वे लोकतात्रिक सिद्धातो के लिए अडिग हैं। वामपथी लोग काग्रेस के भीतर किसी विघटन की जिम्मेदारी नहीं लेगे। यदि विघटन होता है, तो यह उनके कारण नहीं, बल्कि उनके बावजूद सभव होगा।

व्यक्तिगत रूप से मैं निश्चय ही इस राय का हू कि काग्रेस के पदाधिकारियो मे विघटन का न तो कोई कारण है और न कोई औचित्य। इसलिए मैं उत्साहपूर्वक उम्मीद करता हू कि तथाकथित अल्पसख्यक समुदाय द्वारा तथाकथित बहुसख्यक समुदाय के साथ असहयोग करने का कोई मौका अभी या निकट भविष्य मे सामने नहीं आएगा। मुझे बमुश्किल यह जोडने की जरूरत महसूस हो रही है कि जब कभी विघटन की बात हमारे सामने उपस्थित होगी, मैं उसे टालने के लिए अत तक प्रयास करूगा।

मेरे जैसे तमाम लोग भविष्य मे जिस नीति का अनुगमन करेगे, उसके प्रति कुछ शका बहुतो के मन में रही है। मुझे इसको बिल्कुल स्पष्ट करने दे कि ससदीय या ससद से इतर क्षेत्रो मे अतीत से कोई हिंसक टूटन नहीं होगी। जहा तक ससदीय कार्यक्रम का मसला है, हम अपनी चुनावी प्रतिज्ञाओ और अतीत की अपेक्षा कहीं अधिक तेज गति से अपने ससदीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास मात्र करेगे। ससद से इतर क्षेत्रो में हम सघ से भिडने और पूर्ण स्वराज के लिए अपने दबाव को बनाए रखने के लिए अपनी सारी शक्ति तथा अपने सारे स्रोतो को एकजुट करने का प्रयास करेगे— और हम निश्चय ही भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की नीतियो व सिद्धातो के अनुरूप काम करेगे।

इस सिलसिले मे मैं यह भी कहना चाहूगा कि सार्वजनिक मसलो पर महात्मा गाधी से असहमति के लिए मैंने कुछ मौका पर अपने-आप को हालाकि विवश महसूस किया है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के प्रति अपने सम्मान मे मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। यदि मैंने उन्हे ठीक से समझा है, तो वह भी लोगो को अपने-अपने लिए सोचते देखना चाहेगे— भले ही उन लोगो की सोच से वह हमेशा सहमत न हों। मैं नहीं जानता कि मेरे बारे मे महात्मा गांधी किस तरह की राय रखते हैं, लेकिन उनका विचार चाहे जो भी हो,

उनका विश्वास पाने की कोशिश करना और उसे जीतना मेरा हमेशा ही मकसद होगा— महज इस कारण से कि मेरे लिए यह एक दु खद चीज होगी यदि मै अन्य तमाम लोगो का विश्वास अर्जित करने मे तो सफल हो जाऊ किंतु भारत के महानतम व्यक्ति का विश्वास जीतने मे ही नाकाम रह जाऊ।

त्रिपुरी भाषण

त्रिपुरी मे मार्च 1939 मे आयोजित भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 52वे अधिवेशन मे दिया गया अध्यक्षीय भाषण

सभापति महोदय प्रतिनिधि भाइयो व बहनो

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अध्यक्ष पद पर मुझे फिर से चुन कर आपने मुझे जो सम्मान दिया है और यहा त्रिपुरी मे जिस तरह गर्मजोशी से मेरा हार्दिक स्वागत किया है, उसके लिए मै आपको तहे-दिल से धन्यवाद देता हू। यह सच है कि कि मेरे अनुरोध पर आपको ऐसे कुछ आडबरो का त्यागना पडा जो कि ऐसे मोको पर सामान्य हैं— लेकिन मैं महसूस करता हू कि ये प्रेरित कदम आप द्वारा किए गए स्वागत की हार्दिकता व गर्मजोशी से कण-मात्र भी दूर नहीं लिया गए और मुझे आशा है कि इस मौके पर की गई इस कटौती पर कोई भी व्यक्ति अफसोस नहीं जाहिर करेगा।

मित्रो इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहू, मैं महात्मा गाधी के राजकोट मिशन की सफलता और इस सिलसिले मे उनके द्वारा किए जा रहे अनशन के स्थगन के प्रति प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करने वाले आपके अहसासो को स्वर देना चाहूगा। समूचा देश अब प्रसन्नता और अत्यत राहत महसूस करता है।

मित्रो, यह वर्ष अनेक तरह से असहज और असाधारण होने के प्रति वचनबद्ध है। वक्त के इस दौर मे यह अध्यक्षीय चुनाव नीरस किस्म का नहीं था। यह चुनाव सरदार वल्लभभाई पटेल मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉ राजेद्र प्रसाद के नेतृत्व मे कार्यकारिणी के 15 मे से 12 सदस्यो द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने जैसे सनसनीखेज घटनाक्रमो के बाद हुआ। कार्यकारिणी के एक अन्य सुयोग्य और प्रमुख सदस्य पडित जवाहरलाल नेहरू ने हालाकि औपचारिक रूप मे इस्तीफा तो नहीं दिया, परतु एक ऐसा वक्तव्य जरूर जारी किया जिसने हर किसी को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि उन्होने भी इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरी काग्रेस की पूर्व-सध्या पर राजकोट की घटनाओ ने महात्मा को आमरण अनशन पर जाने के लिए विवश किया। तब अध्यक्ष एक बीमार आदमी के तौर पर त्रिपुरी पहुचे। इसलिए इस वर्ष के अध्यक्षीय भाषण को अपने

विस्तार के मामले मे पूर्व दृष्टात के प्रस्थान-बिंदु को अपनाना समीचीन होगा।

मित्रो, आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अतिथि के रूप मे मिस्र से वफ्द का एक प्रतिनिधिमडल हमारे बीच आ चुका है। उन सबका स्वागत करने मे आप निश्चित ही मेरे साथ शामिल रहेगे। हम अत्यत प्रसन्न है कि उन्होने हमारे निमत्रण को स्वीकार करने योग्य पाया और समुद्र के जरिए भारत की यात्रा की। हम खेद है कि मिस्र के राजनीतिक सकट ने वफ्द के राष्ट्रपति मुस्तफा-अल-नाहस पाशा को इस प्रतिनिधिमडल का नेतृत्व स्वय करने की इजाजत नहीं दी। वफ्द पार्टी के अध्यक्ष और प्रमुख नेताओ को जानने का सुख रखते हुए मुझे आज अत्यत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अपने तमाम देशवासियो की ओर से मैं एक बार फिर उनका सर्वाधिक आत्मीय और हार्दिक स्वागत करता हू।

फरवरी 1938 मे जब हम हरिपुरा मे मिले थे, उसके बाद से अतर्राष्ट्रीय फलक पर कई अर्थपूर्ण घटनाए घटी हैं। इनमे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सितबर 1939 का म्यूनिख समझौता– जिसने पश्चिमी शक्तियों, फ्रास व ग्रेट ब्रिटेन, की तरफ से नाजी जर्मनी के एक अधम आत्मसमर्पण को क्रियान्वित किया। इसके परिणामस्वरूप यूरोप मे प्रधान शक्ति होने के लिए फ्रास ने युद्धबदी की और बिना किसी गोलाबारी के जर्मनी के हाथो मे एक दुरभि-सधि आ गई। हाल के दौर मे स्पेन की गणतात्रिक सरकार का शनै शनै पतन फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी की शक्ति व प्रतिष्ठा मे वृद्धि करता-सा प्रतीत होता है। यूरोपीय राजनीति से सोवियत रूस को निकाल बाहर करने के लिए षड्यत्र करते हुए तथाकथित लोकतात्रिक शक्तियो– फ्रास व ग्रेट ब्रिटेन– ने तात्कालिक रूप से स्वय को इटली और जर्मनी के साथ जोडा है। लेकिन यह कितने लबे समय तक सभव होगा ? इसमे कोई सदेह नहीं कि हाल के अतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमो के परिणामस्वरूप, यूरोप मे ओर उसी तरह एशिया में भी बर्तानी और फ्रासीसी साम्राज्यवाद को प्रतिष्ठा व शक्ति दोनो ही मामलो में एक बडा धक्का पहुचा है।

घरेलू राजनीति की ओर आते हुए मैं अपने-आप को अपनी बीमारी की दृष्टि से केवल चद महत्वपूर्ण समस्याओ के जिक्र के साथ ही शामिल करूगा। पिछले कुछ समय से जिसे मैं महसूस करता रहा हू, उसी के बारे मे मैं सबसे पहले एक स्पष्ट और असदिग्धार्थक इजहार करना चाहूगा– वह यह कि अब वह समय आ गया है हम स्वराज के मुद्दे को उठाए तथा अपनी राष्ट्रीय माग को एक अल्टीमेटम की शक्ल मे ब्रिटिश सरकार के सामने रखे। हमने अतीत मे एक लबे समय तक निष्क्रिय रुख अपनाए रखा और सघीय योजना को खुद पर लाद दिए जाने की प्रतीक्षा की। समस्या यह नहीं है कि सघीय योजना कब हमारी गर्दन दबोच ले– बल्कि समस्या तो यह है कि यूरोप मे शाति स्थापित होने तक सघीय योजना को यदि सुविधात्मक रूप से कुछ वर्षों के लिए त्याग दिया जाए, तो फिर हमे करना आखिर क्या चाहिए। यूरोप में यदि एक बार शाति

स्थापित हो गई– चाहे वह चारों शक्तियों में समझौते के जरिए हो या फिर किन्हीं अन्य कारणों के जरिए– तो ग्रेट ब्रिटेन निस्संदेह एक अत्यंत मजबूत साम्राज्यवादी नीति अख्तियार कर लेगा। वास्तविकता यह है कि फिलस्तीन में यहूदियों के खिलाफ अरबों को शांत करने संबंधी प्रयास करने का किंचित् लक्षण भी वह फिलहाल महज इसलिए प्रकट कर रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वह अपने-आप को कमजोर महसूस करता है। इसलिए मेरे विचार से अपनी राष्ट्रीय मांग को अल्टीमेटम के रूप में हमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखना चाहिए और इस बाबत एक निश्चित मोहलत दी जानी चाहिए जिसके भीतर ही उत्तर अपेक्षित हो। इस समयावधि में यदि कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता अथवा यदि असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होता है तो हमें अपनी राष्ट्रीय मांग पर बल देने के लिए कुछ मान्य कदम उठाने चाहिए। हम आज ऐसा जिस मान्य कदम को उठाते हैं वह है– व्यापक स्तर पर नागरिक अवज्ञा या सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार आज इस स्थिति में नहीं है कि वह अखिल भारतीय सत्याग्रह जैसे किसी बड़े विरोध का लंबे समय तक सामना कर सके।

मुझे यह जानकर दुःख होता है कि कांग्रेस में ऐसे भी निराशावादी लोग हैं जो यह सोचते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर इतना बड़ा धावा बोलने के लिए समय अभी परिपक्व नहीं हुआ है। लेकिन पूर्णतः यथार्थवादी ढंग से स्थिति को देखते हुए मुझे इस निष्क्रियता के लिए किंचित भी आधार नजर नहीं आता। आठ राज्यों में कांग्रेस की सत्ता के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संगठन की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ी है। जनांदोलनों ने ब्रिटिश-अधीन समूचे भारत में अपने अग्रसरण का गौरतलब बढ़ाव बनाया है। अब यह आखिरी बात, कि भारतीय राज्यों में संप्रति ऐसी जागरूकता है जिसका कोई पूर्व दृष्टांत नहीं मिलता। स्वराज की दिशा में निर्णायक पहल करने के निस्बत इससे अधिक आखिर और कौन-सा अनुकूल क्षण हम भारतीय इतिहास में पा सकते हैं– खास तौर पर तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हमारे पक्ष में हों। सर्द-मिजाज यथार्थवादी के रूप में कहूं कि तो मैं कह सकता हूं, वर्तमान स्थिति की सभी वास्तविकताएं हमारे लिए फिलहाल इस कदर अत्यधिक लाभकारी हैं कि हमें चरम आशावादी होना चाहिए। यदि हम केवल अपने मतभेदों को भुला दें अपने स्रोतों को एकत्रित करें और राष्ट्रीय संघर्ष में अपनी समूची शक्ति झोंक दें तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने संघर्ष को हम ऐसा बना सकते हैं कि वह उसका प्रतिरोध भी न कर पाए। क्या हम इस मौजूदा स्थिति का अपने लिए सर्वाधिक अनुकूल बनाने की राजनीतिक समझ दिखाएंगे या फिर एक ऐसे अवसर को खो देंगे, जो किसी भी राष्ट्र के जीवनकाल में यदा-कदा ही आते हैं?

भारतीय राज्यों में व्याप्त जागरूकता का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं कि हमें सरकार के खिलाफ अपने उस रुख की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए– जो कि हरिपुरा कांग्रेस के प्रस्ताव के जरिए व्याख्यायित हुई थी। जैसा

कि आप जानते है, उस प्रस्ताव मे काग्रेस के नाम से सरकार के खिलाफ चल रही गतिविधिया के कुछ स्वरूपो पर प्रतिबध दर्ज किया गया है। प्रस्ताव के तहत काग्रेस के नाम से सरकार के खिलाफ न तो कोई ससदीय कार्य किया जाना चाहिए और न कोई सघर्ष ही चलाया जाना चाहिए। लेकिन हरिपुरा अधिवेशन के बाद से काफी-कुछ व्यतीत हो चुका है। आज हम पाते हैं कि अधिकतर स्थानो मे राज-प्राधिकारियो के साथ साम्राज्य की सधि है। ऐसी परिस्थिति मे काग्रेस के हम सरीखे लोगों को क्या राज्यो की जनता के और निकट नहीं जाना चाहिए ? आज हमारा कर्तव्य जो है, उस बाबत मेरे मन मे कोई सशय नहीं है।

उपरोक्त प्रतिबध को उठाने के अलावा राज्यो मे नागरिक स्वतत्रता और जिम्मेदार सरकार के लिए जारी लोकप्रिय आदोलनो के निर्देशन सबधी कामो को भी कार्यकारिणी द्वारा समन्वित रूप से तथा व्यवस्थित आधार पर चलाया जाना चाहिए। अब तक किए गए काम टुकडे मे हुए हैं और इनके पीछे बमुश्किल ही कोई योजना या व्यवस्था कारगर रही है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब कार्यकारिणी को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए तथा समन्वित व व्यवस्थित ढग से इसका निर्वाह करना चाहिए– और यदि जरूरी हो तो, इस मकसद से एक विशेष उपसमिति की नियुक्ति करनी चाहिए। महात्मा गाधी के मार्गदर्शन और सहयोग का पूर्ण इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा राज्यो के अखिल भारतीय जन-सम्मेलन के सहयोग का भी अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

स्वराज की दिशा में अपना निर्णायक पहल बनाने की शीघ्रावश्यकता के बारे मे मैं पहले ही जिक्र कर चुका हू। उसे पर्याप्त तैयारी की दरकार होगी। सबसे पहले तो हमें उन सब कमजोरियो और भ्रष्टाचारो को निष्ठुरतापूर्वक दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे, जो सत्ता के प्रलोभनो के चलते हमारे पदाधिकारियो मे व्यापक तौर पर प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद हमें देश मे मौजूद सभी साम्राज्यवाद-विरोधी सगठनो– विशेषकर किसान आदोलनों और श्रमिक सघों– के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखकर काम करना होगा। देश मे मौजूद सभी मौलिक तत्वो को आपस मे घनिष्ठ सहयोग व एकता के साथ काम करना होगा और साम्राज्यवाद-विरोधी सगठनो का सभी प्रयास निश्चित तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर निर्णायक हमले की दिशा में सबको एक ही केद्र की ओर उन्मुख करेगा।

मित्रो सप्रति काग्रेस के भीतर वातावरण मे बदली छाई हुई है और असतोष प्रकट हो चुका है। हमारे बहुत-से मित्र अपने-आप को हताश और हतोत्साहित भी महसूस कर रहे हैं। जो बादल आप आज देखते हैं, वह गुजर जाने वाला है। मुझे अपने देशवासियो की देशभक्ति में पूरी आस्था है और मैं पूर्णत आश्वस्त हू कि शीघ्र ही हम इन कठिनाइयों पर काबू पा लेगे तथा अपने पदाधिकारियों के बीच एकता को फिर से कायम रख पाएगे।

इसी से कुछ मिलती-जुलती स्थिति 1922 में गया अधिवेशन के वक्त भी उभरी थी जब देशबधु दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मेरी प्रार्थना है कि मेरे स्वर्गीय गुरु, श्रद्धेय मोतीलालजी तथा भारत के अन्य तमाम सपूतों की आत्मा वर्तमान सकट मे हमें प्रेरणा दे और महात्मा गाधी– जो कि देश-सेवा और मार्गदर्शन के लिए अब भी हमारे साथ हैं– वर्तमान त्रासदी से कांग्रेस को उबारने के लिए मदद करे।

मेरी विचित्र बीमारी

अप्रैल 1939 के *'मार्डन रिव्यू'* मे प्रकाशित लेख का सपूर्ण पाठ्य

15 फरवरी, 1939। सेगाव मे महात्मा गाधी से मिलने और उनसे लबी बातचीत करने के बाद शाम करीब 6 बजे मै वर्धा लौटा। रात मे कुछ मित्र मुझसे मिलने आए और चूकि अन्य कोई महत्वपूर्ण व फौरी काम अब करना नही था लिहाजा हमलोगो ने गप-शप की। मैंने स्वय को कुछ अस्वस्थ महसूस करना शुरू किया इसलिए उन लोगो की मौजूदगी मे ही मैने अपना तापमान मापा। वह 94 4 डिग्री था। बहरहाल, मैंने इसे गभीरता से नहीं लिया।

अगली सुबह 16 फरवरी को मुझे वर्धा से कलकत्ता जाना था। सुबह ताजगी महसूस करने की बजाय मैने खुद को अस्वस्थ ही महसूस किया। मैंने सोचा कि वह पिछली रात नींद म पड़े व्यवधान का असर है। वर्धा और नागपुर स्टेशनो पर बडी सख्या में मित्रगण मुझसे मिलने आए और अपने बारे मे सोचने की मुझे कतई फुर्सत नही मिली। ट्रेन ने जब नागपुर स्टेशन छोड दिया जब मुझे आभास हुआ कि मैं बुरी तरह से अस्वस्थ हू। उस समय जब मैंने अपना तापमान मापा तो वह 101 डिग्री था। इसलिए मै सीधे बिस्तर पर जाकर पड रहा।

कुछ घटो बाद एक एग्लो-इडियन सज्जन मेरे कपार्टमेट मे आए। मैंने उनकी उपस्थिति का स्वागत नहीं किया– खासकर तब जबकि मैंने कयास किया कि कलकत्ता तक सारे रास्ते वह साथ-साथ सफर करेगे– क्योकि मै अपने बुखार के कारण बिल्कुल ही अकेला रहना चाहता था। लेकिन कोई चारा नहीं था, उन्होने भी उतना ही अधिकार जताया, जितना कि मैं रखता था। थोडी देर बाद उन्होने अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा और विनयपूर्ण स्वर मे पूछा 'परेशानी क्या है ? आप बुझे-बुझे से लग रहे हैं।' मैंने उत्तर दिया कि मै स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा हू और मुझे बुखार भी है। तब उन्होने कहा, 'मैं देख रहा हू कि आपको पसीना आ रहा है। आपको निश्चित ही इफ्लूएजा है।'

दिन-भर और रात-भर मै अपनी बर्थ पर लेटा ही रहा और पूरे समय मुझे पसीना

आता रहा। बार-बार मै उनके शब्दो पर चितन करता रहा, 'आप बुझे-बुझे-से लगते हैं।' आखिर कैसे मैं इतना बुरा लग सका ? मेरे चेहरे की अभिव्यक्ति हमेशा ऐसी रही है कि लबी बीमारी से उठने के बावजूद मैं बमुश्किल ही बुरा लगता था। इसके बावजूद महज एक दिन की बीमारी ही मुझे इस कदर नीचे कैसे गिरा सकी ? मैं उलझन मे था।

अगली सुबह मैं चुस्त-दुरुस्त दिखने के दृढ निश्चय के साथ जागा। मै बाथरूम गया हाथ-पाव धोया दाढी बनाई और जैसा एक दिन पहले था उससे कुछ बेहतर दिखते हुए मैंने यह सब किया। मेरे सहयात्री ने सहानुभूतिपूर्वक मुझसे पूछा कि मैं अब कैसा महसूस कर रहा हू और मेरा उत्तर सुनने के बाद उन्होने टिप्पणी की 'हा, आज सुबह आप बेहतर लगा रहे हैं। कल तो आप पूरी तरह बुझे-बुझे से लग रहे थे।'

स्टेशन स मे घर गया सिर्फ इसलिए कि कुछ मित्र वहा मुझसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथ वार्तालाप को मैने किचित परिश्रम से व्यवस्थित किया, लेकिन पूर्वाह्न 11 बजते-बजते तक मैंने स्वय को थका हुआ महसूस किया। मैने उनसे विदा ली और आराम करने गया। मुझे तब बिस्तर पर जाना पडा– उस बिस्तर पर, जिससे कि कई सप्ताहो तक मैं चिपक-सा गया।

डॉक्टर बुलाए गए। एक गहरी पडताल के बाद उन्होने अपना सिर हिलाया और मामले की गभीरता का आभास दिया। तब पैथालाजिस्ट को बुलाया गया और उसने व्यावहारिक जाच के लिए रक्त आदि का नमूना लिया। बाद मे अन्य डॉक्टरो को बुलाया गया, जिनमे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रथम चिकित्सक डॉ नीलरतन सरकार भी शामिल थे। जब डॉक्टरगण मेरी बीमारी के बारे म चितित महसूस कर रह थे और इस बीमारी का किस तरह मुकाबला किया जा सकता है इस बाबत अपने दिमाग पर जोर दे रहे थे– उस समय मैं अपनी सार्वजनिक व्यस्तताओ मे ही अधिक सलग्न था। 18 और 19 फरवरी को मुझे बिहार के हाजीपुर व मुजफ्फरपुर मे आहूत जन-कार्यक्रमो मे भाग लेना था तथा 22 फरवरी को वर्धा मे काग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। वर्धा से मै 22 फरवरी को ही कलकत्ता लौटा था और उसी शाम मुझे पटना के लिए रवाना हो जाना था। मेरा पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम क्या यथावत है और क्या मैं अब भी उस पर कायम हू– इस बाबत पता करने के लिए बिहार से कई पत्र और टेलीफोन-सदेश आए। यह बताते हुए भी कि यद्यपि मैं कुछ अस्वस्थ हू, मैंने उन्हे स्वीकारात्मक उत्तर ही दिया कि किसी भी कीमत पर मै पहुचूगा जरूर। मैं चाहता था कि वे लोग सभी जुलूसो-प्रदर्शनो को स्थगित कर दे और मेरे कार्यक्रम को जहा तक सभव हो, हल्का-फुल्का बना दे। उस शाम (17 फरवरी) को डॉक्टरगण जो कुछ कह रहे थे उसकी परवाह न करते हुए मैंने घर पर अपने लोगो से कहा कि हाजीपुर जाने के लिए मैं रात तक ट्रेन द्वारा पटना के लिए रवाना हो जाऊगा– क्योकि 18 व 19 फरवरी को अपने कार्यक्रमो मे भाग लेना मैंने तय कर लिया था। चिकित्सकीय सलाह सुनकर उससे प्रभावित होने की बजाय मैंने उसे

उलट दिया था कि मैंने जरूर रवाना होऊंगा भले ही मुझे 105 डिग्री बुखार क्यों न हो। उसके बाद मैंने अपना टिकट खरीदे जाने और बर्थ आरक्षित किए जाने का निर्देश दिया।

लेकिन जैसे-जैसे घंटे बीतते गए मेरा तापमान ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। सबसे बुरा तो यह था कि विदारक सिरदर्द ने मुझे जकड़ रखा था। जब मेरे रवाना होने का समय आया, तो हालांकि सब कुछ तैयार था मगर मैं अपना सिर उठा तक नहीं सका। अपनी क्षुद्र बेचारगी पर मुझे बेहद दुःख हुआ और मैंने अपना निश्चय तब त्याग दिया। मुझे अत्यंत उद्विग्नतापूर्वक यह तार भेजना पड़ा कि आज रात रवाना होना मेरे लिए मुमकिन नहीं– लेकिन अगली रात रवाना होने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। अगले दिन भी मेरी हालत कतई बेहतर नहीं थी वस्तुतः यह और भी बिगड़ गई थी। इससे भी अधिक यह कि 17 तारीख को मेरे रवाना न हो सकने के कारण सारा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गया था। इसलिए मुजफ्फरपुर यात्रा को भी पूरी तरह से त्यागना पड़ा। इस अप्रत्याशित घटना की बाबत मेरे गहन पश्चाताप को कोई और चीज व्याख्यायित नहीं कर सकती।

हालांकि 18 फरवरी के बाद मुजफ्फरपुर मेरे कार्यक्रम से बाहर हो चुका था लेकिन मेरा मन सामान्य नहीं हो पाया। मैंने कार्यकारिणी की वर्धा बैठक के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। डॉक्टरों ने मुझे बारबार इस बाबत आगाह करना शुरू कर दिया कि मेरा वर्धा जाना असंभव है। यदि मैं कार्यकारिणी की बैठक में जाने का अपना इरादा छोड़ दूं और अपने मन को स्वास्थ्य अर्जित करने पर केंद्रित करूं, तो मैं त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लेने लायक हो सकता था– अन्यथा त्रिपुरी अधिवेशन को भी छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन ये सभी चेतावनियां किसी बहरे व्यक्ति से कहने सरीखी थीं। चिकित्सकीय परामर्श के बावजूद मेरी तैयारियां जारी थीं और मित्रों को धन्यवाद कि 22 फरवरी को या उसके आस-पास की तिथियों को मुझे नागपुर ले जाने के लिए एक हवाई जहाज की व्यवस्था हो गई थी।

21 तारीख को मैंने धीरे-धीरे यह जाना किया कि डॉक्टर सही थे और यह कतई नामुमकिन है कि मैं वर्धा जाऊं– चाहे ट्रेन से या हवाई जहाज से। मैंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल को तार द्वारा इस आशय की सूचना दी तथा त्रिपुरी अधिवेशन तक के लिए कार्यकारिणी की बैठक को स्थगित करने का सुझाव दिया। उस समय तक मुझे इसका धुंधला-सा भी ख्याल नहीं था कि कार्यकारिणी के (तेरह में से) बारह सदस्य लगभग तुरंत ही इस्तीफा दे देंगे।

अधिक खलबली तो उपरोक्त दोनों तारों पर स्वार्थी खेमों द्वारा पैदा की गई और आरोपित यह किया गया कि मैं कार्यकारिणी को नियमित कार्यवाहियों के निर्वाह की भी इजाजत नहीं देता। इस तरह का आरोप पूरी तरह से निराधार है। पहली बात तो यही है कि उन तारों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह ध्वनित होता हो कि मैं नहीं चाहता

कि कार्यकारिणी अपनी नियमित कार्यवाहियो का निर्वाह करे। मेरा सरोकार तो अधिवेशन के लिए प्रस्ताव के उस मसौदे से था, जिसे कार्यकारिणी ने अपने वार्षिक पूर्ण सत्र की पूर्व-सध्या पर सामान्य रूप से तैयार किया था। दूसरी बात यह कि स्थगन की बाबत अपना सुझाव देने के बाद सरदार पटेल को प्रेषित अपने तार मे मैंने उनसे अन्य सदस्यो की राय जानने और उसके बारे मे मुझे तार द्वारा खबर देने का अनुरोध किया था। मेरे तारो का उत्तर था– कार्यकारिणी के बारह सदस्यो का त्यागपत्र। यदि इन सदस्यो ने त्रिपुरी अधिवेशन के लिए प्रस्तावो का प्रारूप मेरी अनुपस्थिति मे तैयार किए जाने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैं उस बाबत निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहना चाहूगा। जहा तक कार्यवाहिया के निर्वाह का मसला है, कार्यकारिणी के अन्य सदस्य यदि स्थगन के बारे मे राजी नहीं थे अथवा उन्हे उस बारे मे कोई सदेह था– जो कि मेरा वास्तविक तात्पर्य था– तो वे मुझे बडी आसानी से टेलीफोन या तार करके खबर कर सकते थे। नियमित कार्यवाहियो के निर्वहन पर मुझे रत्ती-भर भी आपत्ति नहीं थी। यदि उन्होने मुझसे पूछा-भर होता, तो जैसा कि अन्य तथा अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाहियो मे पहले भी उन्होने पाया था– इस बार भी मेरी ओर से इस बाबत कोई आपत्ति नहीं होती, यदि वे उन्हे मेरी अनुपस्थिति मे ही जारी रखने पर राजी थे। मेरी एकमात्र चिता तो बस अधिवेशन के लिए कार्यकारिणी द्वारा तैयार प्रस्ताव के ऐसे मसौदे को लेकर थी, जिस पर सभी सदस्य राजी होते– अन्यथा खतरा यह था कि जब प्रस्ताव का 'आधिकारिक' मसौदा विषय-समिति के समक्ष लाया जाता तो कार्यकारिणी के सदस्य विभिन्न मार्चो से घेराबदी कर लेते। इस मतैक्य को हासिल करने के लिए ही मेरी उपस्थिति तब आवश्यक थी जब कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जा रहा हो। इसीलिए मैंने त्रिपुरी अधिवेशन तक के लिए कार्यकारिणी की बैठक को स्थगित रखने का सुझाव दिया था। यदि कार्यकारिणी के (तेरह मे से) बारह सदस्यो ने अपने इस्तीफो के रूप मे बम-बिस्फोट न किया होता, तो मेरा यह सुझाव सचमुच बहुत अच्छी तरह काम करता।

21 फरवरी को मैंने सरदार पटेल को जो तार भेजा था, वह निम्नवत है

सरदार पटेल, वर्धा

कृपया महात्मा गाधी को प्रेषित मेरे तार को देखे। मैं खेदपूर्वक महसूस करता हू कि कार्यकारिणी की बैठक को अधिवेशन तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। कृपया सहयोगियो से विचार-विमर्श करे और उनकी राय से मुझको तार द्वारा अवगत कराए – सुभाष।

विषयातर के लिए क्षमा। यह कोई 'राजनीतिक' लेख नहीं है और जब मैंने इसे लिखना शुरू किया था कि मैं अपनी 'विचित्र बीमारी' के बारे में ही लिखूगा और इसे व्याख्यायित करूगा कि आखिर क्यो मैंने इस बीमारी को 'विचित्र' कहा। मैं अपनी

कहानी अब जारी रखूंगा।

मैं आशाओं के विपरीत उम्मीद कर रहा था कि 21 फरवरी की शाम तक मैं कार्यकारिणी की वर्धा बैठक में भाग लेने लायक हो जाऊंगा या कम-से-कम 22 फरवरी को तो हवाई जहाज से वहां के लिए रवाना हो ही जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर उतने चिंतित नहीं थे। उनके लिए वर्धा तो मसले से बाहर था ही उनकी निगाहें तो बस त्रिपुरी पर टिकी हुई थीं। उनका एकमात्र प्रयास मेरे स्वास्थ्य को अगले कुछ दिनों के भीतर ही इस दशा तक बेहतर बनाना था कि मैं कम से कम त्रिपुरी कांग्रेस के लिए तो यात्रा कर ही सकूं। सर नीलरतन सरकार की मेडिकल बुलेटिन में तो त्रिपुरी कांग्रेस के लिए मेरी यात्रा तक की मनाही कर दी गई थी लेकिन मैंने अपने डॉक्टरों पर जोर डाला और उनसे बहस की– और आखिरकार उनसे साफ-साफ यहां तक कहा कि मैं चाहे जितने भी समय तक जीवित रहूं, किंतु मैं त्रिपुरी अधिवेशन से दूर नहीं रह सकता– खासकर ऐसे समय में तो हर्गिज नहीं, जब देश अपने इतिहास के इतने संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा हो। मैं आभारपूर्वक स्वीकार करता हूं कि त्रिपुरी अधिवेशन में मुझे भाग लेने लायक बनाने के लिए उन्होंने वह सब-कुछ किया जितना कि एक मनुष्य के नाते उनके लिए संभव था।

पांच सप्ताह की अपनी बीमारी पर वापस आते हुए मैं एक चीज जरूर स्वीकार करूंगा कि शुरू से ही मैंने अपनी बीमारी को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, जितना कि डॉक्टरों ने। वस्तुतः मेरा सोचना था कि डॉक्टर लोग बेवजह ही आगाह करते रहते हैं– और इसलिए मैंने उन्हें उतना सहयोग नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। दूसरी ओर, मेरे पास गिला करने के लिए एक खरा बहाना भी है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर पूर्णतः आराम करना मेरे लिए कतई मुमकिन नहीं था। सर्वाधिक संकटपूर्ण क्षणों में मैं बीमार हो जाता हूं। कार्यकारिणी के सदस्यों के इस्तीफों ने संकट को और गंभीर बना दिया। मुझ पर हमला करते हुए बयान-दर-बयान जारी किए जा रहे थे। ये 'निर्ममतम' आघात उस खेमे की ओर आए थे जहां से इनके आने की बहुत कम उम्मीद थी। कांग्रेस के महासचिव ने भी इस्तीफा दे दिया लिहाजा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लिख भेजी गई कार्यवाही में मुझे बलात् भाग लेना पड़ा। जहां तक साक्षात्कारों का मसला है, मैं उन कांग्रेसजनों से मुलाकात को मना नहीं कर सका, जो कांग्रेस की कार्यवाहियों के बारे में कांग्रेस के अध्यक्ष से चर्चा के लिए दूर-दराज से आए थे– जबकि सभी स्थानीय मित्रों व मुलाकातियों से भेंट करना मैंने साफ तौर पर नामंजूर कर दिया था। इनके और अन्य तमाम कारणों के चलते मैं अपनी सर्वोत्तम आकांक्षाओं के बावजूद शारीरिक और मानसिक आराम की बाबत अपने डॉक्टरों की सलाह पर अमल न कर सका। यहां मैं एक प्रासंगिक दृष्टांत देना चाहूंगा। मेरे खिलाफ जब बयान-दर-बयान जारी किए जा रहे थे, तब मेरी चुप्पी का गलत अर्थ लगाया जा रहा था और मेरे मित्रों में मतभेद थे– यहां तक कि दूर-दराज के प्रांतों ने कुछ इस किस्म का बयान जारी करने

के लिए मुझ पर जोर डालना भी शुरू कर दिया था, जिससे कि मेरे खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपो का कम-से-कम सामना तो किया जा सके। बीमारी के कारण आई अपनी काहिली के बाद एक दोपहर मैंने अपना मन बनाया कि मैं तत्काल अपना वक्तव्य तैयार कर डालू। बहरहाल, यह आसान मसला नहीं था। मेरे खिलाफ आरोप आखिर थे क्या– इसे समझने के क्रम मे मुझे पहले उन तमाम वक्तव्यो को गभीरता से पढने पर अत्यधिक श्रम करना था, जो तब तक सामने आ चुके थे। ऐसा करने के बाद ही मैं अपना वक्तव्य लिखवा सका। टाइप कापी का मैंने काफी देर तक अध्ययन किया और फिर जब उसे प्रेस मे जारी करने का निर्देश दिया, तो उस समय तक आधी रात हो चुकी थी। तब मेरा तापमान मापा गया और वह 103 डिग्री था। इससे पहले मेरे आम हालत मे किंचित् सुधार था और पिछले दो दिनो से मेरा शाम का तापमान 101 डिग्री से बढने नहीं पाया था। इसलिए डॉक्टरो ने मेरी तबियत के फिर से बिगडने की बाबत दुख व्यक्त किया, जो कि उनकी दृष्टि मे स्वस्थ होने से पहले ही मेरे जान-बूझकर किए गए मानसिक श्रम के चलते था– लेकिन मैं विवश था, क्योकि परिस्थितियो ने मुझे काम करने के लिए मजबूर कर दिया था।

अपनी कठिनाइयो के मर्म की चर्चा अब मैं जरूर करूगा, क्योकि जो कुछ हुआ, उस बाबत मैं इसी के जरिए बेहतर तौर से स्पष्ट कर पाऊगा। 17 फरवरी को वर्धा से वापस आने के बाद जब मैं कलकत्ता मे बीमार पड गया था, तब स्वार्थी लोगो द्वारा व्यापक तौर पर यह प्रचारित किया गया कि मेरी बीमारी दरअसल 'फर्जी' है और 22 फरवरी को काग्रेस कार्यकारिणी की आहूत बैठक टालने के लिए ही अपने इस राजनीतिक बुखार का मैं इस्तेमाल कर रहा हू। विभिन्न प्रातो मे मौजूद मेरे मित्रो द्वारा यह खबर मुझ तक पहुचाई गई थी और इसकी प्रामाणिकता मे कोई शक नहीं। यहा तक कि सर नीलरतन सरकार द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन भी उन लोगो पर कोई असर नहीं डाल सकी, जो जान-बूझकर दुर्भावनापूर्ण रूप से उपरोक्त झूठा प्रचार कर रहे थे। जबलपुर और त्रिपुरी मे भी ऐसा ही प्रचार किया जा रहा था। 6 मार्च को साय करीब 4 बजे जब मैं जबलपुर पहुचा तो उस समय मेरा तापमान 101 डिग्री था। जब मैं एक एबुलेस के जरिए त्रिपुरी स्थित अपने शिविर पर पहुचा, तो मेरा तापमान बढकर 103 डिग्री हो गया था। त्रिपुरी पहुचने पर स्वागत समिति के डॉक्टरो ने मुझे देखा। मेरी जाच करने के बाद उनमे से एक ने दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और एकबारगी यह मुझे विचित्र लगा। कुछ दिनो बाद सारा किस्सा मेरी समझ मे आ गया। त्रिपुरी मे हर किसी ने मुझसे कहा कि मैं वास्तव मे बीमार नहीं हू और इस प्रचार ने डॉक्टरो को भी प्रभावित कर लिया था। मेरे आने के बाद जब उन्होंने मेरी जाच की और कहा कि मैं गभीर रूप से बीमार हू, तो उन्हें आश्चर्य हुआ और तब उस झूठे व दुर्भावनापूर्ण रूप से किए जा रहे प्रचार के प्रति उन्होने रोष व्यक्त किया। त्रिपुरी में मौजूद स्वार्थी लोगों ने उन डॉक्टरो द्वारा जारी

मेडिकल बुलेटिनो पर फिर भी विश्वास नहीं किया इससे उन डॉक्टरो के रोष मे स्वभावत इजाफा हुआ। उदाहरणार्थ, कार्यकारिणी के एक महत्वपूर्ण पूर्व सदस्य ने स्वागत समिति के डॉक्टर से एक दिन पूछा कि क्या मेरा तापमान वास्तव मे 102 डिग्री था और क्या स्वय उसने (डाक्टर ने) यह तापमान मापा है। अनेक निष्पक्ष सूत्रो से मुझ तक जो सूचनाए पहुची है वे ये थीं कि सर्वोच्च वर्गो ने भी मेरी बीमारी पर विश्वास नही किया जा रहा था। एक दिन निपट उत्तेजनावश स्वागत समिति के डॉक्टरो ने एक ऐसे मेडिकल बोर्ड को बुला भेजा जिसमे सयुक्त प्रात व बेरार के सिविल अस्पताल के महानिरीक्षक तथा जबलपुर के सिविल सर्जन भी शामिल थे। उनका सयुक्त वक्तव्य जारी होने के बाद वातावरण मे कुछ तब्दीली आई। लेकिन इन उच्चाधिकारियो के वक्तव्य का परिणाम यह हुआ कि अधिवेशन के खुले सत्र म मेरे भाग लेन पर प्रतिबध लगा दी गई। पूर्ण सत्र मे भाग लेने की खातिर इजाजत पाने के लिए मैं स्वागत समिति के डॉक्टरो को तो किसी प्रकार बहला-फुसला सकता था, मगर अधिकारियो के साथ ऐसा करना सभव नहीं था– क्योकि वे काफी चतुर थे। अपना वक्तव्य जारी करने से पूर्व भी उन्होने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनकी राय पर भरोसा करुगा और क्या मै उनकी सलाह मानूगा। जाहिर है कि मुझे सकारात्मक उत्तर देना पडा और ऐसा कहकर मैं बध गया– क्योकि तब मैने (प्रकारातर से) कह ही दिया था कि अधिवेशन के खुले सत्र मे भाग नही ले सकूगा। स्वागत समिति द्वारा मेरे लिए की गई व्यवस्थाए बिल्कुल सतोषजनक थी और शारीरिक नजरिए से मुझे किसी शिकायत का मौका नही मिला। लेकिन उपरोक्त तथा अन्य कारणो के चलते त्रिपुरी का नैतिक वातावरण एक हद तक मिचली पैदा करने वाला हो गया था। काग्रेस के किसी पूर्व अधिवेशन मे मुझे ऐसा तजुर्बा पहले कभी नहीं हुआ था।

17 फरवरी से मुझे प्राप्त होने वाले पत्रो तारो आदि का न सिर्फ पढा जाना ही दिलचस्प है बल्कि उन्होने अपने नियमित विस्तार का भी ढेर लगा दिया है। हर दिन वे बरस पडते है- और केवल पत्र व तार ही नहीं आते, बल्कि ऐसे पार्सल व पैकेट भी आते हैं, जिनमे हर तरह की दवाइया और हर प्रकार के नुस्खो के तावीज भी होते हैं। इन पत्र-लेखको और वस्तु-प्रेषको का मैंने जब विश्लेषण किया, तो पाया कि इनमे प्रत्येक धार्मिक पथो का प्रतिनिधित्व है। न केवल प्रत्येक धार्मिक पथो का बल्कि प्रत्येक चिकित्सा-पद्धति (यदि मैं ठीक शब्द का इस्तेमाल करू तो सभी पैथी') और दोनो ही लिगो के लोगो का भी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि– ऐलोपैथ, होम्योपैथ, वैद्य हकीम, प्राकृतिक चिकित्सक ज्योतिषी आदि-महिलाए व पुरुष सभी मुझे पत्र लिखते रहे, अपने सुझाव देते रहे तथा कभी-कभी तो दवाइया और तावीज भी भेजते रहे। जाहिर है कि उनकी सदाशयता के लिए उन्हे धन्यवाद देना और पत्र लिखना मेरे लिए फिलहाल सभव नही। जब मुझसे कोई उत्तर उनको नहीं मिलता, तो कभी-कभी वे एक से अधिक

बार भी पत्र लिखते हैं। फिलहाल, मैं इन सब नुस्खो का क्या करूं ? पहली चीज जो मुझे करनी चाहिए वह यह कि इन्हे अपने डॉक्टरो को सौंप दू, क्योकि वे ही उनके उपयोग का सर्वश्रेष्ठ फैसला कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर मामलो मे डॉक्टरगण भेजे गए नुस्खो व दवाइयो के किसी इस्तेमाल के प्रति अनिच्छुक ही रहते हैं। यह उनकी ओर से अशोभनीय है या मेरी ओर से ? मुझे इसमे साश्चर्य सदेह है।

दवाओ और नुस्खो के अलावा, मुझे बडी सख्या में पत्र तथा कुछ अलग तरह के पार्सल भी प्राप्त होते रहे हैं। ज्योतिषियों और साधुओ की ओर से मुझे ताबीज और आशीर्वाद भेजे जाते हैं। कतिपय मदिरो और उपासना-स्थलों ने मेरे स्वास्थ्य-मगल हेतु प्रार्थनाएं आयोजित करने के बाद अनेक अज्ञात शुभचितक और सहानुभूति रखने वाले लोग भी मुझे आशीर्वाद पुष्प प्रेषित करते हैं। प्रचलित रीति-रिवाजो के अनुसार इन आशीर्वादी पुष्पो, पत्तो, आहुति-भस्मो *(या निर्माल्य)* आदि को आदरपूर्वक स्वीकार करना पडता है तथा उसे कुछ क्षणो के लिए सिर के ऊपर रखना या माथे से लगाना पडता है। लेकिन महिलाए कुछ आगे भी निकल जाती हैं। इस क्रिया-कर्म के पूरा हो जाने के बाद भी वे (महिलाए) उन्हे फेकने के प्रति अनिच्छुक रहती हैं– परिणामस्वरूप ऐसे तमाम पैकेट व ताबीज मेरे तकिए के नीचे पाए जा सकते हैं और उनकी तादाद मे इजाफा भी होता जा रहा है। मैं निजी तौर पर अत्यंत विवेकशील मानसिकता का हूं, किंतु मैं दूसरो के अहसासो और भावनाओ का सम्मान भी करता हूं– भले ही उनसे सहमत न होऊ।

इसलिए मैं मन ही मन इन नुस्खों, दवाओं, ताबीजों, पुष्पो, आहुति-भस्मों आदि का वास्तविक मूल्य तौलने लग जाता हू। यह जानकर मेरा मन भर आया कि ये सब चीजे व्यापक भारतीय समुदाय के हर वर्ग से तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर कोने से आई हैं। जब मैंने पाया कि मेरे पास शुभचितको और सहानुभूति रखने वालो का इतना व्यापक समुदाय है, तो उसने मेरी आखो मे अनुग्रहीत होने के आसू ला दिए। कुछ पत्र-लेखक अपने लिए शायद किसी किस्म का विज्ञापन भी चाहते थे, परतु इसमे कोई शक नहीं कि अधिसख्य लोगो ने मेरे कष्ट के प्रति अपने आत्मीय अहसासो व भावनाओ के चलते ही ऐसा किया। उन नुस्खो या दवाओ या ताबीजो का शायद कोई वस्तुगत मूल्य नहीं है, लेकिन उनके पीछे सहानुभूति का जो वास्तविक अहसास और प्यार छिपा है, वे मेरे लिए निर्बंध मूल्य तथा गहन अभिप्राय रखते हैं। मुझे कतई सदेह नहीं कि ये सदिच्छाए मेरे स्वास्थ्य-लाभ में मुझे अत्यत मदद करेंगी– किसी-भी निष्प्राण दवा और ज्योतिषीय ताबीज से भी कहीं अधिक बढकर ! उनके चिकित्सकीय परामर्शो या दवाओ या ताबीजो का भले ही मैं कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर भी मैं उनकी उन सदिच्छाओ को आभारपूर्वक स्वीकार करता हू, जिनमे भेजने वालो की हार्दिकता प्रेषित है।

त्रिपुरी मे नैतिक रूप से मिचली पैदा करने वाले वातावरण के कारण मैंने घृणित राजनीति के प्रति ऐसी अनिच्छा व अरुचि से भरकर वह स्थान छोड़ा, जैसी कि पिछले

उन्नीस वर्षों के दौरान कभी महसूस नहीं की थी। चूंकि मैं जामदोबा मे रोग-शैय्या पर फेंक दिया गया था, लिहाजा मैंने दिन-रात अपने-आप से बार-बार यह प्रश्न पूछा कि हमारे सार्वजनिक जीवन का तब होगा आखिर क्या, जब उच्चतम दायरो मे ही इतनी अधिक निर्दयता और बदला लेने की भावना मौजूद हो ? मेरे विचार स्वाभाविक तौर पर उस ओर मुड गए, जो कि जीवन मे मेरा पहला आकर्षण था– हिमालय की सनातन पुकार। यदि हमारी राजनीति का लक्ष्य यही है– मैंने अपने-आप से पूछा- तो फिर मैं उस चीज से क्यो भटक जाऊ, जिसे कि अरविंद घोष ने 'दिव्य जीवन' कहा है ? मेरे लिए क्या अब वह समय आ गया है कि मैं माया का पर्दा तार-तार कर दू और अपने कुल आकर्षण का केद्र बनी पहाडी चोटियो की ओर चल चलू ? मेरे इस नैतिक सशय और अनिश्चय मे कई-कई दिन और कई-कई राते बीत गईं। हिमालय की पुकार मुझे हर समय प्रेरित करती रही। अपने मन मे छाए अधकार के लिए मैंने प्रकाश की प्रार्थना की। तब मुझमे हौले-से एक नए बोध का सूर्योदय हुआ और मैंने अपने मानसिक सतुलन के साथ-साथ मनुष्य-मात्र तथा अपने देशवासियो मे अपनी आस्था को पुनर्प्राप्त करना शुरू किया। आखिरकार त्रिपुरी ही तो भारत नही था। एक और भी भारत था, जो कि इन पत्रो, नुस्खो, दवाओ, ताबीजो पुष्पो आदि के जरिए दिव्यतापूर्वक प्रकट हुआ था। भारत के प्रति मेरी जो शिकायते थीं, क्या वे वास्तविक भारत के प्रति थीं ? मुझे तब यह बात फिर कौंधी कि त्रिपुरी मे भी दो दुनिया थी। निर्दयता और बदला लेने की वह भावना, जिसको मैंने महसूस किया था, वस्तुत त्रिपुरी का एक हिस्सा भर था। दूसरा हिस्सा क्या था ? क्या इस दूसरे हिस्से के प्रति मैं कोई शिकायत कर सकता था ? फिर जो कुछ मैंने त्रिपुरी मे महसूस किया उसके बदले क्या मैं मनुष्य-मात्र मे ही अपनी आधारभूत आस्था को खो सकता था ? मनुष्य-मात्र मे अनास्था वस्तुत उसकी दिव्यता मे– उसके अस्तित्व-मात्र मे अनास्था थी। इसलिए धीरे-धीरे मेरे सारे सशय साफ हो गए और मैंने अपने सामान्य और स्वस्थ आशावाद को फिर से प्राप्त कर लिया था। अपने होने की स्वाभाविकता को फिर से हासिल करने मे इन नुस्खो, दवाओ ताबीजो पुष्पो आदि ने मुझे महान सहायता प्रदान की।

मैंने शारीरिक रूप से अत्यत कष्ट भुगता है और तमाम रोगो का भी मुझे तजुर्बा हासिल हुआ है। कभी-कभी मैं सोचता हू कि रोग-निदान के लिए पाठ्य-पुस्तको मे वर्णित तमाम उपायो को आजमा लिया है। घर पर, विदेश मे और जेल मे भी मैं बीमार पड चुका हू। दरअसल, मैं अक्सर विडबनाओ को लत्ती मार रहा हू। लेकिन अपने कुल जीवन मे मुझे एक महीने तक लगातार जारी रहने वाली ऐसी किसी तीक्ष्ण और केंद्रीभूत शारीरिक व्याधि का कभी तजुर्बा नहीं हुआ था, जैसा कि 17 फरवरी 1939 से हुआ है। बेशक मैंने कारागार में बहुत कष्ट सहे हैं, किंतु वे कष्ट अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि तक पसरे हुए थे। इस समय मुझे क्या हुआ ? पिछले महीने के प्रथम हिस्से मे मैं अपेक्षाकृत अधिक

हृष्ट-पुष्ट दिखता रहा। क्यो और किस तरह मैं अचानक इतना बीमार पड़ा ? संभवतः अकेले डाक्टरो को ही इसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए किंतु एक व्यक्ति– स्वयं मरीज– को भी क्या इसका उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए ?

डॉक्टरो के सामने तमाम चिकित्सकीय जाच-रिपोर्टों का ढेर है। तिस पर भी उन्होने बार-बार मेरी जाच की। मरीज के साथ उनका हालाकि उतना संवाद नहीं होता था, जितना कि उस रोग के साथ, जिससे कि मरीज पीडित है– मगर मैं कयास करता हू कि मेरी मौजूदा व्याधि शायद लीवर और अतडी-सबधी जटिलताओ की कोई देन है। डॉक्टरो का यह भी कहना है कि रक्तचाप असामान्य रूप से कम है। इससे भी अधिक यह है कि प्रतिरोधक शक्ति भी– जैसा कि मल आदि के जाचो से जाहिर है– बहुत कम है तथा कमजोरी भी अत्यधिक है। सक्रमण से लडने और सामान्य स्थिति की पुनर्प्राप्ति के लिए पर्याप्त शक्ति मे भी कमी है। क्या यह स्पष्टीकरण यथेष्ट और पर्याप्त है ? मुझे पता नहीं।

मेरी जीवनीशक्ति, जो कि किन्हीं कारणो से फिलहाल अत्यधिक कम है, उसके बारे मे किसी स्पष्टीकरण से परे मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है कि चिकित्सकीय तथा अन्य तरह के सभी परीक्षणों ने इसे मेरी लबी खिची बीमारी और शारीरिक व्याधि के असली कारण के तौर पर जाहिर किया है। बीमार पडने के कुछ दिनो बाद से ही मैंने विभिन्न क्षेत्रों से प्रेषित उन तारो व पत्रो को प्राप्त करना शुरू कर दिया, जिनमे मेरी व्याधि की प्रकृति के बारे मे सुझाव दिए गए थे। उनमे से कुछ तारो मे सुझाया गया था कि मुझे जहर दिया गया है। मेरे डाक्टर पहली बार तो इस पर चौंक ही पडे। बाद मे उन्होंने इस मसले पर गौर किया, लेकिन इस धारणा के पक्ष मे उन्हे चिकित्सा-सबधी कोई भी निर्दिष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका।

कुछ दिनो बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर मुझसे मिलने आए। वह सस्कृत साहित्य के विकट अध्येता और विलक्षण प्रतिभा के ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हे मेरा पूरा परिवार बहुत मान-सम्मान देता है। हम लोगो तक वह एक सदेश लेकर आए थे। एक अच्छी-खासी तादाद मे पडितो व ज्योतिषियो ने आपस मे मिलकर मेरी बीमारी पर चर्चा की थी। इन लोगो मे वह स्वय भी शामिल थे। ये सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुचे थे कि मेरी विचित्र और जटिल बीमारी सामान्य कारणो के चलते नहीं हो सकती। उनका विचार था कि देश के किसी हिस्से मे कोई वह सब कुछ कर रहा है, जिसे तत्र-शास्त्र मे 'मारण क्रिया'– अर्थात तात्रिक पद्धति या इच्छाशक्ति के जरिए हत्या का प्रयास– कहा जाता है। हर कोई इस षड्यत्र से चौंक पड़ा था। तात्रिक मनोप्रक्रियाओं के अनुरूप असामान्य इच्छाशक्ति के सचेष्ट रहने की सभावना पर विश्वास किए बिना भी क्या सन् 1939 जैसे प्रगतिशील दौर में मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि जैसी मन क्रियाए मुमकिन हैं ? जो प्रोफेसर मुझसे मिलने आए थे, उनका मानना था कि ऐसी प्रक्रियाएं हालांकि अब दुर्लभ

ही हे पिन्तु तिस पर भी वह दृढमत थे कि वे की जा सकती हैं। उनका कहना था कि मेरी शक्ति के कारण ही इस मारण क्रिया ने हालांकि कोई दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम नहीं व्यक्त किया मगर मेरे स्वास्थ्य को उसने जरूर क्षतिग्रस्त कर दिया। अत मे उन्होने मुझे कुछ सुझाव दिए कि किस तरह मुझे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए।

मैं स्वीकार करता हू कि इस वार्तालाप ने मुझे जरा भी प्रभावित नहीं किया, लेकिन तिस पर भी इसने मुझमे एक विलक्षण अहसास जरूर जगाया। मेरे मस्तिष्क मे एक प्रश्नचिन्ह की गहरी छाप पड गई थी। कोई अन्य व्यक्ति यदि इस ढग की बात करता, तो उसे किंचित् सौजन्यता के साथ बेशक खारिज भी किया जा सकता था लेकिन एक सज्जन व्यक्ति जिनकी ईमानदारी असंदिग्ध चरित्र निर्दोष तथा विद्वता गहन हो और जिसे राजनीति से भी कोई लेना-देना न हो, उसे गौर से सुनना ही पडा– भले ही उसकी बातो को गभीरता से न लिया जाए।

लगभग इसी समय–यानी त्रिपुरी से मेरे रवाना होने से कुछ दिनो पहले-बडी तादाद मे मित्रो ने भी मुझ पर इसके लिए दबाव डालना शुरू किया कि अपने स्वास्थ्य मे सुधार के सिलसिले मे सहायता के लिए मैं कुछ ताबीज पहनू। मेरे विवेकशील मानस ने प्रथमत तो इससे बगावत की किंतु बाद मे कमजोरी के क्षणो मे मै राजी हो गया। मैने एक जोडी अगूठी और चार ताबीजो को पहनना स्वीकार किया। ये चीजे मैंने महज उन्हीं मित्रों की ओर से स्वीकार कीं जिन्हे मैं जानता था और जो किसी पेशेवर मकसद से ऐसा नहीं करते थे। जिन लोगो को मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता था उनसे ताबीजे लेना मजूर नहीं किया–हालाकि ऐसे ताबीज बडी सख्या मे थे। उन सबको पहनना स्वय को ताबीज-प्रदर्शनी मे परिवर्तित करने जैसा होता। त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान स्वस्थ रहने के प्रति मैं इतना चिंतित था कि अपने-आप को मैंने समझा लिया था कि इन ताबीजो के इस्तेमाल से अगर मैं अपने स्वस्थ होने का पाच प्रतिशत मौका भी पा सकू, तो मुझे आखिर इसे खोना क्यो चाहिए ? इसलिए मैंने अपनी आत्यतिक विवेकशीलता से समझौता कर लिया, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन जैसे ही बीता, मैंने अपने-आप को इन दो अगूठियो और चार ताबीजो से मुक्त कर दिया– और अब मेरी विवेकशीलता सुरक्षित हे तथा मैं अब प्रकृति व अपने भाग्य पर विश्वास कर सकता हू।

मेरी बीमारी की बावत कुछ ऐसी निश्चित चीजे भी हैं जिनके बारे मे कम-से-कम कोई आम आदमी तो हिसाब नहीं ही लगा सकता। कोई नियमितता या आवधिकता नहीं रहती है। कुछ दिनो से मेरे शरीर का तापमान दोपहर के समय बढना शुरू होता साय लगभग 6 बजे वह अपने चरम पर पहुचता और तब धीरे-धीरे कम होता। अगली सुबह वह सामान्य होता। तापमान का बढना असहनीय सरदर्द के साथ-साथ होता जो कि चार-पाच घटे तक बर्फ के निरतर प्रयोग के बाद ही शात हो पाता। बेहद पसीना निकलने

के वाद शक्ति निचुड-सी जाती और पूरी तरह खिन्नता छा जाती। तब यह क्रम अचानक बदल जाता। एक ओर तो बुखार बिना किसी ढील के दिन-रात बना रहता और दूसरी ओर उसमे अत्यधिक बढत होती। लक्षण कभी मलेरिया का, तो कभी आतो के बुखार का, तो कभी किसी और तरफ सकेत देते।

लेकिन निदान-सबधी जाच हर समय नकारात्मक ही ठहरते। यदि एक दिन बुखार 104 डिग्री तक चढ जाता, तो दूसरे दिन वह सामान्य दशा तक उतर जाता और बुखार के स्थाई तौर पर उतर जाने की लोगो को उम्मीदें बंध जाती। बुखार की स्वेच्छाचारिता और लक्षणो की विभिन्नता डॉक्टरो और आम लोगो दोनो को ही व्यग्र कर देती। अत्यधिक कमजोरी और शिथिलता भी एक रहस्य बनी हुई है, जो मुझे जकडे हुए थी। यहा तक कि मैं आज भी ऐसा नहीं सोचता कि मेरी तबियत वास्तव मे जितनी खराब है, उसका आधा दिखता है।

पिछले पाच या उससे अधिक हफ्तो के दौरान हालाकि मैं काफी हद तक बाहरी दुनिया से अलग-थलग रहा हू, किंतु दूसरे अर्थो मे इसके साथ निकट सपर्क मे भी रहा हू। उन लोगो ने, जिनका कि राजनीति से कोई सबध नहीं है और जिन्हे मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता तक नहीं, देश के दूर-दराज कोने मे बसे उन लोगो ने– यहा तक कि कट्टरपथी पडितो ने भी– मेरी बीमारी मे मेरे प्रति जिस उत्कठा और सहानुभूति का प्रदर्शन किया, उसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने खुद से अक्सर पूछा है– 'वह कौन-सा बधन है, जो हमे बांधता है ? मेरे लिए उनमे अहसास क्यो जागा ? उनका ऐसा प्यार पाने लायक किया क्या है मैंने ?' इन प्रश्नो के उत्तर उन्हीं के द्वारा दिए जा सकते हैं।

एक चीज, जो मैं जानता हूं– वह है भारत, जिसके लिए कोई व्यक्ति श्रम करता और कष्ट सहता है। वह भारत ही है, जिसके लिए कोई व्यक्ति अपना जीवन तक न्यौछावर कर देता है। यही है वह वास्तविक भारत, जिसमे कोई व्यक्ति अमर आस्था रख सकता है। त्रिपुरी क्या कहता या करता है– इससे कोई मतलब नहीं।

जामदोबा
झीलगुडा पोस्ट ऑफिस
जिला–मानभूमि

कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र पर जारी वक्तव्य

कलकत्ता मे 29 अप्रैल, 1939 को आयोजित अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक मे दिया गया वक्तव्य

मित्रो,

नई कार्यकारिणी के गठन से सबधित उस प्रस्ताव से आप सब अवगत है, जिसे त्रिपुरी अधिवेशन मे पारित किया गया था। प्रस्ताव इस प्रकार था

अध्यक्षीय चुनाव के सिलसिले मे और उसके बाद उठे विवादो के चलते काग्रेस तथा देश मे तमाम तरह की जो गलतफहमिया पैदा हुई है, उनके मद्देनजर वाछनीय है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए तथा अपनी आम नीति की घोषणा करनी चाहिए।

काग्रेस की उन आधारभूत नीतियो के प्रति कमेटी अपना दृढ लगाव घोषित करती है, जिन्होने महात्मा गाधी के मार्ग-दर्शन के तहत पिछले कई वर्षो से उसके कार्यक्रमो को सचालित किया है और कमेटी का यह निश्चित मत है कि इन नीतियो का सातत्य भग नही होना चाहिए तथा भविष्य मे भी काग्रेस के कार्यक्रमो के सचालन के लिए उनको जारी रहना चाहिए।

कमेटी उस कार्यकारिणी मे अपना विश्वास व्यक्त करती है, जो पिछले वर्ष के दौरान कार्यरत थी और उसके सदस्यो मे से किसी के भी खिलाफ जो निदा की जाती रही, उसके प्रति खेद व्यक्त करती है।

इस शोचनीय स्थिति के मद्देनजर, जो आगामी वर्ष के दौरान और भी बिगड सकती है तथा इस वास्तविकता के मद्देनजर कि ऐसे सकट के दौरान अकेले महात्मा गाधी ही काग्रेस का नेतृत्व करने और देश को उबारने मे समर्थ हैं, कमेटी अनिवार्य रूप से यह मानती है कि काग्रेस कार्यकारिणी को उनका अखड विश्वास अर्जित करना चाहिए और वह अध्यक्ष से गाधीजी की इच्छा के अनुरूप ही कार्यकारिणी को नामजद करने का अनुरोध करती है।

मुझे अत्यत खेद है कि त्रिपुरी अधिवेशन के समय से ही मैं नई कार्यकारिणी के सदस्यो की घोषणा करने मे असमर्थ रहा हू। लेकिन यह उन परिस्थितियो के कारण हुआ, जो मेरे काबू से बाहर रही हैं।

अपनी बीमारी के कारण मै महात्मा गाधी से भेट न कर सका। इसके बदले मैने उनके साथ पत्र-व्यवहार प्रारभ किया। इसने हम लोगो को अपने विचारो और दृष्टिकोणो को तो स्पष्ट करने मे समर्थ जरूर बनाया, परतु हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुच पाए। मैंने जब यह महसूस किया कि पत्र-व्यवहार बेअसर सिद्ध हुए है, तब मैंने दिल्ली मे महात्माजी से मिलने का सीधा प्रयास करना चाहा– मगर वह प्रयास भी विफल हो गया।

कलकत्ता मे महात्माजी के आने के बाद हम लोगो ने लबी वार्ताए कीं, कितु दुर्भाग्यवश वे भी समाधान तक नहीं पहुचे। महात्माजी का सुझाव तो मुझको यह था कि पिछली कार्यकारिणी से इस्तीफा देने वाले सदस्यो को छोडकर मुझे कार्यकारिणी का स्वय गठन करना चाहिए।

मैं इस सुझाव पर अनेक कारणो से अमल नहीं कर सकता। जिन प्रमुख कारणो को मै कह सका, उनमे से दो का उल्लेख करू, तो यह कि ऐसा कदम पतजी के उस प्रस्ताव मे प्रदत्त निर्देशो के विपरीत होता, जो अन्य चीजो के बीच एक तो इसका प्रावधान करता है कि कार्यकारिणी को गाधीजी की इच्छा के अनुरूप ही बनाया जाना चाहिए और दूसरे यह भी कि उस कार्यकारिणी को महात्मा गाध ी का शकारहित विश्वास अधिकृत करना चाहिए।

यदि मैं ऐसी किसी समिति का गठन करता– जैसा कि मुझे ऊपर सुझाया गया था– तो मैं यह कहने मे समर्थ न हो पाता कि कमेटी को उनका अखड विश्वास प्राप्त है। इससे भी बढकर मेरा यह दृढ विश्वास है कि भारत और विदेश मे हमारे समक्ष फिलहाल जो सकटपूर्ण दौर है, उसके मद्‌देनजर हमे एक मिला-जुला कबीना ही बनाना चाहिए, जिसे काग्रेसजनो का अधिकतम तादाद मे विश्वास हासिल हो और काग्रेसजनो की महासभा का सयोजन भी जिससे प्रतिबिबित हो।

चूकि मै महात्माजी के सुझाव पर अमल नहीं कर सका लिहाजा मैं अपने इस अनुरोध की पुनरावृत्ति मात्र कर पाया कि उन्हे उस जिम्मेदारी को खुद वहन करने मे अपना कधा देने को कृपापूर्वक तैयार होना चाहिए, जिसे त्रिपुरी अधिवेशन ने उनमे विहित किया है और साथ ही कार्यकारिणी को भी उन्हे ही नामजद करना चाहिए। चूकि पतजी के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना मेरा दृढ निश्चय था, इसलिए मैने उनसे कहा कि जैसी भी कार्यकारिणी वह नियुक्त करेगे, वह मुझे अनिवार्य रूप से मान्य होगी। हमारे दुर्भाग्यवश, महात्मा गाधी ने कार्यकारिणी को नामजद करने मे अपनी असमर्थता जाहिर की।

अतिम कदम के रूप मे मे यह कहना चाहूगा कि उपरोक्त समस्या के अनौपचारिक समाधान तक पहुचने के लिए मैन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। महात्माजी ने मुझसे कहा कि पूर्व कार्यकारिणी के सभी सदस्य और मैं स्वय अपने विचारो को इकट्ठा कर सकते है और इस तरह हम किसी समझौते पर पहुच सकते है। मैं इससे सहमत हुआ और हमने इसके लिए प्रयास भी किया।

यदि हम किसी निष्कर्ष तक पहुचने मे सफल हुए होते, तब हम अपने अनौपचारिक समझौते के औपचारिक दृढीकरण के लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष आते। इस मसल पर चर्चा म हालाकि हमने अनेक घटे खर्च किए,मगर दुर्भाग्यवश हम किसी निष्कर्ष पर नही पहुच सके। इसलिए मुझ गहरे खेद के साथ आपको यह सूचित करना पड रहा है कि नई कार्यकारिणी के सदस्यो की घोषणा करने मे मे असमर्थ रहा हू। मै इस पर गभीरता स चितन करता रहा हू कि उस समस्या के समाधान म मै अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की क्या-कुछ सहायता कर सकता था, जो कि सक्रमण बला मे बतौर अध्यक्ष मरी उपस्थिति से उसकी राह म सम्भवत एक तरह की रुकावट या विकलागता ला सकती हे– उदाहरणार्थ कार्यकारिणी को नियुक्त करन मे अखिल भारतीय काग्रस कमेटी स्वय को प्रवृत्त महसूस कर सकती हे जिसमे कि मैं अनुपयुक्त होऊगा।

मैं यह भी महसूस करता हू कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के लिए इस मसले का निपटारा करना तब शायद और भी आसान हो सकता है, यदि उसके पास एक नया अध्यक्ष हो। इसलिए, परिपक्व निश्चय के बाद और पूर्णत सहयोगी भावना से भरकर मैं आपके हाथो मे अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हू।

ऐसा समय बहुत कम रहा है जिसे मैं अपनी मर्जी से उपयोग मे ला पाता तथापि मैंने एक सक्षिप्त वक्तव्य तैयार किया है। मै उम्मीद करता हू कि यह वक्तव्य मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करने मे सफल होगा। मित्रो अब मैं आपसे निवेदन करूगा कि इस सदन की कार्यवाहियो को सचालित करने के लिए आप नए सभापति का चुनाव करे।

नेताजी को उनके त्यागपत्र पर रवींद्रनाथ टैगोर का सदेश

सर्वाधिक उत्तेजक स्थिति के बीच भी जिस गरिमा और धैर्यशीलता का आपने प्रदर्शन किया उसने मेरी प्रशसा और आपके नेतृत्व म विश्वास को जीत लिया

है। अपने निजी आत्मसम्मान की खातिर बगाल को ऐसी ही परिपूर्ण मर्यादा अब भी अक्षुण्ण बनाए रखनी है और इसी के जरिए अपनी प्रत्यक्ष-भासित पराजय को स्थाई विजय मे परिवर्तित करने म आपको सहायता मिलेगी।

प्रमुख राजनीतिक पत्राचार

बोस-जिन्ना पत्र-व्यवहार
(मई-दिसबर, 1938)

एम ए जिन्ना को

14 मई, 1938 को काग्रेस-अध्यक्ष द्वारा श्री एम ए जिन्ना को दिया गया पत्रक

गोपनीय

काग्रेस-अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री जिन्ना के बीच बातचीत के दौरान श्री जिन्ना ने सुझाव दिया कि जो भी समझौता होगा वह काग्रेस तथा मुस्लिम लीग की स्थिति की साफ समझ के आधार पर होना चाहिए। उन्होने प्रस्तावित किया कि बातचीत निम्नलिखित बिदुओ पर होनी चाहिए

हिदुस्तानी मुसलमानो के आधिकारिक तथा प्रतिनिधि सगठन के रूप मे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा हिदू नजरिए के मुख्य आधार के आधिकारिक तथा प्रतिनिधि सगठन के रूप म काग्रेस ये दोनो बडे सगुदाय अपने बीच सधि के जरिए तथा हिदू-मुसलमान समस्या पर समझौते के लिए निम्नलिखित शर्तो पर सहमत है।

फिर बाद मे सोच-विचार क बाद उन्होने कुछ भिन्न सुझाव दिए जो निम्नलिखित हैं

काग्रेस तथा हिदुस्तान के मुसलमानो के आधिकारिक तथा प्रतिनिधि सगठन के रूप म अखिल भारतीय मुस्लिम लीग सधि के जरिए हिंदू-मुसलमान समझौते की निम्नलिखित शर्तो पर सहमत हैं।

यद्यपि पहले की अपेक्षा दूसरा वक्तव्य छोटा है, फिर भी पहले दिए गए वक्तव्य के भाव को ही स्पष्टतया रूपायित करता है– यानी काग्रेस को हिंदुओ का प्रतिनिधित्व करना चाहिए तथा मुस्लिम लीग को मुसलमानो का।

सभवत काग्रेस स्वय को किसी खास समुदाय का प्रतिनिधि नहीं मान सकती और

न ही उसके अनुरूप काम ही कर सकती है– यद्यपि वह खास समुदाय हिंदुस्तान का बहुमत वाला समुदाय हो सकता है। अपरिहार्य तौर पर इसके दरवाजे सभी समुदायो के लिए खुले रहने चाहिए और इसे अपनी आम नीति तथा तरीको से सहमत होने वाले सभी भारतीयो का स्वागत करना चाहिए। यह किसी एक समुदाय के प्रतिनिधित्व और इस तरह स्वय के लिए एक साप्रदायिक सगठन बन जाने की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती। साथ ही, काग्रेस अल्पसख्यक हितो का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सगठनो के साथ पूर्णत विचार-विमर्श तथा सहयोग की भी इच्छा रखती है।

यह स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पूरे देश म अल्पसख्यक होते हुए भी जनसख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं तथा हिंदुस्तान को प्रभावित करने वाली किसी भी योजना मे उनकी इच्छाओ तथा आशाओ का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह भी सच है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग वजन रखने वाले मुसलमान नजरिए के बडे हिस्से का प्रतिनिधि सगठन है। इसलिए लीग के दृष्टिकोण को समझने तथा एक आपसी समझदारी विकसित करने का काग्रेस प्रयत्न करेगी। इसके बावजूद काग्रेस अतीत मे अपने साथ काम कर चुके अन्य मौजूदा मुसलमान सगठनो से सलाह-मशविरे के लिए बाध्य होगी। इसके बाद भी यदि अन्य समूह या अल्पसख्यक हित का कोई मामला आता है, तो ऐसे हितो के प्रतिनिधियो से बातचीत करना जरूरी होगा।

जिन्ना को

26, मैरीन ड्राइव बबई
15 मई, 1938

प्रिय श्री जिन्ना,

पिछली रात मैंने अपनी स्थिति को साफ करते हुए एक पत्रक आपको दिया था। आपने मुझसे पूछा था कि वे कौन से रचनात्मक प्रस्ताव हैं, जो हमे तैयार करने हैं। मैं सोचता हू कि वह पत्रक स्वत स्पष्ट है। आपके सुझाव पर काग्रेस की प्रतिक्रिया की जानकारी देने के बाद मेरी समझ से अब अगले कदम की तरफ बढना ही बचता है– यानी ऐसी प्रतिनिधि समिति की नियुक्ति, जो समझौते की शर्तों को सयुक्त रूप से तय करे।

सद्भावना सहित आपका,
सुभाषचद्र बोस

जिन्ना की ओर से

लिटिल गिब्स रोड
मालाबार हिल, बबई
16 मई, 1938

प्रिय श्री बोस
14 मई को काग्रेस की तरफ से मुझे भेजा गया आपका पत्रक मिल चुका है और 15 मई, 1938 को लिखा गया आपका पत्र भी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्यकारी परिषद् तथा कार्यसमिति की जून के पहले सप्ताह मे होने वाली बैठक मे यह मामला रखा जाएगा और जितना जल्द सभव हो मै निर्णय से आपको अवगत कराऊगा।

सदभावना सहित आपका
एम एम जिन्ना

जिन्ना की ओर से

6 जून, 1938

प्रिय श्री बोस
15 मई को जारी आपके पत्र तथा काग्रेस की तरफ से मुझे दिए गए आपके पत्रक पर अपने वायदे के मुताबिक मैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्यकारी परिषद के निर्विरोध निर्णय को इस पत्र के साथ सलग्न कर रहा हू।

सद्भावना सहित आपका,
एम ए जिन्ना

प्रस्ताव स 1

अखित भारतीय मुस्लिम लीग की कार्यकारी परिषद् ने काग्रेस की तरफ से अध्यक्ष श्री सुभाष बोस द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री जिन्ना को 14 मई को भेज गए पत्रक तथा 15 मई को जारी उनके पत्र पर विचार किया है। परिषद् के लिए मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान का मुसलमानो के आधिकारिक तथा प्रतिनिधि सगठन मानने के आधार के अतिरिक्त हिंदू-मुसलमान समझौते के मसले के सवाल पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लिए काग्रेस से बातचीत कर पाना या कोई हल निकालना सभव नहीं है।

प्रस्ताव सं 2

22 मई, 1938 को जारी श्री गाधी के पत्र पर भी परिषद् ने विचार किया है और उसकी राय मे प्रस्तावित समिति के सदस्यों में ऐसे किसी मुसलमान को शामिल करना संभव नहीं, जिसकी नियुक्ति काग्रेस करे।

प्रस्ताव सं 3

कार्यकारी परिषद् अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की घोषित नीति को स्पष्ट करना चाहती है कि अन्य सभी अल्पसख्यको के अधिकारों तथा हितो को सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि उनके बीच सुरक्षा-बोध कायम किया जा सके तथा उनके विश्वास को जीता जा सके। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अल्पसख्यको के प्रतिनिधियो से तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य दूसरे हित- समूहो से राय-मशविरे के लिए तैयार रहेगी।

जिन्ना को

निम्नलिखित तार 21 जून 1938 को काग्रेस अध्यक्ष द्वारा श्री जिन्ना को भेजा गया

कल लौटा। पत्र मिला। धन्यवाद। पावती सूचना मे देरी के लिए खेद है –सुभाष बोस।

जिन्ना को

38/2 एल्गिन रोड, कलकत्ता
27 जून, 1938

प्रिय श्री जिन्ना,

मुस्लिम लीग की कार्यकारी परिषद् के प्रस्तावो को स्पष्ट करते हुए इसी महीने की 6 तारीख का लिखा आपका पत्र समय से कलकत्ता पहुच गया था, लेकिन मैं यात्रा पर था, इसलिए इस महीने की 20 तारीख को हुई वापसी से पहले उन्हे नहीं देख सका। मैंने आपके पत्र के मिलने की सूचना आपको अगले दिन ही तार द्वारा दे दी थी।

9 जुलाई को वर्धा में काग्रेस की कार्यसमिति बैठक करेगी। आपका पत्र और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव समिति के सामने रखे जाएगे और उसके बाद मैं इसके निर्णय से जितना जल्दी हो सके, अवगत कराऊगा।

शुभकामनाए।

सद्भावना सहित आपका,
सुभाषचद्र बोस

जिन्ना को

वर्धा
25 जुलाई, 1938

प्रिय श्री जिन्ना,

6 जून, 1938 को लिखे आपके पत्र के साथ सलग्न मुस्लिम लीग की परिषद् के प्रस्ताव के सदर्भ मे कार्यसमिति इस पर हर सभव ध्यान दे चुकी है। लीग-परिषद् का पहला प्रस्ताव लीग के महत्व को परिभाषित करता है। यदि इसका अर्थ यह है कि सप्रदाय के सवाल पर समझौते की शर्तों पर विचारार्थ किसी समिति के गठन से पूर्व ही प्रस्ताव मे परिभाषित महत्व को काग्रेस को स्वीकृति दे देनी चाहिए तो यह निश्चित ही कठिन है। यद्यपि प्रस्ताव मे 'सिर्फ' विशेषण का पयोग नहीं हुआ है, पर प्रस्ताव की भाषा से विशेषण की मौजूदगी समझ मे आ जाती है। कार्यसमिति को पहले ही लीग को विशेष महत्व देने के खिलाफ चेतावनी मिल चुकी है। मुसलमानो के ऐसे भी कई सगठन हैं, जो मुस्लिम लीग से स्वतत्र रहकर सक्रिय हैं। उनमे से कुछेक काग्रेस के निष्ठावान समर्थक भी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मुसलमान व्यक्तिगत तौर पर काग्रेसी हैं जिनमे से कुछ लोग देश मे महत्वपूर्ण असर भी रखते हैं। फिर सीमात प्रात भी है, जहा मुसलमान बहुतायत मे हैं और मजबूती से काग्रेस के साथ है। आप देखेंगे कि इन तथ्यो की रोशनी मे काग्रेस के लिए लीग-परिषद् के पहले प्रस्ताव को स्वीकार करना असभव ही नहीं, बल्कि अनुचित भी है। सुझाव यह है कि सगठनो के महत्व की कोई भी व्याख्या उन पर ठीक नहीं बैठती। यह किसी खास सगठन के सेवाभाव की निजी निष्ठा से तय होती है। इसलिए कार्यसमिति आशा करती है कि लीग-परिषद् काग्रेस से असभव को क्रियान्वित करने के लिए नहीं कहेगी। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि लीग के साथ काग्रेस दोस्ताना सबध रखने तथा काफी विवादास्पद हो चुके हिंदू-मुसलमान समस्या पर सम्मानजनक समझदारी स्थापित करने की इच्छा ही नहीं रखती, बल्कि उत्सुक भी है ? इस मौके पर शायद काग्रेस का दावा सही है। यद्यपि यह स्वीकार किया जा चुका है कि काग्रेस की विभिन्न पजिकाओ मे दर्ज लोगो मे अधिकाशत हिंदू ही हैं, फिर भी काग्रेस मे मुसलमान तथा विभिन्न मतो मे विश्वास रखनेवाले अन्य समुदायो के सदस्यो की सख्या भी अच्छी-खासी है। हिंदुस्तान को अपना घर मानने वाले सभी समुदायो, सभी जातियो, सभी नस्लो तथा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व काग्रेस की अटूट परपरा रही है। इसके गठन के समय से ही प्रतिष्ठित मुसलमान इसके अध्यक्ष तथा महासचिव रहे हैं, जिनमे काग्रेस और देश का अटूट विश्वास निहित था। काग्रेस की परपरा रही है कि जिस मत मे किसी काग्रेसी का पालन-पोषण हुआ है, यद्यपि वह उसमे विश्वास रख सकता है, लेकिन इस मताग्रह के आधार पर कोई काग्रेस का सदस्य नहीं बनता है। वह काग्रेस के बाहर या भीतर काग्रेस के राजनीतिक सिद्धातो तथा नीतियों की स्वीकृति के आधार पर है। इसलिए काग्रेस किसी भी तरह साप्रदायिक सगठन नहीं है।

सच तो यह है कि इसने साप्रदायिक भावना के खिलाफ हमेशा ही सघर्ष किया है, क्योकि यह भावना पवित्र और निष्कलक राष्ट्रीयता की प्रगति के लिए हानिकारक है।

लेकिन जब काग्रेस दावा करती है और कमोबेश सफलता के साथ अपने दावे को पूरा करने की बात कर भी चुकी है, तो यदि आपकी परिषद् काग्रेस के साथ समझ बना पाए, ताकि हम राष्ट्रीय भाईचारा कायम कर पाए तथा अपनी साझी नियति की अनुभूति के लिए लगनपूर्वक काम कर सके, तो कार्यसमिति को प्रसन्नता होगी।

परिषद् के दूसरे प्रस्ताव के सदर्भ मे मुझे डर है कि इसमे व्यक्त इच्छा के अनुसार चलना कार्यसमिति के लिए सभव नहीं है।

तीसरे प्रस्ताव को समझने मे कार्यसमिति असमर्थ है। जहा तक कार्यसमिति का विचार है, सिर्फ मुस्लिम-हितो को पूरा करने तथा इसकी सदस्यता भी सिर्फ मुसलमानो को मुहैया करवाने की दृष्टि से मुस्लिम लीग पूर्णत एक साप्रदायिक सगठन है। यह हिंदू-मुसलमान समस्या पर काग्रेस के साथ समझौता चाहती है, जबकि अन्य अल्पसख्यकों को प्रभावित करने वाले मसलो पर समझौता नहीं चाहती है। जहा तक काग्रेस की बात है, यदि अन्य अल्पसख्यक काग्रेस के प्रति कोई शिकायत रखते हैं, तो यह उनके साथ विचार-विमर्श के लिए हमेशा तैयार है। क्योकि काग्रेस अपने सविधान मे जाति और सप्रदाय मे भेद किए बिना पूरे हिदुस्तान की प्रतिनिधि होने के कारण ऐसा करने के लिए बाध्य है।

अपने पूर्वानुमान से मैं आशा करता हू कि समझौते तक पहुंचने के लिए हमारी बातचीत मे नया मोड लाना हमारे लिए सभव होगा।

एक सुझाव है– जैसा कि पूर्व पत्राचार पहले ही प्रकाशित हो चुका है– जनता को विश्वास मे लेना और हमारे बीच के पत्राचारो को प्रकाशित करना अच्छा होगा। यदि आप सहमत हो तो इन दस्तावेजों को शीघ्र ही प्रकाशन के लिए जारी कर दिया जाएगा।

सदभावना सहित आपका,
सुभाषचद्र बोस

जिन्ना की ओर से

मालाबार हिल, बबई
2 अगस्त 1938

प्रिय श्री बोस

25 जुलाई, 1938 के आपके पत्र को मैंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्यकारी परिषद् के सामने रखा।

कार्यकारी परिषद् ने आपके तर्कों पर समुचित ध्यान दिया और गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया, जिसमे प्रस्ताव न 1 मे व्यक्त महत्व के दावे पर जोर न देने के लिए कहा गया है। मै बताना चाहता हू कि महत्व को परिभाषित करते हुए स्वीकृति के लिए परिषद् किसी मशा से प्रेरित नहीं थी पर सिर्फ एक स्वीकृत तथ्य को ही व्यक्त किया था।

परिषद् पूर्णत स्वीकार करती है कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के मुसलमानो का आधिकारिक तथा प्रतिनिधि सगठन है। इस स्थिति को 1916 मे लखनऊ मे हुए काग्रेस-लीग समझौते मे भी स्वीकार किया गया था और तब से 1935 मे हुए जिन्ना-राजेंद्र प्रसाद वार्तालाप तक इस पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया गया। इसलिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को न तो काग्रेस से किसी स्वीकृति या पहचान की आवश्यकता है और न इस बबई मे कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव से। लेकिन तथ्यों की रोशनी मे लीग के महत्व– वास्तव मे इसके अस्तित्व– पर ही काग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके ही एक वक्तव्य मे प्रश्नचिन्ह लगाया गया था जिसमे उन्होने जोर दिया था कि देश मे सिर्फ दो दल हैं– अग्रेज सरकार तथा काग्रेस। कार्यकारी परिषद द्वारा इसी आधार पर काग्रेस को सूचना देना आवश्यक समझा गया ताकि इन दो सगठनो की बातचीत आगे बढ सके।

हिंदू-मुसलमान समस्या के समाधान की खातिर बातचीत मे शामिल होने के लिए काग्रेस ही मुस्लिम लीग के पास गयी थी। इस महत्वपूर्ण तथ्य के अतिरिक्त इसने लीग के आधिकारिक और प्रतिनिधि चरित्र तथा इसी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानो की तरफ से समझौता करने के अधिकार का पूर्वानुमान कर लिया था।

परिषद् इस तथ्य से परिचित है कि एन डब्ल्यू एफ पी मे काग्रेस गठजोड से बनी सरकार है तथा अन्य प्रातो मे भी काग्रेस सगठन मे कुछ मुसलमान हैं। लेकिन परिषद् का यह दृष्टिकोण है कि काग्रेस के ये मुसलमान अपनी सख्या नगण्य होने के नाते हिंदुस्तान के मुसलमानो का न तो प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही कर सकते हैं। काग्रेस का सदस्य होने के नाते वे मुसलमान समुदाय की तरफ से प्रतिनिधित्व करने या बोलने के लिए अयोग्य बन चुके है। ऐसा न भी हो लेकिन राष्ट्रीय चरित्र के बारे मे आपके पत्र मे किया गया काग्रेस का पूरा दावा धराशायी हो जाएगा। आपके पत्र मे उल्लिखित लेकिन बेनाम अन्य मुसलमान सगठनो के सदर्भ मे परिषद सोचती है कि यदि उनके बारे मे चर्चा नहीं हुई होती, तो अधिक उचित होता। यदि वे हिंदुस्तान के मुसलमानो की तरफ से सामूहिक या व्यक्तिगत तौर पर बोलने की स्थिति मे रहते तो हिंदू मुसलमान समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम लीग के साथ बातचीत काग्रेस-अध्यक्ष तथा श्री गाधी के जरिए नहीं शुरू हुई होती।

जहा तक मुस्लिम लीग की सोच है वह यह नहीं समझती कि किसी मुस्लिम

राजनीतिक सगठन ने हिंदुस्तान के मुसलमानो की तरफ से अब तक बोलने या बातचीत कर सकने का दावा किया है। इसलिए यदि आपने इस सिलसिले में अन्य मुस्लिम सगठनों को भी पत्र लिखा है, तो यह बहुत ही अफसोसनाक है।

परिषद् भी समान रूप से 'काफी विवादास्पद हो चुके हिंदू-मुसलमान समस्या' का समाधान निकालने और इस तरह सारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मजबूती देने के प्रति उत्सुक है। लेकिन यह सूचना पीडादायक है कि मुद्दे को ढकने तथा बातचीत की प्रगति को धीमा करने के लिए उपयुक्त तर्क दिए जा रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर परिषद् यह बताना चाहती है कि काग्रेस द्वारा गठित की जाने वाली समिति मे मुसलमानो के प्रवेश को वह अवाछनीय मानती है, क्योकि यह समिति हिंदू-मुसलमान समस्या के निराकरण के लिए बैठक बुलाएगी और इस तरह इस मुद्दे की प्रकृति के कारण वह न तो हिंदुओ का विश्वास जीत पाएगी और न ही मुसलमानो का बल्कि वास्तव मे उसकी स्थिति काफी हास्यास्पद हो जाएगी। इसलिए परिषद् उपरोक्त बातो की रोशनी में इस समस्या पर विचार करने का अनुरोध करती है।

तीसरे प्रस्ताव के सदर्भ मे 15 मई, 1938 के आपके पत्र में अन्य अल्पसख्यकों की चर्चा के मद्देनजर अपनी घोषित नीति के समर्थन मे जब कभी आवश्यक हुआ, तो मुस्लिम लीग ने उनसे विचार-विमर्श के लिए इच्छा जाहिर की। प्रकाशन के लिए पत्राचारो को जारी करने की आपकी इच्छा के सबध मे परिषद् को उनके साथ इस पत्र के भी प्रकाशन मे कोई आपत्ति नहीं है।

सद्भावना सहित आपका
एम ए जिन्ना

जिन्ना को

38/2 एल्गिन रोड, कलकत्ता
16 अगस्त, 1938

प्रिय श्री जिन्ना,

2 अगस्त, 1938 के आपके पत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके जवाब में हुई देरी के लिए खेद है। मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे काग्रेस कार्यसमिति के सामने सितबर में होने वाली बैठक में रखना चाहूंगा। इसके बाद ही मैं आपको जवाब दूगा।

हार्दिक शुभकामनाए।

सद्भावना सहित आपका,
सुभाषचंद्र बोस

जिन्ना को

दिल्ली
2 अक्तूबर, 1938

प्रिय श्री जिन्ना,
2 अगस्त, 1938 को लिखा गया आपका पत्र कार्यसमिति के सामने रखा गया। आवश्यक विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित उत्तर को प्रस्तावित किया गया

यद्यपि आपके पत्र मे गलतिया हैं, इसलिए उन पर केंद्रित होने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आपके पत्र का सार तत्व यही है कि हिंदुस्तान मे मुसलमानो के आधिकारिक सगठन के रूप म मुस्लिम लीग अपना महत्व स्वीकार किए जाने के मामले मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर काग्रेस से उम्मीद नहीं करती। यदि लीग द्वारा यही नजरिया अपनाया जाता है तो मैं यह कहने के लिए अधिकृत हू कि समझौते की शर्तो को तय करने मे लीग द्वारा नियुक्त होने वाली समिति से वार्ता के लिए काग्रेस कार्यसमिति तैयार है। वार्ता मे कार्यसमिति का प्रतिनिधित्व इसके पाच सदस्य करेग।

पूर्व पत्राचार पहले ही प्रकाशन के लिए जारी कर दिए गए हैं। इसलिए अब मैं इस पत्र को भी प्रेस के लिए जारी करने की छूट ले रहा हू।

सदभावना सहित आपका
सुभाषचद्र बोस

जिन्ना की ओर से

कराची, 9 अक्तूबर, 1938

प्रिय श्री बोस
2 अक्तूबर को लिखा गया आपका पत्र मुझे मिल चुका है जो लीग की कार्यकारी परिषद् के समक्ष रखा गया। उसके उत्तर मे मैं यह कहने के लिए अधिकृत हू कि 2 अगस्त को लिखे मेरे पत्र का काग्रेस की कार्यसमिति द्वारा गलत अर्थ निकाले जाने के लिए कार्यकारी परिषद् को काफी अफसोस है। यह पत्र काफी स्पष्ट था। इसे समझने के लिए किसी व्याख्या या पुनर्व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मेरे उपरोक्त पत्र मे कहे गए आधार पर हिंदू-मुसलमान समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम लीग अब भी बातचीत के लिए तैयार है। 5 जून को जारी हमारे पूर्वोक्त तीन प्रस्तावो मे निर्दिष्ट आधार पर काग्रेस द्वारा तय समिति के लिए लीग अपने प्रतिनिधि भेजेगी।

सद्भावना सहित आपका,
एम ए जिन्ना

जिन्ना को

काग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा मे 11 स 16 दिसबर, 1938 तक चले विचार-विमर्श म श्री जिन्ना के 9 अक्तूबर, 1938 को लिखे गए पत्र पर विचार किया और पत्राचार बद करते हुए निम्नलिखित शर्तो के साथ श्री जिन्ना को पत्र लिखन के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया

16 दिसबर, 1938

प्रिय श्री जिन्ना

9 अक्तूबर, 1938 को लिखे गए आपके पत्र पर कार्यसमिति ने विचार किया और समिति उसमे उल्लिखित निर्णय पर दुख प्रकट करती है। बातचीत के आधार के संदर्भ मे काग्रेस मुस्लिम लीग की परिषद् से सहमत नहीं है और परिषद् चूकि कांग्रेस और लीग के बीच किसी भी बातचीत के लिए समझौते के आधार को अनिवार्य करने पर जोर देती है, इसलिए यह समिति दुख प्रकट करती है कि हिंदू-मुसलमान समस्या के समाधान की दिशा मे यह कुछ कर पाने की स्थिति मे नहीं है।

आपके पत्र का जवाब देने मे हुई देरी के लिए क्षमाप्रार्थी हू, लेकिन कार्यसमिति की बैठक तथा मुद्दे पर उसके विचार करने से पहले मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता था।

पूर्व पत्राचार पहले ही प्रकाशित हो चुका है इसलिए मैं इस पत्र को भी प्रेस मे देने की छूट ले रहा हू।

सद्‌भावना सहित आपका
सुभाषचद्र बोस

बोस-गाधी पत्र-व्यवहार
(दिसबर 1938-मई 1939)

महात्मा गाधी को

26, मैरीन ड्राइव, बबई
21 दिसबर, 1938

मेरे प्रिय महात्माजी,

वर्धा से सार्जेंट जी डी बिड़ला द्वारा लाया गया पत्र मेरे लिए एक बडे सदमे की तरह था। मुझे याद है कि मैंने आप से बार-बार बगाल की स्थिति पर बातचीत की है। वर्धा

मे दूसरे दिन एक बार फिर हमारे बीच इस पर बातचीत हुई थी। मेरे भाई शरत ने भी इस मुद्दे पर आपसे बात की थी। हम दोनो की यह समझ बनी है कि बगाल मे साझा मत्रिमडल के विचार से आप हमेशा सहमत रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे वर्धा छोडने के बाद ऐसा क्या हुआ, जिसने आपके दृष्टिकोण को इतना बदल दिया कि आप अब लिखते हैं– 'मैं पहले से कहीं अधिक समझता हू कि उन्हे मत्रिमडल आदि को बहिष्कृत करने का निर्णय नहीं करना चाहिए इत्यादि। पत्र बताता है कि मेरे वर्धा छाडने के बाद सार्जेंट एच आर सरकार, सार्जेंट जी डी बिडला तथा मौलाना आजाद साहब ने आपसे भेट की थी। स्पष्ट तौर पर आपने उनसे बातचीत के बाद अपनी राय बदली है। इसलिए स्थिति यह है कि अब आप इन तीन महानुभावो की राय को बगाल मे काग्रेस सगठन चलाने वालो की राय की तुलना मे अधिक महत्व देते हैं।

कोई भी बात हल्के तौर पर लिखने की आपकी आदत नहीं है, इसलिए मैं आपके सुविचारित दृष्टिकोण को पूरा महत्व देना उचित समझूगा। आपके पत्र ने एक सकट खडा कर दिया है और इसलिए अब स्पष्ट शब्दो मे कहना मेरे लिए आवश्यक हो गया है और ऐसा करने से पहले मैं आपसे क्षमाप्रार्थी हू।

तो सीधे मुद्दे पर आए– इस समस्या को लेकर मौलाना साहब तथा मेरे बीच मौलिक मतभेद हैं। यह मतभेद असम मे मत्रिमडलीय सकट का सामना करते वक्त ही स्पष्ट हो गया था। शायद अब मैं कह सकता हू कि मैं सही था और मौलाना साहब गलत। लेकिन यदि सरदार पटल सौभाग्यवश मेरे बचाव मे नहीं आए होते तो मौलाना साहब ने शिलाग मे मुझे झुका दिया होता और शायद जब दिल्ली मे कार्यसमिति की बैठक हुई थी तब आपने भी मौलाना साहब के खिलाफ मेरे दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया होता तो ऐसी स्थिति मे असम मे गठजोड नहीं बना होता।

सिध के मसले पर एक तरफ मौलाना साहब तथा दूसरी तरफ मेरे सहित कार्यसमिति के कई सदस्यो के बीच मतभेद रहा है और अब बगाल की समस्या है जिस पर हमारे दृष्टिकोण पूर्णतया विरोधी हैं।

ऐसा लगता है कि मौलाना साहब का दृष्टिकोण बगाल जैसे मुसलमान-बहुल प्रातो मे साप्रदायिक मुसलमान मत्रिमडल को बने रहने देने का है। हक मत्रिमडल तथा सिकदर हयात मत्रिमडल को सरकार मे बने रहने की अनुमति दे देनी चाहिए। मौलाना साहब सिध मे अल्लाबख्श मत्रिमडल को हमारे समर्थन देने से स्पष्टतया अप्रसन्न हैं।

इसके विपरीत मैं समझता हू कि जितना जल्द हो सके, हक मत्रिमडल को हटा देना ही राष्ट्र-हित मे है। जितने दिनो तक यह प्रतिक्रियावादी मत्रिमडल सरकार मे बना रहेगा बगाल का वातावरण उतना ही साप्रदायिक होता चला जाएगा तथा मुस्लिम लीग के सामने काग्रेस उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी। यही बात सिकदर हयात मत्रिमडल के लिए भी सच है।

काफी पहले नवंबर की शुरुआत में ही हक मंत्रिमंडल को छोड़ने के लिए सार्जेंट नलिनीशंकर तैयार हो चुके थे। वर्धा के लिए कलकत्ता से मेरे रवाना होने से पहले 9 दिसंबर को अंतिम बार मुझे विश्वास था कि अगले बजट-सत्र से पहले ही वे सरकार से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन किस बात ने उनको एक ही सप्ताह में अपनी जगह से हटा दिया, मैं नहीं जानता। सरकार से नलिनीबाबू के निकलने की बजाय आपके प्रभाव का इस्तेमाल उनको सरकार से चिपके रहने देने में होने जा रहा है, जबकि उनके कई नजदीकी मित्र भी हक मंत्रिमंडल से उनका बाहर निकल आना पसंद करते हैं। इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे गंभीर मसले पर अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले आपने मुझसे राय-मशविरे की भी जरूरत नहीं महसूस की।

इन परिस्थितियों में हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। यदि आप अब भी अपने पत्र में लिखे हुए निर्णय को सही मानते हैं और उसका पालन करना चाहेंगे, तो मुझे अपनी स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। स्पष्टतया मैं किसी ऐसी नीति का समर्थक नहीं हो सकता, जिसे मैं पूरी तरह गलत मानता हूं। विकल्प के तौर पर, बंगाल में कांग्रेस संगठन चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका कार्य ऐसे लोगों द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए, जो अवसर मिलने पर प्रांतीय अधिकारियों को नजरअंदाज कर आनंदित होते हैं।

बंगाल जैसे प्रांत में गठजोड़ मंत्रिमंडल को इतना महत्व देने के कारणों की विस्तृत चर्चा करना मेरे लिए आवश्यक है। आप याद कर सकते हैं कि इस विषय पर मैंने आपसे शेगांव में बातचीत की थी, लेकिन मुझे जो कहना है, मैं फिर दुहराता हूं।

आज स्थिति यह है कि सिंध, बंगाल तथा पंजाब में गठजोड़ मंत्रिमंडल व्यावहारिक राजनीति के दायरे में है। यदि यह बदलाव किया जा सके (और मेरी विनम्र राय में ऐसा हो सकता है), तो कांग्रेस ग्यारह प्रांतीय सरकारों की तरफ से अंग्रेज सरकार से बातचीत करने की स्थिति में आ सकती है। इसका अर्थ होगा कि हिंदू-मुसलमान समझौते के बिना भी कांग्रेस अंग्रेज सरकार से बातचीत के लिए ब्रिटेन-शासित हिंदुस्तान की जनता का अधिकृत तौर पर प्रतिनिधित्व कर सकेगी और इस तरह मुस्लिम लीग से समझौता न हो पाने की स्थिति में भी हम अपंग नहीं होंगे।

शेष तीन प्रांतों में गठजोड़ मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश के दौरान हमें उन हिंदू-मुसलमान समस्याओं पर अपने निर्णय की घोषणा में देरी नहीं करनी चाहिए, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बातचीत यदि हुई होती तो विचार-विमर्श के लिए सामने आए होते। साथ ही, कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुसलमानों की शिकायतों की जांच भी करनी चाहिए। ये दो कदम समझदार मुसलमानों को यह बताने में सहायक होंगे कि हम उनकी शिकायतों को समझने तथा मनुष्य के नाते जहां तक संभव हो, उनको दूर करने के लिए उत्सुक हैं।

यदि हम उपरोक्त कार्यक्रम कांग्रेस की त्रिपुरी बैठक से पहले ही क्रियान्वित कर लेते हैं तो हम अंग्रेज सरकार के सामने पूर्ण स्वराज की अपनी राष्ट्रीय माग रख सकते हैं और एक निश्चित अवधि के अदर निश्चित उत्तर की माग भी कर सकते हैं। गहरे अतर्राष्ट्रीय सकट की पृष्ठभूमि मे अंग्रेज सरकार के लिए हमारी माग को आसानी से अस्वीकार करना सभव नहीं होगा और यदि वे इसे अस्वीकार करते हैं या हमे असतोषजनक उत्तर देते हैं, तो हम एक आवश्यक नोटिस देकर अपना सत्याग्रह अभियान शुरू कर सकते हैं। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि वर्तमान अतर्राष्ट्रीय सकट अगले 12 या 13 महीनो तक जारी रहेगा। ऐसी सकटकालीन स्थिति मे अंग्रेज सरकार भारत मे किसी सघर्ष के जारी रहने की अनुमति नहीं देगी। यदि उनको यूरोप मे कमजोर नहीं होना है, तो उन्हे भारत के साथ शाति बनाए रखनी पडेगी। परिणामस्वरूप 1939 मे बड़े पैमाने पर सत्याग्रह अभियान कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के बीच शाति-सभा की तरह हमारी विजय के प्रस्थान-बिंदु जैसा अपरिहार्य हो जाएगा।

उपरोक्त तरीके से इस योजना म शेष तीन प्रांतो के गठजोड मन्त्रिमडलो की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। व्यक्तिगत रूप से मेरे दिमाग मे कोई सदह नहीं है कि बगाल और पजाब मे गठजोड मन्त्रिमडल बनने तथा राज्यो की प्रजा मे व्यापक जागरूकता होने से कांग्रेस के सामने अंग्रेज सरकार की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी (हम सभी जानते हैं कि वे ब्रिटिश भारत मे बगाल तथा पजाब तथा भारतीय हिंदुस्तान मे राजकुमारो के सहयोग से वर्तमान समय मे टिके हुए हैं)। 1939 मे आतरिक तथा बाहरी दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल स्थितियो मे एक सत्याग्रह अभियान चलेगा।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर मैं शेष तीन प्रांतो के गठजोड मन्त्रिमडलो में अतिरिक्त महत्व देने के पक्ष मे हू, लेकिन इन तर्कों के बिना भी मेरी निगाह में गठजोड मन्त्रिमडल आवश्यक है।

मैं कह सकता हू कि यदि कार्यसमिति के कुछ सदस्य अभी शामिल कर लिए जाए तो त्रिपुरी मे कांग्रेस के एकत्रित होने के पहले ही हमारे पास तीन और गठजोड मन्त्रिमडल होगे। यदि कार्यसमिति के सुयोग्य सदस्यगण इसे आगे कुछ मतभेद जैसा न समझे, तो मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार रहूगा। अत मे कह सकता हू कि इस मोड पर किसी नीति को मैं अपने लिए आत्मघाती मानता हू। मैं उम्मीद करता हू कि इस मामले मे पुनर्विचार के बाद उपरोक्त दिशा मे ही हमे चलते रहने देना तथा हमे अपना आशीर्वचन देना आपके लिए सभव होगा। इसके विपरीत, यदि आप पत्र मे लिखे अपने निर्णय पर डटे रहेगे तो मैं आपसे निवेदन करूगा कि शीघ्र ही मुझे अपने वर्तमान उत्तरदायित्व से मुक्त होने की आज्ञा दे— क्योंकि मैं उस नीति का एक हिस्सा नहीं हो सकता जिसे मैं राष्ट्र-हित मे गभीरतापूर्वक हानिकारक मानता हू।

मैं इस महीने की 19 तारीख को ही मद्रास चला गया होता, लेकिन गले में खराबी के कारण 2 या 3 दिनों के लिए रुक गया।

प्रणाम सहित–

आपका स्नेहाकांक्षी,
सुभाष

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 24 मार्च, 1939, महात्मा गांधी, बिड़ला हाउस, नई दिल्ली।
कांग्रेस के कार्य के संबंध में शुरुआत करने के लिए आपकी सलाह तथा निकट भविष्य में मेरी आपसे भेंट न हो पाने की दृष्टि से मैं डाक द्वारा आपसे परामर्श आरंभ कर देना जरूरी समझता हूं। मैं लिख रहा हूं –सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली 25 मार्च, 1939 अध्यक्ष बोस, झीलगुडा।
आपका तार। कल मैं मौलाना आजाद को देखने हेतु इलाहाबाद में था, क्योंकि वह मुझसे किसी बातचीत के लिए उत्सुक थे। ट्रेन से पत्र डाला है। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। आशा करता हूं कि आपकी प्रगति जारी रहेगी। प्यार –बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 25 मार्च, 1939, महात्मा गांधी, बिड़ला हाउस नई दिल्ली।
आपका आज का तार। आपका पत्र न मिलने तक मैं अपने पत्र को डाक में डालने से रोक रहा हूं –सुभाष।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 25 मार्च, 1939 महात्मा गांधी-नई दिल्ली।
आपका पत्र नहीं मिला। इसलिए मैं अपना पत्र डाक में डाल रहा हूं –सुभाष।

महात्मा गाधी के लिए

झीलगुडा
25 मार्च, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी

मुझे उम्मीद है कि आपने आज शनिवार 25 तारीख को जारी मेरा वक्तव्य पढा होगा, जो मैंने अपने ऊपर काग्रेस के मामले मे व्यवधान डालने का आरोप लगाने वालो के जवाब मे लिखा है। हमारे सामने नई कार्यसमिति बनाने की तात्कालिक और महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या का सतोषजनक समाधान पहले कुछ अन्य बडे महत्व की समस्याओ पर विचार की माग करता है, तो भी मै पहली समस्या को पहले रखूगा

इस समस्या के सदर्भ मे यदि आप मेरे निम्नलिखित विचारो पर अपनी राय देते हैं तो आपका आभारी रहूगा।

(1) कार्यसमिति के गठन के लिए आपकी वर्तमान धारणा क्या है ? इसे समागी होना चाहिए या काग्रेस के ही विभिन्न समूहो तथा खेमो को मिलाकर बनाना चाहिए, ताकि समिति पूर्णता मे जहा तक सम्भव हो काग्रेस की आमसभा की सरचना का प्रतिनिधित्व कर सके ?

(2) यदि आप इस दृष्टिकोण को ही मानते हैं कि समिति अपने चरित्र मे समागी होनी चाहिए, तो स्पष्टतया एक तरफ मेरे जैसे लोग तथा दूसरी तरफ सरदार पटेल और अन्य जैसे लोग एक ही समिति मे नहीं हो सकते। मुझे यहा कहना पडेगा कि मैने समिति के समागी होने के विचार का हमेशा विरोध किया है।

(3) यदि आप सहमत है कि विभिन्न समूहो या दलों का कार्यसमिति मे प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो उनका सख्यात्मक प्रतिनिधित्व कितना होगा ? मेरी समझ से काग्रेस मे दो प्रमुख दल या खेमे हैं। वे कमोबेश समान रूप से सतुलित हैं। अध्यक्षीय चुनाव के दौरान हमारे पास बहुमत था। त्रिपुरी मे वह स्थिति नहीं थी, लेकिन यह ऐसा काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रवैए के चलते हुआ। यदि सी एस पी तटस्थ नहीं रही होती, तो सारे व्यवधानो के बावजूद (उनके बारे मे मैं अगले पत्र मे लिखूगा या जब हम मिलेंगे तो बताऊगा) हमने खुले सत्र मे बहुमत बना लिया होता।

(4) यदि मैं सात लोगो का नाम सुझाऊ और आप सरदार से भी सात नामो को पूछे तो मेरी समझ से यह न्यायसगत व्यवस्था होगी।

(5) फिर यदि मुझे काग्रेस-अध्यक्ष बने रहना है और सुचारू रूप से कार्यरत रहना है तो मेरी पसद का काग्रेस सचिव होना आवश्यक है।

(6) कोषाध्यक्ष के नाम का सुझाव सरदार दे सकते हैं।

अब मैं पडित पत के प्रस्ताव के एक या दो मुख्य आशयो का जिक्र करूगा (इस विषय पर मै दूसरे पत्र मे विस्तार से लिखूगा)। सबसे पहले तो यह कि क्या उसे आप

मुझमे अविश्वास के प्रस्ताव के रूप मे लेते हैं और क्या आप चाहेगे कि मैं इसके परिणामस्वरूप त्यागपत्र दे दू ? मैं इस सवाल को इसलिए उठा रहा हू, क्योंकि इस प्रस्ताव की नई व्याख्याए इस प्रस्ताव के समर्थकों द्वारा भी हो चुकी हैं।

फिर दूसरे यह कि पडित पत के प्रस्ताव के पारित होने के बाद काग्रेस-अध्यक्ष की वास्तव मे क्या स्थिति है ? काग्रेस के सविधान की धारा 15 कार्यसमिति की नियुक्ति के सदर्भ मे अध्यक्ष को कुछ अधिकार देती है और सविधान में वह धारा आज भी मौजूद है। साथ ही, पडित पत का प्रस्ताव कहता है कि कार्यसमिति आपकी इच्छा से मेरे द्वारा गठित की जाएगी। परिणाम क्या होगा ? क्या मेरा कोई स्थान है ? क्या आपको ही अपनी स्वतत्र रुचि और इच्छा के अनुसार कार्यसमिति के सदस्यो की पूरी सूची बनानी है और मुझे सिर्फ आपके निर्णय की घोषणा कर देनी है ? यह प्रयास काग्रेस के संविधान को बदले बिना ही धारा 15 को निष्प्रभावी बना देगा।

ऐसी स्थिति मे पडित पत का प्रस्ताव स्पष्टत असवैधानिक तथा अधिकारातीत है। वास्तव मे पडित पत का प्रस्ताव काफी देर से मिलने के कारण स्वय ही निरर्थक हो गया था। जिस तरह काग्रेस के खुले सत्र के दौरान राष्ट्रीय माग-प्रस्ताव मे श्री शरतचद्र बोस के प्रस्ताव को अनुचित बताने का अधिकार मौलाना आजाद के पास था, उसी तरह पतजी के पूरे प्रस्ताव को अनुचित कहने का अधिकार मेरे पास है। फिर भी विशुद्ध रूप से सवैधानिक दृष्टिकोण के गलत के सबध म मैं अतिम हिस्से को अनुचित कहना चाहूगा, क्योकि वह सविधान की धारा 15 के प्रतिकूल है। लेकिन स्वभावत लोकतान्त्रिक होने के नाते मैं तकनीकी तथा सवैधानिक मामलो को अधिक महत्त्व नहीं देता। इसके अतिरिक्त, मुझे सविधान का सहारा लेना उस वक्त कायरतापूर्ण लगा, जब मुझे अपने विरुद्ध मतदान की सभावना का अहसास हुआ था।

इस पत्र को खत्म करने से पहले मैं एक और बात का जिक्र करूगा। सारी बाधाओ, कमियो, कठिनाइयो के बावजूद अगर मुझे अध्यक्ष बने रहना है तो आप मेरा किस प्रकार से काम करना पसद करेगे ? मुझे याद है कि पिछले 12 महीनों के दौरान आपने अवसर मिलने पर (शायद प्राय) मुझे सलाह दी थी कि आप मुझे एक कठपुतली अध्यक्ष के रूप मे नहीं देखना चाहते और आप मुझे सक्रिय देखना चाहेगे। 15 फरवरी को वर्धा मे जब मुझे लगा कि आप मेरे कार्यक्रम से सहमत नहीं हैं तो मैंने आपसे अपने दो विकल्पो– या तो हट जाने या फिर अपनी ईमानदार सोच पर टिके रहने- की चर्चा की थी। यदि मैं ठीक से याद कर पा रहा हू, तो आपने अपने उत्तर में कहा था कि जब तक मैं स्वेच्छया ही आपके दृष्टिकोण को स्वीकार न कर लू, आत्म-विलोपन वास्तव मे आत्म-दमन होगा और आपको आत्म-दमन की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि मुझे अध्यक्ष बने रहना है तो पिछले साल दी गई सलाह की तरह इस साल भी आप मुझे कठपुतली अध्यक्ष की तरह कार्य न करने की ही सलाह देगे।

मेरी उपरोक्त सभी बातो का मतलब यही है कि अध्यक्षीय चुनाव तथा खासतौर से त्रिपुरी काग्रेस की सारी घटनाओ के बावजूद काग्रेस के सभी समूहो तथा खेमो का साथ काम करना अब भी सभव है। अगले पत्र मे मैं आम समस्याओं के बारे मे लिखूगा, जिनमे से कुछ आज मेरे प्रेस वक्तव्य मे भी जा चुका है।

मेरा स्वास्थ्य लगातार, लेकिन धीरे-धीरे सुधर रहा है। पर्याप्त नींद का अभाव ही तीव्र स्वास्थ्य-लाभ मे मुख्य बाधा है।

मैं आशा करता हू कि भारी चिताओ के बावजूद आपकी सेहत मे लगातार वृद्धि होती रहेगी।

प्रणाम।

आपका स्नेहाकाक्षी,
सुभाष

महात्मा गाधी की ओर स

ट्रेन मे
(बिड़ला हाउस, नई दिल्ली)
24 मार्च 1939

मेरे प्रिय सुभाष,

मैं उम्मीद करता हू कि पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ की तरफ तुम लगातार प्रगति कर रहे होगे। इस पत्र के साथ मुझे लिखे गए शरत के पत्र की प्रतिलिपि तथा अपना उत्तर भी मैं सलग्न कर रहा हू। यदि यह तुम्हारी भावनाओ को भी व्यक्त करता है तब और सिर्फ तभी, मेरी सलाह काम आएगी। किसी भी तरह केद्र मे अराजकता खत्म होनी चाहिए। तुम्हारे अनुरोध पर मैं पूरी तरह मौन हू, यद्यपि इस सकट पर अपनी राय देने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है।

मैंने पहली बार इलाहाबाद में इस प्रस्ताव को देखा था। प्रस्ताव मुझे काफी स्पष्ट लगता है। पहल करना तुम पर निर्भर करता है। मैं नहीं जानता कि इस राष्ट्रीय कार्य मे भागीदारी के लिए तुम कितने दुरुस्त हो। यदि तुम नही हो, तो मैं सोचता हू कि सिर्फ सवैधानिक कार्यो की देखरेख करनी चाहिए।

अभी मुझे कुछ दिनो के लिए दिल्ली मे ही रहना होगा।

प्यार सहित,
बापू

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा से अध्यक्ष बोस का तार सदेश 26 मार्च 1939
आपके पत्र की प्रतीक्षा है। आपने वक्तव्य मे जैसा कहा है हमारा मिलना आवश्यक है -सुभाष।

महात्मा गाधी की ओर से

गाधीजी का सुभाष बोस को तार सदेश 26 मार्च, 1939
राजकोट प्रसग ने मुझे दिल्ली मे बाध रखा है अन्यथा अपनी कमजोरी के बावजूद मैं आपसे मिलने चल देता। मेरी सलाह मे आप ही यहा आ जाए और मेरे साथ रहे। थोडी-बहुत बातचीत के साथ ही मैं आपके स्वास्थ्य की देखभाल भी चाहता हू। प्यार-बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा
29 मार्च, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी
मैं आपको एक-दो दिन में फिर पत्र लिखूगा। इस बीच एक आवश्यक मामला सामने आया है। ए आई सी सी के कार्यकारी महासचिव श्री नरसिह लिखते हैं कि ए आई सी सी की बैठक के लिए वे 20 दिनो पहले का नोटिस चाहते हैं।

नियमो के अनुसार, ए आई सी सी सदस्यो को 15 दिनो पहले ही सूचित कर दिया जाता है। उनके अनुसार तब सिर्फ देश के दूर-दराज के इलाको मे सूचना पहुचाने के लिए 4 या 5 दिन शेष रह जाते है। इसलिए हमे कुल 20 दिनो की आवश्यकता है।

अगर आप चाहे तो मैं सोचता हू कि 20 अप्रैल के आस-पास की तारीख उपयुक्त रहेगी। लेकिन एक समस्या है। मुझे पता चला है कि 20 अप्रैल को ही बिहार मे गाधी सेवा सघ की बैठक होने वाली है। इसलिए इन दानो बैठको की तारीखे आपस मे टकराएगी। ए आई सी सी की कार्यसमिति की बैठक भी कलकत्ता मे हो रही है। वहा आपकी उपस्थिति अति आवश्यक है। क्या मैं ए आई सी सी की बैठक गाधी सेवा सघ की बैठक के पहले या बाद में करने की सलाह दे सकता हू? पहली स्थिति में आप पहले कलकत्ता आ सकते हैं और फिर बिहार जा सकते हैं। दूसरी स्थिति मे आप बिहार पहले जा सकते हैं और उसके बाद कलकत्ता आ सकते हैं। पहली स्थिति मे सघ की बैठक को एक सप्ताह

के लिए स्थगित करना होगा।

कृपया मामले पर विचार करे तथा ए आई सी सी को कब बैठक करनी चाहिए इस बारे में अपना 'उपदेश' दें। अत मे, ए आई सी सी की बैठक के दौरान आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

मेरे स्वास्थ्य मे सुधार हो रहा है। मुझे यह जानकर चिंता हुई कि आपका रक्तचाप फिर बढ गया है। आपके अधिक काम करने से मुझे भय होता है।

प्रणाम सहित—

आपका स्नेहाकांक्षी
सुभाष

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा
29 मार्च, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी

इस महीने की 24 तारीख को लिखा पत्र सलग्नको के साथ प्राप्त हुआ। पहली बात, मेरे भाई शरत ने आपको अपनी ओर से पत्र भेजा है। आपको उनके पत्र से पता चलेगा कि यहा से कलकत्ता लौटने पर उनको आपका 'तार मिला और तब उन्होने आपको पत्र लिखा। यदि उनको आपका तार नही मिला होता, तो मुझे सदेह है कि उन्होने आपको पत्र लिखा होता।

निस्सदेह उनके पत्र मे कुछ ऐसी बाते हैं जिनमे मेरी भावनाए भी प्रतिध्वनित होती हैं। लेकिन यह अलग मामला है। मेरे लिए मुख्य समस्या यह है कि क्या दोनो दल अतीत को भूल कर साथ-साथ काम कर सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। यदि आप वास्तव मे पक्षपात-रहित रुख अपनाते हुए दोनो दलो को विश्वास मे लेते है तब आप कांग्रेस को बचा सकते हैं और राष्ट्रीय एकता बनाए रख सकते हैं।

स्वभावत मै प्रतिरोधी व्यक्ति नहीं हू और मै शिकायतें भी नहीं करता। एक तरह से मेरी मानसिकता एक मुक्केबाज की है– यानी मुक्केबाजी का दौर खत्म होने के बाद हाथ मिलाना और परिणाम को खेल-भावना से स्वीकार करना।

दूसरी बात, मुझे मिलने वाले तमाम प्रतिनिधिमडलो से मिलने के बाद मैं पत प्रस्ताव का कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव की तरह लेता हू। हमे इसके प्रभाव मे लाना चाहिए। अधिकारातीत होने की शर्त के बावजूद मैं स्वय ही प्रस्ताव को प्रभाव मे लाने की अनुमति देने तथा उस पर बातचीत कराने वाला हू। फिर कैसे मैं इससे इकार कर सकता हू ?

तीसरी बात, आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो नई कार्यसमिति की सरचना के सदर्भ मे आप हमारे विचारो को जगह दे या आप अपने विचारो को उनकी समग्रता मे

रखे। दूसरी स्थिति में हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं।

चौथी बात, कार्यसमिति तथा ए आई सी सी का आह्वान करने तथा नई कार्यसमिति के शीघ्र गठन करने के लिए मानवीय आधार पर मेरे लिए जो भी सभव है मैं करने को तैयार हू। लेकिन दु ख है कि अभी मेरा दिल्ली आना सभव नहीं है। डॉ सुनील ने आज ही सुबह इस सदर्भ में आपको तार भेज दिया है। मुझे आपका तार-सदेश कल ही मिल पाया।

पाचवीं बात मुझे आपके पत्र से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पत के प्रस्ताव की प्रतिलिपि ए आई सी सी ने नहीं भेजी है, जबकि इसे भेजा जाना है। मुझे अब भी आश्चर्य है कि इलाहाबाद आने से पहले आपको प्रस्ताव के बारे मे जानकारी नहीं थी। त्रिपुरी मे यह अफवाह काफी जोरो पर है कि प्रस्ताव को आपका पूर्ण समर्थन प्राप्त था।

छठी बात, पद पर बने रहने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। लेकिन अपनी बीमारी की वजह से मेरा त्यागपत्र देना भी तार्किक नहीं है। उदाहरण के लिए किसी भी अध्यक्ष ने जेल मे रहने के कारण त्यागपत्र नहीं दिया। मैं आपसे कह सकता हू कि त्यागपत्र देने के लिए मेरे ऊपर भारी दबाव डाला जा रहा है। इसका मैं विरोध कर रहा हू, क्योंकि मेरे त्यागपत्र का अर्थ है काग्रेस-राजनीति मे एक नई शुरुआत, जिसको अत तक मैं टालना चाहता हू।

पिछले दिनो मैं ए आई सी सी के काम मे व्यस्त रहा। मैं आपको कल या परसो फिर पत्र लिखता हूं। मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है। आशा करता हू, आपका रक्तचाप शीघ्र ही कम हो जाएगा।

प्रणाम सहित—

आपका स्नेहाकाक्षी,

सुभाष

पुनश्च यह पत्र आपके पत्र का जवाब नहीं है। कल जो बाते मेरे दिमाग मे थीं उनको मैंने लिख दिया है। मैं उनका जिक्र आपसे करना चाहता था।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली

मेरे प्रिय सुभाष

30 3.39

मेरे तार के जवाब मे इसी महीने की 26 तारीख के आपके पत्र का उत्तर देने में देर हो गई। पिछली रात मुझे सुनील का तार मिला। अभी मैं सुबह की प्रार्थना से पहले इसका उत्तर को लिखने के लिए उठा हू।

आप सोचते हैं कि पत का प्रस्ताव अनुचित है और कार्यसमिति से सबधित धारा पूर्णत गैर-सवैधानिक ओर अधिकारातीत है इसलिए आपका दृष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट है। समिति के प्रति आपकी पसद मुक्त रहनी चाहिए। इसलिए इस सबध मे आपके कोई सवालो का किसी उत्तर की जरूरत नहीं है।

फरवरी मे आपसे मिलने के बाद मेरी धारणा मजबूत हुई है कि जब मूल बातो को लेकर ही मतभेद है— और जैसा कि हम इस बारे मे सहमत भी हैं कि एक सयुक्त समिति हानिकर होगी तब यह मानते हुए कि आपकी नीति को ए आई सी सी का बहुमत समर्थन देता है आपको ऐसी कार्यसमिति बनानी चाहिए जो आपकी नीति मे विश्वास करने वालो से ही बनी हो।

हा शेगाव मे आपसे फरवरी म हुई मुलाकात के वक्त व्यक्त किए गए इस दृष्टिकोण पर स्वैच्छिक आत्म-विलोकन से स्पष्ट है, आपके किसी आत्म-हनन का भागीदार होने का अपराधी मैं नहीं बनूगा।

देश के हित मे आपके दृढ विचारो की अवहेलना आत्म-पीडन ही होगा। इसलिए यदि आपको अध्यक्ष के रूप मे कार्य करना है, तो आपके हाथो मे बेडिया नही होनी चाहिए। देश के सामने जो स्थिति है, उसमे मध्यम-वर्ग की कोई गुजाइश नही है।

जहा तक गाधीवादियो का प्रश्न है (यह शब्द मजबूरी मे प्रयोग करना पड रहा है) वे आपके मार्ग मे बाधा नहीं डालेगे। जहा उनसे सभव होगा वे आपकी सहायता करेगे और जहा नहीं कर पाएगे वहा सयम से काम लेगे। यदि वे अल्पसख्यक भी हो तो भी ऐसी कोई कठिनाई नही होनी चाहिए। यदि वे बहुमत म भी होते, तो भी वे अपने आपको दमित न करते।

फिलहाल जिस बात की मुझे बहुत चिता है, वह यह कि काग्रेस चुनाव बेकार है, इसलिए बहुसख्या और अल्पसख्या का अर्थ ही नहीं रह गया। जब तक हम कांग्रेस मे स्वच्छता न ला पाए, तब तक हमे जो हथियार हमारे हाथ मे है, उसी से काम लेना होगा। दूसरी बात जो मुझे चिंतित किए हुए है वह यह है कि हमलोगो मे अविश्वास पनपता जा रहा है। जहा कार्यकर्ताओ मे अविश्वास हो वहा मिलकर कार्य कर पाना असभव है।

मेरे विचार से आपके पत्र मे अन्य ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसका उत्तर देना आवश्यक हो। अत मे यही कहूगा कि आप कार्य करे, ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। डॉक्टरो की राय मानकर शीघ्र ठीक हो जाओ।

प्यार,

बापू

नोट— जहा तक मेरा सबध है हमारा पत्राचार प्रकाशित होना आवश्यक नहीं है। किंतु यदि आप चाहे तो मेरी ओर से स्वीकृति है।

महात्मा गाधी की ओर से

नई दिल्ली, 31 मार्च 1939
आपका पत्र। पहले पत्र का उत्तर कल डाक मे डाला है। अखिल भारतीय बैठको को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कार्यविधि नियम सख्या 2 कहता है कि आपात बैठक के लिए 7 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। यह सूचना अखबारो के जरिए दी जा सकती है। प्यार-बापू।

महात्मा गाधी के लिए

झीलगुडा, 31 मार्च, 1939
आज का तार मिला। मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से 20 तारीख के बाद कोई भी तिथि ठीक रहेगी। अखिल भारतीय बैठक से पहले कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अखिल भारतीय बैठक से पहले गाधी सेवा सघ सम्मेलन की बैठक होने पर कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव मे यही निजी रूप से मेरे लिए बेहतर रहेगा। फिर भी आपकी इच्छानुसार ही तिथि निश्चित की जाएगी। प्रणाम —सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली, 1 अप्रेल, 1939
तुम्हारा तार मिला। अपनी सुविधानुसार तिथि निश्चित कर लो। मै उसी तिथि को उपलब्ध रहूगा। प्यार—बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा,
31 मार्च, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी
मेरे स्वास्थ्य के विषय में सुनील ने जो आपको लबा तार भेजा उसके उत्तर मे आपके द्वारा भेजा गया तार मैंने देखा। जब आपने मुझे दिल्ली जाने की सलाह देते हुए तार भेजा था, तब मैंने सोचा कि इस विषय मे चिकित्सको की राय भी ले लेना उचित रहेगा। अत सुनील ने आपको तार भेज दिया।

अपने 24 तारीख के पत्र मे जो आपने मुझे लिखा (ट्रेन से) तथा इसी तारीख को शरत को लिखे पत्र के विभिन्न मुददो पर तथा सामान्य स्थिति पर मै लगातार विचार कर रहा हू। यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि ऐसी दुविधाजनक स्थिति मे मे बीमार पड गया हू। *किंतु घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि मेरा स्वास्थ्य शीघ्र ठीक नहीं हो पाया।* इसके अलावा त्रिपुरी से पहले और बाद मे मुझे कुछ प्रभावशाली लोगो से— मैं स्पष्ट कर दू, यहा आपका सदर्भ कदापि नही है— वह व्यवहार नहीं मिला जिसका मैं पात्र था। किंतु अपनी अस्वस्थता की वजह से ही त्यागपत्र देने का कोई कारण नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अपने कल के पत्र मे लिखा था (मेरा दूसरा पत्र) कि मेरे विचार से तो किसी भी अध्यक्ष न तब भी त्यागपत्र नही दिया जबकि वह जल मे था— यहा तक कि लबी अवधि के लिए जेल मे रहा। सभव है कि मुझे अतत त्यागपत्र देना ही पडे। किंतु बाद मे ऐसा हुआ तो उसके कारण कुछ और ही होग। 117820

मेरे विचार से मैने अपने दूसरे पत्र मे भी लिखा था कि यद्यपि मुझ पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला जा रहा है फिर भी मे इसका विरोध कर रहा हू। मेरे त्यागपत्र से काग्रेस की राजनीति मे नए युग की शुरुआत हो जाएगी, जिसे मै अत तक बचाने का प्रयास कर रहा हू। यदि हम अपने अलग-अलग मार्ग अपनाते हैं, तो घोर गृह-कलह होने की आशका है। उसका परिणाम कुछ भी हो काग्रेस तो कमजोर होगी ही और इसका सीधा लाभ ब्रिटिश सरकार को पहुचेगा। अत काग्रेस और देश को इस दुर्भाग्य से बचाना आपके हाथ म है। विभिन्न कारणो से जो लोग सरदार पटेल और उनके गुट के विरोधी है वे भी आप म विश्वास रखते हैं और उनका मानना है कि आप किसी भी मुददे पर निष्पक्ष व शात रूप से विचार करने मे सक्षम हैं। उनके लिए आप पार्टी या गुट से ऊपर *अतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है अत आप विभाजन करने वाले तत्वो मे समन्वय और एकता कर* सकते हैं।

यदि यह विश्वास खडित हो जाता है- ईश्वर क्षमा करे- और आपका विभाजन का कारण माना जाता है, तब तो फिर ईश्वर ही हमे और काग्रेस को उबार सकता है।

इसमे शका नहीं कि आज काग्रेस के दो गुटो मे बहुत गहरी दरार है। उस दरार को अभी भी भरा जा सकता है— वह भी आपके द्वारा। अपने राजनीतिक विपक्षियो की मानसिकता के विषय मे मैं कुछ नही कह सकता— त्रिपुरी मे हम उनके बारे मे बहुत कटु अनुभव प्राप्त हुए। किंतु अपने पक्ष की ओर से मैं कुछ कह सकता हू। हम लोग प्रतिशोध मे विश्वास नहीं रखते और न ही शिकायतो का पोषण करते हैं। हम लोग *क्षमा करो और भूल जाओ* की नीति मे विश्वास रखते हुए सार्वजनिक हित मे यानी भारत के राजनीतिक व आर्थिक उत्थान के लिए हाथ मिलाने का पुन तैयार हैं। जब मैं अपने पक्ष की बात करता हू, तो उसमे सी एस पी शामिल नहीं हैं। त्रिपुरी मे ही हमे पहली बार यह आभास हुआ कि सी एस पी को मानने वालो की सख्या कितनी अल्प है। सी एस पी मे उच्च पदो पर विवाद है तथा कई प्रातीय शाखाओ ने कार्यकारी नेताओ के विरोध में आदोलन

छेड दिया है क्योकि उसकी नीतिया ढुलमुल है। सी एस पी का मुख्य वर्ग भविष्य मे हमारे साथ होगा उसके मुख्य नेतागण चाहे कुछ भी कर। यदि इस विषय मे आपका कोई शका हो तो आपको इतजार करना होगा सब सामने आ जाएगा।

मेरे भाई शरत द्वारा आपको लिखे पत्र से स्पष्ट है कि उनका मन कितना दु खी है। मेरा अनुमान है कि इसका कारण त्रिपुरी मे हुए कटु अनुभव हैं क्योंकि वह ऐसे नहीं थे। यह स्वाभाविक है कि मेरी अपेक्षा उन्हे त्रिपुरी की घटनाओ का ज्यादा पता हो क्योकि वे आजादी से लोगो मे घूम-फिर सके, उनसे मिल सके और सूचनाए एकत्र कर सके। हालाकि मैं बिस्तर पर ही रहा, लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप मे हमारा विरोध करने वालो के व्यवहार की जानकारी तो मुझे भी कई स्वतत्र सूत्रो से मिली ही, और मैं आपको बताना चाहता हू कि जब मैंने त्रिपुरी छोडा, तो मैं कांग्रेसी राजनीति के प्रति इतना निराश और अवसादग्रस्त था, जितना कि पिछले उन्नीस वर्षों मे कभी नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है कि मैं अब उन भावनाओ से उबर चुका हू और अवसाद के क्षणो से छुटकारा पा चुका हू।

जवाहर ने अपने किसी पत्र मे (शायद प्रेस को दिए बयान मे) यह टिप्पणी की है कि मेरे नेतृत्व मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय की जितनी अधोगति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। मैं इस टिप्पणी को गलत और अन्यायपूर्ण मानता हू। शायद उन्होने यह महसूस नहीं किया कि मेरी आलोचना करने के प्रयास मे उन्होने कृपलानीजी और अन्य सहयोगियो का भी अपमान किया है। कार्यालय वस्तुत सचिव तथा उसके अधिकारियो के हाथो मे होता है और यदि उसकी अधोगति हुई है, तो उसके जिम्मेदार भी वही हैं। मैं जवाहर को इस विषय मे एक लबा पत्र लिख रहा हू। इन सब बातों का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हू, क्योकि शायद आपने शरत को लिखे अपने पत्र मे आतरिक प्रशासन के विषय मे कुछ लिखा है। कार्यालय को सहायता करने का एकमात्र उपाय यह है कि यदि कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति मे देरी हो भी रही हो, तब भी हमे तत्काल एक स्थाई सचिव की नियुक्ति तो कर ही देनी चाहिए। यदि शीघ्र ही कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति की जाने वाली है, तो महासचिव की अग्रिम नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।

पत-प्रस्ताव के सदर्भ मे अपनी प्रतिक्रिया से यदि आप मुझे अवगत कराएगे तो आपका आभारी रहूगा। आप ऐसी लाभप्रद स्थिति मे हैं कि हर स्थिति पर निष्पक्ष रूप से विचार कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको त्रिपुरी के सभी तथ्यो का पता हो। समाचारपत्रो के निष्कर्ष के अनुसार आपसे जो भी लोग मिले हैं, वे एक पक्ष के हैं– अर्थात वे लोग, जो पत-प्रस्ताव के समर्थक हैं। किंतु उससे कोई फर्क नहीं पडता। जो लोग आपके पास आए उनसे प्रभावित हुए बिना आप सही सदर्भो मे विचार कर सकते हैं।

पत-प्रस्ताव के विषय मे मेरी विचारधारा का आप स्वय अनुमान लगा सकते हैं। किंतु मर निजी विचार अधिक महत्व नही रखते। राजनीतिक जीवन मे हमे लोकहित मे निजी विचारो को प्राय दबाना ही पडता है। जैसा कि मैं अपने पहले पत्र मे भी लिख चुका हू कि सवैधानिक दृष्टि से कोई पत प्रस्ताव के विषय मे कुछ भी क्यो न सोचे लेकिन चूकि काग्रेस इसे पास कर चुकी है, इसलिए मैं भी इसे स्वीकार करता हू। क्या आप उस प्रस्ताव को मेरे प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानते हैं और आज यह अनुभव करते हैं कि मुझे उसके परिणामस्वरूप त्यागपत्र दे देना चाहिए ? इस विषय मे आपके विचारो का मुझ पर अत्यधिक प्रभाव पडेगा।

शायद आप इस तथ्य से परिचित हो कि त्रिपुरी मे जो कुछ हुआ, वह उन्ही लोगो के कारण हुआ, जो पत-प्रस्ताव का प्रचार कर रहे थे और उनका कहना था कि राजकोट मे आपसे टेलीफोन पर बात हो गई है और आप उस प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन द रहे हैं। इसी आशय की एक रिपोर्ट एक दैनिक समाचारपत्र मे प्रकाशित भी हुई थी। बाद मे गुप्त रूप से वार्तालाप मे यह बात स्पष्ट हुई कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव को आपका और आपके रूढिवादी अनुयायियो का समर्थन प्राप्त नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसी रिपोर्टों मे विश्वास नहीं करता किंतु उनके लिए तो वह वोट प्राप्त करने के लिए उपयोगी विधि थी। जब पहली बार सरदार पटेल ने मुझे पत का प्रस्ताव दिखाया(वहा राजेन बाबू और मौलाना आजाद भी उपस्थित थे) तो मैंने सुझाव दिया था कि यदि इसमे कुछ परिवर्तन कर दिए जाए, तो सशोधित प्रस्ताव को काग्रेस सामूहिक रूप मे पास कर देगी। सशोधित प्रस्ताव सरदार पटेल के पास भिजवाया भी गया था, किंतु उन्होने इस विषय मे कोई प्रतिक्रिया जाहिर नही की। उनके व्यवहार से लग रहा था कि कोई शब्द कौमा तक भी परिवर्तित न किया जाए। मेरा विश्वास है कि राजकुमारी अमृत कौर ने आपको सशोधित प्रस्ताव दिया होगा। यदि पत-प्रस्ताव आपके सिद्धातो, नेतृत्व और मार्गदर्शन मे विश्वास व्यक्त करता है, तो वह सशोधित प्रस्ताव मे ही है। किंतु यदि उनका उद्देश्य अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम का बदला लेना है, तो सशोधित प्रस्ताव का कोई मूल्य नहीं। व्यक्तिगत रूप से मैं यह समझ नहीं पा रहा हू कि पत-प्रस्ताव आपके सम्मान प्रभाव और अधिकार मे वृद्धि कैसे कर रहा है। विषय समिति मे 45 वोट आपके विरोध मे थे और खुले अधिवेशन मे अन्य गुट कुछ भी क्यो न कहे किंतु इस विषय मे मुझे स्वतत्र सूत्रो से जो सूचना मिली है उसके अनुसार काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तटस्थ रहने पर भी यदि अधिक नहीं तो भी 2200 मे से 800 वोट आपके विरुद्ध थे। यदि काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अपना मत देती, जैसा कि उसने विषय समिति मे किया तो प्रस्ताव विफल हो जाता। किसी भी रूप मे मतदान का परिणाम समस्यादायक ही होता। प्रस्ताव मे थोडा-सा सशोधन कर देने मात्र से प्रस्ताव के विरोध मे कोई मत नहीं पडता और सभी काग्रेसी भी एक स्वर मे आपका नेतृत्व स्वीकार करते। इससे ब्रिटिश सरकार के समक्ष एव पूरे

विश्व में आपका सम्मान आसमान को छूता। इसके उलट, अब जो लोग हमसे बदला लेना चाहते थे, उन्होने आपकी छवि को हानि ही पहुचाई है। परिणामस्वरूप आपके सम्मान और प्रभाव को बढाने की अपेक्षा उन्होने आपके सम्मान को अकल्पनीय हानि पहुंचाई है– क्योकि अब पूरे विश्व को यह लग रहा है कि यद्यपि आप और आपके समर्थको को त्रिपुरी मे बहुमत प्राप्त हुआ, किंतु आपके विरोधी भी पर्याप्त मात्रा मे हैं। यदि इन विषयों को यू ही छोड दिया गया, तो इनकी सख्या और शक्ति बढने की सभावना है। उस पार्टी का क्या भविष्य होगा, जिसमे युवा, तर्कशील और प्रगतिशील लोगों को दबाया जाए। उसका भविष्य भी ग्रेट ब्रिटेन की लिबरल पार्टी जैसा ही होगा।

पत प्रस्ताव के विषय मे अपनी प्रतिक्रिया से मैंने आपको काफी परिचित करा दिया है। यदि आप भी अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएगे, तो आभारी रहूंगा।

क्या आप पत प्रस्ताव को स्वीकृति देते हैं या फिर आप उसे सशोधित रूप में, जैसा कि हमने किया था एक स्वर मे स्वीकृति प्राप्त करते देखना पसद करते हैं ?

एक और विषय है, जिसका जिक्र अपने इस पत्र मे करना चाहूगा– वह है हमारा कार्यक्रम। वर्धा मे 15 फरवरी को भी मैंने अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त किए थे। तब से अब तक की घटनाओ ने मेरे विचारो को मजबूत किया है और मेरी भविष्यवाणी को भी सही सिद्ध किया है। कई महीनो से मैं अपने मित्रो से कह रहा हू कि वसत ऋतु में यूरोप मे सकट उत्पन्न होगा, जो ग्रीष्मकाल तक चलेगा। पिछले आठ माह से अतर्राष्ट्रीय स्थितिया और हमारी घरेलू परिस्थितियां मुझे प्रेरित कर रही हैं कि अब समय आ गया है जब हम पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर बल दे सकते हैं। यह हमारा और देश का दुर्भाग्य है कि हमारे आशावाद में आपने विश्वास नहीं किया। आप काग्रेस के आतरिक भ्रष्टाचार के विचार से घिरे हैं। अहिंसा की भी आपको अत्यधिक चिंता है। यद्यपि मैं भी आपके इस विचार मे पूर्ण रूप से आपके साथ हू कि काग्रेस के आतरिक भ्रष्टाचार को हमे जड से दूर करना है, किंतु यदि हम पूरे भारत पर दृष्टि डाले– तो मेरे विचार से ऐसा नहीं है कि आज पहले की अपेक्षा भ्रष्टाचार और हिंसा बढी है, बल्कि पहले की अपेक्षा आज कम ही हुई है। पहले बगाल, पजाब और सयुक्त राज्य मे योजनाबद्ध क्रातिकारी हिसा का बोलबाला था, किंतु आज वहीं अहिंसा का विचार पनपा है। बंगाल के विषय मे तो मैं आधिकारिक तौर पर कह सकता हू कि इस प्रात मे आज जैसी अहिंसा पिछले तीस वर्षों मे कभी देखने मे नहीं आई। इन कारणो से या अन्य कारणों से हमे ब्रिटिश सरकार के सम्मुख एक अल्टीमेटम के रूप में अपनी राष्ट्रीय माग रखन में देरी नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटम का विचार आपको व पडित जवाहरलाल नेहरू को उचित नहीं जान पडता, किंतु अपने राजनीतिक जीवन में आप ने सरकार के समक्ष लोकहित में असख्य अल्टीमेटम दिए हैं। उस दिन राजकोट में भी आपने यही किया था। फिर भला अपनी राष्ट्रीय माग को सामने रखने के लिए अल्टीमेटम देने मे क्या बाधा है ? यदि आप ऐसा करते हैं और

साथ ही आने वाले सघर्ष की भी तैयारी करते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेगे। ब्रिटिश सरकार या तो बिना सघर्ष हमारी माग को मान लेगी या फिर यदि सघर्ष हुआ तो हमारी वर्तमान परिस्थितियो मे वह अधिक लबा नहीं चलेगा। इस विषय मे मैं पूर्ण आश्वस्त और विश्वस्त हू कि यदि पूर्ण हिम्मत से आगे बढेगे तो ज्यादा-से-ज्यादा 18 माह मे हम स्वराज पा जाएगे।

इस विषय के प्रति मे इतना आश्वस्त हू कि इसके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हू। यदि आप सघर्ष प्रारभ करते हैं, तो मैं यथायोग्य आपकी सहायता करूगा। यदि आपको महसूस होता है कि काग्रेस किसी अन्य अध्यक्ष के पदासीन होने पर अधिक अच्छी प्रकार सघर्ष कर पाएगी, तो मैं प्रसन्नतापूर्वक पद त्याग दूगा। यदि आपको यह महसूस हो कि आपकी इच्छानुसार चुनी गई कार्यकारिणी समिति की सहायता से सघर्ष अधिक प्रभावशाली रूप मे चलाया जा सकता है, तो मैं आपकी आज्ञा स्वीकारने को तैयार हू। मैं तो केवल यह चाहता हू कि आप और काग्रेस इस कठिन स्थिति मे उठ खडे हो और पूर्ण स्वराज के सघर्ष को छेड दे। यदि स्वय को मिटाकर राष्ट्रीय लाभ प्राप्त होता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हू कि मैं पूर्ण रूप से स्वय को हटा लूगा। मेरा विचार है कि मैं मातृभूमि को इतना प्यार तो करता हू कि उसके लिए यह सब कर सकू।

क्षमा चाहते हुए मैं यह कहना चाहूगा कि हाल मे राज्य-जन-सघर्ष को आपने जिस प्रकार चलाया वह मुझे अच्छा नहीं लगा। राजकोट के लिए आपने अपना अमूल्य जीवन दाव पर लगा दिया और राजकोट के लोगो के हित मे सघर्ष करते समय आपने शेष सभी राज्यो के सघर्ष को रोक दिया। आपने ऐसा क्यो किया ? भारत मे 600 के लगभग प्रात हैं और राजकोट उनमे से सबसे छोटा प्रात है। यदि राजकोट सघर्ष को बिच्छू-दश की सज्ञा दी जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम पूरे देश के लिए एक साथ सघर्ष क्यो न करे ? इस उद्देश्य से एक समान योजना क्यो न बनाए ? आपके देश के लाखो-करोडो लोग यही सोचते हैं किंतु आपके व्यक्तिगत सम्मान के कारण खुलेआम विचार व्यक्त नहीं करते।

अत मे मैं यह कहना चाहूगा कि मुझे जैसे बहुत-से लोग राजकोट समझौते को उचित नहीं मानते। हम सभी ने, यहा तक कि राष्ट्रीय प्रेस ने भी, इसे एक महान विजय बताया है- किंतु इससे हमे क्या लाभ पहुचा है ? सर मौरिस ग्वेर न तो हमारे पक्ष के व्यक्ति हैं और न ही वे स्वतत्र एजेट हैं। वे सरकारी व्यक्ति हैं। उन्हे एपायर बनाने की क्या तुक है ? हम आशा लगाए हैं कि वे हमारे पक्ष मे निर्णय देगे– किंतु कल्पना कीजिए कि यदि वे हमारे विपक्ष मे निर्णय देते हैं, तो हमारी क्या दशा होगी ?

इसके अलावा सर मौरिस ग्वेर फेडरल योजना के अभिन्न अग हैं, जिसके विपक्ष मे हमने अपनी राय व्यक्त की है। ब्रिटिश सरकार से विवाद होने की स्थिति मे किसी हाई कोर्ट के जज को अथवा सेशन जज को मध्यस्थ बनाने की अपेक्षा उचित होगा कि हम ब्रिटिश

सरकार से ही समझौता कर ले। किंतु ऐसे समझौते से हमे क्या लाभ होगा ? फिर, कई लोग अभी तक यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वायसराय से मुलाकात कर लेने के पश्चात भी आप दिल्ली मे ही क्यों टिके हुए हैं ? शायद आपकी अस्वस्थता के कारण लबी यात्रा करने से पूर्व कुछ दिन आराम कर लेना आवश्यक हो, किंतु ब्रिटिश सरकार और उसके समर्थक यह सोच सकते हैं कि आप फेडरल चीफ जस्टिस को अत्यधिक महत्त्व दे रहे हैं और उसकी प्रतिष्ठा मे इजाफा कर रहे हैं। मेरा पत्र बहुत लबा हो गया है, अत मुझे यहीं समाप्त करना चाहिए। यदि मेरी कोई बात आपको गलत प्रतीत हो, तो मुझे आशा है कि आप क्षमा कर देगे। मुझे मालूम है कि आपको स्पष्टवादी लोग पसद हैं। इसी कारण मैं इतना स्पष्ट और लबा पत्र लिखने का दु साहस कर पाया। मेरे स्वास्थ्य में निरतर सुधार हो रहा है– हालांकि बहुत ही धीमी गति से। आशा है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कम हुआ होगा।

आदर सहित प्रणाम–

आपका शुभाकांक्षी,
सुभाष

महात्मा गांधी के लिए

झीतगुडा, 1 अप्रैल 1939, महात्मा गाधी, नई दिल्ली।
कार्यकारिणी की बैठक 28 को और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की 30 को, ताकि गाधी सेवा सघ सम्मेलन मे व्यवधान न पडे। तारीख पहले घोषित हो चुकी है –सुभाष।

महात्मा गाधी की ओर से

बिडला हाउस, नई दिल्ली, 2 अप्रैल,1939

मेरे प्रिय सुभाष,
तुम्हारा पहला और 31 मार्च का पत्र मिला। तुम बहुत स्पष्टवादी हो और मुझे तुम्हारे विचारो की स्पष्टवादिता बहुत अच्छी लगती है। जो विचार तुमने व्यक्त किए हैं, वे अन्य लोगो के विचारों से और स्वय मेरे विचारो स बिल्कुल विपरीत हैं। अत मुझे इस दरार के भरे जाने की कोई आशा नजर नहीं आती। मेरे विचार में प्रत्येक वर्ग को यह अधिकार है कि वह बिना विचारो के सम्मिश्रण के अपने विचार स्पष्ट रूप से देश के सम्मुख रख और यदि ईमानदारी के साथ यह किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कडवाहट

पैदा होगी कि गृह-युद्ध मे उसका अत हो।

हम लोगो मे मतभेदो का होना बुरा नहीं है किंतु आपसी इज्जत और विश्वास का समाप्त होना बुरा है। यह सब समय के साथ ठीक होगा क्योंकि वही सबसे अच्छा उपाय है। यदि हम लोगा मे वास्तव मे अहिंसा की प्रवृत्ति है तो गृह-युद्ध और कडवाहट की जगह ही नहीं बचती।

सभी बाता पर विचार करने के पश्चात मरी राय यह है कि तुम्हे तत्काल अपना विचार व्यक्त करने वाला मत्रीमंडल बना लेना चाहिए। अपना कार्यक्रम भी निश्चित कर लो और आगामी अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष उसे रख दो। यदि समिति उसे स्वीकार कर लेती है तो तुम्हारा मार्ग सुगम हो जाएगा और अल्पसख्यक गुट भी तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध नही कर पाएगा। दूसरी ओर यदि तुम्हारा कार्यक्रम समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, ता तुम्हे त्यागपत्र दे देना चाहिए और तब समिति को अपना अध्यक्ष चुनने दो। फिर तुम स्वतत्र रूप से अपने विचारो के अनुसार देश का शिक्षित कर सकोगे। मै यह राय पडित पत के प्रस्ताव से बिल्कुल पृथक रूप मे दे रहा हू।

अब तुम्हारे प्रश्नो के उत्तर। उन दिनों मैं बीमारी की हालत मे बिस्तर पर पडा था जब पडित पत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मथुरादास ने जो उस दिन राजकोट मे ही थे, मुझे यह सदेश दिया कि पुराने नेताओ के विश्वास के प्रति एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। मेरे पास उसकी प्रति नहीं थी। लिहाजा मैंने कहा– जो भी है, ठीक है क्योकि मुझे शेगाव मे यह सूचना मिली थी कि तुम्हारे चुनाव के प्रति लोगो का तुम पर उतना अधिक विश्वास नहीं था जितना कि पुराने नेताओं के प्रति था- विशेष रूप से सरदार के प्रति। इसके बाद मैंने प्रस्ताव की प्रति देखी।

मेरे सम्मान का कोई प्रश्न नहीं है, क्योकि उसकी स्वतत्र कीमत कुछ भी नहीं है। यदि मेरे उद्देश्य या मेरी नीतियो या कार्यक्रमो के प्रति अविश्वास पैदा हो और देशवासी उसको खारिज कर दे तो मेरे सम्मान को खत्म होना ही चाहिए। भारत की उन्नति या पतन यहा के लाखो लोगो पर निर्भर है। व्यक्तिगत रूप मे कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यो न हो, उसकी कोई कीमत नही– यदि लाखो लोग उसके प्रतिनिधि नहीं हैं। अत इस पर विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं।

तुम्हारे इस विचार से कि देश जितना अहिंसा-प्रेमी इस समय है उतना कभी नहीं था- मैं पूर्णत असहमत हू। जिस हवा मे मैं सास ले रहा हू, उसमे मुझे हिंसा की गध आती है। हा हिंसा बहुत सूक्ष्म रूप मे है। हमारा आपसी अविश्वास भी हिंसा का ही बिगडा रूप है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढती दरार इसी बात का प्रमाण है। मैं और भी कई उदाहरण दे सकता हू।

काग्रेस-भ्रष्टाचार के विषय मे भी हम लोगो के विचार भिन्न हैं। मेरे विचार मे तो यह बढ रहा है। पिछले कई माह से मैं मूल रूप से छटाई की बात कर रहा हू।

इन परिस्थितियो मे मुझे किसी अहिसक आदोलन की आशा नहीं है। प्रभावी स्वीकृति के बिना अल्टीमेटम बिल्कुल अर्थहीन है।

जैसा कि मैंने तुम्हे बताया कि मैं बूढा आदमी हू। शायद अधिक चौकन्ना और भीरु स्वभाव का हू। तुम जवान हो और जवानी मे अनत आशाए होती हैं। मुझे आशा है कि तुम ठीक हो और मैं गलत हू। मुझे पूर्ण विश्वास है कि काग्रेस की आज जो दशा है, वह कोई भला काम नहीं कर सकती और नाम को भी अवज्ञा आदोलन नहीं चला सकती। अत यदि तुम्हारा पूर्वानुमान ठीक है, तो मैं पीछे चलने वालो मे से हूं और सत्याग्रह का सेनापति हू।

मुझे प्रसन्नता है कि तुमने राजकोट के मुद्दे की भी चर्चा की है। इससे सुखानुभूति हुई कि हम तथ्या को किन-किन दृष्टिकोणों से देखते हैं। इस सदर्भ मे मैंने जो भी कदम उठाए, उनके बारे मे मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे विचार से इसका राष्ट्रीय महत्व है। राजकोट की वजह से मैंने अन्य स्थानो पर अवज्ञा आदोलन को नहीं रोका। किंतु राजकोट ने मेरी आखे खोल दी। उसने मुझे मार्ग दिखाया। दिल्ली मे रुके रहने की वजह मेरा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मैं मजबूरी मे यहा एक चीफ जस्टिस के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हू। तब तक दिल्ली मे बने रहना मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हू, जब तक कि वायसराय के तार के मुताबिक उस कार्य की पूर्ति के लिए कदम न उठा लिए जाए। मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। यदि मैंने सत्ता का कर्तव्य-पूर्ति के लिए आह्वान दिया है, तो मैं भी उस कर्तव्य की प्रति-पूर्ति तक दिल्ली मे बने रहना अपना कर्तव्य समझता हू। ठाकुर साहब ने जिस दस्तावेज के अर्थ को शका मे डाल दिया था, उनके मध्यस्थ के रूप में चीफ जस्टिस के चुनाव को मैं गलत नहीं मानता। वैसे भी सर मौरिस उन दस्तावेजो को एक चीफ जस्टिस की हैसियत से नहीं देखेंगे, बल्कि वायसराय के विश्वस्त ज्यूरिस्ट के रूप म देखेगे। वायसराय द्वारा नामित जज को स्वीकार करके मैंने केवल बुद्धिमता का ही नहीं, बल्कि सहृदयता का भी प्रमाण दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मैंने वायसराय की जिम्मेदारी को और बढा दिया है।

यद्यपि हमने आपसी मतभेदो पर व्यापक चर्चा की है, किंतु मेरे विचार से हमारे व्यक्तिगत सबध इससे प्रभावित नहीं होगे। यदि ये उद्गार हृदय से निकले हैं, तो इन मतभेदो को भी हम सहजता से स्वीकार कर लेगे।

प्यार सहित,

बापू

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली, 2 अप्रैल 1939

पत्रों का विस्तृत उत्तर भेजा है। पंडित पंत के प्रस्ताव से मेरी राय का दूर का भी रिश्ता नही है। दो वर्गों के विपरीत मतो के कारण तुम्हे अपनी नीति के अनुसार मंत्रिमंडल बना लेना चाहिए। अपने कार्यक्रम और नीति को प्रकाशित कराकर अ भा कां क के समक्ष पेश करो। यदि बहुमत प्राप्त हो, तो निर्विरोध कार्य करो। यदि बहुमत प्राप्त न हो, तो त्यागपत्र देकर समिति को नया अध्यक्ष चुनने को कहो। ईमानदारी और शुभेच्छा से कार्य करो। मुझे गृह-युद्ध की आशका नहीं है। प्यार --बापू।

महात्मा गाधी के लिए

झीलगुडा, 3 अप्रैल 1939

मेरे पत्रो के उत्तर मे आप का तार व पत्र मिला। विचार कर रहा हू। इस बीच मुझे महसूस हो रहा है कि पंत प्रस्ताव के संदर्भ मे मेरी स्थिति के विषय मे आपको तथा अन्य लोगो को गलतफहमी है। अंतिम उपखंड असंवैधानिक है। मै काग्रेस की राय से बंधा हू। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं एक प्रेस बयान जारी करना चाहता हू। कृपया तार द्वारा सूचित करें कि आपको आपत्ति तो नहीं। प्रणाम –सुभाष।

महात्मा गाधी की ओर से

नई दिल्ली 4 अप्रैल 1939

पत्रकार हमारे पत्राचार के विषय में हर प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने सभी को आपकी ओर भेज दिया है। मैने सहयोगियो व सहकर्मियो के अलावा किसी को कुछ नहीं बताया है। प्यार –बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 5 अप्रैल, 1939

कल एसोसिएटेड प्रेस ने आधिकारिक रिपोर्ट के लिए प्रार्थना की और कहा कि यूनाइटेड प्रेस भविष्यवाणी प्रकाशित कर रहा है। उन्हे सूचित कर दिया कि कुछ भी कहना असभव

है। एक व्यक्ति को कागजात दिखाया है और शायद इस सप्ताह तीन और मित्रो को दिखाऊगा। मेरे विचार से हमारे आपसी समझोते के उपरात ही प्रचार होना चाहिए। नई दिल्ली के समाचारपत्रो की रिपोर्ट है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक 25 को होगी। अभी तक आपका जवाब नहीं आया –सुभाष।

महात्मा गाधी की ओर से

नई दिल्ली 5 अप्रेल 1939
तुम्हारा तार। इधर से कोई तिथि नहीं दी गई। तार पाने की सूचना नहीं दी। क्षमा। आज पता चला कि प्लेग के कारण गाधी सेवा सघ की बैठक स्थगित हो गई। सुविधानुसार कोई तिथि निश्चित कर लो। प्रकाशन के बारे मे सब कुछ तुम पर छोडता हू। प्यार--बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 5 अप्रैल 1939
दिल्ली सेअमृत बाजार पत्रिका ने आज हमारे पत्राचार की रिपोर्ट प्रकाशित की है। पूर्णत ठीक नहीं है। स्पष्ट है कि समाचार वहीं से लीक हो रहा है –सुभाष।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 5 अप्रैल, 1939
पिछले तार के बाद मैने कुछ समाचारपत्र देखे। जैसे लीडर पूर्णत स्पष्ट है कि हमारे पत्राचार की बाते दिल्ली से लीक हो रही हैं। कृपया आवश्यक कार्रवाई करे –सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1939
समाचारपत्र सच्चाई छुपाने मे दक्ष है। वे नाम जगह आदि बना लेते हैं और कल्पनाए कर लेते हैं। मै नहीं जानता क्या हुआ है। तुम्हे भरोसा दिला सकता हू कि यहा ऐसे समाचारो का जिम्मेदार कोई नहीं है। बताओ मुझसे क्या करने को कहते हो। प्यार-बापू।

महात्मा गाधी के लिए

झीलगुडा, 6 अप्रेल, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी,
मेजदादा, मेरे भाई शरत, को लिखे पत्रो मे से एक मे आपने सुझाव दिया है कि भविष्य की सयुक्त योजना की स्पष्ट भूमिका बनाने के लिए दोनो गुटो के नेताओ की खुले हृदय से बातचीत होनी चाहिए। मेरे विचार मे यह अद्भुत विचार है और मैं पुरानी बातो को भूलकर इस विषय मे अपना पूर्ण सहयोग देने को तत्पर हू। क्या आप मुझे बताएगे कि इस विषय मे आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते है ? निजी रूप से मेरा मानना है कि एकता के इस प्रयास मे आपका प्रभाव और व्यक्तित्व बहुत कुछ कर सकता है। एकता की आशा को छोडने से पूर्व क्या आप एक बार सभी को एकत्र करने का अतिम प्रयास नहीं चाहेगे ? मेरी आप से प्रार्थना है कि कृपया आप एक बार पुन विचार करे कि पूरा राष्ट्र आपको किस दृष्टि से देखता है। आप पृथकतावादी नहीं हैं इसलिए लोग अभी भी सबको जोडने की आशा मे आपकी ओर ही देखते हैं।

कार्यकारिणी समिति बनाने का जो सुझाव आपने मुझे दिया है, उस पर मैं गभीरता से विचार कर रहा हू। मेरा विचार है कि आपका सुझाव निराशा का पोषक है। वह एकता की आशाओ को समाप्त करता है। वह काग्रेस को विखडन से नहीं बचा पाएगा, बल्कि वह आपात स्थिति का सुलभ मार्ग होगा। वर्तमान परिस्थितियो मे समरूप ससद का निर्माण करने की राय का अर्थ है कि गुटो को पृथक होने की सलाह दी जा रही है। क्या यह दु खद उत्तरदायित्व नही है ? क्या आप पूर्णतया आश्वस्त हैं कि मिल-जुल कर कार्य करना असभव है ? हमारी ओर से ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह भूलने और क्षमा करने और लोकहित मे मिल-जुलकर कार्य करने को तैयार हैं और आपसे आशा रखते हैं कि आपसी समझौता करवाने मे आप सक्षम होगे। मैंने आपसे बात भी की है और पत्र भी लिखे हैं कि काग्रेस का निर्माण चाहे जैसे भी हुआ हो, फिलहाल उसे बदलने की कोई सभावना नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि मिली-जुली ससद हो, जिसमे सभी गुटो के प्रतिनिधि यथासभव शामिल किए जाए।

मै जानता हू कि आप सयुक्त ससद के विरुद्ध हैं। क्या आपका विरोध सिद्धातो पर आधारित है (अर्थात आपके विचार मे सयुक्त रूप मे कार्य असभव है) अथवा आपका विचार है कि गाधीवादी (यह शब्द मैं इस कारण इस्तेमाल कर रहा हू क्योकि कोई अन्य शब्द मुझे नहीं मिला। आशा है कि आप मुझे क्षमा करेगे) लोगो का प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिए ? यदि दूसरी बात है तो कृपया मुझे स्पष्ट रूप मे बताए ताकि मैं इस विषय पर पुनर्विचार कर सकू। यदि पहला कारण है, तो कृपया इस पत्र मे मैंने जो बाते कहीं हैं, उसके प्रकाश मे स्थितियो का एक बार पुन अवलोकन कर ले। हरिपुरा मे जब मैंने आपको सुझाव दिया था कि समाजवादियो को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तो

आपने स्पष्ट रूप मे अपनी सहमति जाहिर की थी। अब क्या परिस्थितिया इतनी बदल गई हैं कि आप मुझे मेरी इच्छा से ससद का चुनाव करने को कह रहे हैं ?

आपने अपने पत्रो मे दो गुटो का जिक्र किया है, जो एक दूसरे के पूर्णत विपरीत हैं। इस विषय मे आपने विस्तार से कुछ नहीं लिखा और यह भी स्पष्ट नहीं किया कि जिस विरोध का जिक आपने किया, वह कार्यक्रम आधारित है अथवा व्यक्तिगत सबधो पर आधारित है। व्यक्तिगत सबध मेरे विचार से खत्म हो जाने वाली घटना है। हम झगडा भी कर सकते हैं और अपने मतभेदो को मिटाकर हाथ भी मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कांग्रेस के इतिहास मे स्वराज आदोलन की घटना को ही ले सकते हैं। जहा तक मेरी जानकारी है, देशबधु और पडित मोतीलालजी के काफी दिनों तक परस्पर विरोधी सबध रहने के बाद भी उनके सबंध आपके साथ अत्यधिक मधुर और मानवीय रहे। ग्रेट ब्रिटेन म आपातकालीन स्थिति में तीन मुख्य दल साथ मिल कर ससदीय कार्य को अजाम देते हैं। फ्रास जैसे देश मे सयुक्त ससद ही है। क्या हम अंग्रेजो व फ्रांसीसियों की अपेक्षा कम देशभक्त हैं ? यदि ऐसा नहीं है तो फिर सयुक्त ससद के रूप मे हम कार्य करने मे अक्षम क्यो हैं ?

यदि आपको लगता है कि आपका विरोध कार्यक्रम आदि पर आधारित है, न कि व्यक्तिगत सबधों पर, तो कृपया इस विषय मे अपने विचारो से मुझे भी अवगत कराए। क्या आपको लगता है कि हमारे कार्यक्रमो मे भिन्नता है ? वह भी क्या मौलिक रूप मे इतनी कि हमारे लिए मिलकर कार्य करना असंभव हो गया है ? मैं जानता हू कि कुछ मतभेद हैं, किंतु कार्यकारिणी के सदस्यो के त्यागपत्र के उत्तर मे भी मैंने यही लिखा है कि हमारे मतभेदो की अपेक्षा हमारे मतैक्य के बिंदु अधिक है। अभी भी मेरी यही राय है। त्रिपुरी का इससे कोई वास्ता नहीं है।

स्वराज मुद्दे पर अल्टीमेटम देने के मेरे विचार पर आपने अपने किसी पत्र में राय व्यक्त की है कि अभी वृहद रूप मे अहिंसक आदोलन छेडने का वातावरण नहीं है। किंतु क्या राजकोट मे वृहद अहिंसक आदोलन नहीं था ? क्या अन्य राज्यो मे आप ऐसा नहीं कर सकते ? इन प्रातो के लोग सत्याग्रह के विषय म अपेक्षाकृत कम प्रशिक्षित हैं। ब्रिटिश भारत मे हमें अधिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त है– चाहे कहने को ही हो। यदि प्रांत के लोगों को लोक-स्वतत्रता तथा सरकारी जिम्मेदारी के विरुद्ध संघर्ष के लिए आज्ञा दी जा सकती है तो ब्रिटेन शासित भारत को क्यो नहीं ?

अब गाधीवादियो के सहयोग से त्रिपुरी कांग्रेस मे राष्ट्रीय माग प्रस्ताव पारित किए जाने के विषय को ले। यद्यपि इसमें वही व्यर्थ की बाते और घिसे-पिटे नारे हैं, फिर भी कुछ अर्थों में मेरे अल्टीमेटम के विचार और आगामी सघर्ष के लिए तत्पर रहने की बात से मेल खाती है। क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हैं ? यदि हा, तो एक कदम और आगे बढकर आप मेरी योजना को क्यों स्वीकार नहीं करते ?

अब मै पडित पत के प्रस्ताव पर आता हू। इसके महत्वपूर्ण हिस्से मे (मेरा मतलब अतिम भाग से है) दो मुद्दे हैं। पहली बात मे कार्यकारिणी समिति को आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरे, उसकी सरचना आपकी इच्छानुसार होनी चाहिए। यदि आप स्वेच्छा से निर्मित ससद की सलाह देते हैं और वह बना दी जाती है, तो लोगो को यही महसूस होगा कि वह आपकी इच्छानुसार ही बनाई गई है। किंतु क्या यह कहा जा सकेगा कि उसमे आपका पूर्ण विश्वास है ? क्या अ भा का क की सभा मे सदस्यो को मैं यह बात कह सकूगा कि आपने ही ऐसी ससद के निर्माण की राय दी थी और आपको इस पर पूर्ण विश्वास है ? यदि आप ऐसे ससद के निर्माण की सलाह देते हैं, जिस पर *आपको पूर्ण विश्वास नही है, तो क्या आप पत प्रस्ताव को ही प्रभावी नहीं बना रहे ?* अपनी राय मे आप क्या ठीक काम कर रहे हैं ? मैं आपसे प्रार्थना करता हू कि कृपया इस प्रश्न पर भी विचार कर ले। यदि आप पत प्रस्ताव से सहमत हैं, तो आपको न केवल कार्यकारिणी समिति के विषय मे अपनी राय व्यक्त करनी होगी बल्कि आपको एक ऐसी समिति के गठन की राय भी देनी होगी, जिसमे आपको पूर्ण विश्वास हो।

आपने अभी तक पत प्रस्ताव के गुणो के विषय मे कुछ नहीं कहा है। क्या आप उसे स्वीकृति देते हैं ? *या फिर आप उस एकमत से पास प्रस्ताव को स्वीकृति देना चाहेगे,* जो हमने सुझाया है और जो आप के सिद्धातो मे विश्वास व्यक्त करता हो साथ ही आपके दिशा-निर्देश मे भी विश्वास रखता हो और जिसमें कोई विवादास्पद मुद्दा भी न हो? ऐसे प्रस्ताव को पारित करने के पश्चात कार्यकारिणी की समिति को नियुक्त करने मे अध्यक्ष की क्या स्थिति होगी ? मैं यह प्रश्न आपसे पुन इसीलिए पूछ रहा हू, क्योकि वर्तमान सविधान आपकी ही कृति है और आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। इसी सदर्भ मे एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हू। *क्या आप इस प्रस्ताव को मेरे प्रति अविश्वास* मानते हैं ? यदि ऐसा है तो मैं बिना शर्त तत्काल पद त्याग दूगा। प्रेस बयानो मे मेरे इस प्रश्न पर कुछ समाचारपत्रो ने टिप्पणी की है कि मुझे स्वय निर्णय लेना चाहिए कि इस प्रस्ताव का महत्व क्या है। इसे समझने की बुद्धि मुझमे है, किंतु कई मौके ऐसे भी आते हैं जब व्यक्तिगत निर्णय उसके मार्गदर्शक नहीं बन सकते। स्पष्ट रूप से कहू, तो *अध्यक्षीय चुनाव से मेरी मान्यता को बल मिला है। किंतु अब मैं इस पद पर एक दिन भी* और बने रहना नहीं चाहता- जब तक कि मैं लोकहित कार्य को आगे न बढाऊ। मेरी ओर से जो देरी या हिचक हो रही है उसका केवल एक ही कारण है और वह यह है कि निर्णय करना आसान कार्य नहीं है। मेरे सहयोगियो के दो गुट हैं। पहले वालो का मानना है कि मुझे किसी समझौते की बातचीत किए बिना अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। दूसरा गुट मुझ पर बने रहने का दबाव डाल रहा है जिसका मैं विरोध कर रहा हू। मेरी आत्मा स्पष्ट करना चाहती है कि मैंने अतिम क्षण तक उच्च पदो मे एकता बनाए रखने का पूरा-पूरा प्रयास किया। मुझे मालूम है कि वर्तमान परिस्थितियो मे मेरे त्यागपत्र का क्या

अर्थ लिया जाएगा और इसके क्या परिणाम होगे। यहा मैं यह भी बताऊ कि पहले गुट के समर्थको को अर्थात वे लोग जो मुझे समझौते की अंतिम लडाई तक लडने को प्रेरित करते हैं विश्वास है कि आप बिना पक्षपात के इन मुद्दो पर पूर्ण विचार करेगे और दोनो पक्षो को एक करने मे सफल हो जाएगे।

मैं यह स्पष्ट कर दू कि मैं ऐसा क्यो कह रहा हू कि यदि आप यह कह देते हैं कि पत प्रस्ताव का अर्थ अविश्वास है, तो मैं तत्काल त्यागपत्र दे दूगा। आप भलीभांति जानते हैं कि आप जो भी कहते हैं, या करते हैं, उसे मैं अंधविश्वासी की भांति स्वीकार नहीं कर लेता- जैसा कि देश के अन्य लोग करते है, तो फिर मुझे त्यागपत्र क्यो देना चाहिए जबकि आप स्वीकार करते हैं कि प्रस्ताव का अर्थ अविश्वास है ? कारण सीधा और स्पष्ट है मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती कि भारत का एक महान व्यक्ति यह स्वीकार करे- यद्यपि स्पष्ट शब्दो मे न कहे- कि प्रस्ताव स्वीकृति के द्वारा मुझे त्यागपत्र दे ही देना चाहिए। ऐसा व्यवहार शायद आपके प्रति व्यक्तिगत आदर और इस विषय मे आपकी राय के कारण ही कर पाऊगा।

शायद- जैसा कि कुछ समाचारपत्रो ने भी सुझाया है- आप भी यही मानते हैं कि पुराना व्यक्ति ही पुन कार्य-भार सभाल ले। ऐसी स्थिति मे मैं आप से प्रार्थना करुंगा कि आप पुन राजनीति मे उतर आए, काग्रेस के सदस्य बन जाए और कार्यकारिणी की बागडोर सभाल ले। यह सब कहने के लिए मुझे क्षमा करे। इससे मैं किसी को आघात पहुचाना नहीं चाहता । आप मे और आपके लेफ्टिनेंट्स और चुने गए लेफ्टिनेंट्स मे जमीन-आसमान का अतर है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो आप के लिए कुछ भी कर देगे, किंतु उनके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होगे। क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेगे कि पुराने नेता के निर्देशो के बावजूद कई गाधीवादियो ने अध्यक्षीय चुनाव मे मेरे पक्ष मे अपना मत दिया ? यदि आपके व्यक्तित्व को खींचकर बीच मे न ले आया जाए तो मुझे उनका समर्थन मिलता रहेगा। पुराने नेता की कोई नहीं मानेगा। त्रिपुरी मे वह पुराने नेता सामने नहीं आए और बहुत चतुराई से उन्होने मुझे आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया। किंतु आप मे और मुझ मे कोई झगडा नहीं था। तत्पश्चात उन्होने कहा था कि त्रिपुरी मे उनकी जीत हुई है और मेरी हार हुई है। वास्तविकता यह है कि न उनकी जीत हुई और न मेरी हार हुई। वह आप की विजय थी (बिना किसी सघर्ष के) किंतु नाशकारी विजय, जो सम्मान खोकर प्राप्त की गई हो।

मैं विषयातर कर रहा हू। मैं आप से निवेदन करना चाहता हू कि आप सीधे और स्पष्ट रूप मे सामने आए और काग्रेस के मामलो मे हस्तक्षेप करे। इससे समस्याए सुलझेगी और जो पुराने नेतृत्व के विरोधी हैं- निस्सदेह विरोधी हैं- स्वत ही खत्म हो जाएगे।

यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मेरे पास एक वैकल्पिक सुझाव भी है। कृपया हमारी इच्छानुसार आजादी के सघर्ष को चलाते रहें और इसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार

को अल्टीमेटम देकर करे। इस दशा म हम सभी अपने पदो से कार्यमुक्त हो जाएगे। यदि आप चाहेगे, तो हम आपकी पसद के लोगो को अपनी इच्छानुसार ये पद थमा देगे किन्तु एक ही शर्त है कि स्वतत्रता का सघर्ष जारी रहना चाहिए। मेरे जैसे कुछ लोगो का *विश्वास है कि जो परिस्थितिया व मौके हमे आज उपलब्ध है, वे बार-बार नहीं मिलते।* इसलिए सघर्ष जारी रखने की खातिर हम लोग कोई भी बलिदान देने को तत्पर है।

यदि अत तक आपका मानना यही है कि सयुक्त उचित नहीं, समजातीय मन्त्रिमडल के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं– और यदि आप चाहते हैं कि मै अपनी इच्छानुसार *मन्त्रिमडल का चुनाव करू तो मैं चाहूगा कि आगामी काग्रेस तक आप अपना* विश्वास मुझ पर व्यक्त करे। इस बीच यदि हम स्वय को सेवा करने के योग्य सिद्ध नहीं कर पाए तो काग्रेस के समक्ष व्यर्थ सिद्ध हो जाएगे और स्वत ही कार्यभार से मुक्त कर दिए जाएगे। वर्तमान परिस्थितियो मे आप के विश्वास-मत का अर्थ है अ भा का क का विश्वास-मत प्राप्त कर लेना । किंतु यदि आप हममे अपना विश्वास व्यक्त नहीं करते और हमे समजातीय मन्त्रिमडल बनाने की सलाह देते हैं तो आप पत प्रस्ताव को तरजीह नहीं दे रहे हैं। 10880

एक बार पुन मै आप से प्रार्थना करता हू कि कृपया मुझे यह अवश्य बता दे कि सयुक्त मन्त्रिमडल के खिलाफ आपका सिद्धातो के कारण विरोध है अथवा आपकी इस इच्छा के कारण कि पुराने नेताओ का जितना प्रतिनिधित्व मैंने अपने 25 मार्च के पत्र मे लिखा था, उसकी अपेक्षा अधिक होना चाहिए।

पत्र समाप्त करने से पूर्व एक-दो निजी बातो पर भी बात करना चाहूगा। आप ने अपने एक पत्र मे इशारा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे व्यक्तिगत सबध बिगडेगे नहीं। मैं भी हृदय से यही चाहता हू । मैं इस विषय मे कुछ कहना चाहूगा कि जीवन मे यदि मुझे किसी बात पर अभिमान है, तो वह यही है कि मैं एक सज्जन पुरुष का पुत्र हू– अत स्वय भी एक सज्जन पुरुष हू। देशबधु दास प्राय हमे कहा करते थे कि जीवन राजनीति से बडा है। यह शिक्षा मैने उन्हीं से पाई है।

मै एक दिन भी उस राजनीति मे रहना नहीं चाहूगा जहा रहकर मुझे सज्जनता के उन मानदडो से नीचे गिरना पडे जो बचपन से मेरे दिलोदिमाग मे भरे गए हैं और जो मानदड मेरे खून मे बसे हो। मेरे पास यह जानने का कोई मार्ग नहीं है कि एक व्यक्ति के रूप मे मेरे विषय मे आपकी क्या राय है क्योकि आप मुझे बहुत कम जानते हैं। फिर मेरे राजनीतिक प्रतिद्वदियो ने भी मेरे विषय मे बहुत-सी बाते आप तक पहुचाई हैं। मुझे पता चला है कि पिछले कई महीनो से मेरे विरोध मे बहुत धीमी गति स एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक प्रचार किया जा रहा है। यह बात म बहुत पहले आप को बताना चाहता था किंतु उस समय मेरे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं थे कि कौन मेरे बारे म क्या प्रचार कर रहा है। बाद मे मुझे काफी सूचनाए प्राप्त हुईं कि क्या कहा जा रहा है– यद्यपि अभी

मैं इस बारे मे आश्वस्त नहीं हू कि मेरे विरुद्ध प्रचार करने वाले कौन लोग हैं।

एक बार फिर मैंने विषयातर कर दिया। एक पत्र में आपने आशा व्यक्त की है कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। महात्माजी ! मुझ पर विश्वास करे, इन दिनो मैं यही प्रार्थना करता रहा हू कि ईश्वर मुझे अपने देश को स्वतत्र कराने और देशवासियों के भलाई के मार्ग पर ले जाने की चेतना दे। मैंने सदा आवश्यकता पडने पर ईश्वर से शक्ति और प्रेरणा की माग की है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि वह देश सदैव जीवित रहता है जिसके देशवासी उसके लिए आवश्यकता पडने पर जीवन-दान को भी तैयार हो। यह नैतिक (अथवा आध्यात्मिक आत्माहुति आसान नहीं है) किंतु जब भी मेरे देश को मेरे बलिदान की आवश्यकता पडे, ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे।

आशा है, स्वास्थ्य सुधर रहा होगा। मैं भी धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूं।

आदर सहित प्रणाम—

आपका स्नेहाकांक्षी,
सुभाष

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, अप्रेल 7, 1939

राजेनबाबू से हुई टेलीफोन पर बातचीत मे आगे मैं यह चाहता हू कि आप दिल्ली से राजकोट के लिए रवाना होने से पहले एक बैठक हमारे साथ अवश्य करे। इससे आपको अधिकाधिक तीन दिन की देरी होगी। पत्राचार से कोई परिणाम नही निकल रहा और मेरा विचार है कि व्यक्तिगत रूप से मिलकर बहुत-सी बाते हल हो सकेगी। रही स्थान की बात, तो यदि आप के लिए स्वास्थ्य के कारण यहा आना सभव नहीं तो मै डॉक्टरो की राय को न मानते हुए दिल्ली पहुच जाता हू। जैसा कि मैने त्रिपुरी जाने के लिए भी किया था। मुझे लगता है कि मुझे अपने स्वास्थ्य की कीमत पर भी कार्यकारिणी समिति की समस्या और कांग्रेस की एकता के लिए यथासभव प्रयास करना चाहिए। यदि आगामी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक के लिए बात स्थगित कर दी गई, तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी तथा रहस्य बना रहेगा, जिससे लोगो के मन मे भ्रांतिया पैदा होगी—सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1939

तुम्हारा टेलीफोन-सदेश मिला। राजकोट के कार्य से आज रात ही राजकोट जा रहा हू। तात्कालिक कर्तव्य की बलि दिए बिना उसे स्थगित करना सभव नहीं था। जिस क्षण राजकोट से कार्यमुक्त होऊगा, तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूगा। तब तक मेरी राय मानकर

अपना मत्रिमडल बनाओ और अपना कार्यक्रम प्रकाशित करवाओ। रविवार प्रात राजकोट पहुच जाऊगा। प्यार–बापू।

महात्मा गाधी की ओर से

अप्रैल 7, 1939
तुम्हारा तार। मैं असमर्थ हू। मेरा राजकोट जाना आवश्यक है। मेरी राय है कि शरत और अन्य प्रतिनिधियो को राजकोट भेज दो। वह वायुयान से आ सकते हैं। राजकोट से दस दिन पहले निकल पाना सभव नहीं है। प्यार –बापू।

महात्मा गाधी के लिए

मेरे प्रिय महात्माजी, झीलगुडा, 10 अप्रैल

अनेक तारो और छोटे पत्रो के अतिरिक्त मैंने आपको 4 और महत्वपूर्ण पत्र लिखे हैं जो मैंने 25 मार्च (26 को डाक मे डाला) 29 मार्च और 31 मार्च तथा 6 अप्रैल को लिखे हैं जिनमे काग्रेस की सामान्य दशा पर व विशेष रूप से कार्यकारिणी की समिति पर विशेष रूप से चर्चा की है। मुझे खेद है कि पत्राचार इतना लबा चला कि मैं चाहता था कि एक ही लबे पत्र मे ये सब बाते लिख पाता किंतु दो बाधाए थीं। पहली लबा पत्र लिखने मे थकान और श्रम तथा दूसरा आपके पत्रो मे नए मुद्दे जो मेरे उत्तर की अपेक्षा रखते थे। मुझे आशा है कि इस शृखला का यह मेरा आखिरी पत्र होगा। यहा मैं कुछ बाते स्पष्ट करना चाहूगा, जहा मुझे गलत समझ जाने की सभावना है। अपने पिछले पत्रो के मुख्य मुद्दो को याद करते हुए आपसे अतिम अपील करता हू।

1 सदर्भ भ्रष्टाचार एव हिसा–यदि मैं आपको ठीक से समझ पाया हू, तो आप अल्टीमेटम और शीघ्र ही राष्ट्रीय सघर्ष शुरू करने के विचार का विरोध कर रहे हैं, क्योकि आप यह महसूस करते हैं कि हम लोगो मे अत्यधिक भ्रष्टाचार और हिसा फैली है। पिछले कई माह से हम कार्यकारिणी मे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और मेरे विचार से सभी इस बात पर एकमत भी हैं— सिर्फ इसके कि मैं नहीं मानता कि ये बातें इतनी अधिक हैं कि हम तत्काल पूर्ण स्वराज के सघर्ष को छेड न पाए। इसके विपरीत हम जितना ही सवैधानिक मार्ग से भटकते रहेगे लोगो को पद व प्रतिष्ठा की भूख मे लिप्त रहने देगे, उतना ही भ्रष्टाचार बढने की सभावना अधिक रहेगी। मैं यहा यह कहना चाहूगा कि मुझे आज के यूरोप की कुछ राजनीतिक पार्टियों का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान है और

बिना किसी विरोधाभास के नैतिक दृष्टि से भी निर्णय करें, तो हम उनसे किसी भी रूप मे कम नहीं हैं बल्कि कुछ मामलो मे उनसे बढकर ही होंगे। इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा मुझे उचित नहीं जान पडता। फिर देश की आजादी के लिए सघर्ष और बलिदान तो भ्रष्टाचार को खत्म करने मे ही सहायक होगा और फिर यदि कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति हमारे बीच उच्च पद पर आसीन होगा भी, तो जनता के समक्ष आ जाएगा। फिर, ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष हैं कि जब महान राजनीतिज्ञो ने देश के बाहरी शत्रुओ से युद्ध प्रारम्भ किया, ताकि गृहयुद्ध के शत्रुओ को समाप्त कर सके।

सदर्भ हिंसा की भावना का होना– मैं अपने पहले बयान पर ही स्थिर हू। उच्च पदो पर बैठे काग्रेसियो व उनके समर्थको मे पहले की अपेक्षा आज हिंसा की भावना बहुत कम हो चुकी है। इस विषय मे भी मैं अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हू। अत तर्क-वितर्क की आवश्यकता नहीं है। यह सभव है कि काग्रेस विरोधियो मे आज हिंसा की भावना हो, उसी के परिणामस्वरूप दगे भडक रहे हैं जिन्हे काग्रेस सरकार जबर्दस्ती दबा रही है– वह एक अलग मुद्दा है। इससे हमे यह विचार नहीं बनाना चाहिए कि काग्रेस मे तथा उसके समर्थको मे हिंसा की भावना बढ रही है। क्या यह उचित है कि हम स्वतत्रता सग्राम को तब तक स्थगित रखे– जब तक कि अन्य पार्टियां जिनका कि हमसे कोई सबध नहीं है (उदाहरण के लिए मुस्लिम लीग) अहिंसक विचारधारा वाली नहीं हो जातीं।

2. सदर्भ पडित पत का प्रस्ताव– मैं यह जानना चाहता हू कि क्या आप इस प्रस्ताव को जिस रूप मे पडित गोविंद वल्लभ पत ने पेश किया, स्वीकार करते हैं और अपनी स्वीकृति देते हैं– अथवा हम लोगो द्वारा सुझाए गए सशोधनो के बाद सर्वसम्मति से पारा होने देना चाहते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हू कि क्या आप उस प्रस्ताव को मेरे प्रति अविश्वास का मत मानते हैं ? आपकी सुविधा के लिए नीचे मैं मूल प्रस्ताव और उसका सशोधित रूप प्रस्तुत कर रहा हूं।

मूल रूप

काग्रेस मे उत्पन्न हुए वैचारिक मतभेदो और अध्यक्षीय चुनाव के सबध मे पैदा हुए विवादो को देखते हुए यह आवश्यक है कि काग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे और सामान्य नीति की घोषणा करे।

1 यह काग्रेस अभी भी उन मूलभूत नीतियो द्वारा निर्देशित व्यक्तियो पर दृढ है, जो महात्मा गाधी के मार्ग निर्देशन मे बनाई गई थी। इसका दृढ विचार यही है कि इन नीतियो मे परिवर्तन नहीं आना चाहिए और भविष्य मे भी काग्रेस के

कार्यक्रमो को लागू करने के लिए इन्ही नीतियो का पालन किया जाना चाहिए। कार्यकारिणी द्वारा पिछले वर्ष म किए गए कार्य म यह काग्रेस पूर्ण विश्वास व्यक्त करती हे और उसके किसी भी सदस्य के प्रति किसी प्रकार की टिप्पणी पर खेद व्यक्त करती है।

2 आगामी वर्ष मे उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए और इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि महात्मा गाधी ही एकमात्र व्यक्ति है जो काग्रेस का नेतृत्व कर सकते है– और देश को इस कठिन परिस्थिति से निकाल सकते हे। काग्रेस यह आवश्यक समझती है कि काग्रेस कार्यकर्ताओ म उनका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अत वह अध्यक्ष से अनुरोध करती है कि वे कार्यकारिणी का चुनाव या गठन गाधीजी की इच्छानुसार करे।

सशोधित रूप

काग्रेस मे उत्पन्न हुए वैचारिक मतभेदो और अध्यक्षीय चुनाव के सबध मे पैदा हुए विवादो को देखते हुए यह आवश्यक है कि काग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे और सामान्य नीति की घोषणा करे।

1 यह काग्रेस अभी भी उन मूलभूत नीतियो द्वारा निर्देशित कार्यक्रमो पर दृढ है जो महात्मा गाधी के मार्ग निर्देशन मे बनाई गई थी ओर इसका दृढ विचार यही है कि इन नीतियो मे परिवर्तन नही आना चाहिए और भविष्य मे भी काग्रेस के कार्यक्रमो को लागू करने के लिए इन्हीं नीतियो का पालन किया जाना चाहिए। यह काग्रेस पिछले वर्ष कार्यरत कार्यकारिणी के प्रति अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करती है।

2 आगामी वर्ष मे उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए यह काग्रेस चाहती है कि महात्मा गाधी का मार्गदर्शन व सहयोग आगे भी मिलता रहे जैसा कि पिछले वर्षो मे मिलता रहा है।

3 सदर्भ काग्रेस समाजवादी पार्टी– मेरे 31 मार्च के पत्र मे काग्रेस समाजवादी पार्टी के सदर्भ मे जो टिप्पणी थी वह समाचारपत्रो की रिपोर्टो तथा अनुमानो पर आधारित थी। कुल मिलाकर जो प्रभाव मुझ पर पड रहा है वह यह था कि काग्रेस समाजवादी पार्टी के कार्यकारी नेता अपनी ढुलमुल नीतियो पर चलते रहग, जिससे कि वे भविष्य मे नई नीति पेश कर सके– अर्थात पुराने पर्यवेक्षको को समर्थन दे सके। मैंने सोचा कि कहीं इससे आप यह अनुमान न लगा ले कि पूरी काग्रेस समाजवादी पार्टी हमारा साथ छोड देगी और भूतपूर्व नेताओ का साथ देगी। परिणामत मै आपको यह बताना चाहता था कि मुख्य नेतागण जो

भी करे, किंतु कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अधिकाश लोग हमारे साथ ही रहेगें। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हू क्योंकि त्रिपुरी मे अपने सहयोगियो के प्रति उनके नेताओ ने तटस्थता की नीति अपनाई थी। कुछ प्रातो ने विद्रोह किया। उच्च पदो पर आसीन लोगो मे से अधिकाश लोगो ने नैतिकता के कारण या अनुशासन के कारण नेताओ का अनुपालन किया। जो सूचनाए मुझे मिलीं, उनके बारे मे आपको लिखने का अर्थ यह नहीं है कि यह उस आभास की गारटी है, जो मुझे प्रेस की रिपोर्टिंग से हुआ, जिसमे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओ के भविष्य की नीति का पता चलता है। अत इस प्रकार पार्टी मे अलगाव का प्रश्न ही नहीं पैदा होना चाहिए।

4 सदर्भ समजातीय बनाम सयुक्त मत्रिमडल– इस विषय मे आपके तर्कों को मैंने बहुत ध्यान से पढा और उन पर विचार किया है। किंतु अभी तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ हू। सम्भव है कि मेरी सतुष्टि के लिए आपके पास अन्य तर्क भी हो। आपका मूल विचार यह है कि लोगो मे मौलिक मतभेद इतने अधिक है कि सयुक्त रूप मे कार्य करना सभव नहीं है। हरिपुरा कांग्रेस मे आपके विचार हमारे विचारो मे मेल खाते थे। अध्यक्षीय चुनाव की शाम तक सयुक्त रूप मे कार्य करना सभव था। फिर उसके बाद ऐसी क्या बात हो गई, जिससे यह कार्य असभव हो गया और आपके विचार से मूलभूत सिद्धातो को लेकर हमारे मतभेद क्या है ?

मैं यह भी जानना चाहूगा कि सयुक्त ससद के लिए आपकी आपत्ति क्या केवल सिद्धातो के कारण ही है अथवा उस 50-50 के अनुपात को लेकर है, जिसका जिक्र मैंने अपने 25 मार्च के पत्र मे किया था ? उस पत्र मे मैंने सुझाव दिया था कि मैं सात व्यक्तियो के नाम सुझा सकता हू और सात व्यक्तियो के नाम सरदार पटेल द्वारा सुझाए जा सकते हैं, जिन्हें आपकी स्वीकृति से पास किया जा सकता है। आप उपर्युक्त अनुपात के अनुसार चाहे तो चोदह के चोदह व्यक्तियो के नाम सुझाने मे सक्षम हैं– यदि आपको यह अनुपात उचित नहीं लगता, यद्यपि यह हमारे सयुक्त सविधान के मार्ग मे बाधक होगा, तो कृपया आप मुझे सूचित करे, ताकि मैं इस विषय मे पुनर्विचार कर सकू।

5 श्री शरत बोस को सुझाव– आपने मेरे भाई को 24 मार्च के अपने पत्र में लिखा है– "यदि स्थिति इतनी बिगड चुकी है कि समलने की गुजाइश नहीं तो मैं चाहता हू कि आप सब लोगो की एक बैठक हो जाए, ताकि एक दूसरे के सामने अपने हृदय की बात रख सके और निष्कर्ष पर पहुच सके"– इस विषय मे आप ने बाद के पत्रो मे जिक्र तक नहीं किया है। मैं आपका एक से अधिक बार लिख चुका हू कि हमारी ओर से कांग्रेस के उच्च पदो पर बैठे व्यक्तियो में एकता लाने

का प्रत्येक प्रयास सभव है। मैने यह भी लिखा था कि हमारी ओर मेरे जैसे ही अन्य व्यक्ति है, जो आपको पृथकतावादी नही मानते और जो एकता के लिए आपकी ओर देख रहे है। मैं कहना चाहूगा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सिर्फ भूतपूर्व अध्यक्ष तथा उसके समर्थको को ही गाधीवादी माने, आप हमारे विचारो और योजनाओ को स्वीकार क्यों नहीं करते ?

6 सदर्भ मेरे वैकल्पिक सुझाव–

क मेरा पहला सुझाव यह है कि स्वतत्रता सग्राम को जारी रखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उस स्थिति मे आप हमसे जो भी बलिदान आवश्यक समझे, मागेगे– जिसमे पदत्याग भी शामिल है, हम दे देगे। सघर्ष जारी रखने की स्थिति मे हम बिना शर्त सहयोग देने का वायदा करते है।

ख यदि आप समझते हैं कि सघर्ष जारी रखना सभव नहीं है और भूतपूर्व अध्यक्ष को गद्दी सौपना चाहे, तो मेरा सुझाव है कि आप चार आना काग्रेस के सदस्य बन जाए और कार्यकारिणी का नियत्रण सीधे अपने हाथो मे ले ले। ऐसा करने से उन कठिनाइयो से छुटकारा मिल जाएगा, जो आपके द्वारा भूतपूर्व अध्यक्ष को पुन पद देकर पैदा होगी।

ग यदि ये सुझाव भी आपको उचित न जान पडे अथवा मजूर न हो और आप मुझे समजातीय कार्यकारिणी बनाने की सलाह देते हैं तो मैं चाहूगा कि आप मुझे अपना विश्वास मत आगामी काग्रेस तक अवश्य दे। आपके विश्वास मत से अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के आप के रूढिवादी समर्थको को सतोष हो जाएगा। ऐसा करने से विभाजन से बचा जा सकेगा और कार्य करना सभव हो पाएगा। इस सबध मे मैने अपने 6 अप्रैल के पत्र मे भी आप से करबद्ध प्रार्थना की थी कि पत प्रस्ताव के तहत कार्यकारिणी का गठन आपकी इच्छानुसार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आपका विश्वास मत भी प्राप्त होना चाहिए। इस प्रस्ताव को देख लेने के पश्चात आप के लिए यह सभव नहीं होगा कि आप ऐसी कार्यकारिणी के गठन की सलाह दे, जिसमे आपका विश्वास न हो।

घ यदि तीनो सुझाव आपको मजूर न हो, तो आपके समक्ष एक ही रास्ता है कि आप कार्यकारिणी के गठन की पूरी जिम्मेदारी स्वय ले ले और अपने निर्णय की घोषणा के बाद आप मुझे अपने भविष्य का मार्ग चुनने की स्वतत्रता दे।

7 सदर्भ आपका मोन– अपने एक पत्र मे आपने कहा था कि आप इसलिए मोन हैं, क्योकि मैंने आप से चुप रहने का अनुरोध किया था। मैं स्पष्ट कर दू कि मैने ऐसा क्यो कहा था। त्रिपुरी मे स्थिति ऐसी थी कि काग्रेसियो मे आपस मे दरार बढती जा रही थी और मेरा विचार था कि केवल आप ही एकता ला सकते हैं, तब मैंने महसूस किया कि यह अति आवश्यक है कि आप पूरी स्थिति

पर निष्पक्ष रूप से विचार करे। पत प्रस्ताव के समर्थक नई दिल्ली की ओर भाग रहे थे, अत मेरा यह विचार स्वाभाविक था कि वे आप को उसके एक पक्ष से अवगत कराएगे, जो त्रिपुरी मे घटा। इसीलिए मैंने आप से प्रार्थना की थी कि आप तब तक कोई सार्वजनिक बयान जारी न करे, जब तक कि त्रिपुरी की पूरी कहानी अर्थात दूसरे पक्ष की बात भी न जान ले । आप ने मेरी बात मानी, इसके लिए मैं आपका आभारी हू। उसी का परिणाम है कि आज समस्त देश उच्च पदस्थ काग्रेसियो के बीच फिर से एकता स्थापित करने और कांग्रेस को गृह-युद्ध से बचाने के लिए आपकी ओर नजरे लगाए बैठा है। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा होता है– ईश्वर रक्षा करे– कि आप भी विभाजन को स्वीकृति दे देते हैं, तो एकता की सभी आशाए धूल मे मिल जाएगी और सभव है कि हम लोग गृह-युद्ध मे घिर जाए। किंतु अब मैं अनुभव करने लगा हू कि अधिक देर तक आप पर यह जिम्मेदारी नहीं डाले रखनी चाहिए। परिणामस्वरूप यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी चुप्पी तोड देनी चाहिए तो– और यदि आपको त्रिपुरी की कहानी के दोनो पक्षो की पूरी जानकारी मिल चुकी है- तो आप कोई भी सार्वजनिक बयान या अपना मत देने को स्वतंत्र हैं। मैं आप को याद दिलाना चाहूगा कि काग्रेसियो के सभी वर्ग (केवल पुराने कार्यकर्ता नहीं) आपकी राय जानना चाहते हैं। निष्कर्ष-स्वरूप मैं कहना चाहूगा कि जब आप अचानक 7 तारीख को राजकोट के लिए रवाना हुए तो जो तार आपने मुझे भेजा उसे पाकर मुझे बहुत निराशा हुई । डॉ राजेंद्र प्रसाद ने मेरी ओर से बिडला हाउस मे टेलीफोन द्वारा सूचित किया था कि मैं आपसे मिलने को कितना उत्सुक हू। क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे पत्राचार से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है और आमने-सामने बात होना अति आवश्यक है। फिर दिन मे मेरे डॉक्टर ने भी बिडला हाउस में फोन पर श्री महादेव देसाई से बात की और उन्हें बताया कि आप यहा आने का प्रयत्न अवश्य करे और कम से कम 8 तारीख के पूर्व दिल्ली छोडकर न जाए, किंतु खेद है कि राजकोट आपको खींचकर ले गया। मुझे आशा है कि यह राजकोट के लिए वरदान होगा, किंतु काग्रेस के लिए अभिशाप नहीं बनेगा। यदि आपको अचानक राजकोट न जाना पडता, तो आज त्रिपुरी की कथा का इतिहास कुछ और होता। आप मे स्थिति को सभालने की शक्ति है, किंतु आप वहा उपस्थित नहीं थे- यद्यपि मैंने और स्वागत समिति ने बार-बार आप से उपस्थित रहने का अनुरोध किया था। वस्तुत: जब आपने ठाकुर साहब को अल्टीमेटम दिया था तो स्वाभाविक था कि सपूर्ण भारत आप पर निर्भर था और आपके देशवासियो के एक वर्ग का विचार था, और आज भी है कि आप राजकोट सघर्ष स्थगित कर सकते थे– कम-से-कम कुछ सप्ताह

के लिए, जिससे राजकोट राज्य के लोगों को कोई हानि नहीं होने वाली थी।

(सर मॉरिस ग्वेर के निर्णय के संबंध में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने उस पर हस्ताक्षर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से किए हैं न कि व्यक्तिगत रूप में)।

मेरा पत्र आवश्यकता से अधिक लंबा हो गया है, अतः मुझे यहीं समाप्त करना चाहिए। आशा है आपकी यात्रा सुखद रही होगी और स्वास्थ्यलाभ भी हो रहा होगा। मैं लगातार स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूं।

प्रणाम सहित—

आपका स्नेहाकांक्षी,
सुभाष

महात्मा गांधी की ओर से

राजकोट
10 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय सुभाष,

तुम्हारा 6 तारीख का पत्र मुझे यहां के पते पर मिला। मैंने बिना किसी पक्षपात के विरोधियों की मीटिंग का सुझाव दिया था किंतु उसके बाद इतना कुछ घट चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ उपयोगी परिणाम निकल सकते हैं। वे लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे और अधिक कड़वाहट पैदा होगी। दरार बहुत गहरी है, शंकाएं बहुत हैं, लोगों पर रोक लगाने का कोई मार्ग नहीं। मुझे एक ही मार्ग दिखाई देता है कि प्रत्येक वर्ग को उसकी इच्छानुसार कार्य करने दिया जाए।

विरोधियों से संयुक्त रूप से कार्य करवा पाने में मैं स्वयं को अक्षम समझता हूं। मेरे विचार में वे स्वयं व्यक्तिगत रूप में अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो देश की भलाई ही होगी।

पंत प्रस्ताव की मैं व्याख्या नहीं कर सकता। जितना ही उसे पढ़ता हूं, उतना ही उसे नापसंद करता हूं। इसे तैयार करने वालों का मकसद ठीक रहा होगा किंतु वह वर्तमान समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए आप उसकी व्याख्या अपने अनुसार करें तथा बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करें।

मैं कोई कार्यकारिणी तुम पर लादना नहीं चाहता न ही लादूंगा— तुम्हें भी लदवानी नहीं चाहिए। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तुम्हारी कार्यकारिणी का विश्वासमत दिलाने की गारंटी नहीं देता न तुम्हारी नीतियों को स्वीकृति दिलाने का विश्वास ही दिला

सकता हू। सदस्यों को स्वय निर्णय करने दो। यदि तुम्हे मत प्राप्त नहीं होता, तो विपक्ष का नेतृत्व करो– जब तक कि बहुमत प्राप्त न कर लो।

क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जहा-जहा मेरा प्रभाव है, वहा-वहा मैंने आदोलन को रोक दिया है। त्रावणकोर और जयपुर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। राजकोट मे, मैं यहा आने से पूर्व मे आदोलन समाप्त कर आया। मैं दोहराना चाहूगा कि वातावरण अहिसक नहीं है। क्या रामपुर से तुमने कोई सबक नहीं सीखा ? मेरे विचार से इसने हमारे लक्ष्य को बहुत हानि पहुचाई है। मेरे विचार मे यह पूर्व नियोजित था। कांग्रेसी इसके उत्तरदायी हैं– जैसे उडीसा मे, रामपुर मे हुआ । क्या तुम यह महसूस नहीं करते कि हम दोनो व्यक्ति किसी ही एक बात को अलग-अलग दृष्टि से देखते हैं और विरोधी निर्णयो पर पहुचते हैं, तो फिर हम राजनीतिक धरातल पर कैसे मिल सकते है ? अत वहा मतभेद रहने दें– कितु सामाजिक, नैतिक और निगमो के धरातल पर सहमत हो। मैंने आर्थिक धरातल की बात नहीं की, क्योकि वहा भी हम लोगो मे मतभेद है। मेरा दृढ विश्वास है कि यदि हम विरोधियो को एकमत होकर कार्य करने की राय देने की अपेक्षा उन्हें अपने-अपने मार्ग पर अपने कार्य करने की स्वतत्रता दे दे, तो देश का अधिक हित कर पाएगे। दिल्ली मे मैंने तुम्हे तार द्वारा सूचित किया था कि मैं धनबाद पहुचने मे असमर्थ हू । राजकोट की मैं उपेक्षा नहीं कर सकता था।

मैं ठीक-ठाक हू। बा को मलेरिया ने घेर रखा है। आज पाचवा दिन है। मैं उन्हे अपने साथ ही ले आया था। मुझे आशा है कि तुम निर्णयात्मक कार्य करते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे। परिणाम ईश्वर पर छोड दो। तुमने अपने पिता का जो वर्णन किया, वह दिल को छू लेने वाला है– मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त है। एक बात मैं भूल गया। किसी ने मुझे तुम्हारे विरुद्ध नहीं भडकाया है। जो मैंने शेगाव मे कहा, वह मेरा व्यक्तिगत आकलन था। यदि तुम्हे यह लगता है कि पुराने लोगो मे से कोई तुम्हारा व्यक्तिगत विरोधी है तो तुम्हारा विचार गलत है।

प्यार,
बापू

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा पो आ ,मानभूम
13 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी,

मैंने सोचा था कि 10 तारीख का पत्र मेरा अतिम पत्र होगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज प्रात मैं जल्दी उठ गया, क्योंकि नींद ने मेरा साथ नहीं दिया और प्रात काल की रोशनी

मे मैं सामान्य समस्याओ पर विचार करता रहा। फिर मैंने पूरा पत्र-व्यवहार पुन पढ़ा और इस निर्णय पर पहुचा कि कुछ विषय अभी स्पष्ट करने शेष हैं।

30 मार्च के पत्र मे आपने लिखा है कि शेगाव मे 15 फरवरी को हम इस निष्कर्ष पर पहुचे थ कि हममे मौलिक सिद्धातो के बारे मे मतभेद है। अपनी बातचीत मे हम कुछ मतभेदो को खोज पाए थे। कितु मेरे विचार मे वे मतभेद मूलभूत सिद्धातो को लेकर थ। अपने पत्रो मे जिन मतभेदो का जिक्र आपने किया, उनसे अधिक मतभेदो की चर्चा हमने तब की थी। उदाहरण के लिए आपने भ्रष्टाचार हिसा आदि प्रश्नो पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपने अल्टीमेटम देन के मेरे सुझाव और सघर्ष जारी रखने के विचार का विरोध किया है क्योकि आपको यह लगा कि वर्तमान हिसक परिस्थितियो मे अहिसक जन-आदोलन सभव नहीं है। लेकिन क्या ये मतभेद मौलिक सिद्धातो से सबद्ध हे और क्या ये सयुक्त कार्य करने की आशाओ को धूमिल करते हैं? कार्यक्रम क प्रश्न पर काग्रेस को ही निर्णय लेना होगा। हम व्यक्तिगत रूप से अपने विचार और योजनाए सामने रख सकते हे, कितु यह काग्रेस पर निर्भर करता है कि वह इन्हे स्वीकार कर ले अथवा अस्वीकार कर द। मेरा मुख्य मुद्दा अल्टीमेटम देने का और स्वतत्रता सघर्ष को जारी रखना था, जिसे त्रिपुरी मे काग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, कितु मैंने उसके लिए कोई शिकायत नहीं की थी। आज भी मेरा विश्वास है कि मैं सही कह रहा था। एक दिन आएगा, जब काग्रेस भी इसे स्वीकार करेगी। उम्मीद करता हू कि वह दिन जल्दी ही आएगा। इस बात को स्वीकार कर लेने के बाद कि उपर्युक्त मतभेद हे- फिर भी हम लोग सयुक्त रूप से कार्य करने मे अक्षम क्यो हैं? ये मतभेद आज अचानक उत्पन्न नहीं हो गए हैं, बल्कि काफी समय से विद्यमान थे- फिर भी इन सब के बावजूद हम लोग मिलकर कार्य कर रहे थे। ये मतभेद और कुछ अन्य मतभेद भविष्य मे भी जारी रहेगे- तब भी हमे मिलकर काम करना ही होगा। (यानी लोक-हित के लिए एकत्र होना ही होगा)।

आपको याद होगा कि शेगाव मे हम लोगो ने सयुक्त मत्रिमडल व समजातीय मत्रिमडल के प्रश्न पर ही लगभग एक घटे तक बातचीत की थी कितु हममे तब भी मतभेद था। तीन घटे के हमारे वार्तालाप के अत मे मैने आपसे कहा था कि मैं सरदार पटेल का समर्थन प्राप्त करने का हर सभव प्रयास करूगा। सभव है कि यदि मैं बीमार न पड़ा होता और वर्धा मे 22 फरवरी की कार्यकारिणी की बैठक मे हम लोग मिले होते, तो सयुक्त रूप से कार्य कर पाना शायद आसान हो जाता।

आपके 30 मार्च के पत्र मे एक और टिप्पणी है, जिससे मैं सहमत नहीं हू और जिसका जिक्र मैं भूलवश पहले नहीं कर पाया। आपने कहा है कि यदि मुझे अखिल भारतीय काग्रेस कमटी मे बहुमत प्राप्त हो जाए तो मे उन लोगो की कार्यकारिणी गठित कर लू, जो मेरी नीतियो मे विश्वास रखते हो। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि यदि हमे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का समर्थन प्राप्त हो भी जाए, तो भी हमे सयुक्त समिति

का गठन करना चाहिए– क्योंकि सदन मे वही लोग होने चाहिए, जो काग्रेस की सामान्य समिति के सदस्य हो तथा जिन्हे यथासभव काग्रेस का विश्वास भी प्राप्त हो। आज भारत की जो स्थिति है और विश्व की स्थिति को भी देखते हुए मेरी दृष्टि मे समजातीय कार्यकारिणी सैद्धातिक रूप से गलत कदम है। यही समय है जब हमे अपने नेशनल फ्रट को विस्तृत करना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग सकीर्ण गुटवादी दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करेगे ?

भ्रष्टाचार के विषयों पर सामान्यत हम एकमत हैं– सिवाय इसके कि मेरा विचार है कि आप इसे बढा-चढा कर देख रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यदि पूरे भारत पर दृष्टि दौडाए, तो भ्रष्टाचार मे वृद्धि हुई दिखेगी ? यदि वह बढा भी है तो भी क्या हम राष्ट्रीय सघर्ष चलाने मे अक्षम हो गए हैं ? भ्रष्टाचार के कारणो पर विचार करे, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या सघर्ष को स्थगित रखना और अधिकारी वर्ग मे लालच का बढते चला जाना ही इसके मुख्य कारण नहीं हैं ? मैंने अपने पिछले पत्र मे लिखा था कि बलिदान और कष्ट शायद इस भ्रष्टाचार को रोकने मे कामयाब रहे और हमारा राष्ट्र नैतिक धरातल पर ऊपर उठ सके।

6 तारीख को राजेन बाबू मुझसे मिले थे। हमने श्रमिको के प्रश्न पर वार्तालाप किया और फिर काग्रेस के विषय में चर्चा चली। पहल जब मैंने आप से पत्राचार प्रारभ किया था तब मुझे आशा थी कि इस प्रकार हम कार्यकारिणी की समस्या को हल कर लें– शेष समस्याए हमारे मिलने तक स्थगित रखी जा सकती हैं। कितु जैसे-जैसे हमारा पत्र-व्यवहार आगे बढा, मुझे महसूस हुआ कि इससे भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अत जब राजेन बाबू आए, तब तक मेरी आपसे मिलने की इच्छा बहुत तीव्र थी– हालाकि डॉक्टर की राय में यह उचित नहीं था। मुझे आशा थी कि शायद इससे कोई हल निकल आए। राजेन बाबू ने मेरे कहने पर बिडला हाउस मे टेलीफोन कर मुलाकात करने का आग्रह किया था। कितु जब राजेन बाबू ने मुझे कोई उत्साहजनक उत्तर नहीं दिया, तो मैंने सोचा– मुझे पुन प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए दोपहर मे मेरे डॉक्टर ने पुन बिडला हाउस मे फोन किया और मैंने एक्सप्रेस तार भेजा– जिनका आपने उत्तर दिया कि राजकोट की स्थितिया आपको तत्काल दिल्ली छोडने पर मजबूर कर रही हैं। तब मुझे महसूस हुआ और आज भी कहता हू कि राजकोट ने आपकी आत्मा को खरीद लिया है और भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को बहुत हानि पहुचाई। मेरे जैसे लोगो के लिए काग्रेस का मुद्दा राजकोट के आमत्रण की अपेक्षा हजार गुना अधिक महत्वपूर्ण था। कोई भी समझ सकता था कि सर मौरिस ग्वेर के फैसले के पश्चात आपकी अनुपस्थिति मे सरदार पटेल राजकोट की परिस्थिति का बखूबी सभाल सकते थे। बहरहाल, अब कुछ भी कहने का कोई लाभ नहीं, जबकि आपने निर्णय लिया और उसी के अनुरूप कार्य किया।

7 अप्रैल के तार में आपने कहा था कि मेरे भाई शरत व अन्य प्रतिनिधि वायुयान

द्वारा राजकोट जाकर आपसे मुलाकात कर सकते हे। यह बात उचित नहीं जान पडती। यदि सीधे पत्राचार ही सतोषजनक परिणाम नही दे पा रहे है तो भला इतनी दुरुह और नाजुक समस्या को प्रतिनिधि कैसे हल कर पाते ? नही मेरे विचार मे प्रतिनिधियो को राजकोट भेजने से परिस्थितिया मे सुधार नही हो सकता। केवल हमारी सीधी बातचीत ही कोई हल निकाल सकती थी।

आपका 10 तारीख का पत्र अभी मिला है। अभी मैंने उस पर विचार किया। मुझे खेद के साथ बताना पड रहा है कि आपके अधिकाश उत्तरो ने मुझे निराश किया है। पूरे पत्र से निराशा की गध आ रही है, जिसमे मैं सहभागी नहीं बन सकता। मुझे दुख है कि आपने व्यक्तिगत मुद्दो पर अधिक चर्चा की है। आपको हमारी देशभक्ति पर भरोसा होना चाहिए था कि राष्ट्रीय आपात स्थिति मे हम लोग इन मतभेदो से ऊपर उठ सकगे। यदि हम काग्रेस मे एकता नहीं रख सकते, तो भला देश की एकता की कल्पना कैसे कर सकते हैं ?

पत प्रस्ताव के सबध म आपने मुझे कोई व्यावहारिक राय नहीं दी है। यदि राज्यो मे अहिंसक आदोलन छिडवाने मे आप सक्षम है तो आप जन-साधारण की स्वतत्रता और राज्यो म जिम्मेदार सरकार की जीत की आशा कैसे कर सकते हैं ? आखिरकार हमारा मुख्य उद्देश्य अहिंसक लोक-सघर्ष ही है और उससे बचकर हमे मध्यम नीति अथवा आपकी आत्मबलिदान की नीति को ही अपनाना पडेगा। आप कहते है कि जहा-जहा आपका प्रभाव था, वहा आपने अवज्ञा आदोलन को समाप्त कर दिया है। हम जानते हैं कि ऐसा आपने राजकोट म किया और वहा आपने अपनी जिदगी दाव पर लगाकर सारा बोझ अपने कधो पर उठा लिया। क्या यह राजकोट के लोगो के लिए और आपके देशवासियो के लिए ठीक था ?

आपका जीवन अपना नहीं है कि जब चाहे, उसे दाव पर लगा दे। देशवासी राजकोट की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र के लिए आपका निर्देशन व मार्गदर्शन माग सकते है। जहा तक राजकोट के लोगो का प्रश्न है– यदि व अपने बलिदान और प्रयासो के बिना आपके आत्मबलिदान द्वारा स्वराज प्राप्त करते हैं तो वे सदा के लिए राजनीतिक रूप से अविकसित रह जाएगे और व उस स्वराज की रक्षा करने मे भी असमर्थ रहेगे जो आप उन्हे दिलाएगे। अत मे जहा विभिन्न क्षेत्रो मे विभिन्न सघर्ष करने है वहा आप कितने मामलो मे कितनी बार अपना जीवन दाव पर लगाते रहेगे ?

आप हमारे राजनीतिक व आर्थिक धरातल पर एकजुट होने के बारे मे पूरी तरह निराश हो चुके हैं। आपने आर्थिक मुद्दे की बात उठाई। शायद आप भारत के लिए हमारी औद्योगिक योजना की नीति को अस्वीकार करते हैं फिर भी हम औद्योगीकरण के साथ-साथ लघु उद्योगो को बढावा देने के पक्ष मे भी हैं। राजनीतिक मतभेदों के विषय मे मैं यह समझ पाने मे असमर्थ हू कि आप किन मतभेदो को मूलभूत मतभेद मानते हैं।

एकता और सयुक्त रूप से कार्य करने के हमारे मार्ग की बाधाए क्या हैं ? यदि आपकी राय मे कार्य असभव है, तो ऐसा लगता है– कम-से-कम फिलहाल तो जरूर– कि यह बात काग्रेस के लिए निराशाजनक है। इन दिनो मैं बराबर यही सोच रहा था कि आपके जरिए हम दरार को पाटने मे सफल हो पाएगे और इस प्रकार एक राष्ट्रीय आपदा को रोकने मे समक्ष होगे।

असहमति के जिन मुद्दो की चर्चा आपने की है– वे अच्छे, बुरे अथवा निरर्थक ही क्यो न हों, लेकिन ऐसे मुद्दे हैं– जो सदा बने रहेगे। परिणामस्वरूप यदि आज संयुक्त रूप से कार्य करना कठिन है, तो हमेशा ही कठिन होगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में हमारे पास निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अपने युवा और आनदमय आशावाद के रहते, जो हमें भारत के उज्ज्वल भविष्य के प्रति आश्वस्त कराता है, भला हम इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं ?

आपने अपने कई पत्रों मे राय दी है कि मुझे अपने कार्यक्रम व नीतियो का निर्धारण कर उन्हें अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। किंतु काग्रेस की ओर से मैं एक विशेष विधि से कार्यकारिणी के गठन के लिए नियुक्त किया गया हू और यही मेरा प्रथम कर्तव्य है। अपने अध्यक्षीय भाषण में मैंने त्रिपुरी काग्रेस मे अपना कार्यक्रम पेश किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। वर्तमान समय मे मैं यह महसूस नहीं करता कि मुझे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए, जबकि कार्यकारिणी का मुद्दा अभी हल नहीं हो पाया है।

अपने पहले पत्र में आपने लिखा था कि पहल मुझे करनी चाहिए। उसी के अनुसार मैंने अपने विचार और आज हमारे समक्ष खडी समस्या के सबंध मे अपने सुझाव आपको भेजे थे। मैंने महसूस किया कि मेरे सभी सुझाव अथवा अधिकांश सुझाव आपकी सहमति प्राप्त नहीं कर सके। अत अब समय है कि पहल आप करे। कार्यकारिणी के सदस्यो के विषय मे अपनी इच्छा की जानकारी मुझे दे। पत प्रस्ताव का मानना है कि कार्यकारिणी का गठन न केवल आपकी इच्छानुरूप होना चाहिए, बल्कि उसमें आपका विश्वास भी व्यक्त होना चाहिए। आपके विचार हेतु मैं कुछ वैकल्पिक सुझाव भेज रहा हू। सर्वप्रथम मैंने राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करने का सुझाव दिया था, जिससे हमारी बहुत सी समस्याएं हल हो जातीं। यह सुझाव आपको उचित नहीं लगता। दूसरे, यदि मुझे आपकी राय के अनुसार अपनी इच्छानुसार कार्यकारिणी का चुनाव करना है, तो कृपया आप मुझे अपना विश्वास-मत प्रदान करें। आपके अनुसार यह भी संभव नहीं है। तीसरा सुझाव मैंने यह दिया था कि आपको आगे आना चाहिए और कार्यकारिणी का दायित्व समाल लेना चाहिए, जिससे बहुत-सी कठिनाइया और समस्याए अपने-आप हल हो जाएगी। मेरे इस सुझाव का आपने कोई उत्तर नहीं दिया। यदि आप इसे भी अस्वीकार करते हैं, तो आपको

कदम उठाना चाहिए और स्वय ही कार्यकारिणी के गठन का उत्तरदायित्व सभालना चाहिए।

हर प्रकार से एक बात तो स्पष्ट है। मुझे खेद है कि मैं आपकी राय के अनुरूप अपनी इच्छानुसार अपने पक्ष के लोगो की कार्यकारिणी नहीं बनाऊगा। यह सलाह काग्रेस प्रस्ताव के विरुद्ध है जिसमे कहा गया है कि कार्यकारिणी मे आपका विश्वास होना आवश्यक है। फिर मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वर्तमान परिस्थितिया में स्वेच्छानुसार बनाई गई कार्यकारिणी देशहित के लिए हानिकारक होगी। यह काग्रेस की सामान्य सभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी। इससे भी बढकर यह असतोष को बढावा देगी और हममे आपसी कलह भी शुरू करा सकती है।

मुझे आशा है कि अब आप त्रिपुरी काग्रेस द्वारा अपने पर डाले गए दायित्व का निर्वहन करेगे। यदि आप इससे भी इकार करेगे तो मुझे क्या करना होगा ? क्या मैं इसे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष रखू और उससे आग्रह करू कि वह कार्यकारिणी का गठन करे ? क्या आप मुझे कोई अन्य राय देना चाहेगे ?

आशा है बा अब पहले की अपेक्षा स्वस्थ होगी और शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य विशेष रूप से ब्लडप्रेशर कैसा है ? मैं धीरे-धीरे ठीक हो रहा हू।

सादर प्रणाम।

आपका स्नेहाकाक्षी,
सुभाष

पुनश्च– आपने (10 तारीख) के अपने पत्र मे जिसका अभी मुझे उत्तर देना है। विश्वास-मत के लिए मेरी प्रार्थना के उत्तर मे कहा है कि मुझ द्वारा गठित कार्यकारिणी के विषय मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को अपना निर्णय देने दो, उसमे आपकी राय या मत का कोई प्रश्न नहीं। इससे तो मैं यह अधिक उचित मानूगा कि वे कार्यकारिणी के बैठक सबधी निर्णय भी स्वय ले।

यदि मैं आपकी राय को व्यावहारिक रूप नही दे पा रहा– क्योंकि वह पत प्रस्ताव के विरुद्ध है और यदि आप स्वय कार्यकारिणी के गठन को तैयार नहीं तो अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को चाहिए कि वह कार्यकारिणी के गठन के दायित्व को उठाए। क्या आप कोई और रास्ता सुझाएगे ?

महात्मा गाधी के लिए

झीलगुडा, 14 अप्रैल 1939
इस प्रेस रिपोर्ट से मैं बहुत विचलित हू कि आप अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक मे कलकत्ता मे उपस्थित नहीं हो पाएगे तथा गाधी सेवा सघ की बैठक मई के द्वितीय सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक मे आपका होना अनिवार्य है। क्या मई के पहले सप्ताह मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक आपके लिए सुविधाजनक होगी ? कृपया तार भेजे –सुभाष।

महात्मा गाधी की ओर से

राजकोट, 14 अप्रैल, 1939
मैंने पत्र भेजा है। कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम राष्ट्रीय हित मे अपनी पसद की कार्यकारिणी का चुनाव करो और अपना कार्यक्रम तैयार करो– मेरा विश्वास है कि यही उचित होगा। प्यार –बापू।

महात्मा गाधी की ओर से

राजकोट, 14 अप्रैल, 1939
तुम्हारा तार मिला। तीन मई से 10 मई तक गाधी सेवा सघ की बैठक होगी। बेहतर हो, कार्यकारिणी की बैठक 28 को और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक 29 को रखे। भरसक प्रयत्न करुगा कि उपस्थित रहू। बा का बुखार ठीक है। कोई खतरा नहीं है। प्यार –बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 15 अप्रैल
आज आप के दो तार मिले। खेद है, आपके कलकत्ता पहुचने के प्रति आश्वस्त नहीं हो पाया। अ भा का क मे आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आपकी सुविधा के लिए बैठक स्थगित की जा सकती है। खेद है, समजातीय कार्यकारिणी के विषय मे आपकी राय नहीं मान सकता। परिणामत एक ही विकल्प है कि आप कार्यकारिणी नामित करे। मैंने 13 तारीख को पत्र

लिखा था। आज पुन लिख रहा हू। यदि किसी कारणवश आप नागित नहीं करेगे तो इसे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। हमे आमने-सामने बैठकर बातचीत द्वारा समझौते का अतिम प्रयास करना चाहिए। मेरे 13 और 15 तारीख के पत्रो पर विचार करने के पश्चात कृपया सुविधाजनक तिथि की सूचना दे। प्रणाम–सुभाष।

महात्मा गाधी के लिए

झीलगुडा
मेरे प्रिय महात्माजी 15 अप्रैल, 1939

आज ही मैने आपको तार भेजा है जिसमे कलकत्ता मे आयोजित की जा रही अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी मे आपकी उपस्थिति का जिक्र किया था, जो बहुत जरूरी है। इतना जरूरी ह कि यदि आवश्यक जान पडा तो अ भा का क की बैठक की तिथि आपकी सुविधाजनक स्थगित भी की जा सकती है। कृपया मुझे सूचित करे कि किस तिथि मे आप यहा आ सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण वाले कई मित्रो ने मुझ कहा है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक से पहले कार्यकारिणी का गठन अवश्य हो जाना चाहिए। उनका विचार है कि कार्यकारिणी के गठन के बगैर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित करना व्यर्थ है। उनका मानना है कि यदि पत्राचार द्वारा हल नहीं निकला, तो हमे व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा अतिम प्रयास भी करके देख लेना चाहिए। हमारे मिलने के लिए यदि आवश्यक समझा गया तो अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक स्थगित भी की जा सकती है।

मैं व्यक्तिगत रूप से इसके स्थगन के विरुद्ध हू (क्योकि देरी का सारा दोष मुझ पर ही लगाया जा सकता है), जब तक कि आप स्वीकृति न द दें। किंतु मै गहराई से महसूस करता हू कि यदि पत्राचार हम किन्हीं सतोषप्रद परिणामो तक न पहुचा पाए, तो हमे अवश्य मिल लेना चाहिए और हमारी मुलाकात और बातचीत से भी यदि हल नहीं निकलता, तो कम-से-कम यह सतोष तो रहेगा कि हमने सारे प्रयास करके देख लिए।

अब मुझे वर्तमान स्थिति का सक्षिप्त वर्णन करने द। मुझे खेद है कि समजातीय कार्यकारिणी के गठन की बाबत आपकी राय का अनुपालन नहीं कर सकता (यहा मैं उन कारणो को दुहराऊगा नहीं जिनका विस्तार से उल्लेख मैं अपने पिछले पत्रो में कर चुका हू)। लिहाजा अब आपको उस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लेना चाहिए जो पत प्रस्ताव के परिणामस्वरूप आप पर डाला गया है। दूसरे शब्दो मे, आपको कार्यकारिणी के सदस्यो के नामो की घोषणा करनी होगी। आपके ऐसा करने से समस्या का अत होगा-यानी कार्यकारिणी का चुनाव सभव होगा– और कार्यकारिणी के चुनाव के बाद अ भा का

क की कार्यकारिणी की बैठक सभव हो पाएगी। हम यही आशा कर सकते हैं कि सब ठीक-ठाक हो जाएगा और कोई अड़चन पैदा नहीं होगी।

यदि किसी कारणवश आप कार्यकारिणी के चुनाव से इकार करते हैं, तो दुविधा में पड़े रहेगे। अनिर्णय की स्थिति मे यह मामला अ भा का क के समक्ष ले जाना पडेगा। मेरे विचार से सबकी राय यही है कि अ भार का क की बैठक से पहले ही कार्यकारिणी की समस्या हल कर ली जानी चाहिए, ताकि वह बैठक की बजाय युद्ध का मैदान बनकर ही न रह जाए।

मैं नहीं जानता कि फिलहाल आपके मतिष्क में क्या है— किंतु मुझे पता है कि अब आप कार्यकारिणी के सदस्यो के नामों की घोषणा करेंगे और यह दुविधा समाप्त हो जाएगी। यदि आप कुछ और सोचते हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप उन दुष्परिणामों पर गौर करे, जो तब सामने आएगे, जब हम कार्यकारिणी की समस्या हल किए बगैर कलकत्ता में आयोजित अ भा का क की बैठक बुलाएगे। यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो कि हम अ भा का क की बैठक को स्थगित करके उससे पहले ही एक बैठक आयोजित कर ले।

हाल ही मे एक विचार मेरे दिमाग मे पैदा हुआ है। हम समजातीय कार्यकारिणी के चुनाव पर तो बहुत चर्चा कर रहे हैं, किंतु क्या हम यह जानते हैं कि इसका आशय क्या है ? उदाहरण के तौर पर लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा कांग्रेस के पश्चात जो कार्यकारिणी गठित की गई उसे क्या आप समजातीय मानते हैं ? फिर समजातीय या सयुक्त कार्यकारिणी के प्रश्न पर झगडा करने का अर्थ क्या है ? यदि उन्हे आप संयुक्त कार्यकारिणी मानते हैं, और यदि वे पिछले तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य कर सकती हैं— तो भला अब यह सभव क्यो नहीं है ? इससे मुझे यह सूझा है कि यदि हम समजातीय और सयुक्त कार्यकारिणी की सैद्धांतिक चर्चा करनी छोड दे, तो हम उनके नाम सुझा सकते हैं, जो अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के विश्वस्त होंगे तथा जो काग्रेस की सामान्य सभा के सदस्य होगे। कृपया समस्या के इस पहलू पर भी विचार करे।

फिर आप भ्रष्टाचार एव अहिंसा जैसी समस्याओ के प्रति अत्यधिक गभीर हैं। शायद आप इन्हें मौलिक समस्याए मानते हैं, फिर, हमारा मतभेद आज उपस्थित भ्रष्टाचार व हिंसक प्रवृत्ति के अनुपात को लेकर तो है ही– लेकिन क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हैं कि भ्रष्टाचार, हिंसा आदि को समाप्त कर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ? यदि ऐसा है तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम बिल्कुल एकजुट होकर कार्य नहीं करेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाएंगे ?

इस पत्र को मैं अधिक लंबा नहीं करूगा। मैंने अपना बहुत-सा बोझ आप पर डाल दिया है। मैं पुन कहूगा कि हमारे सैद्धांतिक विचार कुछ भी क्यों न हो, पर हमें व्यक्तिगत

वार्तालाप के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। कार्यकारिणी के विषय मे हमारे विचार कुछ भी हो, लेकिन हम व्यक्तियो के नाम तो सहमति से चुन ही सकते हैं। महत्वपूर्ण समस्याओं पर हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन कार्यवाही के लिए हम एकमत हो सकते हैं।

आशा है कि बा तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रही होगी और श्रम के बावजूद आपका भी स्वास्थ्य संतोषजनक होगा। मैं तेजी से स्वस्थ हो रहा हू।

आदर सहित प्रणाम।

आपका स्नेहाकाक्षी
सुभाष

महात्मा गांधी की ओर से

राजकोट, 17 अप्रैल, 1939
तुम्हारा पत्र व तार मिला। अ भा का क की बैठक 29 को ही रखो। मैं आऊगा। तुम पर समिति लादना मेरे लिए असभव है। यदि तुम गठित नहीं करते तो अ भा का क को चुनने दो। सयुक्त कार्यकारिणी मुझे अव्यावहारिक प्रतीत होती है। तुमने रोक हटा ली है, सो समय मिला तो जनहित मे बयान जारी करूगा। प्यार –बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 18 अप्रैल, 1939
यदि आप बयान जारी करते हैं, तो कृपया मुझे पत्राचार जारी करने की अनुमति दे। पिछला पत्र 15 को लिखा है –सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

राजकोट, 18 अप्रैल, 1939
पत्राचार प्रकाशित करो, जिससे बयान जारी करना आवश्यक नहीं रहेगा। प्यार –बापू।

महात्मा गांधी की ओर से

राजकोट, 19 अप्रैल, 1939

24 को अवश्य चल दूगा। 27 को प्रात कलकत्ता पहुचूगा। शायद सोदपुर मे रहूंगा। हेमप्रभा देवी सदा आग्रह करती हैं। डॉक्टर रॉय ने चिकित्सक की दृष्टि से एक अन्य राय दी है। कल तक मै बुखार से पीडित था, जो लगातार बढ रहा है। आशा है रवानगी से पूर्व नियन्त्रित हो जाएगा। तुम्हारे पत्र मे अनेको सुझाव के बावजूद भी असहाय हू। आपसी अविश्वास के इस वातावरण मे पत प्रस्ताव की शर्तें पूरी करो। दोनों पक्षो मे शका और मतभेद जारी है। मेरी राय यही है कि तुम्हे निडर होकर समिति का गठन कर लेना चाहिए। तुम्हारे जो विचार हैं वे उचित नहीं हैं। प्यार –बापू।

महात्मा गांधी के लिए

(1)

झीलगुडा 20 अप्रैल, 1939

अत्यधिक प्रसन्न हू कि आप 27 को कलकत्ता आ रहे है। अपनी निजी सुविधा के लिए व लोक-हित मे आप कहीं भी ठहरे, कोई आपत्ति नहीं है। मै आपको शहर के बाहर नदी के किनारे ठहरने का सुझाव देना चाहता था। बहरहाल, कलकत्ता में सतीशबाबू से विचार-विमर्श करने के पश्चात आपको तार भेजूगा। कल जवाहरलालजी यहीं थे। हम चाहते हैं कि आप यात्रा के दौरान कलकत्ता के आस-पास एक दिन के लिए रुक जाए, जहा हम दोनो आपसे व्यक्तिगत वार्तालाप हेतु मिल सके। यदि आपका यह विचार उचित जान पडे तो आप तार द्वारा अपने मार्ग की सूचना दे दे। मैं किसी सुविधाजनक स्टेशन पर रुकने का प्रबध करा दूगा। 21 तारीख को कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा हू–सुभाष।

महात्मा गाधी के लिए

(2)

20 अप्रैल, 1939

आपके ज्वर के प्रति चिंतित हू। शीघ्र लाभ की कामना करता हू। जवाहरलालजी और मेरा विश्वास हैं कि हमारे मिलने से अवश्य शुभ परिणाम निकलेगे। लोकहित मे सभी काग्रेसियो का सहयोग प्राप्त करना सभव हो पाएगा। कलकत्ता में हमारी मुलाकात को दृष्टि मे रखते हुए हम दोनो का विचार है कि मुलाकात से पूर्व पत्राचार को प्रकाशित करना उचित नहीं है। प्रणाम –सुभाष।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा पोस्ट ऑफिस
जिला मानभूम, बिहार,
20 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी
आज ही आपको निम्न तार भेजा है

महात्मा गांधी, राजकोट। आपके ज्वर के प्रति चिंतित हूं। शीघ्र लाभ की कामना करता हूं। जवाहरलालजी का और मेरा मानना है कि हमारी मुलाकात से शुभ परिणाम निकलेंगे। लोक-हित मे सभी काग्रेसियो का सहयोग करना सभव हो पाएगा। कलकत्ता मे हमारी मुलाकात को दृष्टि मे रखते हुए हम दोनो का विचार है कि पत्राचार को मुलाकात से पूर्व प्रकाशित करना उचित नहीं है। प्रणाम –सुभाष।

पिछले तीन सप्ताह से हमसे लबा पत्राचार चल रहा है। जहा तक कार्यकारिणी के गठन का सबध है, उससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है– फिर भी, इसका एक और लाभ यह हुआ कि हम अपने विचार स्पष्ट कर सके। फिर भी वर्तमान समस्या यही है कि हम अधिक समय तक कार्यकारिणी के बिना काम नहीं चला सकते। देश की भीतरी परिस्थितियो व अतर्राष्ट्रीय परिस्थितियो को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि काग्रेसियो के पदो को समाप्त कर दिया जाए और सयुक्त मोर्चे का गठन किया जाए। हम भली-भाति जानते हैं कि अतर्राष्ट्रीय स्थिति निरतर बिगड रही है। ब्रिटिश ससद के समक्ष पेश सशोधित बिल द्वारा सरकार प्रातीय सरकारो को रादने की कोशिश मे है– ताकि जो अधिकार उन्हे प्राप्त हैं वे युद्ध की स्थिति मे उनके पास न रह सकें। यह बात तो बिना शक निश्चित है कि चारो ओर से कठिनाइयो का घेरा बढ रहा है। इसका सामना करने की आशा हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग शीघ्र ही अपने मतभेदो को भुला दे और उच्चपदो मे एकता और अनुशासन को कायम कर सकें। यह कार्य तभी सभव होगा जब आप सामने आकर नेतृत्व सभालते हैं। ऐसी स्थिति मे आप अनुभव करेगे कि हम सभी आपका सहयोग देने और आपका अनुपालन करने का हर सभव प्रयास करेगे। आप देखेगे कि भ्रष्टाचार को जड से मिटाने और हिंसक प्रवृति का सफाया करने के विषय मे हम लोग एकमत हैं– यद्यपि आज के भ्रष्टाचार व हिंसा के अनुपात मे हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं। जहा तक कार्यक्रम का सबध है उसका निर्णय अ भा का क द्वारा होगा– हालाकि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने विचार और कार्यक्रम इनके सम्मुख पेश कर सकता है। कार्यक्रम के विषय मे मेरी राय है कि इसका निर्णय हमारे सम्मुख पेश होने वाली कठिनाइयो पर निर्भर है तथा उस समय इस विषय मे मतभेद रहने का प्रश्न ही नहीं रह जाएगा।

कलकत्ता मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक से पूर्व मुलाकात का मैं

व्यग्रता से इंतजार कर रहा हू। अन्य प्रातो की भाति बगाल मे भी यह मत बन रहा है कि कार्यकारिणी की समस्या को सैद्धातिक मतभेदो के बावजूद आपसी सहमति से हल कर लेना चाहिए। पत प्रस्ताव के अतर्गत कार्यकारिणी के गठन का उत्तरदायित्व आपका है ओर जब आप यह उत्तरदायित्व ले लेगे, तो आप देखेगे कि हमारा यथासभव सहयोग आप के साथ है।

कल जवाहर यहीं थे। वर्तमान परिस्थितियो पर हमने विस्तृत चर्चा की। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि हमारे विचारो मे समानता है।

मेरे विचार से कलकत्ता के निकट किसी स्टेशन पर यात्रा मे विश्राम करना उचित रहगा, वहीं हम लोग एकात वार्तालाप भी कर पाएगे। यदि आप नागपुर की ओर से आएगे, तो मिदनापुर (खड़गपुर) सबसे उचित रहेगा। यदि आप चोकी की ओर से आएगे, तो बर्दवान के नजदीक कोई जगह ठीक रहेगा। इस विषय मे मैंने आपको तार भी भेजा है। आपके उत्तर का इतजार रहेगा। यदि यह सभव हुआ तो हम कलकत्ता मे मिलेगे। मैंने जवाहर से प्रार्थना की है कि वे भी इस वार्तालाप मे शामिल हों और उन्होने इस बात को स्वीकार कर लिया है।

आपके ज्वर के बारे मे चिंतित हू। प्रार्थना करता हू, कि शीघ्र ही खत्म हो जाए।

प्रणाम।

आपका स्नेहाकाक्षी

सुभाष

महात्मा गांधी के लिए

कलकत्ता, 22 अप्रैल, 1939

सतीश बाबू से बात हुई, उन्होने शात वातावरण मे आपके ठहरने का समर्थन किया है। अत मार्ग मे रुकना आवश्यक नहीं। समाचारपत्रो से पता चला कि आप दिल्ली मार्ग से आ रहे हैं। आपके तार के अनुसार आप नागपुर मार्ग से पहुच रहे हैं। कृपया मार्ग की सूचना दे –सुभाष बोस।

नोट– पत्राचार के बीच के दिनों मे अतिम तार भेजने के पश्चात अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक कलकत्ता मे पूर्व निर्धारित तिथि में सम्पन्न हुई।29 अप्रैल, 1939 को उस बैठक मे नेताजी ने अपना त्यागपत्र दे दिया। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष उन्होने जो बयान दिया, वह इस पुस्तक के पृष्ठ 107 पर है। अपना त्यागपत्र देने से पूर्व बोस ने निम्न पत्र पढ़कर सुनाया, जो उन्हें गाधीजी की ओर से प्राप्त हुआ था–सपादक।

महात्मा गाधी की ओर से

मेरे प्रिय सुभाष,

पत प्रस्ताव की शर्तो के आधार पर तुमने मुझसे कार्यकारिणी के सदस्यो क नाम सुझाने की बात की है। जैसा कि मैं अपन पत्रो और तारा मे भी जिक्र कर चुका हू– मेरे लिए यह कार्य करना कठिन है। त्रिपुरी के पश्चात बहुत कुछ घट चुका है। तुम्हारे विचार जानने के पश्चात और यह जानते हुए कि किस तरह अनेक सदस्यो मे मौलिक मतभेद हैं– मुझे लगता है कि यदि मैंने तुम्हे नाम सुझाए तो वह तुम पर जबरदस्ती करना होगा। इस सदर्भ मे मैं अपने पत्रो मे विस्तृत चर्चा कर चुका हू। तीन-तीन दिना के व्यक्तिगत वार्तालाप के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेरी राय बदल सकता। ऐसी स्थिति मे तुम अपनी समिति का चुनाव करने को स्वतत्र हो। मैंने तुम्हे बताया था कि तुम पूर्व-सदस्यो के साथ विचार विमर्श करके आपसी समझौते की सभावनाए खोज सकते हो और मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि तुम लोग एक हो गए हो। जो कुछ घट चुका है उसकी चर्चा मं नहीं करना चाहता। तुम और भूतपूर्व सदस्य अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। मेरे लिए यह बहुत दुखद विषय है कि आपसी समझौता सभव नहीं है। मुझे आशा है कि जो भी कदम उठाया जाएगा वह आपसी सहयोग के आधार पर ही उठाया जाएगा।

प्यार सहित,

तुम्हारा

बापू

सोदपुर, 29 4 39

महात्मा गाधी के लिए

कलकत्ता, 5 मई, 1939

पत्राचार प्रकाशित कराना चाहता हू, कृपया अपनी राय तार द्वारा प्रेषित करें –सुभाष।

महात्मा गाधी की ओर से

बृदावन (चंपारण), 6 मई, 1939

पत्राचार प्रकाशित करें। प्यार –बापू।

बोस-नेहरू का पत्र-व्यवहार

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

आनद भवन
इलाहाबाद, 23 अप्रैल, 1938

मेरे प्रिय सुभाष,

मत्रियो से मुलाकात और कार्यकारिणी के सबध मे तुम्हारे पत्र और तार मिले। क्या तुम हमारे कार्यालय को इस आशय के निर्देश भेजोगे कि वह इन बैठको के लिए आमंत्रण पत्र जारी करे ? मत्रियो से मुलाकात मे किसे आमत्रित करना है ? प्रधानमंत्री और ससदीय सदस्यो को मेरा सुझाव है कि कार्यकारिणी के अन्य सदस्यो को मत्रियो से मुलाकात की सूचना दे देनी चाहिए। यदि वे चाहेगे, तो उपस्थित हो जाएगे। प्रधानमत्री को भी कह दिया जाना चाहिए कि वे अपने अन्य मत्रियों को सूचित कर दें कि यदि वे इस बैठक मे उपस्थित होना चाहे, तो उनका स्वागत है।

तीन दिन के लिए मैं लखनऊ जा रहा हूं। 27 तारीख को इलाहाबाद लौटूंगा। उसके पश्चात पाच दिन यहा रहूगा, फिर गढवाल जाऊगा। क्या तुम सहायक सचिव के द्वारा अपना उत्तर कार्यालय के पते पर भेज सकते हो, ताकि तुम्हारे निर्देशो के अनुपालन में देरी न हो सके ?

तुम्हारा शुभेच्छु
जवाहर

सार्जेंट सुभाषचद्र बोस, 38/2, एल्गिन रोड कलकत्ता।

जवाहरलाल नेहरू के लिए

ट्रेन मे
19 अक्तूबर, 1938

मेरे प्रिय जवाहर,

तुम अवश्य सोच रहे होओगे कि मैं कैसा अदभुत व्यक्ति हू कि तुम्हारे सभी पत्रों का जवाब नहीं देता, हालांकि वे सब मुझे प्राप्त हो गए हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों को तुमने जो पत्र लिखे हैं, वे सभी ने पढे हैं। यहां के समाचारों की सूचना तुम्हे कृपलानी व अन्य मित्रो से मिलती ही रहती है। युद्ध सकट के क्षणों मे तुम्हारे बयान समयोचित थे और हमारे लिए उपयोगी भी।

इन महीनों में मैंने तुम्हें कितना याद किया उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरा ख्याल है कि तुम्हें परिवर्तन की अति आवश्यकता है। मुझे खेद है कि तुम स्वयं को पर्याप्त शारीरिक आराम नहीं देते हो। कुल मिलाकर यहां का प्रेस अच्छा है– रायटर को धन्यवाद। यूरोप में तुम्हारी गतिविधियों और कार्यों के विषय में जनता को सूचित किया जाता रहता है। वे तुम्हारे बयानों में भी दिलचस्पी लेते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यूरोप के प्रवास के दौरान तुमने इतना उपयोगी कार्य किया– हालांकि यहां हमें तुम्हारी कमी खलती रही।

कई समस्याएं तुम्हारे लौटने के इंतजार में हैं। हिंदू-मुस्लिम प्रश्न है। श्री जिन्ना अनावश्यक रूप से अड़े हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दोनों पक्षों में दरार पड़ चुकी है। वामपंथियों ने बहिष्कार किया जिसे महात्माजी ने गंभीरता से लिया है। फिर, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न भी है।

मुझे आशा है कि तुम योजना समिति की अध्यक्षता स्वीकार करोगे। यदि इसे सफल करना है, तो तुम्हें अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए।

प्यार,

तुम्हारा शुभेच्छु,
सुभाष

पुनश्च कल मैं बंबई से कलकत्ता पहुंच रहा हूं।

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

व्यक्तिगत और गुप्त

इलाहाबाद
4 फरवरी 1939

मेरे प्रिय सुभाष

हमलोगों ने शांतिनिकेतन में लगभग एक सप्ताह तक बात की किंतु दुःख है कि हम स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। वास्तव में यह कठिन कार्य था, क्योंकि अनिश्चय की कई सारी बातें बनी हुई हैं और हमें पता नहीं लग पा रहा कि स्थितियां क्या रूप लेंगी। हमें इन स्थितियों का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये हम पर निर्भर करती हैं– विशेष रूप से तुम पर।

जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारे चुनाव लड़ने से कुछ लाभ हुआ है, तो कुछ हानि भी हुई है। मुझे आने वाले नुकसान का आभास था। अभी भी मेरा संतुलित विचार यही है कि यह बेहतर रहता कि ऐसा विशेष संघर्ष इस प्रकार न उत्पन्न होता। किंतु यह

बारा तो बीत चुकी, अब भविष्य हमारे सम्मुख है। इस भविष्य को हमें वृहद दृष्टिकोण से देखना है। व्यक्तिगत रूप मे निश्चित ही हममे से किसी का भी शेखी में आना उचित नहीं है, क्योंकि जैसा हम लोग चाहते थे वैसी घटनाए घटी नहीं। कुछ भी हो, हमें अपने लक्ष्य के प्रति सब कुछ समर्पित करना है। इस परिप्रेक्ष्य मे सही मार्ग खोजना कठिन है। मेरा मन भविष्य के प्रति चिंतित है।

सबसे पहला कार्य जो हमे करना है, वह यह है कि हमे जहा तक सभव हो, एक दूसरे की विचारधारा को ठीक से समझना है। यदि ऐसा होता है, तो यह प्रस्ताव पारित करना सरल कार्य है। किंतु यदि हमारे मन-मस्तिष्क दूसरो के उद्देश्यो व कार्यो के प्रति शकालु और दुराग्रह से भरे होगे, तो भविष्य का निर्माण कर पाना आसान कार्य नहीं है। पिछले कुछ वर्षों मे मुझे गाधीजी व वल्लभभाई के सान्निध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ तथा उनके विचारो को जानने का मौका मिला। हम लोगो की बहुत लबी बातचीत हुई है। हम एक दूसरे को आश्वस्त करने मे असफल रहे। हम लोगो ने काफी हद तक एक दूसरे को प्रभावित किया है और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक दूसरे को काफी समझे भी हैं। 1933 तक, जेल से बाहर आने पर मैं गाधीजी से मिलने पूना गया था, जब वे उपवास के पश्चात स्वास्थ लाभ कर रहे थे।

हम लोगो ने अपने सघर्ष के विभिन्न पक्षो पर लबी बातचीत की, फिर पत्र-व्यवहार किया, जो बाद मे प्रकाशित भी हुआ। उस वार्तालाप और पत्र-व्यवहार मे हमारे वैचारिक और मूलभूत मतभेद उभर कर सामने आए। वे बाते भी उभरीं, जिन पर हम लोग एकमत थे। तभी से कभी कार्यकारिणी मे और कभी व्यक्तिगत रूप से विस्तृत चर्चा होती रहती है। कई अवसरो पर मैंने पद से— यहा तक कि कार्यकारिणी से— त्यागपत्र देने का विचार भी किया। फिर मैंने स्वय को ऐसा करने से रोका, क्योंकि मैंने विचार किया कि वर्तमान सकट की घडी मे एकता की अति आवश्यकता है। शायद मैं गलत था।

अब वह सकट इस प्रकार उभर कर आया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले कि मैं अपना कार्य निर्धारित करू मुझे यह पता होना चाहिए कि तुम्हारी राय मे काग्रेस को कैसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए ? मैं इस विषय मे पूरी तरह से अधेरे मे हूं। दोनों पक्षों के सबध मे तथा फेडरेशन के विषय म विस्तृत चर्चा हुई है। फिर भी जहां तक मुझे याद है, इन प्रश्नों पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय हम नहीं ले पाए। इन पर हमने तुम्हारी अध्यक्षता मे कार्यकारिणी मे विस्तृत चर्चा की है। मैं नहीं जानता कि किन लोगो को तुम वामपथी मानते हो, किन्हें उदारवादी। अध्यक्षीय चुनाव के दौरान जिस प्रकार तुमने ये शब्द प्रयोग में लाए, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि गाधीजी व कार्यकारिणी मे उनके समर्थक उदारवादी नेता हैं। उनके विरोधी, वे जो भी हो, वाममार्गी हैं। मुझे यह बात ठीक नहीं लगती। मेरे विचार मे तथाकथित वामपथी अधिक उदार हैं। राजनीति में कठोर भाषा, आलोचना करने की क्षमता और पुराने काग्रेसी नेताओ पर टिप्पणी करना वाममार्ग

की पहचान नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भविष्य मे जो सबसे बडा सकट हमारे समक्ष उपस्थित होने वाला है वह पदो पर बने रहने का और उन व्यक्तियो क उत्तरदायित्व की स्थिति का, जो किसी प्रकार क उत्तरदायित्व से रहित हैं और वस्तुस्थिति को भली-भाति जानना नहीं चाहते। व उच्च कोटि की बौद्धिकता स दूर है। वे ऐसी स्थिति ला खडी करग जिससे प्रतिक्रिया अवश्य पैदा होगी और वास्तविकता को बहा ले जाएगी। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। मैं भारत को उस मार्ग पर चलने देना नहीं चाहता। काश ! मैं कुछ कर पाता।

मेरा विचार है कि प्राय वाममार्ग और सुधारवादी शब्द का प्रयोग गलत या भ्राति पैदा करने वाला होता है। यदि इन शब्दों की अपेक्षा हम नीतियो के विषय मे चर्चा करे तो उचित रहेगा। आप किस नीति म विश्वास करते हैं ? फेडरेशन विरोधी ? अच्छी बात है। मेरे ख्याल से कार्यकारिणी के अधिकाश सदस्य उसके पक्ष मे हैं। इस विषय मे उनकी कमजोरी पर अगुली रखना उचित नहीं है। फिर क्या तुम्हारे लिए यह अधिक उचित नहीं है कि तुम इस विषय को कार्यकारिणी की बैठक म उठाओ ? इस विषय पर प्रस्ताव पश करो और तब प्रतिक्रिया देखो ? निश्चय ही अपने सहयोगियो से इस विषय पर विस्तृत चर्चा किए बगैर उनपर उनका पीछे हटने का दोषारोपण अनुचित था। फेडरेशन क मत्रियो पर तुम्हारे द्वारा लगाए गए दोषो क बारे मे मै जो कुछ तुम्ह कह चुका हू, उसे दुहराना नहीं चाहूगा। अधिकाश लोगो का यही मत ह कि कार्यकारिणी के तुम्हारे सहयोगी दोषी पक्ष से हैं।

तुम्हे याद होगा कि यूरोप स मैंने तुम्ह और कार्यकारिणी को लबी रिपोर्ट भजी थी। फेडरेशन के प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए और तुम्हारे निर्देश क्या हैं— इस विषय मे हमने लबी बातचीत की थी। तुमने मुझ कोई सुझाव नही भेजा है यहा तक कि पत्र प्राप्ति की सूचना तक नहीं दी। मेरे विचारो से गाधीजी सहमत थ। मुझे बताया गया कि कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी इससे सहमत थे। अभी तक मुझे तुम्हारी प्रतिक्रिया के विषय मे कुछ पता नहीं लग पाया है। लेकिन क्या मुझे सूचित करने के अलावा तुम्हारे लिए यह मौका नहीं था कि तुम इस विषय मे कार्यकारिणी से विस्तृत बातचीत करते और किसी निष्कर्ष पर पहुचते ? खेद है कि इस विषय म और अन्य मुद्दो पर भी तुमने कार्यकारिणी मे बहुत निराशाजनक रुख अपनाया— जबकि बाहर कई बार तुमने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वास्तव मे तुमने अध्यक्ष की अपेक्षा प्रवक्ता की भूमिका अधिक निभाई है।

पिछले वर्षों मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय की स्थिति बहुत बिगडी है। तुमने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और भेजे गए पत्रो व तारो का उत्तर भी बहुत कम दिया— जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय के कई कार्य अनिश्चित काल तक

के लिए लटके रहे। इस समय जबकि संस्था पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, तब हमारा मुख्यालय कार्य करने मे अक्षम है।

हमारे सम्मुख राज्य से सबद्ध प्रश्न हैं। हिंदू-मुस्लिम प्रश्न है। किसानो और श्रमिको से सबधित प्रश्न हैं। इन विषयो पर लोगो के विभिन्न दृष्टिकोण हैं तथा कई विवाद हैं। इनमे से किसी विषय पर तुम्हारी क्या राय है, जिनके बारे में तुम्हारे सहयोगियो मे मतभेद हैं ? बबई व्यापार सघर्ष बिल को ही लो। मैं उसकी कुछ बातो से असहमत हू और यदि उस समय मैं यहा होता, तो निश्चित रूप से उन्हे परिवर्तित करा देता। क्या तुम भी असहमत हो ? यदि हा, तो तुमने उनमे परिवर्तन कराया ? विभिन्न प्रातो की सामान्य स्थिति को ही ले। मुझे नहीं मालूम है कि बगाल सहित अन्य प्रश्नो पर तुम्हारे विशेष विचार या दृष्टिकोण क्या हैं।

प्रातीय काग्रेस सरकारे तेजी से सकट की ओर बढ रही हैं। पूरी सभावना है कि राज्यो मे जारी आदोलन एक बडे सकट का रूप धारण कर लेगा जिसका सामना प्रातीय सरकारो सहित हम तमाम लोगो को करना होगा। तुम्हारी राय मे हमे क्या मार्ग अपनाना चाहिए ? बगाल मे सयुक्त सरकार की तुम्हारी माग का सविधान के प्रति विरोध के तुम्हारे रवैये से कोई समानता नहीं है। सामान्यत इसे उदारवादी कदम माना जाएगा- विशेष रूप से तब जबकि स्थितिया से बदल रही हैं।

फिर विदेश नीति को जेसा कि तुम मानते हो, मैं बहुत अहमियत देता हू। विशेष रूप से इस हालात मे। मेरे विचार से तो तुम्हारे लिए भी यह महत्वपूर्ण है। किंतु अभी तक मुझे यह मालूम नहीं हो पाया कि तुम्हारी नीति क्या है। मुझे गाधीजी के दृष्टिकोण की जानकारी है। मैं पूर्णत उससे सहमत नहीं हू- हालाकि हम लोगो ने पिछले दो तीन साल तक अतर्राष्ट्रीय सकट का मिलकर मुकाबला किया है तथा उन्होने मेरे दृष्टिकोण से पूर्णत सहमत न होने के बावजूद भी उसे स्वीकृति प्रदान की है।

ऐसे ही अनेक प्रश्न मेरे मन-मस्तिष्क को आक्रात किए हुए हैं। ऐसे ही कई मुद्दो से वे भी परेशान हैं। इनमे वे लोग भी शामिल हैं जिन्होने तुम्हारे पक्ष मे अपना मतदान किया था। यह सभव है कि काग्रेस के समक्ष मुद्दे उठाए जाने पर इनमे से अधिकाश लोग अपना मत बदल भी ले। तब नई स्थिति पैदा हो सकती है।

कार्यकारिणी का गठन कई समस्याए पैदा करेगी। अतिम समस्या यही होगी कि गठित समिति के प्रति अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का विश्वास व्यक्त होना चाहिए- सामान्यत काग्रेस का भी। वर्तमान परिस्थितियो मे यह कठिन कार्य है। यह उचित नहीं है कि ऐसे व्यक्तियो की समिति गठित कर दी जाए, जो जिम्मेदारी समझ न पाए। उनका मूल उद्देश्य यही रहे कि जिसे वे उचित समझें उसी की आलोचना हो, ऐसी स्थिति के प्रति किसी का विश्वास नहीं होगा, चाहे वे वाममार्गी हों या उदारवादी। या तो उस समिति

को तोड दिया जाएगा या फिर वह एक महत्वहीन समिति बन कर रह जाएगी।

संभव है कि प्रांतीय संघर्ष के कारण वल्लभभाई और यहां तक कि गांधीजी भी इसमें अधिकाधिक लिप्त होते चले जाएं। इस प्रकार यह भारतीय राजनीति का मुख्य मुद्दा बन जाएगा। अन्य लोगो से गठित कार्यकारिणी कार्य करने मे अक्षम हो जाएगी और महत्व भी खो बैठेगी। पिछले दशक मे या उससे अधिक समयपूर्व से कार्यकारिणी की स्थिति बहुत ऊंची रही है– भारत तथा विदेश दोनो ही मे। इसके निर्णयो का कुछ अर्थ रहा है और शब्दो मे शक्ति रही है। उसने अधिक शोर तो नहीं मचाया, लेकिन उसके प्रत्येक कार्य के पीछे शक्ति निहित थी। मुझे डर है कि हमारे अधिकांश तथाकथित वामपंथी किसी अन्य बात की अपेक्षा कडी भाषा बोलने मे अधिक विश्वास रखते है। नरीमन जैसे कार्यकर्ता के प्रति मेरे विचार कोई बहुत प्रशंसात्मक नही है। ऐसे ही बहुत से अन्य लोग भी हैं।

हम एक व्यर्थ के विवाद मे फस गए है और फिलहाल उससे निकलने का कोई मार्ग नहीं है। मैं अपनी ओर से हर समय प्रयत्न करने को तैयार हू। लेकिन पहल और स्पष्टीकरण तुम्हारी ओर से होनी चाहिए। तभी दूसरे लोग यह निर्णय ले पाएंगे कि वे इसमे कहा फिट बैठते हैं। मेरा सुझाव है कि इस स्थिति के प्रत्येक आयाम पर विस्तृत विचार करो। उपयुक्त वर्णित कठिनाइयो पर विचार करो, फिर उस पर विस्तृत नोट लिखो। इसका प्रकाशन आवश्यक नहीं है। किंतु उन्हें अवश्य दिखाया जाना चाहिए, जिन्हें तुम सहयोग के लिए आमंत्रित करते हो। ऐसा नोट चर्चा का विषय बनेगा। यह चर्चा हमें वर्तमान संकट से निकलने का मार्ग प्रदर्शित करेगी। केवल बातचीत ही पर्याप्त नहीं है। वे निरर्थक होती हैं और प्राय गलत दिशा मे ले जाती है और हम-तुम बहुत-सी निरर्थक बाते कर चुके हैं।

मैं तुम्हें बताना चाहता हू कि तुम अपनी इस राय का विस्तार करो कि ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए। इस सदर्भ मे तुम आगे क्या कदम उठाना चाहते हो और फिर बाद मे क्या करने का विचार है ? जैसा तुम्हें पहले भी बताया है कि मुझे यह विचार पसद नहीं है– लेकिन हो सकता है, विस्तृत रूप मे सामने आने पर यह सभव हो सके। शायद मै इसे अधिक भली प्रकार समझ सकू।

मैंने प्रेस मे तुम्हारे बयान देखे। तुम्हारी स्थिति का समझ पाना मेरे लिए कठिन है। फिर भी मेरी सलाह है कि इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करो।

जनहित के मामलो मे सिद्धात और नीतिया शामिल हैं। इसमे भी एक-दूसरे के प्रति विश्वास और अपने सहयोगियो के प्रति आस्था की आवश्यकता है। यदि विश्वास की यह कमी रहेगी तो भलाई होना असभव है। जैसे-जैसे मै बडा हो रहा हू, वैसे-वैसे इस विश्वास के प्रति मेरी आस्था बढी है तथा सहयोगियो मे आपसी समझ के महत्व को मैं

स्वीकारता हू। मुझे उन अद्भुत सिद्धातो से क्या लेना-देना, यदि सबद्ध व्यक्ति मे मुझे विश्वास नहीं है।

कई क्षेत्रो की विरोधी पार्टियो ने यह स्पष्ट कर दिया है तथा हमे लोगों मे अत्यधिक कटुता और सम्माननीय व्यक्तियो व स्पष्टवादियो मे भी विश्वास की कमी के दर्शन हुए हैं। ऐसी राजनीति मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए इतने वर्षो तक मैं उन सब लोगो से कटा रहा। बिना किसी गुट के मैने स्वतत्र रूप मे कार्य किया। कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सहयोग देने वाला नहीं था- हालाकि बहुत-से ऐसे लोग हैं, जिनका विश्वास मुझे प्राप्त है। मुझे लगता है कि क्षेत्रीय गिरावट अब अखिल भारतीय स्तर पर फैलती जा रही है। मैं इस विषय मे बहुत चिंतित हू।

पुन इस बात पर आए कि राजनीतिक समस्याओ के पीछे मनोवैज्ञानिक समस्याए भी हैं और उन्हे सुलझाना सबसे कठिन कार्य है। एक यही रास्ता है कि सबसे स्पष्ट बात की जाए और मुझे आशा है कि हम सब लोग स्पष्ट बात कर सकेगे। इस पत्र के तुम्हारे तत्काल उत्तर की मुझे आशा नहीं है। कुछ दिन लगंगे, लेकिन कृपया पत्र प्राप्त होने की सूचना अवश्य भिजवा दे।

तुम्हारा शुभाकाक्षी,
जवाहर

जवाहरलाल नेहरू को

चौराम, जिला : गया
10 फरवरी 1939

मेरे प्रिय जवाहर

कलकत्ता मे तुम्हारा लबा पत्र मिला। तुमने मेरी कमियो की ओर सकेत किया है। मैं उनके प्रति सजग हू। लेकिन बताना चाहता हू कि इस हानि का एक अन्य पहलू भी है। फिर किसी को उन कठिनाइयो को भी भूलना नहीं चाहिए, जो मेरे मार्ग मे आई हैं। इस पत्र मे मैं उनके विषय मे कुछ कहना नहीं चाहता। एक तो उससे विवाद उठ खड़ा होगा। दूसरे, इससे दूसरे लोगों पर भी आच आएगी। मुख्य बात त्रिपुरी काग्रेस का कार्यक्रम है। जयप्रकाश तुम से 12 तारीख को मिलेंगे और कार्यक्रम के बारे मे मेरे विचारो से अवगत कराएगे। मैं भी तुम से मिलना चाहता था, लेकिन मेरे लिए यह सभव नहीं होगा। फिर भी मैं 20 तारीख को इलाहाबाद मे तुमसे मिलने का प्रयास करूगा।

राजकोट आदि के विषय मे तुम्हारा बयान देखा। ब्रिटिश सरकार राजाओ के माध्यम से काग्रेस से झगडना चाह रही है, किंतु हम उनके जाल मे नहीं फसना है। राज्यो की समस्याओ पर झगडे हुए राजाओ से अलग हमे ब्रिटिश सरकार के सामने स्वराज

का मुद्दा सीधे-सीधे रखना है। इस विषय पर तुम्हारे बयान में कुछ नहीं कहा गया और मुझे शंका है कि हम कहीं अपने मुख्य उद्देश्य से इधर-उधर तो नहीं भटक रहे। यदि हम स्वराज की बात छोड़कर ब्रिटिश सरकार से झगड़ा करेंगे और वह भी प्रांतीय राजाओं की समस्याओं को लेकर तो हम भटक जाएंगे। शेष मिलने पर।

तुम्हारा स्नेहाकांक्षी
सुभाष

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

1 मार्च 1939

मेरे प्रिय सुभाष,

मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के बारे में आपका 27 तारीख का पत्र मिला। कुछ समय पूर्व मैंने बंबई की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखकर कहा था कि वे नहाश पाशा व उनके साथियों के स्वागत की समुचित व्यवस्था करें। मैंने सुझाव दिया था कि उनके ठहरने की व्यवस्था ताजमहल होटल में ही की जा सकती है। जबलपुर तक के लिए रेलवे में उनका प्रथम श्रेणी में आरक्षण करा दिया जाए। चूंकि नहाश पाशा आ रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक था। अभी भी मेरी राय है कि किसी भी कीमत पर वे जबलपुर तक प्रथम श्रेणी में ही आएं। उसके बाद उनका कार्यक्रम निश्चित किया जा सकता है और आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। संभव है कि वे हमारी राय से सहमत हों।

मेरे विचार से उनकी यात्रा का व्यय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को वहन करना चाहिए, यदि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी इस व्यय को वहन करने को तैयार हो तो ठीक है। नियमानुसार उनके रहने की व्यवस्था उच्चकोटि के होटल में की जानी चाहिए। यहां उनका प्रवास अल्पावधि का है, केवल पंद्रह दिन का– इसमें से तीन-चार दिन त्रिपुरी में व्यतीत हो जाएंगे, तीन दिन यात्रा में। अतः वे अधिक स्थानों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। दिल्ली तो अवश्य ही आएंगे। यदि संभव हुआ तो वे कलकत्ता और लखनऊ भी जाएंगे। मेरा विचार है कि उन लोगों के पहुंचने के बाद आप उनसे कार्यक्रम के बारे चर्चा कर सकते हैं।

यदि वर्धा में कार्यकारिणी की बैठक हुई तो शायद मैं अनौपचारिक रूप से इस विषय की चर्चा वहां उठाऊंगा– क्योंकि मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के व्यय की राशि की स्वीकृति लेनी होगी।

मैंने त्रिपुरी स्वागत समिति के सदस्यो से भी बात की है और मैं समझता हूं कि उन्होने जबलपुर के होटलो मे तथा कांग्रेस कैंप में– दोनों ही जगह उनके ठहरने का प्रबंध करवा दिया है।

आपका शुभाकाक्षी
जवाहर

श्री सुभाषचद्र बोस
38/2, एल्गिन रोड, कलकत्ता

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

आनद भवन
इलाहाबाद, 16 मार्च , 1939

मेरे प्रिय सुभाष,
आशा है, आपका स्वास्थ्य अब ठीक हो रहा होगा और त्रिपुरी की थकान भी मिट चुकी होगी।

जैसा कि आपने सुना ही होगा, मौलाना आजाद कल इलाहाबाद स्टेशन पर गिर पडे। उन्हे चोट आई है। आशका है कि टखने के पास हड्डी मे फ्रैक्चर हुआ है। सभव है, उन्हें छ या आठ सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करना पडे। अभी वे यहीं हैं। एक सप्ताह बाद उन्हें कलकत्ता भिजवाया जाएगा। मैं उनके टखने के जोड का स्कीयाग्राम डॉ विधानचद्र राय की सलाह व परामर्श हेतु तथा कलकत्ता के सर्जनो की राय हेतु भिजवा रहा हूं।

मिस्र का प्रतिनिधिमडल फिलहाल लखनऊ मे है और आज रात दिल्ली के लिए रवाना होगा– वहा तीन दिन रुकेगा। उसके पश्चात उनका आगरा, लाहौर और पेशावार जाने का कार्यक्रम है। रास्ते मे शायद वे अलीगढ और बनारस भी जाएं, किंतु अभी निश्चित नहीं है। दिल्ली में वे अपना कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। वे दो दिन के लिए कलकत्ता भी जाना चाहते हैं। सही तिथि निर्धारित नहीं, लेकिन समवत वे 27 के आसपास पहुचेंगे। जैसे ही तिथि निश्चित हो जाएगी, मैं आपको और बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी को भी सूचित करूगा।

कलकत्ता में वे होटल में ठहरे तो उचित रहेगा। लखनऊ और दिल्ली मे वे होटलों मे ही ठहरे हैं। उनके कलकत्ता के कार्यक्रम के विषय मे आप बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बता सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। हम उन्हे मुस्लिम लीग जैसी गैर-कांग्रेसी

पार्टियों से मिलने के पूरे अवसर देना चाहते हैं– किंतु समारोह कांग्रेस या निजी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं।

कल शाम मैं दो दिन के लिए गांधीजी से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। 20 की शाम तक यहां लौट आने की आशा है।

इस पत्र की प्रति बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव को भी भेज रहा हूं।

आपका शुभाकांक्षी
जवाहरलाल नेहरू

श्री सुभाषचंद्र बोस
धनबाद बंगाल

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

सुभाषचंद्र बोस
झीलगुड़ा
सोमवार को धनबाद भेजा गया तार मिला होगा। उत्तर की प्रतीक्षा है। मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के कलकत्ता में 27 को प्रातः पहुंचने की उम्मीद है। वे वहां तीन दिन रुकेंगे।

जवाहरलाल नेहरू
22.3.39

जवाहरलाल नेहरू के लिए

झीलगुड़ा पोस्ट ऑफिस
जिला मानभूमि, बिहार
28 मार्च 1939

मेरे प्रिय जवाहर,
मुझे लग रहा है कि कुछ समय से आप मुझ से खासे नाराज से हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मेरे विरुद्ध सभी मुद्दों को बहुत उत्साहपूर्वक उठाया है। जो बातें मेरे पक्ष में हो सकती थीं, उनकी आपने उपेक्षा की है। मेरे राजनीतिक विरोधी मेरे विरुद्ध जो कुछ कहते हैं, आप मान लेते हैं– जबकि उनके विरुद्ध जो कहा जा सकता है उससे आंखें मूंद लेते हैं। आगे मैं उपर्युक्त बातों पर विस्तृत चर्चा करूंगा।

आप मुझे अचानक नापसंद क्यों करने लगे– मेरे लिए यह एक रहस्य बना हुआ है। जबसे मैं 1937 में नजरबंदी से बाहर हुआ हूं, तभी से आपको व्यक्तिगत जीवन व

राजनीतिक जीवन मे अत्यधिक सम्मान व इज्जत की दृष्टि से देखता रहा हू। राजनीति के क्षेत्र मे मैंने आपको सदा बडा भाई और नेता माना है। समय-समय पर आपसे सलाह भी लेता रहा हू। पिछले वर्ष जब आप यूरोप मे वापस आए, तो मैं इलाहाबाद आकर आपसे मिला और आपसे पूछा था कि आप हमारा नेतृत्व किस प्रकार करेंगे ? जब भी इस दृष्टि से मैंने आपसे बात की, तो आपके उत्तर अस्पष्ट और गैर-जिम्मेदाराना थे। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष जब आप यूरोप से लौटे, आपने मुझे यह कहकर चुप करा दिया कि मुझे गाधीजी से परामर्श करना चाहिए- फिर मैं आपसे बात करू। गाधीजी से आपकी मुलाकात के बाद जब हम वर्धा मे मिले, तो भी आपने निश्चित तौर पर मुझे कुछ नहीं बताया। बाद मे कार्यकारिणी के सम्मुख कुछ प्रस्ताव रखे, जो न तो नए थे और न ही देश को कोई दिशा देने वाले थे।

अध्यक्ष पद का पिछला चुनाव नितात कटु व विवादास्पद था, जिसके विषय मे बहुत-सी बाते कही गईं। कुछ मेरे पक्ष म और कुछ विपक्ष मे। आपके शब्दो और बयानो म प्रत्येक बात मेरे विरुद्ध ही कही गई। दिल्ली मे एक भाषण के दौरान आपने कहा था कि मेरे लिए मत प्राप्त करने हेतु लोगो को आश्वस्त करना आपको पसद नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपके मस्तिष्क मे वास्तव मे क्या है, किंतु आप इस तथ्य से भली-भाति परिचित थे कि मेरी चुनाव अपील डॉ पट्टाभि की अपील के बाद ही प्रेस मे प्रकाशित हुई। आप जान-बूझकर या अनजाने मे इस बात से पूर्णतया परिचित थे कि दूसरे पक्ष की ओर से प्रचार अधिक था। डॉ पट्टाभि के लिए मत प्राप्त करने हेतु काग्रेस-मत्रिमडलो के तत्र का अधिकतम इस्तेमाल किया गया। दूसरे पक्ष के पास बाकायदा सगठन (गाधी सेवा संघ काग्रेस मत्रालय और शायद चर्खा सघ तथा ए आई वी आई ए) थे, जो तत्काल प्रचार-कार्य मे जुट गए। फिर उनके साथ, आप सहित बडे-बडे नेता थे— जो मेरे खिलाफ थे, फिर महात्मा गाधी का नाम और प्रभाव भी उनके साथ था। प्रातीय काग्रेस कमेटिया भी उन्हीं के हाथों की कठपुतलिया थीं। उनके विरुद्ध मेरे पास क्या था— केवल मैं एक व्यक्ति ! क्या आप जानते हैं— जैसा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि कई स्थानो पर तो डॉ पट्टाभि की अपेक्षा गाधीजी तथा गाधीवाद के पक्ष मे प्रचार हुआ— हालाकि कुछ लोग तो इस प्रकार के दुष्प्रचार से अचभित भी हुए। फिर भी जनसभा म खडे होकर आपने मेरे विरुद्ध आवाज उठाई और वह भी झूठी बातो के आधार पर।

अब मुझे त्यागपत्रो की बात बताने दे। 12 सदस्यो ने त्यागपत्र दिया। सभी ने सीधा-स्पष्ट पत्र लिखा, जिसमें उन्होने अपनी स्थिति पूर्णत स्पष्ट कर दी। मेरी बीमारी की सोचकर उन्होंने मेरे विषय मे एक भी शब्द गलत नहीं कहा— हालाकि यदि वे चाहते तो मेरी कडी आलोचना कर सकते थे। किंतु आपका बयान— कैसे उसकी व्याख्या करू ? कटु शब्दो से बचना चाहता हू। केवल यही कहूगा कि यह आपके लिए उचित नहीं था। (मुझे बताया गया कि आप चाहते थे कि आपके बयान को त्यागपत्र के साथ शामिल किया

जाए, किंतु यह बात मानी नहीं गई) फिर आपके बयान से यह लगता था कि आपने त्यागपत्र दे दिया है– जैसा कि अन्य सदस्यो ने किया है– किंतु अभी तक जनसामान्य के लिए आपकी स्थिति रहस्यमय बनी हुई है। जब सकट आता है तो आप अपने मन को किसी एक दिशा मे स्थिर नहीं कर पाते। परिणामत जनसामान्य को यह आभास होता है कि आप दो नावो पर सवार हैं।

आपके 22 फरवरी के बयान पर फिर लौट आए। आपका विचार है कि आप जो भी कहते या करते हैं उसके पीछे सही तर्क होता है। किंतु विभिन्न परिस्थितियो मे जब आप कदम उठाते है तो लोग प्राय भौंचक्के और हैरान रह जाते हैं। कुछ उदाहरण ले। 22 फरवरी के अपने बयान मे आपने कहा था कि आप पुन चुनाव के विरुद्ध हैं तथा अल्मोडा से 26 जनवरी को जारी बयान मे आपने कुछ कारणो का भी जिक्र किया। आपने स्पष्ट रूप मे अपनी बात पलट दी। फिर पुन मुझे बबई के कुछ मित्रो ने बताया कि आपने पहले उनसे कहा था कि आपको मेरे चुनाव लडने पर कोई आपत्ति नहीं है– बशर्ते कि मैं वाममार्गी प्रतियोगी के रूप मे खडा होऊ। अल्मोडा मे जारी बयान मे आपने यह कहा कि हमे व्यक्तियो को भूलकर सिर्फ सिद्धातो और लक्ष्यो को याद रखना चाहिए। आपको यह महसूस नहीं हुआ कि आप उस समय व्यक्तियो को भूलने की बात कर रहे हैं जबकि कुछ व्यक्तियो से ही सबधित मुद्दा सामने है। सुभाष बोस के पुन चुनाव मे खडे होने के मामले मे आप व्यक्तियो को नीचा दिखाकर सिद्धातो को ऊचा कर रहे हैं। यदि मौलाना आजाद पुन चुनाव के लिए खडे होते है, तो आपको लबी प्रशस्ति लिखने मे हिचकिचाहट नहीं होती। यदि सुभाष बोस बनाम सरदार पटेल या किसी अन्य की बात हो, तो सुभाष बोस को पहले व्यक्तिगत बातो का खुलासा करना होगा। जब त्रिपुरी मे शरत बोस कुछ बातो पर शिकायत करते हैं, तो (अपने आपको गाधीजी के कट्टर समर्थक कहने वाले लोगो के व्यवहार के प्रति) वे आपके अनुसार व्यक्तिगत प्रश्न उठा रहे हैं तथा उन्हें सिद्धाता और कार्यक्रमो की बातो तक ही सीमित रहना चाहिए। मैं स्वीकार करता हू कि मेरी अल्पबुद्धि इसको समझने मे अक्षम है।

अब मैं व्यक्तिगत प्रश्न पर आऊ, जो मेरे विषय मे आपकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता हैं। आपने कहा है कि अपने बयान मे मैंने अपने सहयोगियो को गलत कहा है। आप उनमे शामिल नहीं थे– और फिर यदि मैंने दोष लगाए, तो वे दूसरो पर थे। अत आप अपने बारे मे नहीं बोल रहे, बल्कि दूसरों का पक्ष ले रहे थे। वकील अपने मुवक्किल की अपेक्षा अधिक वाकपटु होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैंने सरदार पटेल (तथा राजेनबाबू और मौलाना) से त्रिपुरी मे बात की, तो उन्होंने मुझे यह आश्चर्यजनक समाचार सुनाया कि मेरे विरुद्ध उन्हे जो शिकायत है, वह कार्यकारिणी की बारदोली बैठक से भी पहले से पिछली जनवरी से है। जब मैंने बताया कि लोगो को सामान्यत यही विश्वास है कि मुझ पर आरोप या मुझसे शिकायत मेरे चुनावी बयान के

बारे मे हैं, तो उन्होने कहा कि वह तो अतिरिक्त शिकायत है। अत आपके मुवक्किल उस मुद्दे को उतना महत्व नहीं देते, जितना एक वकील के रूप मे आप देते हैं। त्रिपुरी मे जब सरदार पटेल तथा अन्य लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिए गए, तो उन्होने वायदा किया था कि बैठक के बाद पुन मिलेगे– लेकिन वे लोग नहीं आए यह जानने के लिए कि कार्यकारिणी की बारदोली बैठक से पहले क्या बात पता चली, जिसकी उन्होने चर्चा की थी मैं इस मुद्दे को आगे नहीं बढा पाया। किंतु मेरे भाई शरत ने सरदार पटेल से इस विषय मे बातचीत की, तो उन्हे बताया गया कि उनकी मुख्य शिकायत सितबर 1938 मे दिल्ली मे हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मे मेरे रवैये के प्रति थी, जिसमे समाजवादियो ने वॉक-आउट किया था। इस दोषारोपण से मुझे व मेरे भाई को अति आश्चर्य हुआ– किंतु एक बात स्पष्ट हो गई कि सरदार पटेल व अन्य लोगो को मुख्य बातो से कोई सरोकार नहीं था, जिन्हे आपने इतना महत्व दिया। वास्तविकता यह है कि जब मैं त्रिपुरी मे था तब बहुत से सदस्यो ने (मैं आपको बता दू कि मेरे समर्थको ने नहीं) मुझे बताया कि 'शिकायती मुद्दा तो वास्तव म भुलाया जा चुका था, लेकिन आपके बयानो ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस सदर्भ मे मैं आपको बता दू कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद से आपने लोगो में मेरी इज्जत को इतना कम कर दिया है, जितना कि त्यागपत्र देने वाले 12 सदस्य भी नहीं कर पाए थे। यदि मैं इतना बडा खलनायक हू, तो यह आपका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है कि आप जनता के समक्ष मेरी असलियत पेश करे– पर शायद आपको यह ध्यान आ जाए कि यह शैतान इतने बडे नेताओ, जिसमे आप और महात्मा गाधी तथा प्रातीय सरकारे भी शामिल हैं, के विरोध के बावजूद पुन चुनाव जीत गया। आखिर कुछ बात तो रही होगी। उसने अपने अध्यक्षकाल मे देश की कुछ तो सेवा की होगी, तभी तो वह बिना किसी संगठन की सहायता व अनेक विरोधो के बावजूद इतने वोट हासिल कर सका।

22 फरवरी के अपने बयान मे आपने आगे कहा है कि ' मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को सुझाव दिया है कि यह पहला और अति आवश्यक मुद्दा है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। किंतु अभी तक इसे हल करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।" इन पंक्तियो को लिखने से पहले क्या तनिक भी यह विचार आपको नहीं आया कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सरदार पटेल व अन्य सदस्यो की एक बैठक बुला ली जाए, जबकि 22 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक होनी ही थी ? क्या आप सोचते हैं कि मैं कार्यकारिणी की बैठक मे उपस्थित होने से बच रहा था ? यह सत्य है कि मैने 15 फरवरी को महात्मा गाधी के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया, यद्यपि उन्होने एक बार इसका सकेत दिया था। उस समय आपके आदेश का अनुपालन करते मैं सिद्धातो और कार्यक्रम को व्यक्तिगत मुद्दे की अपेक्षा अधिक महत्व दे रहा था। आपको बता दू कि जब महात्मा गाधी ने मुझे बताया कि सरदार पटेल व अन्य लोग उस

समिति मे मुझे सहयोग नहीं देंगे– तो मैंने उन्हें बताया कि जब हम 22 तारीख को मिलेगे, तो इन विषयो पर बात करेंगे और मैं उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करूगा। आप इस बात से शायद सहमत होंगे कि असहमति यदि कोई है तो वह महात्मा गाधी के सदर्भ मे नहीं, बल्कि कार्यकारिणी के सदस्यों से सबद्ध है तथा इसलिए कार्यकारिणी से इस विषय मे बात की जानी आवश्यक है।

उपर्युक्त बयान मे आप मुझसे अपेक्षा रखते थे कि मै लिखित रूप मे इस बात की व्याख्या करू कि वामभार्गी और उदारवादी शब्दो के क्या अर्थ है। मैंने सोचा कि आप ही ऐसे अतिम व्यक्ति हैं, जो मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आप आचार्य कृपलानी तथा स्वय अपने द्वारा हरिपुरा मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष पेश की जाने वाली रिपोर्ट को भूल गए हैं ? क्या आपने अपनी रिपोर्ट मे यह नहीं कहा था कि उदारवादी वाममार्गियो को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ? क्या महज आपका ही यह सुविधा प्राप्त है कि जहा आवश्यकता हो, वहा आप वाममार्गी व उदारवादी शब्दो का प्रयोग करे ल– तो क्या अन्य लोगो का इन शब्दो के प्रयोग की इजाजत नहीं ?

आगे आपने मुझ पर यह आरोप लगाया हैं कि मैं राष्ट्रीय-अतर्राष्ट्रीय विषयो पर अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर रहा। मेरे विचार मे मेरी एक नीति है, चाहे वह ठीक हो या गलत। त्रिपुरी के अपने सक्षिप्त अध्यक्षीय भाषण मे मैंने इसका स्पष्ट उल्लेख किया था। भारत और विदेश की स्थितियो के मद्देनजर मेरे विचार मे हमारी मुख्य समस्या– हमारा एकमात्र कर्तव्य यही है कि हम लोग ब्रिटिश सरकार के सम्मुख स्वराज की माग को उठाए। इसके साथ-साथ हमे प्रातीय लोगो को एक साथ पूरे भारत मे आदोलन छेड़ने की एक ठोस योजना देकर उनका मार्गदर्शन करना पडेगा। मेरे विचार से मैंने त्रिपुरी से पूर्व अपने विचार का स्पष्ट सकेत उस समय आपको दिया था, जब हम शाति निकेतन और फिर बाद मे आनद भवन मे मिले थे। जो मैंने अभी लिखा है वह तो कम-से-कम निश्चित नीति ही है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हू कि आपकी नीति क्या है ? अभी हाल ही के पत्र मे आपने राष्ट्रीय माग पर प्रस्ताव पास किए जाने की त्रिपुरी काग्रेस की चर्चा की है और आप उसे अधिक महत्व दे रहे हैं। खेद के साथ मुझे कहना पड रहा है कि इतनी खूबसूरती से व्यर्थ का प्रस्ताव पारित करना मुझे उचित नहीं जान पडता। इस प्रकार हम कहीं नही पहुच पाएगे। यदि स्वराज हेतु हमे ब्रिटिश सरकार से झगडना है और हम समझते हैं कि यह मौका भी ठीक है तो हमे स्पष्ट कहना चाहिए और कार्य आगे बढाना चाहिए। आप एक से अधिक बार मुझे यह बता चुके है कि अल्टीमेटम देने का विचार आपको पसंद नहीं। पिछले 20 वर्ष से महात्मा गाधी बार-बार ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम देते आ रहे है। इसी अल्टीमेटम देने तथा आवश्यकता पडने पर युद्ध छेड़ने की तैयारी के कारण ही वे ब्रिटिश सरकार से इतना कुछ पाने मे कामयाब हुए है। यदि आप वास्तव मे यह मानते हैं कि अपनी राष्ट्रीय माग सामने रखने का समय आ गया है

तो अल्टीमेटम देने के अतिरिक्त और क्या मार्ग है ? अभी उस दिन राजकोट के मुद्दे पर महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम दिया है। क्या आपको अल्टीमेटम देने का विचार इसलिए पसद नहीं, क्योकि यह मैं सुझा रहा हू ? यदि ऐसा है तो फिर स्पष्ट रूप से बिना हिचक के कहने में क्या कठिनाई है?

संक्षेप मे, मैं यह समझ नहीं पा रहा हू कि आतरिक राजनीति के विषय मे आपकी नीति क्या है ? मुझे याद है कि आपके किसी बयान मे मैंने पढा था कि आपका विचार है कि राजकोट और जयपुर का मुद्दा सब मुद्दो पर छाया रहेगा। आप जैसे प्रमुख नेता के द्वारा ऐसी टिप्पणी पढकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे कोई अन्य मुद्दा स्वराज के मुख्य मुद्दे को ढक लेगा। इतने बडे देश मे राजकोट एक छोटी-सी जगह है। राजकोट की अपेक्षा जयपुर कुछ बडा शहर है लेकिन जब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध देश के सघर्ष का मुद्दा उठता है, तो ये सब बहुत ही छोटे पड जाते हैं । फिर, हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि भारत मे 600 के लगभग प्रात हैं। यदि हम मुख्य सघर्ष को भूलकर इन छोटी-मोटी टालू नीतियो को अपनाते रहेगे, तो हमे नागरिक स्वतत्रता और राज्यो मे उत्तरदायी सरकार पाने में कम-से-कम 250 वर्ष लग जाएगे। क्या उसके पश्चात ही हम स्वराज के विषय मे सोचेंगे ?

अतर्राष्ट्रीय मामलो मे आपकी नीति शायद अधिक अस्पष्ट है। मुझे यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि कुछ अरसा पहले आपने भारत मे यहूदियो को शरण देने सबधी प्रस्ताव को कार्यकारिणी के सम्मुख रखा। उस समय आपने स्वय को अपमानित महसूस किया, जब कार्यकारिणी ने (सभवत महात्मा गाधी की स्वीकृति से) से इसे अस्वीकार कर दिया। विदेश नीति के मामले मे राष्ट्र के भले का विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। सोवियत रूस का उदाहरण ले- अंदरुनी राजनीति मे कम्युनिज्म होने के बावजूद वह अपनी विदेश नीति पर भावनाओ को हावी नहीं होने देना चाहता। यही कारण है कि वह अपने हितो को दृष्टि मे रखते हुए फ्रेंच साम्राज्यवाद से समझौता करने मे भी नहीं हिचकिचाया। फ्रैको-सोवियत समझौता व चेकास्लोवाक-सोवियत समझौता ऐसे ही उदाहरण हैं। आज भी सोवियत रूस ब्रिटिश राजशाही से समझौता करने को आतुर है। अब आप की विदेश नीति क्या है ? कृपया बताए।

संवेदनशीलता और नैतिकता से विदेश नीति नहीं निर्धारित होती। हर समय पिछली बातो को उठाते रहना उचित नहीं। जर्मनी व इटली जैसे देशों की भर्त्सना करते रहना भी उचित नहीं और ब्रिटेन तथा फ्रेंच उपनिवेशवाद को अच्छे आचरण का प्रमाणपत्र देना भी आवश्यक नहीं।

पिछले लबे समय से मैं प्रत्येक सबद्ध व्यक्ति से, जिसमे आप और महात्मा गांधी भी शामिल हैं, यह माग कर रहा हू कि हमे अतर्राष्ट्रीय स्थिति का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी राष्ट्रीय माग को अल्टीमेटम के रूप मे प्रस्तुत करना चाहिए।

अधिकाश भारतीय जनता मेरे कदम से सहमत है और ग्रेट ब्रिटेन मे भारतीय विद्यार्थियो ने भी मेरी नीति का समर्थन करते हुए अपने हस्ताक्षरित कागजात मेरे पास भिजवाए हैं। आज जब आप मेरी गलती निकाल रहे है कि त्रिपुरी प्रस्ताव की रुकावटो के बावजूद मैंने कार्यकारिणी का गठन नहीं किया, तब भी अनर्राष्ट्रीय स्थिति अचानक आपकी नजर मे अत्यधिक महत्वपूर्ण हो उठी है। आज यूरोप मे क्या हुआ ? क्या मैं पूछ सकता हू ? असमाव्य क्या है ? क्या अतर्राष्टीय राजनीति का प्रत्येक विद्यार्थी यह नहीं जानता कि वसत ऋतु में यूरोप मे क्या होने वाला है ? क्या तब मैंने बार-बार इसका जिक्र नहीं किया जब मैंन ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम देने की बात की ?

अब मैं आपके बयान के दूसरे हिस्से की बात करता हू। आपने कहा कि 'यह कार्यकारिणी फिलहाल अस्तित्व मे नहीं है तथा अध्यक्ष को सभवत उनकी इच्छानुसार अपने प्रस्ताव तैयार करने व काग्रेस के सम्मुख उन्हे पेश करने की खुली छूट मिल गई है। उसकी इच्छानुसार कोई बैठक नहीं हुई– यहा तक कि रोजमर्रा के कार्य के लिए भी नहीं।" मुझे आश्चर्य है कि आप कैसे अर्द्धसत्य, बल्कि पूर्णत झूठ आरोप मुझ पर लगा रहे है। कार्यकारिणी के 12 सदस्यो न अचानक अपने त्यागपत्र मेरे मुह पर दे मारे, फिर भी आप उन्हे दोष देने की बजाय मुझे ही दोष दे रहे हैं। शायद मैं प्रस्ताव पास करने के लिए स्वतत्रता चाह रहा था। फिर मैने रोजमर्रा के कार्य करने से आपको रोका कब ? काग्रेस के लिए प्रस्ताव पारित करने के मुख्य कार्य के सबध मे यद्यपि मैंने त्रिपुरी काग्रेस तक कार्यकारिणी की बैठक स्थगित करने को कहा था, तब क्या मैंने सरदार पटेल से तार द्वारा यह नहीं कहा था कि अन्य सदस्यो से विचार-विमर्श कर लिया जाए और तार द्वारा मुझे अपनी राय बताए ? यदि आपको इस विषय मे कोई शक हो तो कृपया सरदार पटेल को भेजे गए मेरे तार को देखें। तार इस प्रकार था

सरदार पटेल, वर्धा

महात्माजी को भेजा गया मेरा तार देखे। खेद के साथ कहता हू कि काग्रेस अधिवेशन तक कार्यकारिणी की बैठक स्थगित कर दी जाए। कृपया सहयोगियो से बात करके अपनी राय से सूचित करे –सुभाष।

त्रिपुरी काग्रेस के सपन्न होने के7 दिन बाद आपने मुझे तार भेजा जिसमे कहा था कि मैं काग्रेस के मामलो मे रोडा अटका रहा हू। आपके न्यायप्रिय मस्तिष्क मे त्रिपुरी काग्रेस मे पडित पत का प्रस्ताव पास करते समय भी यह नहीं सूझा कि मैं बेहद बीमार था, कि गाधीजी भी त्रिपुरी नहीं पहुचे थे और हम लोगो की मुलाकात जल्दी सभव नहीं थी। क्या आपको यह कभी महसूस नहीं हुआ कि इस अडचन का कारण स्वय काग्रेस है, जिसने मुझसे असवैधानिक रूप से कार्यकारिणी के गठन की शक्ति छीन ली। यदि पडित पत के प्रस्ताव द्वारा सविधान की अवहेलना न हुई होती तो मैं13 मार्च 1939 को ही कार्यकारिणी का गठन कर चुका होता। काग्रेस अधिवेशन के समाप्त होने के सात दिन बाद आपने मेरे विरुद्ध

जन-आदोलन खडा कर दिया— हालाकि आपको मेरे स्वास्थ्य का पता था, फिर आपका तार, जो आपने मुझे भेजा, मुझे मिलने से पहले ही प्रेस मे प्रकाशित हो गया। त्रिपुरी से लगभग पद्रह दिन पूर्व तक काग्रेस के मामलो में अनिश्चय की स्थिति बनी रही जो कि कार्यकारिणी के सदस्यो के त्यागपत्र से उत्पन्न हुई थी। तब क्या आपने उसके विरोध मे एक भी शब्द कहा ? क्या आपने सवेदना भरा एक भी शब्द मुझे कहा ? अपने हाल ही के पत्रो मे से एक पत्र मे आपने लिखा है कि आप जो लिखते या बोलते हैं, उसे किसी का प्रतिनिधित्व नहीं माना जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश आपको कभी यह आभास नहीं हुआ कि आप दूसरो के समक्ष उदारवादियों के लिए क्षमायाचक की भूमिका मे उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए आप अपना 26 तारीख का अतिम पत्र ले। उसमे आपने कहा है कि "आज मैंने समाचारपत्रो मे आपका बयान पढा। मुझे डर है कि इस प्रकार का तर्कपूर्ण बयान हमारी अधिक सहायता नहीं करेगा।"

आज जब हम पर हर ओर से आक्रमण हो रहा है— अनावश्यक रूप से अपमानित किया जा रहा है, जैसा कि वे कह रहे हैं— आपने विरोध मे एक शब्द भी नहीं कहा, आपने मुझे सहानुभूति का भी एक शब्द नहीं कहा। कितु जब मैं अपने पक्ष मे कुछ बात कहता हू, तो आपकी प्रतिक्रिया होती है कि ऐसे तर्कपूर्ण बयान लाभकारी नहीं। मेरे विरोधियो द्वारा लिखे तर्कपूर्ण बयानो पर क्या आपने कुछ कहा ? शायद आप उन पर आखे सेकते हैं ।

22 फरवरी को दिए बयान में आपने पुन कहा हे कि "ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि स्थानीय काग्रेसी झगडे भी सामान्य तौर-तरीके से निपटाए नहीं जा रहे, बल्कि सीधे उच्च पदस्थ लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है— जिसके परिणामस्वरूप कुछ विशिष्ट गुटों व पार्टियो के साथ पक्षपात हो रहा है और अनिश्चय की स्थिति बढ रही है। काग्रेस के काम मे व्यवधान पड रहा है। यह देखकर मुझे अत्यधिक दु ख होता है कि हमारे सगठन के मूल में नई-नई विधिया लागू की जा रही हैं, जिससे सामान्य विवाद बढकर उच्चाधिकारियों तक फैल रहे हैं।"

इस प्रकार के दोषारोपण को पढ कर दु खद आश्चर्य हुआ, क्योकि आपने सभी तथ्यो की जानकारी प्राप्त किए बिना बयान जारी किया। कम-से-कम आप मुझसे तो तथ्यों की जानकारी ले ही सकते थे। मैं नहीं जानता, ऐसा लिखते समय आपके मस्तिष्क मे क्या था। एक मित्र ने मुझे बताया कि उस समय आप दिल्ली प्रदेश काग्रेस कमेटी के मामलो पर विचार कर रहे थे। यदि ऐसा है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दू कि दिल्ली के विषय मे मैंने वही किया, जो मुझे उचित लगा।

इस सदर्भ मे कि उच्चाधिकारी हस्तक्षेप करते हैं, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शायद आप वह सब भूल चुके हैं, जो आपने काग्रेस अध्यक्ष के रूप मे किया था, या शायद अपनी ओर अंगुली उठाना कठिन कार्य है। 22 फरवरी को आपने मुझ पर यह

आरोप लगाया कि मै उच्च पद पर बैठकर हस्तक्षेप कर रहा हू। क्या आप भूल गए कि 4 फरवरी को आपने मुझे एक पत्र लिखा था, जिसमे मुझ पर अनिश्चित और निष्क्रिय अध्यक्ष होने का दोष लगाया था। आपने लिखा, "आप अध्यक्ष की अपेक्षा प्रवक्ता का कार्य अधिक कर रहे हैं।" सबसे खेदजनक दोषारोपण तो यह था कि मैं विघटनकारी के रूप मे कार्य रहा हू और किसी गुट या पार्टी का पक्ष ले रहा हू। तो क्या काग्रेस सगठन के कार्यकारी प्रमुख की (यदि व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं तो) यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह प्रेस मे इतने आरोप लगाने से पूर्व कम-से-कम जाच पडताल तो कर लेता ?

यदि चुनाव विवाद को कोई पूर्ण रूप मे देखे, तो यही सोचेगा कि चुनाव पूरा होने के पश्चात सब कुछ भुला दिया जाएगा, कुठारी दबा दी जाएगी– जैसा कि बाक्सिग के पश्चात होता है– प्रतिद्वद्वी आपस मे हाथ मिला लेगे। किंतु सच्चाई और अहिसा के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। परिणाम को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं किया गया। मेरे विरुद्ध शिकायतो को पाला जाता रहा और बदले की भावना पनपती रही। कार्यकारिणी के अन्य सदस्यो की ओर से आपने मेरे विरुद्ध डडा उठा लिया। आपको यह सब करने का पूरा अधिकार था। किंतु आपको क्या यह विचार कभी नहीं आया कि मेरे पक्ष मे भी कुछ कहा जा सकता है ? क्या मेरी अनुपस्थिति मे कार्यकारिणी के सदस्यो को डॉ पट्टाभि को अध्यक्ष पद के लिए चुनना उचित था ? क्या सरदार पटेल द्वारा चुनावी प्रचार मे महात्मा गाधी के नाम और अधिकार का प्रयोग करना उचित था ? क्या विभिन्न क्षेत्रो मे चुनावी मत प्राप्त करने के लिए काग्रेसी मत्रालयो का दुरुपयोग सही था ?

इस तथाकथित बदनामी के सबध मे मैं जो मुझे कहना था, पहले ही कह चुका हू– प्रेस बयान मे भी और त्रिपुरी मे कमेटी के समक्ष की गई टिप्पणियो मे भी। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूगा। क्या आप भूल गए कि जब लार्ड लोथियन भारत-यात्रा पर आए थे, तो उन्होने जनसमूह के समक्ष यह टिप्पणी की थी कि फेडरल स्कीम के विषय मे सभी काग्रेसी नेता पडित नेहरू से सहमत नहीं है ? इस टिप्पणी का महत्व या औचित्य क्या है ?

अपने 22 फरवरी के बयान मे आपने शिकायत की है कि उच्च पदाधिकारियो मे आपसी शक और विश्वास की कमी है। मैं आपको बता दू कि अध्यक्ष के चुनाव तक यह शक बहुत कम मात्रा में था। कार्यकारिणी के सदस्यो मे विश्वास की कमी आपके शासनकाल की अपेक्षा कुछ कम ही थी। आपके ही अनुसार हमने कभी भी परिणामस्वरूप त्यागपत्र देने का विचार नहीं बनाया, जबकि आप ऐसा विचार कई बार बना चुके थे। मेरे विचार से तो यह सारी मुसीबत तब शुरू हुई, जब मैंने चुनाव जीत लिया। यदि मैं हार जाता तो जनता को इस प्रकार की तथाकथित बदनामी सुनने को न मिलती।

आपको यह घोषणा करते रहने की आदत है कि आप अलग-थलग हैं तथा आप किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही आप किसी पार्टी से सबद्ध हैं। प्राय आप

इस बात को ऐसे दुहराते हैं, जैसे कि आपको इस बात पर अभिमान है या फिर आप इससे बहुत प्रसन्न हैं। कभी आप स्वय को समाजवादी– कट्टर समाजवादी– कहते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक समाजवादी किस प्रकार एक व्यक्तिवादी हो सकता है !–जैसा कि आप प्राय घोषणा किया करते हैं। दोनो बाते एक-दूसरे के विपरीत हैं। आप जैसे व्यक्तिवादी द्वारा समाजवाद कैसे लाया जा सकता है– यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। गुटनिरपेक्षवादी होने का लेबल लगाकर व्यक्ति सब गुटो मे प्रसिद्धि पा सकता है। किंतु उसकी कीमत क्या है ? यदि कोई व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट सिद्धातो या विचारो मे विश्वास रखता है, तो उसे वास्तविक जीवन मे भी वही कर दिखाना चाहिए। यह कर पाना तभी सभव है, जब वह पार्टी या सगठन से सबद्ध हो। मैंने तो किसी भी देश मे बिना पार्टी या सगठन के समाजवाद को पनपते नहीं देखा। यहा तक कि महात्मा गाधी की भी अपनी पार्टी है।

एक और विषय जिस पर आप प्राय अडे रहते हैं, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूगा– अर्थात् राष्ट्रीय एकता। मैं और मेरे विचार से पूरा देश इसके लिए समर्पित है। किंतु इसकी भी एक निश्चित सीमा है। जिस एकता की बात हम करते हैं, उसे कार्यों की एकता से कायम रखना चाहिए, न कि निष्क्रियता से। हर अवस्था मे विघटन बुराई ही नहीं है, बल्कि उन्नति के लिए कई बार यह आवश्यक हो जाता है। जब रूस की डेमोक्रेट पार्टी बोल्शेविक्स और मेनशिविक्स मे सन् 1903 मे विभाजित हुई, तो लेनिन ने सुख की सास ली। उसे मेनशिविक्स के व्यर्थ के बोझ से मुक्ति मिली। उसने महसूस किया कि उन्नति का मार्ग अतत खुल ही गया। भारत में जब उदारवादियो ने काग्रेस से स्वय को अलग कर लिया, तो किसी भी प्रगतिवादी व्यक्ति ने इस विघटन को बुरा नहीं माना। परिणामत जब 1920 मे बहुत-से काग्रेसियो ने काग्रेस से अपने को हटा लिया, तो शेष काग्रेसियो ने उनका शोक नहीं मनाया। ऐसे विघटन उन्नति मे सहायक होते हैं। बाद मे हमने एकता को पूजा बना लिया। इसमें काफी खतरा है। इसे कमजोरी के कवच के रूप मे इस्तेमाल किया जा सकता है। समझौतों का बहाना बनाया जा सकता है, जो कि पूर्णतया उन्नति-विरोधी है। आप अपना ही उदाहरण ले। आप गाधी-इर्विन समझौते के विरुद्ध थे, किंतु एकता के लिए आपने इसे स्वीकार कर लिया। फिर आप प्रातो म कार्यालयो के विरुद्ध थे, किंतु जब कार्यालयो को स्वीकृति मिल गई, तो फिर आप इसे स्वीकार कर बैठे। तर्क के लिए मान ले कि काग्रेस फेडरल स्कीम को मान गई होती, तो अपने दृढ सिद्धांतों के बावजूद शायद एकता के कारण उसे भी स्वीकार कर लिया जाता। उस समय राजनीतिक आस्था का ध्यान भी नहीं रहता। क्रातिकारी आदोलन मे एकता अपने-आप मे अत नहीं है, बल्कि एक साधन है। यदि यह उन्नति मे सहायक है, तभी यह स्वीकार्य है। यदि यह प्रगति मे बाधा बनता है, तो यह बुराई बन जाता है। क्या मैं पूछ सकता हू कि यदि काग्रेस बहुमत से फेडरल स्कीम को स्वीकार कर लेती, तो आप क्या

करते ? आप उस निर्णय को स्वीकार कर लेते या उसके विरुद्ध विद्रोह करते ?

इलाहाबाद से प्रेषित 4 फरवरी का आपका पत्र बहुत रोचक था, जिससे स्पष्ट होता है कि तब आप मेरे विरुद्ध उतने नहीं थे, जितने कि बाद मे हो गए। उदाहरण के लिए आपने उस पत्र में लिखा है "मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके चुनाव लडने से लाभ भी हुआ है और हानि भी हुई है।" बाद मे आपने विचार बना लिया कि मेरा पुन चुनाव लडना गलत था। फिर आपने लिखा है कि "हमें भविष्य को वृहद दृष्टिकोण से देखना होगा न कि सकुचित व्यक्तिगत दृष्टि से। निश्चय ही हममे से किसी के लिए भी इसमे उलझना बेकार है, क्योकि जैसा हम चाहते थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। जो भी हो, हमे अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना ही है।" इससे स्पष्ट होता है कि आपने पहले दोषारोपण वाले मुद्दे को इतना महत्व नहीं दिया, जितना कि बाद मे दिया। केवल यही नहीं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हू, इस मुद्दे पर विद्रोह भी धीरे-धीरे बाद मे बढा और उसे आपने स्वय ही बढाया। इस सबध में शायद आपको याद हो कि जब हम शाति निकेतन मे मिले थे तब मैंने आपको सुझाव दिया था कि यदि सब कोशिशो के बावजूद हम कार्यकारिणी के सदस्यो का सहयोग प्राप्त करने मे असमर्थ रहते हैं तो हमे काग्रेस को चलाने के उत्तरदायित्व से बचना नहीं है। तब आप मुझसे सहमत थे। बाद मे किन कारणो से, मुझे मालूम नहीं, आप दूसरे पक्ष से जा मिले। निश्चय ही आप कुछ भी करने को स्वतन्त्र हैं, किंतु फिर आपके समाजवाद और वामपथ का क्या होगा ?

4 फरवरी के अपने पत्र मे आपने एक से अधिक बार आरोप लगाया है कि मेरी अध्यक्षता मे एक बार भी फेडरेशन जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नो पर विचार नहीं किया गया। यह बडा अजीब आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है क्योंकि आप स्वय ही छह माह तक देश से बाहर थे। क्या आप जानते हैं कि श्री भूलाभाई देसाई द्वारा लदन मे दिए गए भाषण पर जब हगामा खडा किया गया था तब मैंने कार्यकारिणी को सुझाव दिया था कि हमे फेडरेशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना चाहिए ? पूरे देश मे फेडरेशन-विरोधी प्रचार किया जाना चाहिए ? किंतु मेरे उस प्रस्ताव को अनावश्यक माना गया। क्या आप जानते हैं कि सितबर मे जब दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो यह आवश्यक समझा गया कि फेडरेशन की भर्त्सना करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और इसे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने भी समर्थन दिया ?

अन्य जो दोष आपने अपने पत्र मे मुझ पर लगाया वह यह है कि मैंने कार्यकारिणी के मुद्दे मे बहुत शात रुख अपनाया है– बल्कि मैंने अध्यक्ष की अपेक्षा प्रवक्ता की भूमिका अधिक निभाई है। ऐसा बयान दिया जाना उचित नहीं था। क्या यह कहना अनुचित होगा कि कार्यकारिणी के अधिकाश समय पर आपका अपना नियत्रण था ? यदि कार्यकारिणी मे आप जैसा बात करने वाला एक भी सदस्य होता तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी अपना कार्य भी पूरा कर पाते। फिर आपका व्यवहार ऐसा था कि आप प्राय अध्यक्ष के

कार्यों मे हस्तक्षेप करते रहते थे। आपको बाहर करने के उपरात ही मैं स्थिति से निपट सकता था, लेकिन उससे हम दोनो का विरोध खुले-आम उजागर होता। कडवा सत्य तो यह है कि कभी-कभी तो आपने कार्यकारिणी मे एक बिगडैल बच्चे की भाति आचरण किया और अपना धैर्य खो बैठे। अब इतने व्यर्थ के वाद-विवाद के पश्चात आप किस निर्णय पर पहुचे हैं ? आप घटो तक आगे बढ-चढ कर बोलते रहेगे, फिर अचानक पीछे हट जाते हैं। सरदार पटेल व अन्य लोग बडी चतुराई से आपसे कार्य करा लेते हैं। वे आपको खुली छूट देते हैं कि आप लगातार बोलते चले जाए। फिर वे अचानक आप पर जिम्मेदारी डाल देगे कि आप उनके प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करे। एक बार यदि आप प्रारूप तैयार करते हैं, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं– चाहे वह किसी का भी प्रस्ताव क्यो न हो। मैंने तो आपको कभी अत तक अपने विचार पर स्थिर रहते नहीं देखा।

एक अन्य अद्भुत आरोप जो मुझ पर लगाया गया, वह यह है कि पिछले वर्षो मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय की बहुत दुर्दशा हुई है। मैं नहीं जानता कि आपकी राय मे अध्यक्ष के कर्तव्य क्या हैं। मेरे विचार मे वह किसी क्लर्क या सचिव से ऊपर की वस्तु है। अपने अध्यक्ष-काल मे आप सचिव के कार्य अधिक करते थे। किंतु यह तो कोई कारण नहीं है कि अन्य अध्यक्ष भी वही कार्य करें। इसके अतिरिक्त मेरी मुख्य कठिनाई यह थी कि सचिव के कार्यालय व अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय मे बहुत दूरी थी और महासचिव मेरे अनुकूल व्यक्ति नहीं था। यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि महासचिव मेरे प्रति उतना वफादार नहीं था, जितना कि किसी सचिव को अध्यक्ष के प्रति होना चाहिए (मैं जानबूझकर इसे इतना घटा कर कह रहा हू)—वास्तविकता तो यह है कि कृपलानीजी मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझ पर थोप दिए गए थे। शायद आपको याद हो कि मैंने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय के एक हिस्से को कलकत्ता ट्रासफर कराने की भरसक कोशिश की थी, ताकि मैं ठीक प्रकार से कार्य का निरीक्षण करने मे सक्षम हो सकू। आप सबने अपने मुह मोड लिए और अब अचानक आप लोग अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय के बारे मे दोष ढूढने चल निकले। यदि आपके अनुसार अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय की स्थिति बहुत बिगड गई है तो इसके लिए दोषी मैं नहीं, बल्कि महासचिव हैं। आप मुझ पर केवल यह दोष लगा सकते हैं कि मेरे अध्यक्ष-काल मे महासचिव के कार्य में बहुत कम हस्तक्षेप हुआ और इसके परिणामस्वरूप महासचिव ने अधिक शक्ति का प्रयोग किया। परिणामस्वरूप, यदि काग्रेस कमेटी के कार्यालय की दशा बिगड़ी, तो उसका उत्तरदायित्व महासचिव पर है, न कि मुझ पर।

मुझे आश्चर्य है कि तथ्यो की जानकारी के बिना आपने मुझ पर दोष लगाया है कि मैंने बबई-व्यापार-सघर्ष बिल को उसकी वर्तमान दशा मे पारित होने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने वस्तुत. बाद के दिनो मे मुझसे सबधित मामलो मे तथ्यो की

जानकारी किए बिना दोषारोपण करने की कला मे निपुणता हासिल कर ली है— कभी-कभी तो सार्वजनिक तौर पर भी। यदि आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि इस सदर्भ मे मैंने क्या किया तो बेहतर होगा कि आप सरदार पटेल से पूछे। केवल एक कार्य जो मैने नहीं किया— यह यही था कि इस मुद्दे पर मैंने उनसे सबध समाप्त नहीं किया। यदि यह गलती है, तो मैं क्षमा चाहता हू। वैसे क्या आप जानते हैं कि बबई सी एस पी ने इस बिल को अपना पूर्ण समर्थन दिया था ? आपकी बात करे, तो क्या मैं जान सकता हू कि आपने उस बिल को पारित होने से रोकने के लिए क्या किया ? जब आप बबई वापस पहुचे, तो आपके पास उसका विरोध करने का पर्याप्त समय था और मेरा विश्वास है कि कई श्रमिक सगठन आपसे मिले भी थे, उन्हे आपने आश्वस्त भी किया था। तब आपकी स्थिति मुझ से बेहतर थी क्योकि आपका प्रभाव मेरी अपेक्षा गाधीजी पर अधिक था। यदि आप प्रयत्न करते तो जहा मैं विफल रहा वहा आप सफल हो सकते थे। क्या आपने वैसा किया ?

एक और विषय जिस पर आप प्राय मुझसे रुष्ट रहते हैं— वह है साझा मत्रिमडल का विचार। एक सैद्धातिक राजनीतिज्ञ के रूप मे आपका निश्चित मत है कि सयुक्त मत्रिमडल उचित है। क्या इस प्रश्न पर अतिम निर्णय सुनाने से पहले आप एक कार्य करेगे ? आप दो सप्ताह के लिए असम की यात्रा पर जाए और वहा से लौटकर मुझे बताए कि वर्तमान साझा सरकार प्रगतिवादी है या प्रतिक्रियावादी सस्था है ? इलाहाबाद मे बैठे रहकर समझदारी की बाते करना जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं कहा तक उचित है ? सादुल्ला मत्रिमडल के पतन के बाद जब मैं असम गया तो मुझे एक भी काग्रेसी ऐसा नहीं मिला, जिसने काग्रेस के साझा मत्रिमडल की माग न की हो। वास्तविकता यह है कि वह प्रात प्रतिक्रियावादी मत्रिमडल के अधीन कई शिकायते पाले हुए है। स्थिति निरतर बिगड रही है और भ्रष्टाचार तेजी से बढ रहा है। काग्रेसी लोगो ने असम मे तब सुख की सास ली, तब उनमे आत्मविश्वास लौटा, जब उन्हे नए मत्रिमडल के आगमन की आशा बधी। यदि आप पूरे देश मे सरकार से निकल जाने की नीति को स्वीकृति दे दे तो मैं उसका स्वागत करूगा— साथ ही बगाल तथा असम जैसे प्रातो के काग्रेसी भी उसका स्वागत करेंगे। किंतु यदि काग्रेस पार्टी सात प्रातो मे सरकार मे बने रहने को स्वीकृति दे सकती है, तो शेष प्रातो मे भी साझा मत्रिमडल को स्वीकृति दे सकती है। यदि आप असम की प्रगति से परिचित होते, तो सभी कठिनाइया और अवरोधो के बावजूद साझा मत्रिमडल द्वारा कार्य सभालने के बाद आप अपना विचार अवश्य बदल लेते।

मुझे डर है कि बगाल के बारे मे आप कुछ नहीं जानते। दो वर्ष की अपनी अध्यक्षता मे आपने इस क्षेत्र का दौरा करने का विचार कभी नहीं बनाया, जबकि इस प्रात को आपके दौरे की अधिक आवश्यकता थी, क्योकि यह उस समय शोषण के दौर से गुजर रहा था। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि हक मत्रिमडल के दौरान इस

प्रात की क्या दशा हुई ? यदि आप उस समय कुछ करते, तो आज सिद्धातवादी राजनीतिज्ञ की भाति न बोल रहे होते। तब आप मेरी इस राय से सहमत होते कि यदि प्रात को सुरक्षित रखना है, तो हक मत्रिमडल को हटा दिया जाना चाहिए तथा वर्तमान परिस्थितियों मे एक बेहतर साझा मत्रिमडल का गठन किया जाना चाहिए। किंतु ऐसा कहने के साथ-साथ मैं बताना चाहूगा कि मेरी राय मे साझा मत्रिमडल का प्रस्ताव इसलिए पैदा हुआ, क्योकि पूर्ण स्वराज का सघर्ष रोक दिया गया। कल ही पूर्ण स्वराज का सघर्ष शुरू कर दें, तो साझा मत्रिमडल की मांग खत्म हो जाएगी।

अब मै आपके 20 तारीख के तार की चर्चा करूगा जो आपने मुझे दिल्ली से भेजा था। उसमे आपने लिखा था कि ''अतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए तथा राष्ट्रीय समस्याओ के परिप्रेक्ष्य मे कार्यकारिणी का गठन करना आवश्यक है।'' कार्यकारिणी के तत्काल गठन के सभी समर्थक हैं किंतु आपके तार से जो एक बात मुझे महसूस हुई– वह यह थी कि आपको मेरी कठिनाइयो के मद्देनजर मुझसे जरा-सी भी सहानुभूति नहीं थी। आप भली-भाति जानते थे कि यदि पत प्रस्ताव पारित न हुआ होता, तो कार्यकारिणी का गठन 13 तारीख को ही हो गया होता। जब वह प्रस्ताव पारित हुआ, काग्रेस को मेरे गभीर रूप से बीमार होने का पता था, फिर महात्मा गाधी त्रिपुरी मे नहीं पहुचे थे और हम लोगो का मिलना निकट भविष्य मे कठिन था। मैं जान सकता हू कि यदि कार्यकारिणी के गठन के बिना एक माह बीतता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से बेचैन तो होगे ही– किंतु विरोध त्रिपुरी सम्मेलन के ठीक एक सप्ताह बाद शुरू हुआ। जैसा मत-विभाजन के मामले मे हुआ था, एक बार फिर आपने ही यह विरोध मेरे विरुद्ध प्रारभ किया। क्या महात्मा गाधी के बिना कार्यकारिणी का गठन सभव था ? मैं गाधीजी से कैसे मिल सकता था ? क्या आप भूल गए कि पिछले वर्ष कार्यकारिणी की बैठक हरिपुरा काग्रेस के लगभग छह सप्ताह बाद हुई थी ? क्या आप सोचते हैं कि आपका तार प्रेस मे प्रकाशित होने के बाद गिने-चुने लोगो के एक वर्ग व प्रेस द्वारा मेरे विरुद्ध छेडा गया आदोलन उचित था ? क्या मैं जान-बूझकर कांग्रेस कमेटी के मामलो मे अडचन डाल रहा था या जान-बूझकर कार्यकारिणी के गठन से बचने का प्रयास कर रहा था ? यदि मेरे विरुद्ध छेडा गया आदोलन उचित नहीं था, तो क्या आपने एक जन-नेता होने के नाते यह जरूरी समझा कि उस वक्त जबकि मै बीमारी की हालत मे बिस्तर पर पडा था, आप मेरी ओर से दो शब्द बोलते ?

आपके द्वारा मुझ पर लगाए इस आरोप कि मेरी अध्यक्षता मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की दुर्दशा हुई– की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हू। इस सबध मे एक शब्द और कहना चाहूगा। तब क्या आपको ख्याल नहीं आया कि महासचिव की आलोचना करने के साथ-साथ आप मेरी व सभी कार्यकर्ताओ की आलोचना भी कर रहे हैं ?

अपने तार मे आपने राष्ट्रीय समस्याओ की गंभीरता का सकेत किया है, जिस

कारण आप चाहते हैं कि तत्काल कार्यकारिणी का गठन हो जाना चाहिए– हालांकि आप कहते हैं कि आप उस समिति में शामिल नहीं होना चाहते। कृपया बताए कि वे गभीर राष्ट्रीय समस्याए क्या हैं ? पहले पत्र मे आपने लिखा था कि सबसे गभीर समस्या राजकोट और जयपुर की है। क्योकि महात्माजी उन समस्याओ को हल करने मे जुटे थे, इसलिए कार्यकारिणी या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हस्तक्षेप अवाछित था।

फिर आपने अपने तार मे पुन अतर्राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा की है। मैंने समाचारपत्रो मे देखा कि आपके यह कहने के बाद– ऐसे लोग जिन लोगो को अतर्राष्ट्रीय मामलो की समझ नहीं है और जो अतर्राष्ट्रीय मामला को समझना ही नहीं चाहते और जो अतर्राष्ट्रीय स्थिति को भारत के लाभ के लिए इस्तेमाल करने के इच्छुक ही नहीं हैं– वे अचानक बोहेमिया और चेकोस्लोवाकिया के मामले मे चिंतित हो उठे हैं। निश्चय ही मुझ पर आक्रमण करने का यह सरल उपाय था। पिछले दो माह मे यूरोप म कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी जिसकी अपेक्षा नहीं की गई थी। चेकोस्लोवाकिया मे जो हुआ वह म्युनिख-समझौते का ही असर था। वास्तविकता तो यह है कि यूरोप से प्राप्त सूचना के आधार पर मै पिछले छ माह से कांग्रेसी मित्रो से बराबर कह रहा हू कि यूरोप मे वसत ऋतु मे सकट पैदा होगा जो गर्मियो तक चलेगा। इसलिए मैं अपनी ओर से कदम उठाए जाने की बात पर बल दे रहा हू– और वह कदम है ब्रिटिश सरकार को पूर्ण स्वराज के लिए अल्टीमेटम दे दिया जाए। मुझे याद है कि जब एक बार हाल ही मे मैंने अतर्राष्ट्रीय स्थितियो पर आपसे चर्चा की (शाति निकेतन या इलाहाबाद मे) और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी राष्ट्रीय माग को रखने के लिए इसे एक तर्क के रूप मे इस्तेमाल किया, तो आपका उत्तर था कि अतर्राष्ट्रीय विवाद अभी कुछ वर्ष तक चलते रहेंगे। अचानक आप अतर्राष्ट्रीय स्थिति के विषय मे अत्यधिक उत्साहित दिखाई पड रहे हैं। किंतु मैं आपको बता दू कि आपका या गाधीवादी गुट का कोई इरादा नहीं है कि वे अतर्राष्ट्रीय स्थिति को भारत के पक्ष मे इस्तेमाल करे। आपके तार मे स्पष्ट है कि अतर्राष्ट्रीय सकट को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक तत्काल बुलाई जानी आवश्यक है। किसलिए ? केवल लबा-चौडा प्रस्ताव पारित करने के लिए जिसका परिणाम कुछ नहीं ? — या आप अपना मन बदलकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह बताएगे कि अब हमे पूर्ण स्वराज की ओर बढना चाहिए एव ब्रिटिश सरकार के सामने पूर्ण स्वराज की माग रखते हुए एक अल्टीमेटम तैयार करना चाहिए ? नहीं मैं चाहता हू कि या तो हम अतर्राष्ट्रीय राजनीति को गभीरता से ले और अपने लाभ हेतु अतर्राष्ट्रीय स्थितियो से लाभ उठाए या फिर उस पर चर्चा करना बिल्कुल छोड दे। यदि वास्तव मे हम कुछ करना नहीं चाहते, तो तमाशेबाजी की क्या आवश्यकता है ?

मुझे सूचना मिली है कि जब आप दिल्ली मे थे, तो आपने महात्माजी को इस आशय का सदेश दिया था कि वे इलाहाबाद जाकर मौलाना आजाद से मिले। सभव है कि यह सूचना गलत भी हो। यदि ऐसा नहीं है तो क्या आपने उन्हें यह सुझाव भी दिया

कि वे एक बार धनबाद भी अवश्य जाए ? 24 को जब मेरे सचिव ने आपसे फोन पर प्रेस की इस रिपोर्ट का खडन किया कि महात्माजी डॉक्टर की राय के मुताबिक धनबाद जाने मे असमर्थ हैं, तो आपने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की कि उन्हे धनबाद जाना चाहिए– जबकि आप इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि मुझे जल्दी गाधीजी की इच्छानुसार कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए। टेलीफोन पर आपने सूचना दी थी कि धनबाद उनके कार्यक्रम मे नहीं है। क्या आपके लिए महात्माजी को धनबाद-यात्रा के लिए मनाना कठिन कार्य है ? क्या आपने कोशिश की ? आप कह सकते हैं कि उन्हे राजकोट के मामले मे दिल्ली पहुचना था। किंतु वे वायसराय से मुलाकात कर चुके थे और जहा तक सर मौरिस ग्वेर से मुलाकात का सबध था, वह सरदार पटेल को करनी थी, न कि महात्माजी को।

राजकोट मामले के विषय मे मैं कुछ और बाते कहना चाहता हू। आपने समझौते की उन शर्तो पर पर्याप्त विचार किया, जिससे महात्माजी की भूख-हडताल समाप्त हो सकी। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है, जिसने महात्माजी के जीवित बच जाने से प्रसन्नता और सुख का अनुभव न किया हो। किंतु यदि हम समझोते की शर्तो को तर्क के आधार पर देखें, तो क्या पाएगे ? पहली बात– सर मौरिस ग्वेर जो फेडरल स्कीम के अभिन्न भाग थे, उन्हें मध्यस्थ बनाया गया। क्या यह स्कीम को चालाकीपूर्वक स्वीकृति देना ही नहीं था ? दूसरे— सर मौरिस न तो हमारे पक्ष के व्यक्ति थे, न ही स्वतत्र व्यक्ति थे। साफ तौर पर जाहिर है कि वे सरकारी आदमी थे। यदि ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी विवाद में मध्यस्थ के रूप में हम हाईकोर्ट के जज या सेशन जज को स्वीकार करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार तो उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ही लेगी। उदाहरण के लिए, प्रातीय कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल मे रखने के मामले मे सरकार सदा यही कहती है कि कागजात हाईकोर्ट अथवा सेशन के दो जजो के सम्मुख पेश किए गए हैं। किंतु इस बात को हमने कभी भी सतोषजनक हल के रूप मे स्वीकार नहीं किया, फिर राजकोट के मामले मे हम ऐसा क्यो नहीं कर पाए ?

इस सबध मे एक और बात, जो मै समझ नहीं पाया। शायद उस पर आप कुछ रोशनी डाल सके। महात्मा गाधी वायसराय से मिलने गए। समय पर मुलाकात भी हुई। तो अब वे वहा किस इतजार में हैं ? सरदार पटेल को तो इतजार करना है क्योंकि सर मौरिस ग्वेर उनसे मिलना चाहते हैं। यदि वायसराय से मुलाकात के पश्चात भी गाधीजी दिल्ली मे ही अटके रहते हैं, तो क्या इससे ब्रिटिश सरकार का महत्व अनावश्यक रूप से बढेगा नहीं ? 24 मार्च के अपने पत्र मे आपने लिखा था कि महात्माजी कुछ दिन तक दिल्ली मे ही व्यस्त रहेंगे। वे वहां से निकल नहीं सकते। मेरे विचार से तो दिल्ली मे टिके रहने की अपेक्षा गाधीजी के पास और भी कई महत्वपूर्ण कार्य करने को पडे हैं। सकट या अवरोध, जिसकी आपने इतनी शिकायत की है, वे तत्काल समाप्त हो सकते है– यदि

महात्माजी थोड़ा-सा भी हाथ बटाए। इस विषय मे आप खुद तो चुप्पी साधे रहते हैं। सारा दोष मुझ पर डाल दिया जाता है।

23 मार्च के पत्र मे आपने कहा है कि बाद मे कुछ लोगो से बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार सोचने वाले कौन लोग हैं ? बैठक बुलाने का उनका क्या उद्देश्य है ? *शायद स्थिति को ठीक प्रकार समझना चाहते हो।* समाचार तेजी से और दूर-दूर तक फैलता है। मुझे सूचना मिली है कि कुछ एम एल ए (केंद्रीय) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्यो के हस्ताक्षर करा रहे हैं कि बैठक होनी चाहिए-- जैसे कि मै अखिल भारतीय काग्रस कमेटी की बैठक से बच रहा हू और काग्रेस के कार्यो मे जानबूझ कर रुकावट डाल रहा हू। क्या आपने दिल्ली मे या अन्य स्थान पर ऐसा कोई समाचार नही सुना ? यदि हा, तो क्या इस प्रकार का कार्य उचित एव सम्मानजनक है?

उसी पत्र म (23 मार्च) आपने राष्ट्रीय माग प्रस्ताव की चर्चा भी की है और शरत ने उसका विरोध किया, इसकी भी चर्चा की है। जहा तक शरत के व्यवहार का प्रश्न है वे आपको इसके विषय मे स्वय लिखेगे। किंतु इस विरोध क बावजूद यह कहना कहा तक उचित है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ ? कई लोगो से मैंने सुना है कि उन्होने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसलिए नहीं कि उसमे कुछ गलत था बल्कि इसलिए कि उसका व्यावहारिक महत्व कुछ नही था। यह वैसे ही प्रस्तावो मे से एक था, जो काग्रेस की प्रत्येक बैठक के बाद प्रस्तावित किया जाता है और सर्वसम्मति से पारित भी हो जाता है। पता नहीं आप उस प्रस्ताव के विषय मे इतने उत्तेजित क्यो है ? उसका व्यावहारिक महत्व क्या है ?

इसी सबध मे यह कहने से भी मैं स्वय को नहीं रोक पा रहा हू कि काग्रेस के प्रस्ताव अधिक उलझन वाले और लबे होते हैं। उन्हे थीसिस या निबध कहा जाना चाहिए, न कि प्रस्ताव। प्रारभ मे हमारे प्रस्ताव छोटे, सक्षिप्त और व्यावहारिक होते थे। मैं तो कहूगा कि यह नया आकार और प्रारूप आपने ही प्रदान दिया है। जहा तक मेरा सबध है मैं तो लबे थीसिस की अपेक्षा व्यावहारिक प्रस्ताव को ही अधिक पसद करूगा।

अनेक बार आपने अपने पत्र में काग्रेस मे इन दिनों पनप रही जोखिम उठाने की प्रवृत्ति का सकेत किया है। वास्तव मे आपका उससे अभिप्राय क्या है ? मुझे ऐसा लगता है कि आपके मस्तिष्क मे कुछ खास व्यक्ति है। क्या आप नए स्त्री व पुरुषो द्वारा काग्रेस मे शामिल होकर महत्वपूर्ण स्थिति मे आने के विरुद्ध हैं ? क्या आप चाहते है कि काग्रेस का नेतृत्व कुछ मुख्य लोगो के हाथो मे ही सीमित रह जाए ? यदि मेरी याददाश्त ठीक है तो शायद सयुक्त प्रात प्रातीय कमेटी या कौंसिल ने इस सदर्भ मे एक नियम बनाया था कि काग्रेस के कुछ खास सगठनो मे तीन साल से अधिक समय तक एक ही व्यक्ति को कार्य-भार नहीं सभाले रखना चाहिए। निश्चित रूप से यह नियम अधीनस्थ सगठनो

पर लागू होना था– जबकि मुख्य सगठनों मे एक ही व्यक्ति कई दशको तक अधिकारी बना रह सकता था। आपके अनुसार तो एक प्रकार से हम सभी लोग जोखिम से खेलने वाले हैं, क्योकि जीवन स्वय एक दीर्घकालीन जोखिम है। मैंने सोचा था कि जो व्यक्ति स्वय को प्रगतिवादी मानते हैं, वे काग्रेस सगठनो के प्रत्येक पद पर नए लोगो का स्वागत करेगे।

आपके लिए यह सोचने का कोई आधार नहीं है कि (यहा मैं आपके 24 मार्च के पत्र का जिक्र कर रहा हू) शरत ने वह पत्र मेरी ओर से लिखा था। उनका अपना अलग व्यक्तित्व है। जब व यहा से कलकत्ता लौटे थे उन्हें गाधीजी का तार मिला था, जिसमे उन्होंने उनसे लिखने का आग्रह किया था । यदि गाधीजी ने इस प्रकार टेलीग्राम न दिया होता, तो मेरे विचार से वे लिखते ही नहीं। मैं कहना चाहूगा कि महात्माजी को लिखे उनके पत्र मे कुछ बातें ऐसी हैं, जिनमे मेरी भावनाएं भी झलक रही हैं।

शरत को लिखे आपके पत्र के सदर्भ मे मैंने जो कुछ बाते महसूस कीं, उनका जिक्र मैं अवश्य करूगा। आपके पत्र से पता चलता है कि त्रिपुरी के माहौल और वहा जो कुछ घटा, उससे आपको बहुत आश्चर्य हुआ है। यद्यपि मैं स्वतत्रतापूर्वक इधर–उधर घूम नहीं सकता फिर भी स्वतत्र स्रोतो से मेरे पास वहा के माहौल की बिगडती स्थिति की सूचना मिलती रही है। आप किसी स्थान की जानकारी प्राप्त किए बिना या कुछ सुने बिना कैसे वहा घूम सकते हैं– मुझे आश्चर्य होता है।

दूसरे, आपने टिप्पणी की है कि त्रिपुरी मे व्यक्तिगत विवादो ने अन्य मुद्दो को बुरी तरह घेर लिया। आपका कहना ठीक है। बस, आप यह जोडना भूल गए होगे– यद्यपि आप समिति में तथा खुले अधिवेशन मे कुछ नहीं बोले, फिर भी आपने किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा इन व्यक्तिगत विवादो को अधिक उछाला और जनसाधारण की नजर मे भी इसे मुख्य मुद्दा बना दिया।

शरत को लिखे पत्र मे आपने लिखा है कि "किसी भी व्यक्ति का यह कहना मूर्खता है कि सुभाष की बीमारी नकली है और मेरे विचार से मेरे किसी भी सहयोगी ने ऐसा कुछ नहीं कहा"– आपका यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योकि त्रिपुरी मे तथा उससे पहले मे मेरे विरोधी इस विषय मे एक आदोलन छेडे हुए थे। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि बाद मे आप मेरे विरोधी बनते चले गए (इस पत्र की शुरुआत मे भी मैंने जिक्र किया है)। मुझे नही लगता कि शरत ने त्रिपुरी के माहौल आदि के विषय मे जो कुछ लिखा, वह बढा-चढा कर लिखा है।

आपने त्रिपुरी मे मिली कुछ रिपोर्टों की भी चर्चा की है। आपको यह बात शोभा नहीं देती कि जो रिपोर्ट हमारे विरोध मे है, वह आपको अधिक प्रभावित करती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। क्या आप जानते हैं कि बगाल ही एकमात्र प्रांत नहीं है, जहा टिकट को लेकर विवाद खडा हुआ है ? क्या आप जानते हैं कि ऐसी ही शिकायत

आंध्र प्रदेश में भी हुई थी ? किंतु आपने केवल बंगाल का ही जिक्र किया। फिर, क्या आप जानते हैं कि जब मूल रसीद खो जाने के बाद बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से डुप्लीकेट रसीदें बनाकर दी गई, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंगाल कांग्रेस कमेटी को चेतावनी दी थी तथा उससे कहा था कि प्रतिनिधिमंडल को टिकट देते समय सावधानी से काम ले ? क्या आपने यह भी जानने का प्रयास किया कि गलती अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय की थी अथवा बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की थी ?

फिर आपने प्रतिनिधियों को लाने के लिए बहुत-सा पैसा खर्च करने की बात कही है। क्या आप नहीं जानते कि किस ओर पूंजीपति या पैसे वाले लोग हैं ? क्या आपने लाहौर से लारियां भर-भर कर पंजाबी प्रतिनिधियों को लाने की बात नहीं सुनी ? किसके इशारे पर उन्हें लाया गया ? शायद डॉ. किचलू इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें। पंजाब से आई एक प्रतिष्ठित कांग्रेस कार्यकर्ता ने, जो मुझसे पांच दिन पूर्व मिली, बताया कि उन्हें सरदार पटेल के निर्देश पर यहां लाया गया है। मैं नहीं जानता। फिर भी आपमें निष्पक्षता का कुछ तो भाव होना ही चाहिए था।

त्रिपुरी में कांग्रेस के मंत्रियों की भूमिका के विषय में भी मुझे दो टिप्पणियां करनी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्यों द्वारा इस आशय की प्रार्थना की गई थी कि वोटिंग मतपत्र द्वारा की जानी चाहिए। मेरे कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि वे खुले-आम कांग्रेस-मंत्रियों के विरुद्ध वोट देंगे, तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसका अर्थ क्या है ? दूसरे, मैं मंत्रियों द्वारा इस प्रकार के विघटनकारी प्रचार के खिलाफ हूं। इसमें दो राय नहीं कि उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है– लेकिन यदि प्रत्येक प्रांत में ऐसा होने लगा– तो शीघ्र ही कांग्रेस संसदीय पार्टी में दरार पैदा हो जाएगी। जब तक मंत्रियों को कांग्रेसी एम. एल. ए. तथा एम. एल. सी. का एकजुट समर्थन प्राप्त नहीं होगा वे कैसे कार्य कर सकते हैं ?

क्या आप नहीं मानते कि त्रिपुरी कांग्रेस में (सदस्यों की समिति समेत) पुराने कांग्रेसियों ने जनता की नजरों में उदासीन भूमिका निभाई तथा मंत्रियों ने लोगों का मन जीत लिया ? यदि शरत ने यही बात कह दी, तो क्या वे गलत थे ?

यह बात सरासर अपमानजनक है कि आप शरत को लिखे पत्र में टिप्पणी करें, "त्रिपुरी प्रस्ताव ने कांग्रेस-अध्यक्ष और गांधीजी के मध्य सहयोग की कल्पना की थी।"

उपर्युक्त पत्र में आपने कहा कि त्रिपुरी कांग्रेस में और उसके पहले आपने कांग्रेसियों में सहयोग पैदा करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। क्या आपको यह दुःखद तथ्य बता दूं कि बाकी लोगों की राय इसके विपरीत है ? उनके विचारानुसार त्रिपुरी कांग्रेस ने कांग्रेसियों के बीच जो दरारें पैदा की हैं, उसकी जिम्मेदारी आप पर है।

अब मैं आपसे कहूंगा कि कृपया आप अपनी नीति व कार्यक्रम स्पष्ट करें। अस्पष्ट

सामान्य नीतिया नहीं, बल्कि स्पष्ट, सत्य और विस्तृत। मैं यह भी जानना चाहूगा कि वास्तव मे आप क्या हैं— समाजवादी, वामपथी, केंद्रवादी, उदारवादी, गाधीवादी या कुछ और ?

शरत को लिखे आपके पत्र मे दो वाक्य प्रशसनीय है— "जिस बात का मुझे अत्यधिक दु ख है, वह यह है कि व्यक्तिगत बातो ने सभी राजनीतिक मुद्दो को ढाप रखा है। यदि काग्रेसियों में मतभेद हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वे उच्च पदो तक पहुचेगे तथा नीति व उद्देश्यो के मुद्दों तक भी पहुच जाएगे।" यदि आप केवल अपनी ही बात पर अडे रहते, तो काग्रेस की राजनीति मे कितना अतर पड़ा होता।

जब आप यह कहते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे कि त्रिपुरी मे क्या रुकावट थी तो मैं आपकी सरलता की प्रशसा किए बिना नहीं रह सकता। वास्तव मे त्रिपुरी काग्रेस ने केवल पत प्रस्ताव पारित किया था तथा उस प्रस्ताव पर तुच्छता और अनुचित होने का आरोप लगा। अध्यक्षीय चुनाव के पश्चात सत्य और अहिंसा के समर्थको ने पूरे विश्व को बता दिया कि वे बहुमत प्राप्त दल के मार्ग मे बाधा नहीं डालेगे और इसी भावनावश उन्होने कार्यकारिणी से त्यागपत्र भी दिया। त्रिपुरी मे उन्होने कुछ नहीं किया और केवल बाधा उत्पन्न की। उन्हे ऐसा करने का पूरा अधिकार था, किंतु जिस बात को वे व्यवहार मे ला नहीं सकते, उसके विषय मे बात क्यो करते हैं ?

इस लबे पत्र को समाप्त करने से पहले कुछ बातें और कहना चाहूगा। त्रिपुरी मे बगाल के प्रतिनिधियो को टिकट दिए जाने सबधी मुसीबत का आपने जिक्र किया है। उस दिन मैंने समाचारपत्रो मे पढा कि कलकत्ता के जन समारोह मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि उसने यू पी के कुछ प्रतिनिधियो से सुना— ऐसी ही समस्या यू पी मे भी पैदा हुई थी।

क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि पत प्रस्ताव पारित करने का मूल उद्देश्य महात्मा गाधी को मेरे विरुद्ध करना था ? क्या आप ऐसी हरकत को उचित मानेगे, जबकि महात्माजी व मेरे बीच, कम-से-कम मेरी ओर से, तो कोई अविश्वास पैदा नहीं हुआ। यदि पुराने योद्धा मुझसे झगड़ना चाहते थे, तो स्पष्ट रूप मे वे सामने क्यो नहीं आए ? उन्होने महात्मा गाधी को इस बीच मे क्यो खींचा ? बेशक यह चालाकी भरा कदम था, किंतु क्या ऐसा कदम सत्य और अहिंसा से मेल खाता है ?

मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं कि क्या सरदार पटेल का यह घोषित करना उचित था कि मेरा पुन चुनाव देश-हित मे नहीं होगा ? आपने एक शब्द भी इस विषय में नहीं कहा कि उन्हे अपने ये शब्द वापस ले लेने चाहिए। इस प्रकार आपने उनके द्वारा लगाए गए आरोप का समर्थन ही किया। अब मैं आपसे पूछना चाहूगा कि महात्माजी की इस टिप्पणी से आप कहा तक सहमत हैं कि आखिरकार मैं देश का दुश्मन नहीं हूं। क्या आप समझते हैं कि यह टिप्पणी उचित है ? यदि नहीं, तो क्या आपने मेरी ओर से

महात्माजी को कुछ कहा ? जब हम त्रिपुरी मे थे, तो कुछ लोगो ने समाचारपत्रो मे यह प्रकाशित करवा दिया था कि पत प्रस्ताव को महात्माजी का समर्थन प्राप्त है। उनकी इस चतुराई से आप कहा तक सहमत हैं ?

और अब पत प्रस्ताव के बारे मे आपका क्या विचार है ? त्रिपुरी मे अफवाह थी कि आप उसे लिखने वालो मे से एक हैं। क्या यह सत्य है ? क्या आप उस प्रस्ताव को पास करते हैं– हालाकि मतदान के समय आप तटस्थ रहे थे ? उसके विषय मे आपकी क्या राय है ? क्या आप के विचार से वह अविश्वास-प्रस्ताव था ?

मुझे दुख है कि मेरा पत्र अनावश्यक रूप से लबा हो गया है। निश्चय ही आपका हौसला जवाब दे देगा। किंतु मैं क्या करू– इतनी सारी बाते थीं कि मुझे लबा पत्र लिखना ही पडा। सभव है, मैं आपको पुन पत्र लिखू या शायद प्रेस मे बयान जारी करू। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ लेखो मे आपने मेरे अध्यक्ष-काल की तीव्र आलोचना की है। अभी यह खबर पक्की नहीं है। जब मैं आपका लेख पढूगा तो उस विषय म कुछ कहने योग्य होऊगा और तभी हम अपने कार्य की तुलना कर पाएगे। विशेष रूप से इस विषय मे कि दो वर्ष मे आपने वामपथ के कार्य को कितना आगे बढाया और मैने एक वर्ष की अवधि मे कितना कार्य किया।

यदि मैंने कटु भाषा का प्रयोग किया हो या आपकी भावनाओ को ठेस पहुचाई हो तो कृपया मुझे क्षमा करे। आप स्वय कहते हैं कि स्पष्टवादिता जैसी श्रेयस्कर कोई चीज नहीं है और मैंने स्पष्टवादिता–शायद कठोर स्पष्टवादिता–से काम लिया है।

धीमी गति से मैं ठीक हो रहा हू। आशा है आप भी स्वस्थ होगे।

आपका शुभाकाक्षी,
सुभाष

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

व्यक्तिगत एव गोपनीय

इलाहाबाद
3 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय सुभाष,

28 मार्च का तुम्हारा लबा पत्र मिला और मैं जल्दी ही उसका उत्तर भी दे रहा हू। सबसे पहले तो मैं यह बता दू कि तुमने पूर्ण स्पष्टता से लिखा और मुझे यह स्पष्ट बता दिया कि तुम मेरे विषय मे तथा अन्य घटनाओ के विषय मे क्या महसूस करते हो। स्पष्टवादिता से प्राय कष्ट होता है किंतु फिर भी यह वाछनीय है– विशेष रूप से उन लोगो के मध्य, जिन्हे मिलकर कार्य करना है। इससे व्यक्ति को दूसरे की नजर से अधिक स्वय को

आलोचनात्मक दृष्टि से समझने का अवसर मिलता है। तुम्हारा पत्र इस दृष्टि से बहुत उपयोगी है और मैं इसके लिए तुम्हारा आभारी हूं।

टाइप किए 27 पृष्ठो के पत्र का उत्तर देना आसान कार्य नहीं है– जिसमे अनत घटनाओ, विभिन्न नीतियो और कार्यक्रमो का जिक्र भी हो। मुझे डर है कि मेरा उत्तर जितना विस्तृत ओर पूर्ण होना चाहिए, शायद नहीं हो पाएगा। इन मुददों पर सही ढग से चर्चा करने को कोशिश मे व्यक्ति को पुस्तक या वैसी ही कोई चीज लिखनी पडेगी।

तुम्हारा पत्र विशेष रूप से मेरे आचरण पर अभियोग-पत्र है तथा मेरी विफलताओ का पर्यवेक्षण है। तुम स्वय इस बात से सहमत होगे कि अभियोगी का उत्तर देना कितना कठिन कार्य है। कितु जहा तक विफलताओ या कमियो का सबध है, मैं कुछ कहना चाहूगा। मुझे खेद है कि मुझमे वे सारी कमिया हैं। मैं यह भी कहना चाहूगा कि मैं तुम्हारे इस सत्य की प्रशंसा करता हू कि 1937 मे जब से तुम गिरफ्तारी से बाहर आए हो तुमने तब से मेरी बहुत इज्जत की है— व्यक्तिगत रूप से भी और जनता मे भी। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हू। व्यक्तिगत रूप से मुझे तुमसे हमेशा स्नेह रहा है तथा अब भी है और मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हू– हालाकि मैं तुम्हारे कार्यो से कभी-कभी सहमत नहीं होता हू। किसी हद तक मेरे विचार से हमारा आचरण भिन्न है। साथ ही, जीवन और उसकी समस्याओ के प्रति हमारी सोच भी एक नहीं है। अब मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर दूगा और पैराग्राफ का जवाब एक-एक करके दूगा।

मैं भूल चुका हू कि पिछले नवंबर मे यूरोप से लौटने के बाद इलाहाबाद मे तुमसे मिलने पर मैंने क्या कहा था। कलकत्ता से कराची जाते हुए तुम कुछ समय तक वहा रुके थे। मैं यह नहीं सोच पा रहा हू कि उस समय गाधीजी की चर्चा क्यो की गई थी– तभी तो मैं कोई निश्चित उत्तर दे सकता हू। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि प्रश्न क्या था। लेकि‍ा शायद मेरा अभिप्राय यह रहा होगा कि भविष्य मे मेरा कार्यकलाप विभिन्न मुद्दो पर गाधीजी की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। तुम्हे याद होगा कि मैने हरिपुरा से पहले और बाद मे क्या कहा था। उस समय मैं कार्यकारिणी के सदस्य के रूप मे अपने सबध मे बहुत दु खी था और सदस्यता छोडना चाहता था। इसका कारण यही था कि मुझे यह महसूस हो रहा था कि मै कोई लाभकारी कार्य कर नहीं कर पा रहा हू। गाधीजी भी समजातीय समिति के पक्ष मे थे और मैं उसका एक भाग नहीं बन सकता था। उस समय मेरे सामने एक ही मार्ग था कि मैं स्वय को चुपचाप अलग रख लू और बाहर रहकर सहयोग देता रहू या गाधीजी व उनके गुट को चुनौती दू। मैंने महसूस किया कि भारत के लिए हमारे कार्य की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा या फिर निश्चित रूप से विघटन होगा। यह कहना व्यर्थ है कि किसी भी कीमत पर एकता कायम रहनी चाहिए। कभी-कभी एकता दुखदायी सिद्ध होती है। उस समय उसे छोड देना ही हितकर है। यह उस समय की स्थितियो पर निर्भर करता है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि गाधीजी को अलग करने से या कर देने

से हम बहुत कमजोर हो जाएगे और सकट की घडी उत्पन्न हो जाएगी। मैं इस सकट का सामना करने को तैयार नहीं था। उस समय मैं कुछ ऐसी स्थितियो को भी नापसद करता था, जो तब पैदा हो रही थीं तथा गाधीजी के सामान्य रुख से भी अप्रसन्न था। कुछ मुद्दो के प्रति कुछ प्रातीय मत्रियो के रुख से भी मैं अप्रसन्न था।

मैं यूरोप चला गया और जब वापस लौटा तो पुन उसी समस्या से सामना हुआ। उसी समय तुम मुझसे मिले थे। शायद तभी मैंने तुम्हें बताया था मेरे मन मे क्या है। मेरा मत स्पष्ट था, लेकिन मेरा कार्य इसी बात पर निर्भर था कि गाधीजी का स्थितियो के प्रति रुख क्या है। यदि उनका आग्रह अभी भी समजातीय कमेटी के लिए था, तो मेरा बाहर हो जाना ही ठीक था। यदि नहीं, तो मैं कार्यकारिणी के सदस्य के रूप मे सहयोग देने को तैयार था। इस मुद्दे पर मैं काग्रेस का विघटन करने को तैयार नहीं था। मैं भारत के सकट से तथा अतर्राष्ट्रीय सकट से चिंतित था। और यह महसूस कर रहा था कि कुछ माह बाद हमे बडे सघर्ष का सामना करना पडेगा। वह सघर्ष गाधीजी के नेतृत्व और सहयोग के बिना प्रभावशाली नहीं हो सकता।

इस सघर्ष के प्रति मेरा विचार फेडरेशन के आधार पर नहीं था। मैं चाहता था कि काग्रेस फेडरेशन को मृत मुद्दा मानकर आत्मनिर्णय तथा कास्टीट्यूएट असेबली की माग पर ध्यान दे और विश्व सकट के परिप्रेक्ष्य मे इसे सामने रखे। मेरा विचार था कि फेडरेशन के मुद्दे पर आवश्यकता से अधिक सघर्ष करने से यह मुद्दा खत्म होने वाला नहीं और यह हमारी सोच और क्रिया को कुद कर रहा है और मूल मुद्दो पर कार्य करने से हमे रोक रहा है। जब मैं इग्लैंड मे था तब तुमने एक बयान जारी किया था कि तुम अत तक फेडरेशन के विरुद्ध सघर्ष करते रहोगे। यदि काग्रेस ने उसे स्वीकार कर भी लिया, तो भी तुम्हारा सघर्ष जारी रहेगा। इस बयान का इग्लैंड मे विपरीत प्रभाव पडा। सबका कहना यही था कि यदि काग्रेस-अध्यक्ष इस मुद्दे पर त्यागपत्र देने की सोच रहे हैं तो काग्रेस भी उसे स्वीकार करने को तैयार होगी। मैं स्वय को असहाय अनुभव करता था और उस बयान को समझ नहीं पाया। इस आधार पर मैंने दो प्रस्ताव बनाए। उन दोनो मे कोई विशेष बात नहीं थी- केवल जोर किसी अन्य बात पर दिया गया था। जैसा कि तुम जानते हो, कार्यकारिणी के सभी प्रस्ताव इसी विचार से बनाए जाते हैं कि शेष सभी सदस्य भी उससे सहमत हो। स्वय को खुश करने के लिए प्रारूप बनाना आसान कार्य है लेकिन वह अन्य लोगो की स्वीकृति नहीं पा सकता। कार्यकारिणी के समक्ष इन प्रस्तावों को रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि पूरे देश को मानसिक रूप से अगली काग्रेस मे अधिक विस्तृत और दूरगामी प्रस्तावो को पारित करने के लिए तैयार करना है। मेरे प्रस्तावों को स्वीकार किया गया और मुझसे कहा गया कि उन पर काग्रेस के समक्ष विचार किया जाना चाहिए।

इसी कार्यकारिणी मे मैंने यहूदियो से सबधित प्रस्ताव सुझाया था। तुम्हे याद होगा

कि इससे पहले जर्मनी मे यहूदियो की सामूहिक हत्या की जा रही थी। ऐसा पूरे विश्व मे हो रहा था। मैंने महसूस किया कि हमें इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहिए। तुमने कहा है कि तुम्हें तब बहुत आश्चर्य हुआ, जब तुमने देखा कि मैंने प्रस्ताव पारित कर यहूदियो के लिए शरण मागी है। मुझे आश्चर्य है कि तुम इसके इतने विरोधी थे, जबकि जहा तक मुझे याद है, तुमने उस समय इस विषय मे कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं किया था। लेकिन क्या मेरे प्रस्ताव को भारत मे यहूदियो के लिए शरण खोजने की सज्ञा देना उचित है ? पुराना प्रारूप मेरे सामने है, जो कहता है 'समिति को उन यहूदियो को– जो विशेषज्ञ हैं या किसी कार्य मे विशेष निपुण हैं- तथा उन यहूदियो को जो भारतीय मानदडो को मानकर यहा रहने को तैयार हों ' नौकरिया देने मे कोई आपत्ति नहीं। यहूदियो की सहायता करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव नहीं रखा गया था (जबकि ऐसी सहायता– जहा तक सभव हो– दी जानी चाहिए) बल्कि अपने देश को सही कीमत पर वैज्ञानिक व औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त लोग उपलब्ध कराना था। वियना मे नाजियो का आधिपत्य स्थापित होने के उपरात कई देशो ने वहा अपने विशेष आयोग भेजे, ताकि वहा से अच्छे व्यक्तियो को चुनकर लाया जा सके। तुर्की ने ऐसे विशषज्ञो से बहुत लाभ उठाया। मुझे भी यही लगा कि टेक्नीशियनों व विशेषज्ञो के चुनाव का यह सही मौका है। कम वेतन पर उनके यहा आ जाने से हम अन्य लोगो के वेतन भी कम कर सकते थे। वे एक अवधि-विशेष के लिए यहा आए, न कि स्थाई तौर पर रहने के लिए। फिर कुछ गिने-चुने लोग ही आते इससे निश्चित लाभ तो हमें होता ही– साथ ही, वे हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण व मानदड को भी स्वीकारते।

काग्रेस के अध्यक्षीय चुनाव के पश्चात दिल्ली मे मेरे भाषण की तुमने चर्चा की है। मुझे खेद है कि जिस रिपोर्ट की चर्चा तुमने की है, उसे मैंने नहीं देखा– हालांकि कुछ लोगो ने मुझे बताया था। वास्तविकता यह है कि मैंने तुम्हारे अध्यक्षीय चुनाव के विषय मे कुछ नहीं कहा। मैं दिल्ली और पजाब काग्रेस की समस्याओं और झगडो का जिक्र कर रहा था। मैंने कहा था कि पद की लालसा की वजह से प्रचार हो रहा है, इसलिए मैंने उसकी भर्त्सना की थी। सभव है, पत्रकार के मस्तिष्क मे तुम्हारा चुनाव रहा हो– जो कुछ मैंने कहा, उसे उसने तोड-मरोड कर पेश किया हो। जो लोग बैठक मे उपस्थित थे, उनसे मैने पूछा तथा उन्होने उससे अपनी सहमति व्यक्त की, जो कुछ मैंने कहा था।

तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारी अपेक्षा डॉ पट्टाभि का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ। चुनाव के लिए प्रचार मे मैं कोई बुराई नहीं देखता। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे इस कथन का आशय क्या है कि डॉ पट्टाभि के लिए मत प्राप्त करने मे काग्रेस मत्रालयो की मशीनरी का उपयोग किया गया। मैं नहीं जानता इस उद्देश्य के लिए क्या मशीनरी है, यू पी मे तो मैंने इसे कार्यरत नहीं देखा– तुम्हारा प्रचार तो अवश्य हुआ। मैं नहीं जानता कि हमारे मत्रियो ने कैसे मतदान किया, किंतु मैं यह सोचने पर विवश हू कि आधे से अधिक लोगो ने डॉ पट्टाभि को अपना मत नहीं दिया। शायद इसमे

भी कम लोगों ने दिया हो। एक मत्री ने मतदान से इकार किया। एक ने खुले-आम तुम्हारा प्रचार किया और सामान्य राय यही थी कि वे तुम्हारे पक्ष मे काफी मत प्राप्त करने मे सफल भी हुए।

लोगो के मध्य तुम्हे नीचा दिखाने का तुम्हारा आरोप बिल्कुल गलत है। मैंने दिल्ली मे या कहीं भी ऐसा कुछ नही किया।

अब मैं अपने उस बयान पर आता हू, जो मैने कार्यकारिणी के 12 सदस्यो के त्यागपत्र देने पर दिया था। दो दिन तक तर्क-वितर्क होता रहा। तब कहीं जाकर मैंने यह कदम उठाया, जबकि कार्यकारिणी के अन्य सदस्यो का रुख अधिक आक्रामक था। बैठक से पूर्व मैंने इसे रोकने की भी कोशिश की थी। दुबारा भी मैंने ऐसा ही प्रयास किया। कितु कई बातो ने इसको पहले से अधिक कठिन बना दिया। तुम जानते हो कि तुम्हारे अध्यक्षीय बयान से सदस्यो पर पडने वाले प्रभाव के प्रति मैं कितना नाराज था। मैने बार-बार तुम्हे समझाया था। जब तुम गाधीजी से मिलने जा रहे थे, तब भी मैंने विशेष रूप से तुम्हे बताया था कि राजनीतिक मुद्दो पर चर्चा करने से पहले इस बात को स्पष्ट करना अति आवश्यक है। जयप्रकाश भी मेरी बात से सहमत थे। दो व्यक्तियो के मध्य शक और अविश्वास की दीवार होने पर राजनीतिक परिचर्चा का कोई लाभ नहीं। तुमने अपने बयान मे जो कहा, वह बिल्कुल अनुचित था। कांग्रेस-अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए उचित नहीं है कि वह ऐसे बयान दे। सब लोग उसे जानते हैं, अत उसकी किसी भी बात के प्रति वचनबद्ध हो जाते है। तुमने लोगो के नाम नहीं लिए यह सच है– कितु तुम्हारे बयान को पढने वालो ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसमे कार्यकारिणी के सदस्यो की ओर सकेत है। इससे बडा अपमान एक व्यक्ति का और क्या हो सकता है कि वह जिस कार्य के लिए प्रतिबद्ध है, कहा जाए कि उससे ही भटक गया है तथा फेडरेशन के अतर्गत मत्रालयो का वितरण आपस मे चुपचाप कर रहा है। वह बयान अद्भुत था जिससे कई लोगो को कष्ट हुआ।

इस प्रकार के बयान से तुम्हारे और गाधीजी के बीच सहयोग मे अडचन पैदा हुई है। मैं उत्सुक था कि आप दोनो के मध्य सहयोग अवश्य होना चाहिए, वर्ना बहुत बडी क्षति होगी। इसीलिए मैंने तुम्हे विवश करने का प्रयास किया था कि यह रुकावट दूर होनी चाहिए, इसलिए तुम महात्माजी से बात करो। मैंने सोचा था कि तुम यह बात मान गए हो लेकिन बाद मे जयप्रकाश और गाधीजी से यह जानकर मैं बहुत हैरान हुआ कि तुमने इस विषय मे कोई चर्चा तक नहीं की। मैं स्वीकारता हू कि इस बात ने मुझे बहुत कष्ट पहुचाया। इससे मुझे यह अनुभव भी हुआ कि तुम्हारे साथ कार्य करना कठिन है।

गाधीजी ने मुझे बताया कि तुम्हारे उनसे मिलने के बाद उन्हे आभास हुआ कि तुम उनका सहयोग पाने को उत्सुक नहीं हो– यद्यपि तुमने सरसरी तौर पर उनके सहयोग की चर्चा की थी। ऐसा लग रहा था कि तुम उन लोगो को मिलाकर कार्यकारिणी का गठन करने को उत्सुक थे, जिनके विषय में तुमने अपना मन पक्का कर लिया था (शायद उन्हें

आश्वस्त भी किया हो)। तुम ऐसा करने मे पूर्णतया सक्षम थे, किंतु इससे स्पष्ट था कि तुम गाधीजी व उनके गुट के सहयोग की अपेक्षा कुछ और चाहते थे।

पजाब दिल्ली और आध्र म नेल्लोर के चुनावो मे तुम्हारे कार्य से मुझे आश्चर्य हुआ– कार्य से उतना नहीं, बल्कि जिस प्रकार तुमने उसे किया, उससे। तुमने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय को सूचित किए बिना और आध्र मे प्रादेशिक कमेटी को बताए बिना कदम उठाए। दिल्ली म तुमने प्रादेशिक काग्रेस कमेटी को अग्रिम रूप में सूचित किए बिना कार्य किया। मेरे विचार से तुम्हारा दिल्ली का निर्णय ठीक नहीं था। किंतु वह उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मुझे लगा कि तुम व्यक्तियों व गुटो से प्रभावित होकर उस सामान्य कार्य-प्रणाली का उल्लघन कर रहे हो, जो सामान्यत कार्यालय द्वारा अपनाई जानी चाहिए। यह प्रणाली खतरो से भरपूर है।

तुमने कहा कि उच्चाधिकारियो द्वारा हस्तक्षेप के क्षेत्र मे कोई भी अध्यक्ष आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं स्वीकार करता हू कि मैं हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति हूं। किंतु जहा तक अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यो का प्रश्न है, मुझे याद नहीं कि कभी मैंने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय के कार्यों में दखल दिया हो– हालांकि उसे प्रभावित मैंने कई बार किया। मेरी नीति थी (इस सबध में एक ज्ञापन भी जारी किया गया था) कि जब तक बहुत आवश्यक न हो या दूसरा मार्ग न रह जाए, तब तक प्रातीय मुद्दो पर और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय मे अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

जब विभिन्न कारणो से मैं अत्यधिक चिंतित था, तभी गाधीजी व वल्लभभाई के नाम तुम्हारा तार मिला। उसका यही आशय निकाला गया कि तुम कार्यकारिणी की बैठक मे हमसे मिलना नहीं चाहते यहा तक कि रोजमर्रा का कार्य भी निपटाना नहीं चाहते। जैसा कि तुमने कहा– तुम्हारी इच्छा ऐसी नहीं थी, किंतु तार का तो यही आशय था। यह संभव था कि तुमसे और पूछताछ की जाती कि तुम्हारा मतलब क्या है– किंतु ऐसा करना निरर्थक था, क्योकि ऐसा करने से तुम पर दबाव पडता कि तुम वह काम करो, जो तुम करना नहीं चाहते थे।

इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि तुम अपनी पसद के सहयोगियो के साथ कार्य करना चाहते हो और कार्यकारिणी के पुराने सदस्य बाधक हैं और तुम उन्हे नहीं चाहते हो, इसलिए उन्हें त्यागपत्र देना पडा। यदि वे ऐसा न करते, तो तुम्हारे साथ अन्याय होता। देश व अपने को वे लोग धोखा देते तथा यह लोकतात्रिक पद्धति के भी विरुद्ध होता। मैं समझ नहीं पा रहा कि वे कैसे अपने पदों पर बने रहते और उनके त्यागपत्रों से बाधा किस प्रकार उत्पन्न हो गई। त्यागपत्र न देने से कठिनाई खडी हो जाती– उससे तुम्हारे उस कार्य मे भी बाधा पैदा होती जो तुम सोच रहे थे कि यह उचित है।

तुमने ठीक कहा है कि मैंने मूर्खतापूर्ण रवया अपनाया। मैंने त्यागपत्र नहीं दिया,

लेकिन ऐसा महसूस कराया, जैसे कि दे दिया हो। इसका कारण यह कि मैं अपने सहयोगियो के रुख से सहमत नहीं था। यह मेरा दृढ विश्वास था कि इन परिस्थितियों मे मैं तुम्हे सहयोग नहीं दे सकता था किंतु दूसरो के साथ भी सबध तोडने पर उतारू था। वास्तव मे दूसरी बात अधिक उचित प्रतीत हुई, क्योकि उससे अनावश्यक रूप मे खिचे चले आ रहे अध्याय का अत सभव था। यदि तुम *'नेशनल हेरॉल्ड'* मे मैंने जो लेख-शृखला लिखी, उसके प्रारभिक लेख पढो, तो शायद तुम यह जान पाओ कि मेरा दिमाग तब क्या सोच रहा था।

22 फरवरी के मेरे बयान मे त्यागपत्र के जिक्र का प्रश्न ही नहीं था। मेरा वह बयान व्यक्तिगत बयान था। उसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए था। मुझे विवश किया गया कि मैं भी अन्य लोगो के साथ त्यागपत्र दे दू। मैंने मना किया था, मैने तो उनका त्यागपत्र तब तक देखा भी नहीं था जब तक कि वह तुम्हारे पास पहुच नहीं गया।

क्या मैं थोडा स्पष्ट करू कि पिछले दो माह से मेरे मन को किन बातो ने परेशान कर रखा है ? मैं दो कारणो से तुम्हारे चुनाव लडने के विरुद्ध था एक तो इन परिस्थितियो मे गाधीजी से सबध-विच्छेद होता और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो (ऐसा होना क्या आवश्यक था ? — उसकी बात करना मैं यहा आवश्यक नहीं समझता। मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा)। फिर, इससे वामपथियो को भी धक्का पहुचता। वामपथ इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह इस बोझ को अपने कधो पर उठा सकता। फिर, जब काग्रेस मे वास्तविक प्रतिद्वद्विता प्रारभ होती, तो वह हार जाता और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी होती। मुझे आशा थी कि डॉ पट्टाभि की तुलना मे तुम चुनाव जीत जाओगे । किंतु यह आशका थी कि क्या तुम गाधीवादी के साथ इस स्पष्ट प्रतिस्पर्द्धा में काग्रेस को अपने साथ रख पाओगे ? यदि किसी कारणवश तुम काग्रेस मे बहुमत पा भी लोगे तो भी गाधीजी के बिना देश का पूर्ण समर्थन तुम्हे प्राप्त नहीं हो पाएगा तथा कार्य करना कठिन हो जाएगा— साथ ही, तुम्हे सघर्ष करने मे भी कठिनाई हो जाएगी। देश मे पहले से ही अवरोध पैदा करने की प्रवृत्तिया पनप रही थीं और उन्हे नियत्रित करने की अपेक्षा हम लोग उनमे इजाफा कर रहे थे। इसका अर्थ था कि हम अपने राष्ट्रीय सघर्ष को कमजोर कर रहे थे, जबकि आवश्यकता उसे मजबूत करने की थी।

इन दो कारणो से मैं तुम्हारे दुबारा चुनाव के विरुद्ध था। बबई के कुछ मित्रो ने तुम्हे जो कुछ बताया वह ठीक नहीं है। मैंने जो कहा था, वह यह था कि यदि तुम वास्तव मे वामपथी सिद्धातो और नीतियो के प्रति वचनबद्ध हो तो तुम्हारे चुनाव लडने का कुछ अर्थ है— क्योकि तब चुनाव मे विचारो और नीतियो की शिक्षा मिलेगी। किंतु व्यक्तिगत आधार पर इस चुनाव से कोई हानि या लाभ नहीं है। उपर्युक्त बातो के मद्देनजर तुम्हारा चुनाव लडना मुझे उचित नहीं लगा।

मेरी 26 जनवरी और 22 फरवरी की टिप्पणियो में अतर है, किंतु उनमे दृष्टिकोण

के अतर की झलक नहीं है। पहली टिप्पणी मैंने तुम्हारे चुनाव लडने स पूर्व की थी। मैं, जहा तक सभव हो पक्ष लेने से बच रहा था। मुझसे डॉ पट्टाभि के लिए अपील करने को कहा गया था। मैं उस पर राजी नहीं हुआ था। इसलिए मेरे बयान को जान-बूझकर तोड़ा-मरोड़ा गया। बाद में कुछ बातें और मुझे पता चलीं। मैंने तुम्हारा चुनावी बयान देखा। और भी बहुत-सी घटनाए घटीं, जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है। मुझे पता चला कि तुम बहुत-से पुराने सदस्यो के निकट सपर्क मे हो, जो तुम पर बहुत-सा प्रभाव डाल रहे हैं। वे लोग व्यक्तिगत रूप मे तो ठीक थे, किंतु मेरे विचार से वे वामपथी विचारधारा के नहीं थे। इसीलिए मैने उन्हे राजनीति की भाषा मे अवसरवादी कहा है। किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के लिए खतरो का सामना करना अच्छी बात है, किंतु राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मे इस शब्द का निश्चित अर्थ है और किसी भी प्रकार वह सबद्ध व्यक्ति के लिए सम्मानजनक नहीं हो सकता। मैं इस अवसरवादिता को किसी भी रूप मे पसद नहीं करता और अपने उद्देश्यो की प्राप्ति मे इसे हानिकारक मानता हू। व्यर्थ के वाममार्गी नारे– जिनका वाममार्गी सिद्धातो व उद्देश्यों से कोई मेल नहीं है– हाल ही मे यूरोप मे देखने मे आए हैं। इससे फासीवाद का विकास हुआ और अधिकाश लोगो से दूरी भी कायम हो गई। ऐसी ही स्थिति भारत मे भी हो सकती है। यह विचार मेरे मन-मस्तिष्क पर हावी था, इसलिए मैं चिंतित था– इस तथ्य को जानकर तो और भी ज्यादा कि अतर्राष्ट्रीय मुद्दो मे तुम्हारी और मेरी राय अलग-अलग है। तुम नाजी जर्मनी व फासिस्ट इटली के विरोध के समर्थक नहीं हो, यह जानकर मुझे दुख हुआ। पूरी स्थिति को देखते हुए मैं वह दिशा नहीं खोज पाया, जिस ओर तुम हमे ले जाना चाहते हो।

मैं तुम्हारी दिशा से भली-भाति परिचित तो नहीं– हालाकि सामान्य सकेत से मैं परेशान अवश्य हुआ हू– इसलिए फरवरी के प्रारभ मे मैंने तुम्हे पत्र लिखा था और कहा था कि सब कुछ स्पष्ट रूप मे कहो। तुम्हारे पास तब वक्त नहीं था और बाद मे तुम बीमार पड़ गए, लिहाजा मेरी परेशानिया बनी रहीं और वे सब मेरे मन को उलझाती रहीं। इन्हीं की झलक तुम्हे मेरे फरवरी के बयान मे और बाद मे *'नेशनल हेराल्ड'* मे लिखे लेख मे मिली। विषम तत्वों के मेल से कार्यकारिणी का गठन करने की सभावना कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था, किंतु उसका विरोध किया जाना भी तर्कसगत नहीं था। मैं नहीं जानता कि इसमें मैं कैसे शामिल हो सकता था। पहली कार्यकारिणी से भी मुझे काफी परेशानिया थीं, तो भी कई मतभेदों के बावजूद हम एक-दूसरे को भली-भाति समझते थे और कई वर्षों तक मिल-जुलकर कार्य कर सके। ऐसी स्थिति मे सदस्य बने रहने से मैं सहमत नही था– लघु कार्यकारिणी से भी मैं उन कुछ लोगो के बीच सबद्ध नहीं होना चाहता था, जो आपसी समझ से परे थे।

एक निजी पक्ष भी मैं स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहूगा। मुझे यह लग रहा था कि तुम पुनर्चुनाव के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। राजनीतिक दृष्टि से इसमे कोई बुराई

भी नहीं थी– तुम अपना चुनाव पुन कराने के इच्छुक हो भी सकते थे– किंतु मुझे निराशा इसलिए हुई क्योकि मैं तुम्हे इन सब बातो से ऊपर उठ चुका व्यक्ति मानता था। मुझे लगता था कि यदि तुम इसके उलट कार्य करते तो नीतियो और गुटो को अधिक प्रभावित कर पाते।

वल्लभभाई ने तुम्हारे बारे म जो कहा, उसका जिक्र करते हुए तुमने सकेत किया है कि मैंने तुम्हारे विषय मे एक शब्द भी नहीं कहा। जहा तक चुनाव के समय दिए गए बयानो का प्रश्न है उनमे से एक भी बयान मुझे पसद नहीं है फिर भी मेरी याददाश्त के मुताबिक मुझे कोई ऐसा बयान याद नहीं जिसमे मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। वल्लभभाई का यह वाक्य कि तुम्हारा चुनाव लडना देश के लिए हितकर नहीं वस्तुत निजी रूप से तुम्हारे भाई को भेजे गए टेलीग्राम मे प्रयुक्त हुआ था। मेरे विचार से एक व्यक्ति पत्र या तार मे जो कहता है और खुले-आम जो कहता है, उसका अर्थ बदल जाता है। इस तथ्य का यह सदेश तुम्हारे भाई को भेजा गया, महत्वपूर्ण है। इस टिप्पणी का अभिप्राय उनको अपमानित करना नहीं था। यदि वल्लभजी की मान्यता थी कि गाधीजी के नेतृत्व म भारत की भलाई है और तुम्हारे चुने जाने से उनका नेतृत्व मिटाने मे कठिनाई पैदा होती, तो वे एसा सोचने और कहने के लिए वैसे ही पूर्ण स्वतत्र थे, जैसे हम गाधीजी का कितना ही सम्मान क्यो न करे, किंतु इस निर्णय पर पहुच सकते हैं कि उनके नेतृत्व से देश को खतरा हो सकता है और हानि पहुच सकती है।

मैंने तुम्हे लिखा था कि तुम्हारे पुन चुने जाने से कुछ भलाई और कुछ बुराई हुई है। मेरी अब भी वही राय है– हालाकि लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है, क्योंकि इससे हमारे उच्च पदो पर बैठे लोगो मे अवरोध पैदा हुआ है। भलाई इस अर्थ मे हुई कि इसने पुराने नेताओ की योग्यता को हिलाकर रख दिया। इसमे जरा भी सदेह नहीं कि तुम्हे मिलने वाले मतो ने उनकी अयोग्यता के विरुद्ध मत दिया है। यह उनके उन तरीको का भी विरोध है, जिन्हे उन्होंने अपनाया। मैंने बार बार गाधीजी तथा अन्य लोगो से इस विषय मे कहा था किंतु उन्होने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस विरोध मे कुछ बात तो थी जिसने अध्यक्षीय चुनाव मे अपना रूप स्पष्ट किया।

तुमने मुझे याद दिलाया है कि एक ओर मैं शीर्ष पद से तुम्हारे हस्तक्षेप का विरोध करता हू, तो दूसरी ओर 4 फरवरी के पत्र मे तुम्हे लिखा है कि तुम एक अकर्मण्य और शात प्रकृति के अध्यक्ष हो। यह सत्य है– जिस हस्तक्षेप की मैंने चर्चा की है, वह तुम्हारे पुन चुनाव से ठीक पहले और बाद का है। उससे पहले के कार्यकाल से उसका कोई सबध नहीं है। जब मैं तुम्हारी निष्क्रियता की बात करता हू, तो मेरा सकेत पिछले एक वर्ष मे कार्यकारिणी के प्रति तुम्हारे रुख की ओर है। मुझे उम्मीद थी कि तुम कार्यकारिणी को अपना नेतृत्व प्रदान करोगे– हालाकि मैं विभाजन के पक्ष मे बिल्कुल नहीं था और न मैं प्रातीय मामलो मे अध्यक्ष के हस्तक्षेप को पसद ही करता हू।

तुमने अपनी अनुपस्थिति में कार्यकारिणी की एक ऐसी बैठक की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने तुम्हारे पीछे से डॉ. पट्टाभि को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि इस विषय में वल्लभभाई के बयान से कुछ गलतफहमियां उठ खड़ी हुईं। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मुझे इसे स्पष्ट करने का मौका दिया है। जहां तक मुझे मालूम है, ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। बारदोली में हुआ यह था कि मैंने और गांधीजी ने मौलाना आजाद पर जोर डाला था कि वे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़े हों और वे मान भी गए थे– किंतु चुनाव लड़ने में हिचकिचा रहे थे। जिस दिन मैं बारदोली से रवाना होने वाला था (जिस दिन तुम गए थे), तब मैं गांधीजी व अन्य लोगों को अलविदा कहने गया।

हममें से कुछ लोग गांधीजी की कुटिया के बरामदे में खड़े थे। शेष लोग कौन-कौन थे, भूल गया। पर मौलाना आजाद और वल्लभभाई का मुझे ध्यान है– मौलाना ने पुन कहा कि वे इस जिम्मेदारी को उठाने में झिझक रहे हैं। तब वल्लभभाई ने कहा था कि यदि मौलाना मना कर देते हैं, तो हम डा. पट्टाभि को चुनाव लड़ने के लिए कह सकते हैं। मुझे डॉ. पट्टाभि का नाम सुझाया जाना उचित नहीं लगा, अतः इसका विरोध किए बिना मैंने पुनः इस बात पर जोर दिया कि मौलाना को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाना चाहिए। उसके बाद मैं बारदोली से रवाना हो गया। इलाहाबाद पहुंचने पर मुझे एक तार मिला कि मौलाना मान गए हैं। वहां से मैं सीधे अल्मोड़ा चला गया और अध्यक्ष पद के चुनाव तक वहीं रहा।

प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों के विषय में सच्चाई यह है। बातों को स्पष्ट कर लिया जाए– तुमसे अनेक दफे कहने के बाद मुझे यह महसूस होने लगा था कि इसके बिना गांधीजी का व तुम्हारा मिलकर कार्य करना असंभव है। इस विषय में मेरी और अधिक रुचि नहीं थी। इस बारे में गांधीजी, राजेंद्र बाबू या सरदार पटेल क्या सोचते हैं, वे स्वयं ही बता सकते हैं। जो आभास उन्होंने मुझे कराया, वह यह था कि वे इसे अत्यधिक महत्व देते हैं। त्रिपुरी पहुंचने पर भी मुझे यही बताया गया। मेरी निश्चित राय यही थी कि राजेंद्र बाबू द्वारा या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा यह मुद्दा तुम्हारे समक्ष रखा जाए और इस विषय में कोई प्रस्ताव पारित न किया जाए। लेकिन अन्य लोग इससे सहमत नहीं थे। सुझाव यह मिला कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष पेश करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाए। कांग्रेस का सामना करने से बचने के लिए ऐसा विचार नहीं था, बल्कि यह तो बैठक से पूर्व मुद्दे को स्पष्ट कर लेने के लिए था। हमेशा की भांति मुझे ही प्रारूप तैयार करने को कहा गया। मैंने कहा कि जहां तक मुझसे संभव होगा मैं आपका दृष्टिकोण प्रकट करने की कोशिश करूंगा– हालांकि मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए एक छोटा-सा प्रस्ताव तैयार कर दिया, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी में और गांधीजी के नेतृत्व तथा नीतियों में विश्वास व्यक्त किया गया

था और यह कहा गया था कि नीतियो मे बिखराव नहीं आना चाहिए। विवादो और गाधीजी की इच्छानुसार कार्यकारिणी के गठन की चर्चा तक नहीं थी। वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और बाद मे राजेद्र बाबू द्वारा सशोधित प्रस्ताव शायद दूसरो के विचार-विमर्श के पश्चात पेश किया गया। उस समय तक गोविंदवल्लभ पत नहीं पहुचे थे। मुझे यह प्रस्ताव पसद नहीं आया- अत मैंने वहा यह कहा भी। मैंने कहा कि मै हालाकि यह नहीं मानता कि दोषारोपण वाला मुद्दा आपत्तिजनक है, लेकिन यहा यह बात मुझे अनावश्यक लग रही है, क्योकि इससे अप्रसन्नता उत्पन्न होगी। विशेष रूप से तब, जब तुम अस्वस्थ भी हो। मुझे बताया गया है कि इस प्रस्ताव मे इन मुद्दो-से सबधित बहुत-सी महत्वपूर्ण बाते हैं, जिन्हे स्पष्ट किए बिना उनके सम्मान को धक्का पहुचा है, जिन पर दोष लगाया गया है— साथ ही, यह भी कि उनके लिए ऐसा करना आवश्यक है और गाधीजी की नीतियो के मुताबिक भी यह बात उचित है। फिर उन्होने यह भी बताया कि इसका बहुत हल्का-सा जिक्र है और इसे व्यक्तिगत भी नहीं बनाया गया है। इसके बिना वे कुछ भी करने मे असमर्थ हैं।

उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता था। मैंने उन्हे बताया कि कुछ मामलो मे यह प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। किंतु कुछ लोगो के सम्मान का प्रश्न था, इसलिए इससे मेरा अधिक वास्ता नहीं था। मै इसकी बाबत बहस मे नहीं पडूगा।

इसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक मे मुझे पता लगा कि गोविंदवल्लभ पत वह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। तुम भी वहा उपस्थित थे। बाद मे जब सब्जेक्ट्स कमेटी के सामने यह बात रखी गई, तो मैंने प्रस्ताव पेश करने वाले कुछ लोगो से बात की कि इसमे अभी भी कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। मैंने यह बताया भी कि मूल प्रस्ताव अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सामने रखने के लिए था, ताकि इस विवाद को समाप्त किया जा सके। अब क्योकि यह काग्रेस के समक्ष जा रहा है, तो इसे दूसरे रूप मे पेश किया जाना चाहिए। पुन मुझे बताया गया कि यह सम्मान का प्रश्न है और जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक सहयोग की बात सोची भी कैसे जा सकती है ? तुम्हे याद होगा कि काग्रेस से पूर्व उन्होने तुम्हे बता दिया था कि वे तुम्हे सहयोग देने मे असमर्थ हैं। वे इस प्रस्ताव को इस रूप मे देख रहे थे कि शायद यह सहयोग प्राप्त करने का एक तरीका है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं था।

खुला अधिवेशन सपन्न होने से पूर्व जब तुम बीमार थे, तब मैंने प्रस्ताव को सशोधित करने का एक और अतिम प्रयास किया था। मैं असफल रहा क्योकि श्री अणे के प्रस्ताव को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष रखने की बात मान ली गई। श्री अणे का विचार था और उन्होने हमे यह बताया भी कि उनके प्रस्ताव को बगाल के बहुत से मित्रो ने पास कर दिया है। हमे तो यहा तक अनुभव हो रहा था(सभव है, यह गलत हो) कि

तुमने भी उनके प्रस्ताव को पास कर दिया था। बाद मे क्या हुआ, तुम जानते ही हो।

अगले दिन खुले अधिवेशन में सब्जेक्टस कमेटी के पंडाल में जब गोविंदवल्लभ पंत प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तब सुरेश मजूमदार मेरे पास आए और उन्होने सुझाव दिया कि प्रस्ताव अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अणे के प्रस्ताव को पुन उठाया। उन्होने कहा कि एक रात पहले इस बारे मे गलतफहमी भी पैदा हो गई थी और अब इस प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकृति मिल जाएगी। मैंने उन्हे इस मसले मे अपनी असमर्थता बताई, क्योकि पंत समय उस प्रस्ताव को पेश करने की तैयारी मे थे। मैंने कई बार हर सभव प्रयास करके देख लिया था कि उन्हें सबधित गुटो से सपर्क करना चाहिए। बाद मे उन्होने क्या किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

त्रिपुरी की घटनाओ के परिदृश्य मे क्या हुआ और प्रतिनिधियो के कैंप मे क्या घटा– इसकी जानकारी मेरी अपेक्षा तुम्हे अधिक है। विशेष मौको के अतिरिक्त मैं बहुत कम समय के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकला और मुझसे मिलने भी बहुत कम लोग आए। मैं मिस्र के प्रतिनिधियो क साथ व्यस्त था।

तुमने मेरे 'मुवक्किलों' की चर्चा की है। मुझे भय है कि मेरे ये 'मुवक्किल' मेरी वकालत के बावजूद बहुत प्रसन्न नहीं हुए। मैं उनमे अप्रिय हो गया। बहुत बडी 'बहादुरी' का काम यह हुआ कि मैंने सब सबद्ध लोगो को अप्रसन्न कर दिया।

दोषारोपण वाला यह प्रस्ताव असवैधानिक था या अनुचित, इसका निर्णय तुम्हे करना है। इस विषय मे मेरी राय का अधिक महत्व नहीं है। मैं तो केवल काग्रेस का कार्य चलता हुआ देखना चाहता हू और आज हम जिस दुविधा मे घिरे हैं, उसे हटा हुआ देखना चाहता हू। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा विचार है कि मैंने तुम्हारे विरोध मे आदोलन छेडा। गाधीजी से वार्तालाप के पश्चात मैं सक्रिय हुआ और बहुत देर तक इस स्थिति पर विचार करता रहा। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अतर्राष्ट्रीय घटनाओ से इतना प्रभावित हुआ जितना कि मुझे नहीं होना चाहिए। यूरोप मे स्थिति बहुत बिगड चुकी है। शायद युद्ध भी छिड सकता है। मेरा विचार है कि हमे घटनाओ की प्रतीक्षा शातिपूर्वक नहीं करनी चाहिए। शरत ने गाधीजी को जो तार भेजा, उससे स्पष्ट है कि वह उनसे मिलने नहीं आ रहा। अत उस समय कुछ करना सभव नहीं जब घटनाए तेजी से घट रही हो। फिर मैंने तार भेजने का निर्णय किया। बाद मे मैंने वह गाधीजी तथा एक-दो अन्य लोगो को भी दिखाया। वह किसी पत्रकार को मैंने दिया या दिखाया नहीं। वास्तविकता तो यह है कि उस समय महात्माजी व एक-दो अन्य व्यक्तियो के अतिरिक्त मैंने किसी से उसकी चर्चा तक नहीं की। अब तक मैंने उसे किसी को नहीं दिखाया। सभव है कि किसी को किसी अन्य से इसकी उडती-उडती खबर मिली हो और उसने प्रेस को

दे दी हो।

तुम सोचते हो कि कार्यकारिणी के 12 सदस्यो का त्रिपुरी अधिवेशन से पूर्व त्यागपत्र दे देना तथा बाद मे काग्रेस की स्थिति का तुलना करना क्या उचित नहीं है ? उनके त्यागपत्र देने से कोई अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए– बल्कि यदि वे त्यागपत्र न देते और कार्य करते रहने पर बल देते, तो अवरोध की सभावना अधिक थी। प्रतिवाद-स्वरूप त्यागपत्र दे देने के अतिरिक्त, व्यक्तिगत रूप मे तथा लोकहित मे, उनके पास अन्य रास्ता नही था।

जब मैंने दिल्ली से तुम्हे तार भेजा था, तो मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम वहा नहीं आ पाओगे। मैं सोचता था कि तुम्हे सुझाव दू कि गाधीजी को तुमसे मिलने धनबाद जाना चाहिए। मेरा विचार है कि यदि तुम आमत्रित करते, तो वे अवश्य वहा पहुचते। स्वाभाविक था कि वे बिना बुलाए वहा जाने मे झिझक रहे थे। त्रिपुरी पस्ताव सही था या गलत– कदम तुम्हे ही उठाना था जब तक कि वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी, वे कोई कदम नहीं उठा सकते थे। शायद तुम्हारा विचार था कि वे धनबाद जाने मे असमर्थ थे। जब तुम्हारे सचिव ने मुझ यहा फोन किया, तब गाधीजी दिल्ली रवाना होने के लिए स्टेशन जाने की तैयारी मे थे। यदि निकट भविष्य मे मुलाकात सभव नहीं, तो तुम दोनो को पत्राचार द्वारा स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए। तुम्हारा यह कहना सरासर अन्याय है कि मैंने दिल्ली से तुम्हे जो तार भेजा वह तुम्हे नीचा दिखाने के लिए था या तुम्हारे विरुद्ध आदोलन छेडने के उद्देश्य से था।

यह पत्र बहुत लबा हो गया है। मैंने इसे तुम्हारा पत्र पाने के बाद एक ही बैठक मे लिखा है। अभी भी बहुत-से ऐसे मुद्दे हैं, जो तुमने उठाए हैं और जिनके विषय मे मैं कुछ कह सकता हूँ। मुझे अपनी उन कमियो पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिनका तुमने जिक्र किया है। मैं उन्हे स्वीकार करता हू और उन पर शर्मिंदा हू। तुम्हारा यह कहना भी ठीक है कि अपने अध्यक्ष-काल मे मैंने एक सचिव या क्लर्क के रूप म अधिक कार्य किया। यह मेरी पुरानी आदत है कि मैं स्वय का क्लर्क और सचिव हू, लेकिन इस प्रकार मैंने दूसरों का अधिकार कभी छीना नहीं। यह भी सत्य है कि मेरी वजह से काग्रेस के प्रस्ताव बहुत लबे और शब्दाडबर वाले होते थे, कार्यकारिणी मे भी मैं बोलता अधिक था। मैंने अपने आचरण के अनुसार कार्य नहीं किया– यह भी मैं स्वीकार करता हू।

मुझे तुम्हारे 'लेफ्ट' और 'राइट' शब्दो के प्रयोग पर आपत्ति है क्योकि तुम उनका उचित इस्तेमाल नहीं करते। सचमुच ऐसी भी तमाम चीजे हैं। 'लेफ्ट' और 'राइट' शब्द जो हैं, वे काग्रेस व देश म भी उपस्थित हैं। किंतु यदि इनका सही प्रयोग नहीं किया गया, तो ये भ्राति पैदा कर सकते हैं।

मेरे विचार से मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि राजकोट और जयपुर के मुद्दों ने

बाकी सब बातो को आच्छादित कर लिया है। शायद मैंने कहा था कि राजकोट अर्थात गाधीजी का उपवास तथा उसके विभिन्न अर्थ कई प्रकार से प्रमुखता पा रहे हैं।

जहा तक बबई-व्यापार सघर्ष बिल का सबध है, मैं उनके पश्चात भारत पहुचा था। तब तक नियम बन चुका था। बबई मे फायरिंग हो चुकी थी। मैं यह बात अपने बचाव-स्वरूप नहीं कह रहा, बल्कि तथ्य के रूप मे बता रहा हू।

उत्तर प्रदेश मे हमने नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हो या गाव की समिति का, दो वर्ष से अधिक समय तक अध्यक्ष नहीं रह सकता।

तुमने विभिन्न प्रातों से त्रिपुरी मे प्रतिनिधियो को लाने मे भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। जहा तक मेरे अपने प्रदेश का सवाल है, मेरा विश्वास है कि ऐसा 'कुछ हुआ' था – हालाकि इस विषय मे मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। सभव है, अन्य जगह भी ऐसा ही किया गया है। क्या मैं प्रत्येक प्रदेश मे जाच का सुझाव दे सकता हू ? इससे हमारी सस्था की इज्जत मे वृद्धि होगी ?

पत प्रस्ताव के विषय मे तुमने मेरी राय मागी है। मैं नहीं मानता कि वह अविश्वास-प्रस्ताव था, किंतु यह एक ऐसा प्रस्ताव था, जो तुम्हारे निर्णयो मे विश्वास की माग कर रहा था। दूसरे रूप मे, यह गाधीजी मे विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव था।

मैं समाजवादी हू, या व्यक्तिवादी ? क्या इन दोनो विशेषणो मे विरोध होना आवश्यक है ? क्या हम लोग ऐसे सगठित व्यक्ति हैं कि हम स्वय को एक शब्द या वाक्य मे परिभाषित कर सके ? मेरे विचार से मैं स्वाभाविक रूप से तथा प्रशिक्षण के तौर पर एक व्यक्तिवादी हू, जबकि बौद्धिक रूप से समाजवादी हूं– इससे कुछ भी अर्थ चाहे क्यो निकाला जाए। मेरा विश्वास है कि समाजवाद व्यक्तिवाद को दबाता नहीं, बल्कि मैं तो इस ओर आकर्षित ही इसलिए हुआ, क्योकि यह असख्य लोगो को आर्थिक और सास्कृतिक गुलामी से आजाद करा सकता है। किंतु यह व्यर्थ का विषय है और इतने लबे पत्र के बाद इस पर चर्चा करना उचित भी नहीं। इस बात को इस रूप मे समाप्त करते हैं कि मैं एक असतुष्ट व्यक्ति हू, जो स्वय से और विश्व से सतुष्ट नहीं है तथा जिस ससार मे वह रहता है, वह भी उसे पसद नहीं करता।

प्रात काल के समय मैं राष्ट्रीय व अतर्राष्ट्रीय विषयो पर कुछ भी कहने का साहस नहीं कर पा रहा हू। नियमानुसार मैं इन पर चुप भी नहीं रह सकता– जैसा तुम्हारा अनुमान है कि मैं बहुत अधिक बोलता हू और लिखता उससे भी अधिक हू। फिलहाल मैं इसे यहीं छोडता हू– किंतु इतना अवश्य कहूगा कि जब मैं जर्मनी या इटली जैसे देशों की आलोचना करता हू, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं ब्रिटिश या फ्रासीसी उपनिवेशों

को अच्छे आचरण का प्रमाणपत्र दे रहा हू।

मैंने एक-दो दिन पहले ही तुम्हे अपने उन लेखो की शृखला भिजवाई है, जो मैंने त्रिपुरी से पहले *'नेशनल हेराल्ड'* मे दिए। एक मिल नहीं पाया था। अब मैं अलग से पूरा सेट भेज रहा हू। *'फ्री प्रेस जनरल'* या अन्य किसी पत्र के लिए फिलहाल मैंने कोई लेख नही लिखा है।

तुम्हारा शुभाकाक्षी
जवाहर

श्री सुभाषचद्र बोस
काग्रेस अध्यक्ष
पोस्ट ऑफिस- झीलगुडा
जिला- मानभूम

जवाहर लाल नेहरू के लिए

झीलगुडा पोस्ट ऑफिस
जिला-मानभूमि
बिहार,
15 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय जवाहर,

मै नहीं जानता कि हमारे पत्र-व्यवहार की प्रतिया गाधीजी तक आप भिजवा रहे हो या नहीं जैसे वे अन्य लोगो को भेज रहे हैं। यदि वे आपको प्राप्त नहीं हुईं, तो मैं आपको वर्तमान स्थिति से परिचित कराना चाहूगा। उसके बाद मै आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूगा तथा आपकी सलाह भी लेना चाहूगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए।

महात्माजी लगातार समजातीय कार्यकारिणी पर जोर दे रहे हैं। मैं एक नहीं बल्कि अनेक कारणो से ऐसा नहीं कर सकता। फिर, काग्रेस ने मुझे यह अधिकार भी नहीं दिया है कि मैं अपना कार्यक्रम निर्धारित करके उसकी घोषणा करू।

मैं केवल एक खास विधि से कार्यकारिणी का गठन कर सकता हू— अर्थात पत प्रस्ताव के अनुसार कई वैकल्पिक सुझाव देने के पश्चात अतत हार मानकर मैंने यह कहा कि कार्यकारिणी के गठन की जिम्मेदारी उन्हे ही सभालनी चाहिए क्योकि मैं उनकी राय के अनुसार समजातीय कार्यकारिणी का गठन नहीं कर सकता हू। अपने अतिम दो पत्रों मे मैंने यही प्रार्थना की है कि उन्हे यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेना चाहिए।

मैं नहीं जानता कि महात्माजी स्वय कार्यकारिणी की घोषणा करेगे या नहीं। यदि वे ऐसा करेगे तो अडचन खत्म हो जाएगी। किंतु यदि उन्होने ऐसा नहीं किया, तो क्या होगा ? ऐसी स्थिति मे यह अनिर्णीत रूप मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इन परिस्थितियो मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी क्या करेगी, मैं कह नहीं सकता।

मेरा विचार था कि यदि पत्र-व्यवहार द्वारा कोई समझौता सभव नहीं हो पाता, तो हमे गाधीजी से मुलाकात करके इस ओर अतिम प्रयास कर लेना चाहिए। किंतु राजकोट को देखते हुए गाधीजी का कदम निश्चित ही नहीं है। यह भी पक्का नहीं कि कलकत्ता मे वे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी मे भी उपस्थित हो पाएगे अथवा नहीं— हालाकि उन्होने मुझे तार द्वारा सूचित किया है कि वे वहा पहुचने का भरसक प्रयास करेगे।

अब यदि गाधीजी कार्यकारिणी का गठन करने से इकार कर देते हैं, तो क्या मुझे गाधीजी से मिलने का समय निकालने की दृष्टि से अखिल भारतीय काग्रेस कमटी को स्थगित कर देना चाहिए ? क्या अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्य इस स्थगन को स्वीकृति देगे ? या फिर मुझ पर विलब का दोषारोपण करेगे ? कई लोगो का विचार है कि जब तक हम आपस में मिलकर कोई समझौता नहीं कर लेते, तब तक अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक नहीं होनी चाहिए। यह स्थगन तब आवश्यक हो जाएगा यदि महात्माजी 27 से पूर्व कलकत्ता नहीं पहुच पाएगे जहा कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। अब स्थगन के विषय मे आपकी क्या राय है ?

मैं पूरा पत्र-व्यवहार आप तक भिजवा दूगा— यदि गाधीजी ने वह आप तक अभी नहीं भेजा है।

एक और बात क्या आप कुछ घटो के लिए यहा आ सकते हैं ? तब हम बातचीत कर सकते हैं। मैं आपकी सलाह ले सकता हू कि आगे क्या किया जाना चाहिए।

यह पत्र सक्षिप्त है और जल्दी मे लिखा गया है तथा इसे मैं एक मित्र के हाथो भिजवा रहा हू। मैं नहीं जानता कि अतिम स्थिति स्पष्ट कर पाया हू या नहीं। आशा करता हू कि सफल हुआ हू।

यदि आप यहा आने का समय निकाल पाते हैं, तो समय बचाने के लिए आप तूफान एक्सप्रेस (8 डाउन) से आ सकते हैं, जो 4 बजकर 30 मिनट पर धनबाद पहुचती है। फिर आप बबई मेल से रवाना हो सकते हैं, जो धनबाद से मध्यरात्रि मे रवाना होती है। जामदोबा धनबाद से 9 मील की दूरी पर स्थित है। कार आपको स्टेशन पर मिल जाएगी।

आपका स्नेहकाक्षी,

सुभाष

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

मेरे प्रिय सुभाष

17 अप्रैल, 1939

आपका 15 अप्रैल का पत्र अभी मिला। गाधीजी और आपके मध्य पत्र-व्यवहार की प्रतिया प्यारेलाल मुझ तक भेजता रहा है। मैं यह नहीं जानता कि सभी पत्रो की प्रतिया मुझे भेजी गई या नहीं। किंतु पारंभ की कुछ मुझे अवश्य प्राप्त हुई हैं।

मैं यह स्वीकारता हू कि इस बात से मैं बहुत निराश हुआ हू— समझ नहीं पा रहा हू कि क्या किया जाना चाहिए। तुम्हारे सुझावो और गाधीजी के सुझावो मे कोई सामजस्य भी नहीं देख पा रहा हू, इसलिए कुछ भी कहने करने मे असमर्थ हू। इन परिस्थितियो मे स्वय को असहाय महसूस कर रहा हू। यह भी सत्य है कि हममे से कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और इस अवरोध को समाप्त करने से अपने को अलग नहीं कर सकता। यह व्यक्तिगत मामला नहीं है न ही यह सबद्ध व्यक्तियों के सम्मान का प्रश्न है, बल्कि इस सकट की घडी मे काग्रेस और भारत किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, यह देखने का प्रश्न है।

तुम्हारा यह सुझाव है कि मै तुमसे मिलू। यह सुझाव अचानक मिला इसलिए मै आश्चर्य-चकित हू। आगामी कुछ दिनो तक मैं कई कार्यो मे व्यस्त हू। अत यह समझ नहीं पा रहा कि उनका क्या करू। किंतु तुम्हें मना भी नहीं कर सकता— विशेष रूप से तब जबकि प्रश्न इतना गभीर हो। मैं हर सभव प्रयास करूगा कि तुमसे मिल सकू। तुम्हे सूचित करूगा कि मैं कब आ सकता हू।

तुम्हारा शुभाकाक्षी
जवाहर

श्री सुभाषचद्र बोस
काग्रेस अध्यक्ष
झीलगुडा
(बिहार)

जवाहरलाल नेहरू को

झीलगुडा पोस्ट ऑफिस
अप्रैल 20, 1939

मेरे प्रिय जवाहर,
आज मैंने महात्माजी को दो तार भेजे हैं जिनमें एक को मैंने पत्र मे पुन लिखा भी है। यहा मैं अपने पत्र और तारो की प्रतिया भिजवा रहा हू।

तार के सदर्भ मे पत्र-व्यवहार प्रकाशित न करने के लिए मैंने आपका नाम इस्तेमाल किया है। आशा है कि आप इसका प्रतिवाद नहीं करेगे।

गाधीजी के ज्वर के प्रति मैं चिंतित हू। आशा है, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगे। यदि ज्वर बना रहता है (ईश्वर न करे), तो हमे क्या करना होगा ? इस बारे मे कृपया मुझे कोई सलाह दे। मुझे चिता इसलिए है कि अब वे काफी कमजोर हो चुके हैं। इस विषय मे मुझे अवश्य लिखे। मैं कल अर्थात् 21 तारीख को कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा हू।

आपका स्नेहाकाक्षी,
सुभाष बोस

बोस-टैगोर का पत्र-व्यवहार

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

शांति निकेतन

मेरे प्रिय सुभाष
जब मुझे आपका पत्र मिला, मैं आपको निमत्रण-पत्र भेजने ही वाला था। मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। कृपया मुझे सूचित करे कि आपको यहा आने मे कब सुविधा होगी। मैं आपके स्वागत के लिए तैयार रहूगा। देशवासियों के साथ मैं भी आपको शुभकामनाए देता हू।

आपका,
रवींद्रनाथ
20 11 38

रवींद्रनाथ टैगोर को

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता
अध्यक्ष
सुभाषचंद्र बोस
कोषाध्यक्ष
जमनालाल बजाज
महासचिव
जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ता का पता
38/2 एल्गिन रोड, कलकत्ता
टेलीफोन पार्क 59
तार- सुवासबोस

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
स्वराज भवन, इलाहाबाद
टेलीफोन 341, तार कांग्रेस

वर्धा
14 12 38

माननीय महोदय
आपके कृपा-पत्र का उत्तर देने मे देरी के लिए क्षमा-प्रार्थी हू। जनवरी मध्य मे शाति-निकेतन आना चाहता हू। शीघ्र ही आपको निश्चित तिथि की सूचना दूगा और तिथि आपकी सुविधानुसार ही निश्चत करूगा।

कृपया आदर सहित प्रणाम स्वीकार करे।

आपका आज्ञाकारी,
सुभाषचद्र बोस

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

शाति निकेतन

मेरे प्रिय सुभाष,
जनवरी मध्य मे आपके आगमन की प्रतीक्षा करूगा। दिसबर मे यहां लोगों की बहुत भीड-भाड हो जाती है। सारी छुट्टिया बहुत व्यस्तता-भरी होती हैं। यह सब जनवरी के

प्रथम सप्ताह तक चलता है। यह जानकर प्रसन्नता है कि जब आप आएगे, तो यहा के शोर-शराबे से बच सकेगे।

आपका,
रवींद्रनाथ टैगोर
20 12 38

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

शाति निकेतन

मेरे प्रिय सुभाष
फरवरी के प्रारभ मे मुझे कलकत्ता आना होगा। सगीत भवन के सहायतार्थ हम लोग एक ड्रामा का प्रदर्शन करेगे। प्रारम्भिक समारोह 4 फरवरी को होगा। उस दिन मैं जनता के मध्य थियेटर मे आपका सम्मान करना चाहता हू। यदि आप कुछ समय निकाल पाएगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। कई दिन से यह आकाक्षा मेरे मन मे पनप रही थी– आशा है कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी।

आपका
रवींद्रनाथ टैगोर
14 1 39

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

श्री सुभाषचद्र बोस

उत्तरायण
शांति निकेतन

मेरे प्रिय सुभाष,
मुझसे प्रार्थना की गई है कि मैं आपके काग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आपका प्रचार जनता के बीच करू। इस सबंध मे मैं अपना निर्णय बता चुका हू। शायद आपको पता हो कि इस विषय में अपनी दिलचस्पी स्पष्ट करते हुए मैंने महात्माजी और जवाहरलाल को पत्र लिखा है। उसका क्या परिणाम होगा, उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं

है। जो लोग कांग्रेस का चलाते हैं ये किसी उद्देश्य के तहत नीतिया निर्धारित करते हैं। मैं राजनीति के मच से बहुत दूर हू। मैं नहीं जानता उसका उद्देश्य क्या है। इसलिए अपनी शुभकामनाए व्यक्त करने के अतिरिक्त मेरा अन्य अधिकार नहीं है– क्योंकि मैं इस क्षेत्र का नहीं हू।

दूसरी बात मैं आपके पास इसलिए आया था कि बगाल के भविष्य का नियत्रण आप ले– हमारी आपसी विचार-विनिमय बढ़ाने की दृष्टि से। यदि किसी को लगता है कि अध्यक्ष पद मे चुनाव के साथ यह मैत्री बढाए, तो मैं मानता हू कि इससे आपको हानि पहुचेगी। मैं बिना किसी बधन के आपसे सबध स्थापित करना चाहूगा।

आज बगाल की स्थिति दयनीय है। मे चाहता हू कि किसी योग्य व्यक्ति को बगाल प्रदेश का मार्ग-दर्शन सौंप दिया जाए जिसके इर्द-गिर्द बगाली लोग एकत्रित हो। इस एकता के बलबूते पर ही बगाल एक बार पुन अपनी योग्यता जाहिर कर पाएगा। इसी उद्देश्य से मैं थियेटर मे आपका स्वागत करना चाहता हू। इस प्रकार हम उस उपलब्धि की अपेक्षा अधिक सफल हो सकते हैं जो कांग्रेस द्वारा होती है। यह अनुभव मुझे बगाल-विभाजन के समय हुआ। जिस तरह से बगाल ने अपनी इच्छा उस समय जाहिर की वैसा आज तक इतिहास मे कभी नही हुआ। यह जागरूकता एक बार पुन पैदा करने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं आप पर निर्भर करता हू। अन्य सभी रास्तो की अपेक्षा मैं इस मार्ग पर चलना पसद करूगा। यह मेरी हार्दिक इच्छा है जो मैं आपको बताना चाहता था।

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपने यहा आने की इच्छा व्यक्ति की है।

आपका
रवींद्रनाथ टैगोर
19 1 39

बोस के लिए टैगोर का आह्वान

21 जनवरी 1939 मे शाति निकेतन मे आम्रकुज स्थल पर आयोजित एक सार्वजनिक अभिनदन समारोह में सुभाषचद्र बोस का स्वागत करते हुए रवींद्रनाथ टैगोर का भाषण

प्रिय सुभाषचद्र

जो आज हम कहने जा रहे हैं वह हमारे ऋषि-मुनि सदियो से कहते आ रहे हैं। स्वागत के जो शब्द आप सुन रहे हैं। वही शब्द उन्होंने आने वाले उन लोगो के लिए कहे थे–

जिनका विश्व इतजार करता है। वे शब्द कभी पुराने नहीं पडेगे। आपका जो जगह-जगह स्वागत हुआ है, देशवासियो ने जो आपको सम्मानजनक पद सौंपा है, उस पद का अर्थ उनके वेद-वाक्यों मे सन्निहित है। उनके सदेश ने आपको इस सम्मानजनक स्थान पर ला खडा किया है। मेरे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि इस अवसर के द्वारा आप मुझे जान पाएगे। मेरे इस वाक्य से आप हैरान हुए होगे। आप कह रहे होंगे कि मैं तो आपको जानता हू। ठीक है, किंतु वह पूर्ण सत्य नहीं है-- क्योकि मुझे जानने मे देश मे कई अडचने हैं। बगाल मुझे आधा ही जान पाया है। अभी तक मुझे अग्रेजो का नौकर ही माना जाता है। बस यही मेरा परिचय बनकर रह गया है। यह जानने मे विलब हो रहा है कि मेरे देश ने मुझे किसी और उद्देश्य से आमत्रित किया है, उसे मानने से मस्तिष्क झिझक सकता है। मैं किसी को दोष नहीं देता। हमारे कवि कालिदास ने कहा है कि शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। शब्द और अर्थ एक-दूसरे से सबधित हैं। इस प्रकार मैंने कला की देवी के चरणो मे बैठकर अर्थ खोजा है। आप एक अरसे से मुझे देख रहे हैं। आपको कुछ प्रसन्नता भी हुई होगी। समय-समय पर आपको कष्ट भी हुआ होगा। लेकिन अर्थ की खोज वह स्वय खोज नहीं है। उसे तो त्याग देना चाहिए- आपको यह जान लेना चाहिए। उस अर्थ की खोज का मैं भक्त हू, अन्यथा आप पूर्णता में मुझे समझ नहीं पाएगे।

यदि आप अभिव्यक्ति और मूल-तत्व को मिलाकर देखे, तो आप समझ पाएगे कि मेरे अदर की एकता भले के लिए है। यह मेरा सौभाग्य ही है कि कभी-कभी शब्द और अर्थ की पुकार मुझे एक साथ आदोलित करती है। युवावस्था मे मैं इस पुकार को सुन सकने के कारण ही यहा तक पहुचा हू। उसके बाद मैं साधना में उतर गया जिसका लोगो को आभास तक नहीं हुआ। किसी को उसे देखने की आवश्यकता नहीं थी अत उन्होने देखा भी नहीं। वे देखने मे असफल रहे, क्योकि उन्होने मेरे ऊपरी दर्शन किए। मैं देखने मे अस्पष्ट लगता हू। मैं मूल-तत्व का अन्वेषी हू। उस कार्य मे मेरी सफलता आप लोगों तक पहुच चुकी है- किंतु यदि आप आकर निरीक्षण करेगे, तो देखेगे कि यह कार्यक्षेत्र मेरा अपना है। आप अपनी भलमनसाहत की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे, बल्कि आपको पूरे विश्व का अनुभव है। आपने देखा है- यूरोप मे आपने देखा कि किस प्रकार खोजी लोग मूलतत्व की खोज मे साधनारत हैं। आपने देखा है कि कार्य और बलिदान के जरिये किस तरह उन्होने विकास किया है। विभिन्न दृष्टियो के जरिए उन्होने जीवन को क्या-क्या दिया है। इन सबके मध्य ही व्यक्ति की मानवता की पहचान है। वही जागरूकता यदि यहा भी पैदा हो जाए- यदि आप लोग भी बलिदान व प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर सके- तो आपको प्रसन्नता ही होगी। मैं आपको गौरव के साथ वह जागरूकता प्रदान करना चाहता हू। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हू, क्योकि यहा आप देश के नेता के रूप मे पधारे हैं और देश ने आपको स्वीकृति प्रदान की है। आपको यह जानना होगा कि देश के लिए किस प्रकार की साधना यहा हो रही है, उसे आपको पहचान देनी होगी,

स्वीकार करना होगा। यदि आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो कार्य की पूर्णता का अनुभव होगा। यहा कई कमिया भी हैं। मैने काफी-कुछ सहा है। मेरा दु ख असीम है। 40 वर्षो तक मैंने बहुत कष्ट के साथ, दु ख के साथ गरीबी म उधार मे दबकर कार्य किया है। बहुत-सी बदनामी अपशब्द व घोर निराशा सही है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने आपको अपने कार्यक्षेत्र म आमत्रित किया है। किसी और कारण से नहीं, बल्कि आपको अपने से परिचित कराने के लिए ही।

मैंने पूरे मन से आपको देश का नेता स्वीकार किया है। अपनी इसी भावना को मै जनता के सम्मुख कहना चाहता हू। आप बगाली राष्ट के नेता के रूप मे स्थापित हो चुके हैं। बाकी देश के विषय मे मै कुछ नही जानता। अपनी इच्छा मै उन पर लाद नही सकता। मै बगाली हू, बगाल को जानता हू। बगालियो की आवश्यकता अत्यधिक है। इसलिए यदि मैं इस उद्देश्य के लिए आपका आह्वान करता हू, तो आपको इसका उत्तर देना होगा। मैं आपको राष्ट्रीय-हित के लिए कलकत्ता मे 3 फरवरी को आमत्रित करता हू। यहा आप हमारे मित्र के रूप मे आए हैं। यदि हमारी परिस्थितियो को देखकर आप हमारे कष्ट दूर कर सकते है, तो कृपया कीजिए। मैं समय निकाल लूगा। आप समय-समय पर यहा आते रहे। आज मैं अतिप्रसन्न हू कि आज आपने राष्ट्रीय कर्तव्यो के बोझ से दबे होने के बावजूद हमारे साथ कुछ समय बिताना स्वीकार किया।

यहा मैंने उन लोगो का सम्मान करने की व्यवस्था की है, जिन्हे देश मे तिरस्कृत किया गया। विद्यार्थी जो बेकार शिक्षा पद्धति के शिकार बने– वे व्यक्ति जिन्हे कई प्रकार की गुलामी सहनी पडी-- उन्हे शाति उपलब्ध नहीं हुई तथा सौंदर्य व स्वतत्रता से दूर रखा गया और दिया और कुछ नहीं गया, बस केवल पाठ याद कराए जाते रहे। मैंने यथाशक्ति उन लडके-लडकियो को जेल से आजाद करने का प्रयास किया है। आप उस प्रसन्नता की प्रशसा करेगे क्योकि आप स्वय जेल मे रह कर कष्ट का अनुभव कर चुके हैं। हमारे सब बच्चे वैसी ही जेल भुगत रहे हैं। मै जानता हू कि वह कितना कष्टकारी और दुखदायक है। जिस समय बच्चो का मस्तिष्क प्रकृति से जुडा होना चाहिए, जिस समय उन्हे प्रसन्नता मे डूबे रहना चाहिए पेड-पौधों मे खेलना-कूदना चाहिए पशु-पक्षियो के साथ खेलना चाहिए उस समय उनसे चक्की चलवाई जा रही है। हमने देखा है कि उन्हे कैसी शिक्षा प्रदान की जा रही है। हम तोतो का गुट तैयार कर रहे हैं– बोलने वाले पक्षियो का। वे पक्षी पिजरे मे कैद हैं, जिन्होंने कुछ विदेशी वाक्याश याद कर लिए हैं। मैं हार गया हू। मैं जो पाना चाहता था उसमे मैं असफल हुआ या सफल- पता नहीं लेकिन मैं उन्हे प्रसन्नता और आजादी का स्वाद चखाना चाहता था। इस वातावरण मे जो प्रसन्नता लडके-लडकियो को मिल रही है, वह उनका अधिकार है। आखिर इसीलिए तो वे पैदा हुए हैं। फूल क्यों खिलते हैं ? दिन खत्म होने पर पक्षी क्यो चहचहाते हैं ? क्या उन्हे अपना खूबसूरत समय कक्षाओ मे बैठकर रेखाकित पदो को याद करने मे ही व्यर्थ

गवाना होगा ? यदि व्यक्ति को सौंदर्य के आनद से वचित रखा जाए, तो यह उसका कितना बडा दुर्भाग्य है ! इसीलिए मैंने यह सब शुरू किया। मैं हार गया, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कब तक बोझ उठा सकता है ? मैंने हर प्रकार का कष्ट उठाया है। मैं यह नहीं कह सकता कि कोई उपलब्धि नहीं है, किंतु मेरी सतुष्टि के लायक नहीं।

दूसरे स्थानो व देशो के लोगो ने इसकी प्रशसा की है। वे केवल प्रशसा करके ही नहीं रह गए, बल्कि उन्होने इसकी नकल भी की है। आपने यह देखा होगा। उन्होने यह समझ लिया है कि शिक्षा और जीवन का आपस मे घनिष्ट सबध है। जो शिक्षा को जीवन से अलग कर देते हैं वे इसका दम घोट देते हैं। वे मानव-मस्तिष्क को टुकडे-टुकडे करके बचाने का प्रयत्न करते है। यहा मैंने शिक्षा को जीवन से जोडा है– प्रसन्नता, आह्लाद, कला और हर चीज से जोडा है। मैंने स्वतत्रता और प्रसन्नता का स्वाद चखाने का प्रयत्न किया है। इसमे नवीनता है। देशवासी मुझसे पूछते है कि मेरा पाठ्यक्रम क्या है ? कौन-कौन सी पुस्तके आप पढते-पढाते हैं ? व्याकरण कितना सिखाते हैं ? क्या आप इन्हे सब कुछ याद कराने मे सफल हुए हैं ? आपके पास भवन कितने हैं ? लोग सरस्वती को खींच-खींच कर कारागार मे डालना चाहते हैं। वह सब यहा देखने को नहीं मिलता, तो वे दु खी होते हैं। मै कहता हू कि हमारे राष्ट्र के पास जो खजाना और साधना है, उसे उन्होने पूरी तरह रिक्त कर दिया है। जो कार्य मैंने शुरू किया, वह पूर्ण नहीं हो पाया है। यह किसी आयोग का ऐच्छिक कार्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से जुडने मे मैं असफल रहा हू। वह मेरी शक्ति से बाहर की चीज है। यदि आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मेरे कार्य को स्वीकृति देगे और अपनाएगे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

टैगोर के आह्वान पर बोस की प्रतिक्रिया

21 जनवरी, 1939 को शाति निकेतन मे रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा सम्मान किए जाने पर सुभाषचद्र बोस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्ति की

गुरुदेव,

इस बार मेरे यहा आने को एक नया अर्थ मिला है। पिछले कई वर्षो से शायद दो बार— मैं यहा आ चुका हूं। किंतु मेरे आज के आगमन का नया महत्व है। सिद्धाततः मेरे यहा आने के दो कारण हैं। पहला, आपने मुझे आमत्रित किया है– और दूसरा कारण यह है कि मुझे अपने अदर से यहा आने की प्रेरणा मिली।

यह आशा करना अनुचित है कि साधारण भारतीय आसानी से यह समझ पाएगे कि आपकी समेकित साधना क्या है। उन साधारण लोगो मे से एक मैं भी हू। इसलिए

मैं आपकी साधना की महानता और उत्कृष्टता को एक हठयोगी उत्साह के रूप मे ग्रहण कर पाऊगा, क्योकि इस ठीक से समझने की समझ एक दिन मे पैदा नहीं होती। समझ धीरे-धीरे आती है और पूरा जीवन लग जाता है। फिर भी मुझे विश्वास है कि यदि हम इसी राह पर चलते रहे तो यह विस्तृत आकार अवश्य लेगी।

आपके हृदय मे दुख और अवसाद हैं। शायद इसलिए कि आपके देशवासी आपको समझ नहीं पाए हैं। वे आपकी साधना को जान नहीं पाए हैं। किंतु क्या इस कारण आपको अपने देशवासियो को दोष देना चाहिए ? यदि वे आपको इतनी आसानी से समझ पाते, तो आपके बराबर होते । जिस सत्य को रचनाकार जानता है उसे समझने मे साधारण व्यक्ति को काफी समय लगता है। हम केवल यह दावा कर सकते हैं कि हम अपने मार्ग पर आगे बढने का प्रयास कर रहे है। हम पूरे मन से रचनाकार के सत्य को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अपनी योग्यता के अनुसार आपकी साधना को समझने का प्रयास कर रहे है। इस विषय मे आप देशवासियो को दोष नहीं दे सकते। यह प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति मे देखा गया है कि साधारण लोग कभी भी उस व्यक्ति की सराहना नहीं करते जो नया मार्ग अपनाता है और जो व्यक्तियो का सामना सच्चाई से करवाता है– उल्टे वे साधना के मार्गो और सत्य के खोजो का ही परेशान करते हैं। इसलिए हमारे देशवासियो के चरित्र मे जिन गुणो की खोज आपने की, वे केवल हमारे देशवासियो मे ही नहीं, बल्कि मानव-मात्र मे पाए जाने वाले गुण हैं। मानव मस्तिष्क कितना भी बेचारा क्यो न हो– इनमे से जो आशावादी है वे महसूस करते हैं कि पूरी गरीबी चालाकी और गंदगी के पीछे दिव्यता छिपी है और जिस वास्तविक साधना को आज हमारे देशवासी समझ नहीं पा रहे उसे एक दिन अवश्य समझेगे और उसे अपनाएगे।

समय-समय पर प्रश्न उठाया जाता है— हम लोगो मे चर्चा भी चलती है– शायद यह आपके साथ भी हुआ हो कि आपके बाद आपकी साधना का क्या होगा ? उस दिन कलकत्ता मे मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया था। मैं यह कहना चाहूगा कि सत्य पर आधारित कोई भी साधना कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब तक आपके देशवासी समझ नहीं पाएगे कि आप उन्हे क्या सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हे समझाने मे सफल नहीं हो पाएगे और तब तक आपकी दिखाई पडने वाली व्यावहारिक साधना समाप्त नहीं होगी। एक दिन जब आपके जीवन मे परिलक्षित सच्चाई और साधना भारतीय लोगो के हृदय मे स्थान बना लेगी– तो शांति निकेतन रहे न रहे, कोई फर्क नहीं पडेगा। जब तक राष्ट्र के हृदय मे सच्चाई और साधना की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक आपके शांति-निकेतन की आवश्यकता और उपयोगिता बनी रहेगी। तब तक हर हालत मे शांति-निकेतन बना रहेगा। केवल यही नहीं बल्कि यह साधना भारत के कोने-कोने मे स्वीकारी भी जाएगी।

हममे से वे लोग, जो अपना अधिकाश समय देश के राजनीतिक जीवन मे लगाते हैं, अतत जीवन की रिक्तता के विषय में बहुत गहराई से विचार करते हैं। हमें उस खजाने की प्रेरणा की आवश्यकता है, जो मस्तिष्क को पुष्ट करता है और जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र ऊचाइयो पर नहीं पहुच सकता। क्योकि हम जानते हैं कि यदि हम साधना वाली सच्चाई और प्रेरणा पा लेग, तो अपने कार्य-जीवन मे पूर्णता और सफलता पा सकेगे और बाह्य जीवन मे सफल हो जाएगे।

इसमे कोई शक नहीं कि आज हम राष्ट्रीय स्वतत्रता पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमारा लक्ष्य इससे भी महान है। हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन मे पूर्णता पाना चाहते हैं। हमारी इच्छा ह कि देश का प्रत्येक स्त्री-पुरुष तथा पूरा राष्ट्र हर दृष्टि से सच्चाई को पहचान सके। राजनीतिक स्वतत्रता इस खोज में केवल एक माध्यम है। जो आदर्श आज हमारे सामने है, जिस स्वप्न ने आज हमे घेर रखा है– वह बहुत महान है। *मैं नहीं जानता कि हम लोग उस स्वप्न और आदर्श को वास्तव मे कितना पा सकेगे।* हमे नहीं मालूम कि इस उद्देश्य के लिए हम लोगो मे कितनी शक्ति है। जितनी भी शक्ति और क्षमता हमलोगा के पास है, उसी से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। इसके साथ ही, जितनी शक्ति और क्षमता व्यक्तिगत रूप से हमारे पास है, उसको देखते हुए हमने जो मार्ग चुना है– वह सच्चाई का मार्ग है। जो लोग हमारा अनुगमन करेगे, वे निश्चित ही इमसे अधिक ताकतवर शक्तिशाली और सक्षम होगे। हम इस आशा के साथ कार्य करे रहे हैं कि वे हमारी गलतियो और भूलो को सुधारने के योग्य बनेगे। आपने राष्ट्र, केवल राष्ट्र ही क्यो, पूरी मानवता को आदर्श मार्ग दिखाया है। आपने केवल पथ ही नहीं दिखाया, बल्कि उस पर चलने का निर्देश भी दिया है। अत आपके प्रयास केवल पत्र और साहित्य तक ही सीमित नही रहे आपकी साधना अनत की आराधना ही नहीं रही, बल्कि आपने बाह्य सच्चाई के लिए अतरात्मा को भी लगा दिया है। हम आपके समक्ष स्वय को विनयपूर्वक सौंपना चाहते हैं क्योकि हमारे जीवन का और हमारे राष्ट्र का भी उद्देश्य यही है। अपने जीवन काल मे हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगे अथवा नहीं, लेकिन अतर्मन से तो हमने इसे स्वीकार कर ही लिया है। हम इसका अनुपालन करने का प्रयास करेगे और भविष्य मे भी करते रहेगे। हममे से कुछ लोग, जो थोडा-बहुत कार्य कर रहे हैं, आपसे असीम प्यार, उत्साह और प्रेरणा पाकर धन्य हैं। इसके अतिरिक्त, तब हमें हर प्रकार की कठिनाई और खतरे का सामना करना पडता है, जब हम कारागार का कष्ट झेलते हैं। जब हम कुठित होते हैं और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तब हम उस अनत स्नेह और प्रेरणा को याद करते हैं, जो हमे हमारे देशवासियो, देश के नेताओ तथा स्वाधीनता सग्रामियो से मिली है। तब हमे महसूस होता है कि हमें तिगुना आशीर्वाद प्राप्त है-- लिहाजा, अस्थाई खतरो व कठिनाइयो की कोई परवाह नहीं।

हम लोग बलिदान का अर्थ गलत रूप मे ग्रहण करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें बहुत दु ख और कष्ट है-- जबकि वास्तविक बलिदान मे कोई कष्ट नहीं है।

कोई भी व्यक्ति दु ख के आभास के साथ बलिदान नहीं कर सकता। बलिदान मे अनत सुख की अनुभूति ने आपके जीवन को बहुत परिवर्तित किया है, वही प्रसन्नता और उत्साह हमे भी प्रेरणा दे। जीवन के हर क्षण मे हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं– क्याकि हमे मालूम है कि जब तक हमे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, हमे यह आभास रहेगा कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। हम सभी को यह महसूस होता है कि हमारी यात्रा मे आपके आशीर्वाद का महत्वपूर्ण स्थान है।

रवींदनाथ टैगोर की ओर से

श्री सुभाषचद्र बोस

उत्तरायण

मेरे प्रिय सुभाष

अपरिहार्य कारणो से तथा शारीरिक कमजोरी के लगातार बढने से मै फिलहाल स्वागत-समारोह को स्थगित करने के लिए बाध्य हू। पूरी रिपोर्ट आपको सुरेन तथा सुधाकात से मिल जाएगी।

कृपया दिमाग मे हल्की-सी भी यह शका पैदा न होने दे कि आपके प्रति मेरी श्रद्धा और प्रेम मे कोई कमी आई है। यहीं समाप्त करता हू। 27 1 39

आपका
रवींद्रनाथ टैगोर

देशनायक
रवींदनाथ टैगोर

सुभाषचद्र

बगाल के कवि के रूप मैं *'लोगो का नेता'* होने का सम्मान आपको प्रदान करता हू। गीता से हमे यह भरोसा मिला है कि समय-समय पर बुराई का नाश करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। जब देश की आत्मा पर हर दिशा से बदकिस्मती का आक्रमण हो रहा हो, उसका रुदन सामने आ रहा हो तो उसे बचाने वाले आगे आते हैं।

पापी ताकतो के आतरिक व बाह्य षड्यत्र के कारण, हम लोग उन शक्तियो का मुकाबला करने मे और उनके आक्रमण से स्वय को बचाने मे असमर्थ हैं।

राष्ट्रव्यापी सकट की घडी मे हमे शक्तिशाली व्यक्तित्व की सेवाओ की आवश्यकता है। निडर आत्मविश्वास स पूर्ण एक ऐसे जन्मजात नेता की आवश्यकता है, जो हमारी प्रगति को खतरा पैदा करने वाले दुर्भाग्य का सामना कर सके।

सुभाषचद्र ! मैंने वह भोर देखी है जो आपकी राजनीतिक साधना की शुरुआत की साक्षी है। अनिश्चय के उस धुधले प्रकाश मे मेरे हृदय मे दुविधा थी और मैं आपको इस रूप म जिस रूप मे आप आज हैं, स्वीकार करने मे झिझक रहा था। आज आप दोपहरी का सूर्य बन चुके हैं, इसमे शक-सुबहा की कोई गुजाइश नहीं। इन वर्षो मे आपको बहुत से अनुभव भी हुए होगे। आज आपमे परिपक्व मस्तिष्क और अबाध क्षमता है कि जो कार्य आपने शुरू किया है उसे पूरा भी कर सकते है। आपकी शक्ति मे जेल-यात्रा, बीमारी सजा आदि के कारण इजाफा हुआ होगा। इन्होने आपकी सहानुभूति का दायरा बढाने मे सहायता की होगी आपकी दृष्टि को विस्तार प्रदान किया होगा, ताकि क्षेत्रो की सीमाओ से हटकर आप इतिहास के परिदृश्य पर गहन दृष्टि डाल सके।

बगाली मस्तिष्क यदि तार्किक नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अपने मानसिक सुख के लिए वह तर्क-वितर्क करने मे सुख की अनुभूति करता है और अपनी बुद्धि की स्वतत्रता पर गर्व करता है-- साथ ही शक की हर योजना का स्वय ही विरोध करता है। कोई भी व्यावहारिक प्रस्ताव कोई सगठन अपने विध्वसकारी धर्मसकट मे सुरक्षित नहीं है, किंतु यह समय व्यर्थ के दिमागी खेल मे व्यस्त होन का और चीजो को विध्वस की ओर ले जाने का नहीं है। यही इच्छा, जो बगाल की है, उसके तहत हम लोग आपसे कहते हैं कि आप हमारे मार्गदर्शक बनें और चाहते हैं कि शक्ति से आप अपना स्थान बनाए। उस रचना से लोगो की आत्मा आपके व्यक्तित्व मे अपनी झलक देखेगी। इस इच्छा-शक्ति का आभास मुझे बगाल-विभाजन आदोलन के समय हुआ। जो तलवार इसके जीवित शरीर को दो हिस्सो मे काटने को उठी, उसे इसके प्रतिरोध ने रोक दिया। उस दिन बगालियो ने केवल बैठकर तर्क-वितर्क ही नहीं किया, बल्कि शक्तिशाली औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ हानि-लाभ पर विचार किया। उसने दृढ निश्चय किया और बाधा हट गई।

बाद की पीढी में हमने इस इच्छा शक्ति का दर्शन बगाल के युवाओ के हृदय मे किया है। वे उस अग्नि को लेकर पैदा हुए हैं जो स्वतत्रता की मशाल जला सकती है। किंतु उन्होने स्वय को जला लिया और मार्ग से भटक गए। दुर्भाग्यपूर्ण गलती के निष्फल होने से उन्होंने शहीदी मे अपनी उदारता का परिचय दिया-- ऐसी उदारता, जो भारत के किसी अन्य प्रात मे देखने को नहीं मिली। यह तथ्य हमारे इतिहास मे सदा जगमगाता रहेगा कि इन नौजवानों ने अपने देश की एकता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। वे देश को अविभाज्य देखना चाहते थे।

कमजोरी के निषेधात्मक प्रमाण-पत्र द्वारा हमारे युवावर्ग के मस्तिष्क मे निराशावाद को पनपने नहीं देना चाहिए। जहां भी शक्ति ने अपनी छाप छोडी है, हमे समझ लेना

चाहिए कि वहीं सच्चाई भी रही होगी। यह वर्ग उन जीवित बीजो की भांति है जो भविष्य की आशा अपने गर्भ मे छिपाए हुए है। आपके जीवन का कार्य यही होगा कि बगाल की धरती की वे सभी नवजात आशाए आपके प्रयासो से फल-फूले, जो फिलहाल अस्पष्टता पर गर्व करता है– साथ ही, शक की हर योजना का स्वय ही विरोध करता है। कोई भी व्यावहारिक प्रस्ताव कोई सगठन अपने विध्वसकारी धर्मसकट मे सुरक्षित नहीं है, किंतु यह समय व्यर्थ के दिमागी खेल मे व्यस्त होने का और चीजों को विध्वस की ओर ले जाने का नहीं है। यही इच्छा, जो बगाल की है उसके तहत हम लोग आपसे कहते है कि आप हमारे मार्गदर्शक बने और चाहते हैं कि शक्ति से आप अपना स्थान बनाए। उस रचना से लोगो की आत्मा आपके व्यक्तित्व मे अपनी झलक देखेगी। इस इच्छा-शक्ति का आभास मुझे बगाल-विभाजन-आदोलन के समय हुआ। जो तलवार इसके जीवित शरीर को दो हिस्सो मे काटने को उठी, उसे इसके प्रतिरोध ने रोक दिया। उस दिन बगालियो ने केवल बैठकर तर्क-वितर्क ही नहीं किया बल्कि शक्तिशाली औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ हानि-लाभ पर विचार किया। उसने दृढ निश्चय किया और बाधा हट गई।

बाद की पीढी मे हमने इस इच्छा शक्ति का दर्शन बगाल के युवाओं के हृदय मे किया है। वे उस अग्नि को लेकर पैदा हुए हैं जो स्वतत्रता की मशाल जला सकती है। किंतु उन्होंने स्वय को जला लिया और मार्ग से भटक गए। दुर्भाग्यपूर्ण गलती के निष्फल होने से उन्होंने शहीदी मे अपनी उदारता का परिचय दिया– ऐसी उदारता, जो भारत के किसी अन्य प्रात मे देखने को नहीं मिली। यह तथ्य हमारे इतिहास मे सदा जगमगाता रहेगा कि इन नोजवानो ने अपने देश की एकता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। वे देश को अविभाज्य देखना चाहते थे।

कमजोरी के निषेधात्मक प्रमाण-पत्र द्वारा हमारे युवावर्ग के मस्तिष्क मे निराशावाद को पनपने नही देना चाहिए। जहा भी शक्ति ने अपनी छाप छोडी है हमे समझ लेना चाहिए कि वहीं सच्चाई भी रही होगी। यह वर्ग उन जीवित बीजो की भांति है, जो भविष्य की आशा अपने गर्भ मे छिपाए हुए है। आपके जीवन का कार्य यही होगा कि बगाल की धरती की वे सभी नवजात आशाए आपके प्रयासो से फल-फूले जो फिलहाल अस्पष्टता के धुधलके मे है। *साथ ही, आपका कार्य यह भी होना चाहिए कि आप बगाली* विशिष्टताओ को पहचानकर उन्हे स्थाई मूल्य दिलाए उनकी योग्यता कल्पना, समझ तथा ग्राह्यता को सही दिशा दे– ताकि वे राष्ट्र-निर्माण मे रचनात्मक कार्य कर सके।

जन्मजात नेता कभी भी अकेले नहीं पडते। वे कभी भी पलायनवाद म विश्वास नहीं रखते। भविष्य के सूर्योदय का सतत सदेश उनके जीवन से अभिप्रेत होता रहता है ।

मुझे आशा है कि आप हमारी मातृभूमि के लिए आशा की नई किरण लेकर आए हैं। मै आपसे अनुरोध करता हू कि आप बगाल के नतृत्व का कार्य-भार सभाले और देशवासियो को सही दिशा मे ले जाए ।

किसी भी व्यक्ति को यह दुखद भूल न करने दें कि वह प्रांतीयतावाद में ही अटक कर रह जाए। बंगाल को भारत से अलग-थलग न समझें। यह न सोचने लगें कि मैं अपने प्रांत को, एक राज्य की गद्दी बना लूं– जिस पर एक शानदार व्यक्ति बैठ जाए, जो स्वयं को नए युग के राजनीतिक इतिहास का प्रतिनिधि मान ले ।

आपका अथक प्रयास यही होना चाहिए कि आप अपने देशवासियों को दृढ़प्रतिज्ञ बनाएं– उनमें जीवित रहने और संघर्ष करने की इच्छाशक्ति जगाएं– वे आपके जीवन से उदाहरण लेकर प्रेरणा प्राप्त करें व शक्तिशाली बनें। बंगाल को एक स्वर में स्वीकार करने दें कि यह पद आपका है। विजय द्वारा आत्मसम्मान अर्जित करके वे आपको एक योग्य नेता के रूप में सम्मानित करें।

बहुत पहले एक बैठक में मैंने अपने नेता को, बंगाल जिसकी खोज में था, संदेश दिया था। कई वर्षों के अंतराल के बाद, इस बैठक में मैं उसे अपनी बात कह रहा हूं, जो अब पूर्ण प्रकाश में आया है। शायद मैं आने वाले संघर्ष में उनके साथ न रह पाऊं। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं और यह जानते हुए विदा लेता हूं कि उन्होंने देश के कष्ट को अपना बनाया है। उसका फल उन्हें देश की स्वतंत्रता के रूप में मिलेगा।

(यह संभाषण रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा जनवरी 1939 में लिखा गया था और प्रकाशित भी हुआ था। न जाने किन कारणों से यह प्रसारित नहीं हो पाया और टैगोर ने बोस के स्वागत के लिए जो योजना बनाई थी, स्थगित कर दी गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ। टैगोर 1941 में दिवंगत हुए और बोस ने यह अभिभाषण नहीं देखा। शांति निकेतन में बोस का स्वागत करते समय टैगोर ने आशु-भाषण दिया था। बोस ने उसका उत्तर भी दिया, जो बाद में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ। वे भाषण इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 95 पर प्रकाशित किए गए हैं। –संपादक)

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

सुभाषचंद्र बोस

कलकत्ता

मेरे प्रिय सुभाष,

कुछ दिन पहले कलकत्ता आने के बाद मुझे अपने देशवासियों की मानसिकता को देखने का मौका मिला है। पूरा देश आपके इंतजार में है। यदि झिझक के कारण आप इस मौके

को चूक जाते है तो यह मौका आपको दुबारा नहीं मिलेगा। बगाल से प्राप्त होने वाली शक्ति से आप वचित रह जाएगे। दूसरी ओर, दूसरा पक्ष आपकी शक्ति को खत्म करने का प्रयास करता रहेगा। किसी भी कारणवश यह भूल मत कर बैठे। यह मैं आपके लिए नहीं कह रहा, बल्कि देश के लिए कह रहा हू। कृपया दृढतापूर्वक महात्माजी से जल्दी से जल्दी उनका उत्तर पाने का प्रयत्न करे। यदि वे विलब करते है तो आप इस आधार पर अपना पद त्याग सकते है। उन्हे बताए कि आप भविष्य के कार्यक्रम का जल्दी ही निर्णय लेना चाहते हैं इसलिए इस विषय मे देरी ठीक नहीं। आशा है आपका स्वास्थ्य प्रगति कर रहा होगा। आज ही शाति निकेतन लौट रहा हू। यही समाप्त करता हू।

आपका,
रवींद्रनाथ टैगोर

2 4 39

(टैगोर ने गलती से पत्र मे 3 4 1939 की जगह 2 4 1939 तारीख डाल दी। बोस के त्यागपत्र पर टैगोर ने उन्हे बधाई सदेश भेजा वह इस पुस्तक के पृष्ठ पर छापा गया है। —सपादक)

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

उत्तरायण
शाति निकेतन बगाल

मेरे प्रिय सुभाष,
आपकी बीमारी की जानकारी से चिंतित हू। बार-बार आपका बीमार पडना देश के लिए चिंता का विषय है।

मेरे विचार से योजनाबद्ध काग्रेस हाउस का आपका विचार सही है। ऐसे हाउस की अति आवश्यकता है। मुझे आशा है कि लोगो के सहयोग द्वारा इसकी नींव सही ढग से रखी जाएगी। इस हाउस के पूरा होने पर हम अपने भाग्य और प्रतिष्ठा को बढता देख पाएगे। यहीं समाप्त करता हू। 27 5 39

आपका
रवींद्रनाथ टैगोर

अन्य पत्र

ई. वुड्स के लिए

आर्टिलरी मैनसन
विक्टोरिया स्ट्रीट
लदन, एस डब्ल्यू-1
रविवार
16 1 38

प्रिय श्रीमती वुड्स,
सार्जेंट बजाज के पते पर पत्र और तार मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद। जब से यहां पहुंचा हू, सुबह से मध्य रात्रि तक अत्यधिक व्यस्त रहता हू। इसी कारण आपको पत्र लिखने मे विलब हुआ।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कल रात मेरी प्रेजीडेंट डी वेलेरा से मुलाक़ात हुई। हमने लबी बातचीत की।

19 तारीख को मै स्वदेश लौट जाऊगा। चार दिन मे भारत पहुच जाऊगा।

आज मैं कैम्ब्रिज और कल ऑक्सफोर्ड जा रहा हू।

जो कष्ट आपने उठाया, उसके लिए सादर प्रणाम तथा धन्यवाद।

आपका शुभचिंतक,
सुभाषचद्र बोस

श्रीमती वैटर को

होटल ग्राड ब्रैटग्ने
'ली पेटिट पैलेस एथेंस
21 1 38 रात्रि

प्रिय श्रीमती वैटर,
क्षमा चाहता हू कि लदन जाते समय म्यूनचेन से निकलते हुए मै आपको पत्र नहीं लिख पाया। ज्यादा दुख इस बात का है कि चाहते हुए भी वियना नहीं आ सका। इग्लैंड मे अतिम क्षण तक मेरा पूरा समय लग गया। यात्रा हर दृष्टि से सफल यात्रा थी। वे मेरा

अधिक समय लेना चाहते थे– किंतु मैं दे नहीं पाया, क्योंकि दूसरी ओर महात्मा गांधी तत्काल मेरा स्वदेश लौटना चाहते थे। इस कारण वियना का विचार छोड़ना पड़ा। क्षमा चाहता हूं। भारत में कठिन समय और कठोर परिश्रम मेरा इंतजार कर रहा है।

नेपल्स में और यहां मौसम खराब था। इसलिए देरी से यहां पहुंचा। आज की रात हम यहां (एथेंस में) रहेंगे। कल रात बसरा (ईराक) में रहेंगे और अगली रात जोधपुर (भारत) में होंगे। 24 तारीख को दोपहर तक मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा।

सभी मित्रों को मेरा नमस्ते कहें और मेरी शुभकामनाएं दें। आपका स्वास्थ्य कैसा है? डॉ. वैटर कैसे हैं? दोनों को सादर प्रणाम।

सदैव आपका शुभेच्छु
सुभाषचंद्र बोस

रास बिहारी बोस की ओर से ★

25.1.38
टोकियो

मेरे प्रिय सुभाष बाबू,

भारत से समाचारपत्र पाकर मुझे यह सुखद समाचार मिला कि आगामी कांग्रेस सत्र के लिए आप अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। एक बंगाली होने के नाते मुझे आप पर गर्व है। अंग्रेजों के भारत पर कब्जा करने में कुछ हद तक बंगाली भी जिम्मेदार थे। अतः मेरे विचार से बंगालियों का यह मूल कर्तव्य बनता है कि वे भारत को आजादी दिलाने में अधिक-से-अधिक बलिदान करें। भारत के स्वाधीनता संग्राम में बंगाली अपने बलिदान और कठिनाइयों द्वारा नेतृत्व प्रदान करेंगे– यह मेरा दृढ़ मत है। अतः मैं आशा करता हूं कि आप उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस को उचित नेतृत्व प्रदान करेंगे।

वर्तमान समय में कांग्रेस संकट की घड़ी से गुजर रही है। यह एक संवैधानिक संगठन है और सरकार को सहयोग दे रही है। अपने देश में कोई भी संवैधानिक और वैधानिक संस्था ऐसी नहीं है, जो स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके, क्योंकि संविधान और नियमों का निर्माण शासक वर्ग अपने लाभ और हित के लिए करता है। ब्रिटिश दृष्टिकोण में असंवैधानिक और अवैधानिक संस्था ही देश को आजादी के संघर्ष में नेतृत्व प्रदान कर सकती है।

★यह पत्र ब्रिटिश खुफिया एजेंसी द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण नेताजी तक पहुंच नहीं पाया।–संपादक

अवज्ञा आदोलन के दौरान काग्रेस असवैधानिक सस्था बन गई थी। अत वह अनत कार्य कर सकती थी किंतु अब वह पुन हानि-रहित सस्था बनकर रह गई है। सत्य कहें, तो काग्रेस और अन्य उदारवादी गुटो मे कोई अतर नहीं है। यह बात मेरी समझ म नहीं आ रही कि आज तक काग्रेसी सर सुरेद्रनाथ बनर्जी के तब के उस कृत्य की आलोचना क्यों करते रहे हैं, जब उन्होने पद स्वीकार किया था। आज काग्रेसी स्वय वही कार्य कर रहे हैं, जो सर सुरेद्रनाथ तथा अन्य उदारवादियो ने तथाकथित सुधारो के नाम पर किया था, बल्कि इसका श्रेय तो उस समय के उदारवादियो को ही है, क्योकि उन्होने ही सभी राजनीतिक बदियो के लिए सामान्य क्षमा-दान की माग उठाई थी। अभी तो केवल गिने-चुने राजनीतिक बदियो को ही रिहा किया गया है, जबकि उस समय सभी राजनीतिज्ञ बदियो को तत्काल क्षमा कर दिया गया था। देश को सही दिशा मे ले जाने के लिए आज काग्रेस को क्रातिकारी मानसिकता से काम लेना होगा। इस समय यह एक विकासशील सस्था है— इसे विशुद्ध क्रातिकारी सस्था बनाना होगा। जब पूरा शरीर दूषित हो तो अगो पर दवाई लगाने से कोई लाभ नहीं होता।

अहिंसा की अधी वदना का विरोध होना चाहिए और मत परिवर्तित होनी चाहिए। हमे हिंसा अथवा अहिंसा— हर सभव तरीके से अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। अहिंसक वातावरण भारतीय पुरुषो को स्त्रियोचित बना रहा है। वर्तमान विश्व मे कोई भी राष्ट्र यदि विश्व मे आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है, तो उसे अहिंसावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। हमारी कठिनाई यह है कि हमारे कानो मे बहुत लबे समय से अन्य बाते भर दी गई हैं। वह विचार पूरी तरह निकाल दिया जाना चाहिए। परलोक की अपेक्षा हमें इहलोक के बारे मे पहले सोचना चाहिए– जैसा कि स्वामी विवेकानद ने शिक्षा भी दी है। दरिद्रनारायण को पहले भोजन, कपडा और मकान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पहले वे इस दुनिया की खुशिया ले सकें तभी हम परलोक की बात कर सकेगे। मुसलमान कहते हैं पीर, अमीर तथा फकीर— ताकि व्यक्ति दुनिया का सामना कर सके। यदि आप फकीर नहीं बन सकते, तो अमीर बन जाएं और जीवन को जिए। यदि आप अमीर नहीं बन सकते, तो पीर बन जाइए। इसका अर्थ है काफिर को मार डालो और विश्व के लोग तुम्हें या तुम्हारी कब्र को ईश्वर की भाति पूजेंगे। गीता भी यही बताती है। अत हमे अपना बलिदान देना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी आनदमय जीवन जी सके।

काग्रेस को सिर्फ एक बात पर ध्यान देना चाहिए, वह है सैन्य-तैयारी। आज भी ताकतवर ही सही है— इसे हमे याद रखना चाहिए। आध्यात्मिक वाक्यो से स्वयं को धोखा देते रहना उचित नहीं है। काग्रेस को सबसे पहले सैन्य-नियत्रण के लिए आंदोलन करना चाहिए— सेना के प्रत्येक अग के नियत्रण के लिए। शिक्षा, सफाई आदि से ही कभी स्वतत्रता मिलने वाली नहीं है। शक्ति आज की वास्तविक आवश्यकता है। इस

विषय पर आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। डॉ मुजे ने अपना मिलेन्टरी स्कूल स्थापित करके काग्रेस की अपेक्षा अधिक कार्य किया है। भारतीयो को पहले सैनिक बनाया जाना चाहिए। उन्हे अधिकार हो कि वे शस्त्र लेकर चल सके।

अगला महत्वपूर्ण कार्य हिंदू-भाईचारा है। भारत मे पैदा हुए मुस्लिम भी हिदू हैं, तुर्की, पर्शिया, अफगानिस्तान आदि के मुसलमानो से उनकी इबादत-पद्धति भिन्न है। हिंदुत्व इतना कैथोलिक तो है कि इस्लाम को हिंदुत्व मे समाहित कर ले– जैसा कि पहले भी हो चुका है। सभी भारतीय हिदू हैं– हालाकि वे विभिन्न धर्मो म विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि जापान के सभी लोग जापानी है चाहे वे बौद्ध हो या ईसाई।

काग्रेस को चाहिए कि वह पैन-एशिया आदोलन को अपना समर्थन दे। भारत को चीन-जापान विवाद मे जापान का उद्देश्य समझ बिना उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जापान भारत का तथा अन्य एशियाई देशो का मित्र है। उसका मुख्य लक्ष्य एशिया से ब्रिटेन के प्रभाव को समाप्त करना है। इसकी शुरुआत उसने चीन से की है।

काग्रेस का दृष्टिकोण विश्वव्यापी होना चाहिए। अतर्राष्ट्रीय स्थिति का अध्ययन करके उसे भारत के लाभ व हित मे प्रयोग करना चाहिए। हमे ब्रिटेन के शत्रुओ से मैत्री करनी चाहिए। यह हमारी विदेश नीति होनी चाहिए। वास्तविक राजनीति मे सवेदनाओ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लाभ ही मूल धारणा या आधार होना चाहिए। कई कारणो से जापान आजकल इग्लैंड रूस और अमरीका की आखो की किरकिरी बना हुआ है। वे किसी-न-किसी प्रकार जापान को नीचा दिखाना चाहते हैं। जापान की अवनति से एशिया के एकजुट होने और स्वतत्र होने की आशा मिट जाएगी। काग्रेस ने जापान-विरोधी आदोलन शुरु करके बहुत भारी गलती की है। हमे याद रखना चाहिए कि एक समय ऐसा भी आ सकता है, जब इग्लैंड जापान से मैत्री कर लेगा और भारतीयो द्वारा जापान के दुर्दिन मे चलाए गए जापान-विरोधी आदोलन का फायदा उठाकर भारत पर नियत्रण पा लेगा। इसलिए भारतीयो के लिए यही नीति उचित है कि व जापान का समर्थन कर इन मौको का फायदा उठाए और विश्व-राजनीति में अपना प्रभुत्व बढ़ाए तथा ब्रिटेन मे जितना फायदा सभव हो, ले।

किसी गुलाम देश के स्वतन्त्रता-आदोलन मे डिक्टेटरशिप अत्यधिक जरूरी है– जैसे युद्ध के समय डिक्टेटरशिप आवश्यक है उसी प्रकार आजकल भारतीय स्वतत्रता-सग्राम मे भी डिक्टेटरशिप आवश्यक है। अवज्ञा आदोलन के समय डिक्टेटरशिप काफी बढ़ी थी, इसीलिए आदोलन ने काफी सफलता भी पायी। शाति-काल म प्रजातत्र ठीक है किंतु यदि युद्ध-काल मे भी यह बना रहे, तो देश अवश्य ही सकट मे पड सकता है।

हमे यह मालूम नहीं कि जीवन कैसे जीया जाए और जीवन का बलिदान कैसे किया जाए। यही मुख्य कठिनाई है। इस सदर्भ मे हमे जापानियो का अनुसरण करना चाहिए। वे अपने देश के लिए हजारों की सख्या मे मरने को तैयार हैं। यही जागृति हममे

भी आनी चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु को कैसे गले लगाया जा सकता है। भारत की स्वतन्त्रता की समस्या तो स्वत हल हो जाएगी।

मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आलोचना, रुकावटो व कठिनाइयों के बावजूद आप आगे बढते जाइए, राष्ट्र को सही मार्ग दिखाइए। आपको व भारत को सफलता अवश्य मिलेगी।

शुभकामनाओं सहित,

आपका शुभाकांक्षी
रासबिहारी बोस

पुनश्च आपकी पुस्तक का जापानी भाषा मे अनुवाद करके एक पत्रिका में शृंखलाबद्ध छापा जा रहा है। मैं पुन जोर देकर कहता हू कि हमे थल, जल और वायु सेना पर अपना नियन्त्रण करना चाहिए। बाकी विभागो पर अग्रेजो को राज करने दे।

बासंती देवी को

38/2 एल्गिन रोड,
कलकत्ता

वर्धा
6.2.38

आदरणीय माताजी

आज मैं कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा हू। वहा स मैं 11 तारीख को चलूंगा और 13 तारीख को हरिपुरा पहुचूगा।

क्या आप हरिपुरा नहीं आएगी ? यदि आप आ सके, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। कारण का अनुमान आप आसानी से लगा सकती हैं। जिस व्यक्ति के चरणो में बैठकर मैंने राजनीति का पाठ पढा, वह आज हमारे बीच नहीं है। यदि आज व हमारे साथ होते, तो कितने प्रसन्न होते। अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाएंगी। कृपया इस पत्र का उत्तर शीघ्र दे-- यदि आप कलकत्ता मे नहीं हैं— क्योकि मैं 11 तारीख को यहा से रवाना हो जाऊगा।

कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करे।

आपका आज्ञाकारी,
सुभाष

पुनश्च कृपया न भूले 'आत्मवत् मान्यते जगत' (मनुष्य अपनी ही आकृति मे विश्व के दर्शन करता है)।

एच. वी कामथ के लिए

38/2, एल्गिन रोड
कलकत्ता
टलीफोन पार्क 679

प्रिय श्री कामथ

आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। मैं आपको बधाई देने के लिए टेलीफोन करता, लेकिन मुझे यह पक्का मालूम नहीं था कि आप नौकरी छोड चुक हैं। आपके कार्यमुक्त होने तक मैं प्रतीक्षा करूगा।

जब आप सेवा-निवृत्त हो जाएगे, तो आपसे मिलने को मैं उत्सुक रहूगा। पता नहीं, उस समय मैं कहा रहू— शायद यात्रा मे रहू। उपर्युक्त पते से मेरी खबर मिल जाएगी। हरिपुरा के मार्ग मे यह पत्र मैं ट्रेन मे लिख रहा हू।

काग्रेस मे मैं आपका हार्दिक स्वागत करूगा। मैं आपको बताना चाहता हू कि मेरा मानना यह है कि सेवा की हानि देश का लाभ है।

मातृभूमि की सेवा मे आपका सहयोगी,
ह./ सुभाषचद्र बोस

नागपुर मेल
12.2.38

विल रिचर की ओर से

श्रीयुत सुभाषचद्र बोस,
1, वुडबर्न पार्क
एल्गिन रोड पोस्ट आफिस
कलकत्ता

1 मार्च 1938

प्रिय श्री बोस,

मेरे पुराने पत्र मे भारतीय सुरक्षा मे सहयोग की भावना व्यक्त की गई थी। मैं आपको

कुछ और बाते लिखना चाहता हू।

सबसे पहले तो मैं आपको बता दू– देर से ही सही, मेरी पत्नी और मैं बेगस्टीन की अपनी यात्रा से पूर्ण सतुष्ट हैं तथा आपके व आपके मित्रो के साथ बिताए दिनो से बहुत प्रसन्न भी। आपकी कृपा के लिए पुन धन्यवाद। आशा है कि हमने आपके उपचार और कार्य मे अधिक व्यवधान नहीं डाला। दुर्भाग्यवश हमारे उपमहाद्वीय समाचारपत्रो मे भारतीय राजनीति, विशेष रूप से हरिपुरा बैठक की अधिक चर्चा नहीं हुई।

आपने कहा है कि आप इश्योरेस पर कुछ पुस्तक पढना पसद करेगे। ये पुस्तकें प्राय इश्योरेस की शाखा विशेष से सबद्ध होती हैं। ऐसी पुस्तके अभी मुझे नहीं मिली हैं, जो विभिन्न शाखाओ से सबद्ध हो। इसलिए मैं आपको पिटमैन्स द्वारा प्रकाशित इश्योरेस की पुस्तको की सूची भेज रहा हू, जिसमे से आप अपनी इच्छानुसार पुस्तकों का चयन कर सकते हैं।

बिडला कपनी मेरे विचार से रूची है, जिसमे अन्य इटालियन इश्योरेस कपनी, एसीकुरेजियोनी जेनराली भी दिलचस्पी ले रही है।

हमने उपमहाद्वीपीय बैंकिंग की चर्चा की, जिस पर इस विषय मे मैंने अपने मित्रों से भी बात की थी। उन्हाने मुझे राय दी कि दो मुख्य स्विस बैंक इस उद्देश्य के लिए ठीक हैं– इश्योरेस क्रेडिटस्टाल्ट अथवा श्वजिरीशे बैंकवेरीन। ये दोनों ही ज्यूरिख मे है। मैं बैंक के महाप्रबधक को जानता हू। मेरा समूह दोनों से व्यापारिक संबंध रखता है। इसलिए मैं आपकी ओर से, यदि आप चाहे तो, उनसे बातचीत कर सकता हू।

बहरहाल हमारे वार्तालाप की रिपोर्ट हमारे मुख्यालय मे पहुच गई है। इसलिए मैं यह कहना चाहूगा कि हम सभी लोग, जहा तक हमसे सभव होगा, आपकी सहायता करेगे। शीघ्र ही हम एक ऐसी योजना आपके सम्मुख रखेगे जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ हमारे लिए भी ठीक हो।

इस बीच ज्यूरिख, वियना और बर्लिन गया था। दुर्भाग्य से मेरी पत्नी को वहा तेज नजला हो गया। अभी तक वह ठीक नहीं हुई हैं। इसी वजह मे हमारे वियना से लौटने के बाद भी वह अभी तक मिस फ्यूलॉप मिलर और मिस शेक्ल से सपर्क नहीं कर पाई। मुझे विश्वास है कि अब तक वह आपके भतीजे को कुछ फोटो जरूर भेज चुकी होगी। अगली बार जब मैं वियना जाऊगा, वायदे के मुताबिक तस्वीरे आपको भी अवश्य भेजूंगा।

मेरी शुभकामनाए व सादर प्रणाम।

आपका शुभाकाक्षी,

विल रिचर

सलग्न

श्रीमती धर्मवीर के लिए

38/2 एल्गिन रोड
कलकत्ता
22 3 38

मेरी प्रिय दीदी

क्षमा चाहता हू कि एक लबे अरसे से मैं आपको पत्र नहीं लिख पाया— किंतु मेरा विश्वास है कि मैं दया का पात्र हू, क्योकि मैं रात-दिन भाग-दौड मे व्यस्त हू। यह पत्र जल्दबाजी मे लिख रहा हू, फिर भी आशा करता हू कि मैं अपने विचार स्पष्ट रूप से भली-भांति व्यक्त कर पाऊगा।

कल, सीता ने मुझे दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। वहा सतोष सेन से भी भेट हुई। पहली बार डॉ सेन से मेरी मुलाकात वियना मे हुई थी। उसके बाद यहा हुई। उनके बारे मे मेरी राय बहुत अच्छी है— एक व्यक्ति व एक चिकित्सक दोनों ही रूपो मे। उस राय पर मैं अभी भी कायम हू। लबी बात को छोटी करके लिख रहा हू। सीता और सतोष विवाह करना चाहते हैं। लबे अरसे से वे एक दूसरे का जानते हैं। धीरे-धीरे उनकी मैत्री प्रगाढ हुई है।

परिणामस्वरूप वे महसूस करते हैं कि उन्हे विवाह के बधन मे बध जाना चाहिए। सीता के निर्णय व चरित्र के प्रति मेरा अनत विश्वास है। पहले भी इस विषय मे मैं आपको लिख चुका हू। उनका यह निर्णय उनकी परिपक्वता का हासिल है और मैं समझता हू कि यह निर्णय उचित भी है। जितना मैं उन दोनो को जानता हू, मुझे विश्वास है कि वे सुखी वैवाहित जीवन जीएगे। निजी रूप से मुझे उनके शुभचिंतक होने के नाते तब अत्यधिक प्रसन्नता होगी— जब आप और डॉ साहब उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर अपना आशीर्वाद देगे।

मेरा पत्र बहुत छोटा और सक्षिप्त है— किंतु ऐसा केवल इसलिए है क्योकि दो कार्यों के बीच के खाली वक्त मे मैं यह पत्र लिख रहा हू। इस विषय पर अपनी ओर से गभीरतापूर्वक लिख रहा हू। वास्तविकता तो यह है कि जब वियना मे मैंने सतोष की मेज पर सीता का चित्र देखा, तभी मुझे इसका हल्का-सा आभास हुआ था— और मैं हमेशा ही इस प्रस्ताव को सही और उपयुक्त मानता रहा हू।

अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? आशा है डॉ साहब और लीला भी ठीक होगे। मैं बिलकुल स्वस्थ्य हू— हालाकि काम बहुत अधिक है।

आपका स्नेहाकाक्षी
सुभाष

सीता धर्मवीर को

38/2 एल्गिन रोड
कलकत्ता,
22 3 38

मेरी प्रिय सीता,

तुम्हारा पत्र ठीक है। मेरा पत्र भी जा रहा है। इसे देख लेना। यदि ठीक समझो, तो अपने पत्र के साथ डाक मे डाल देना।

मुझे खेद है कि तुम्हे लबा पत्र नहीं लिख पाया, लेकिन आशा है यही पर्याप्त होगा। कहावत है कि *बहादुरी बुद्धिमत्ता की आत्मा है।* उत्तर पाने को उत्सुक हू। यदि कोई उत्तर आए, तो कृपया मुझे सूचित करना।

प्यार सहित,

आपका शुभाकांक्षी,
सुभाष

श्रीमती नाओमी वैटर के लिए

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता
अध्यक्ष
सुभाषचंद्र बोस
कोषाध्यक्ष
जमनालाल बजाज
महासचिव
जे बी कृपलानी

टेलीफोन 341
टेलीग्राम कांग्रेस
संदर्भ इलाहाबाद

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
स्वराज भवन, इलाहाबाद

कैंप
38/2 एल्गिन रोड,
कलकत्ता
26 3 38

मेरी प्रिय श्रीमती वैटर
मुझे खेद है कि एक जमाने से आपको पत्र नहीं लिखा।

मेरे एक मित्र श्री एम घोष यूरोप की यात्रा पर अपनी पत्नी सहित निकल रहे हैं। वे वियना जाकर वहां की जीवन पद्धति देखना चाहते हैं। श्री घोष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक श्री मनमोहन घोष के पौत्र हैं। मैं आपका आभारी रहूंगा, यदि आप श्रीमती व श्री घोष को वहां घुमाने में सहायता कर देंगे। यदि श्री फास्टिर इन दिनों वियना में है तो कृपया इन्हें उनसे मिला दें– क्योंकि श्री घोष वहां व्यापारिक संबंध स्थापित करने के भी इच्छुक हैं। आजकल वियना का समाचार सुनकर आश्चर्य होता है। यहां के समाचारपत्रों में आस्ट्रियाई समाचारों की भरमार है तथा वियना के चित्र भी छपते रहते हैं। आशा है, आप सभी स्वस्थ होंगे। डॉ वैटर को शुभकामनाएं व आपको सादर प्रणाम।

सदैव आपका शुभाकांक्षी
सुभाषचन्द्र बोस

श्रीमती एन सी वैटर

श्रीमती नाओमी वैटर के लिए

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता
सुभाषचद्र बोस
कोषाध्यक्ष
जमनालाल बजाज
महासचिव
जे बी कृपलानी

टेलीफोन : 341
टेलीग्राम काग्रेस
सदर्भ इलाहाबाद

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी
स्वराज भवन, इलाहाबाद

कैंप
38/2, एल्गिन रोड
अथवा वुडबर्न पार्क
9438

प्रिय श्रीमती वैटर,

अपने मित्र को आपके पास भेजने मे मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। श्री जी बी सील, जो लदन जाते हुए मार्ग मे वियना घूमने आए हैं, मैंने उन्हे राय दी कि य आप से और डॉ वैटर से मिलें और मेरी हार्दिक शुभकामनाए आप तक पहुचा दें। सभव है, इनके प्रवास की अल्पावधि मे आप इन्हे वियना की एक-दो जगह दिखला सके।

खेद है, लबे समय से आपको पत्र नहीं लिख पाया– किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं आपको भुला चुका हू।

सादर प्रणाम।

आपका शुभाकाक्षी,
सुभाषचद्र बोस

खेद है मैं वियना मे रुक नहीं पाया। आशा है, फिर आऊगा और आप से मिलूगा।

पी बी सील
होटल मार्टिनेज,
केन्स

संतोष सेन के लिए

भारतीय डाक एव तार विभाग
20 मई, 1938

तार

बबई, 20 21 सतोष सेन
48, हनुमान रोड,
नई दिल्ली

शादी के शुभ अवसर पर शुभकामनाए। खेद है स्वय नहीं पहुच पाऊगा। पत्र भेज रहा हू —सुभाष बोस।

सीता धर्मवीर के लिए

पर्णकुटी
यरवदा हिल
पूना
21 5 38

मेरी प्रिय सीता,

बहुत दु ख है कि मैं तुम्हारी शादी के शुभ अवसर पर लाहौर नहीं पहुच सकूगा। इस सबध मे बबई से मैंने तुम्हे तार भी भेजा था। मैं बबई वापस 23 और 24 को पहुचूगा। आशा है, तुम मेरी असमर्थता महसूस कर निराश नहीं होओगी। उस दिन मन से मैं तुम्हारे साथ होऊगा।

ईश्वर स मेरी प्रार्थना है कि वह तुम दोनो की झोली आशीर्वादो स भर द तुम्हे लबा और खुशहाल जीवन प्रदान करे, ताकि तुम मातृभूमि की सवा कर सको।

कृपया यह पत्र सतोष को भी पढा देना। मैं दिल्ली भी पत्र लिख रहा हू, किंतु वह वहा शायद नहीं मिले।

मैंने तुम्हे एक छोटा-सा उपहार भेजा है– उसे स्वीकार करोगी, तो प्रसन्नता का अनुभव करूगा।

प्यार सहित--

तुम्हारा शुभेच्छु,
सुभाष

अतुलचद्र कुमार के लिए

38/2, एल्गिन रोड
कलकत्ता, 3 6 38

प्रिय अतुल बाबू,
कई वर्षों से मैं मालदा नहीं आया हू। पिछले वर्ष जब आने की कोशिश की, तो कार्यालय के कुछ आवश्यक कार्य आ पड। इसलिए तुम्हारे आग्रह को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार तो कर लिया है, किंतु कई कारणो से मेरा 11 या 12 तारीख को आना सभव नहीं हो पाएगा। यदि मेरी सुविधानुसार तारीखे निश्चित हो पातीं, तो मुझे मालदा आने मे बहुत प्रसन्नता होती। कृपया बाद मे मुझ से विचार-विमर्श करके तारीख निश्चित करे।

मेरी ओर से मालदा जिले के सभी सहयोगी कार्यकर्ताओ को शुभकामनाए दे।

आपका शुभाकाक्षी
सुभाषचद्र बोस

श्रीयुत अतुलचद्र कुमार
एम एल ए

सीता धर्मवीर को

23 6 38
(वर्धा जाते समय मार्ग मे)

मेरी प्रिय सीता,
क्षमा चाहता हू कि तुम्हारे लाहौर के 23 मई के पत्र का उत्तर नहीं दे पाया। सभवत तुम अब दिल्ली मे हो। यह कहना आवश्यक नहीं समझता कि लाहौर न जा पाने से मुझे कितनी निराशा हुई थी। आशा है, दिल्ली मे कभी मुलाकात होगी।

साथ मे सतोष के लिए भी कुछ पक्तिया लिख रहा हू।

कलकत्ता मे कई लोगो से मुलाकात हुई, जो सतोष को जानते हैं और उनके सबधी हैं। कुछ लोग तुम्हारी शादी के अवसर पर मौजूद भी थे।

आशा है तुम स्वस्थ हो और हर चीज ठीक चल रहा होगा। समय-समय पर कृपया पत्र लिखती हो। प्यार—

तुम्हारा शुभाकाक्षी,
सुभाष

पुनश्च : मैं स्वस्थ हूं।

बी सी रॉय की ओर से

36, वैलिंग्टन स्ट्रीट
कलकत्ता
18 जुलाई, 1938

मेरे प्रिय सुभाष,
बबई से यात्रा करते हुए ट्रेन मे लिखा तुम्हारा 8 मई का पत्र मिला। तुमने मुझे लिखा है कि जैसे ही निगम मे कोई पद रिक्त होगा, तो तुम शीघ्र ही मुझे नामित करोगे। मौलाना आजाद ने तुम्हे बताया होगा कि डॉ के एस रॉय ने अपना त्यागपत्र मुझे भेजा है। कृपया अपना नामाकन मुझे शीघ्र भिजवा दो, ताकि मैं उसे तथा डॉ के एस रॉय के त्यागपत्र को निगम और काग्रेस म्यूनिसिपल एसोसिएशन के सम्मुख पेश कर सकू।

इस विषय मे एक बात स्पष्ट करना चाहूगा– मैं निगम या काग्रेस म्यूनिसिपल के सम्मुख तब तक जाना नहीं चाहता जब तक कि नामाकन वाला तुम्हारा पत्र मुझे नहीं मिल जाता। यदि मुझे नामित करने मे तुम्हे कोई कठिनाई हो, तो कृपया मुझे सूचित करो– ताकि मैं डॉ के एस रॉय का त्यागपत्र उन्हे वापस भिजवाऊ, जो वे मेरे पास छोड गए थे।

लौटती डाक से पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा मे

तुम्हारा शुभाकाक्षी,
बी सी रॉय

विश्वनाथ दास के लिए

वर्ष 1938 के कार्यकर्ता
अध्यक्ष
सुभाषचद्र बोस
कोषाध्यक्ष
जमनालाल बजाज
महासचिव
जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ते का पता
38/2, एल्गिन रोड, कलकत्ता
टेलीफोन पार्क 59
तार सुवासबोस

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
स्वराज भवन, इलाहाबाद
टेलीफोन 341, तार कांग्रेस

15 अगस्त, 1938

मेरे प्रिय विश्वनाथ बाबू,
इस पत्र के साथ मैं रेजाउल करीम की पुस्तक की प्रति भेज रहा हू। देश की सांप्रदायिक स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं लेखक को भली-भाति जानता हू। वह पूर्णत राष्ट्रवादी हैं और मुझे विश्वास है कि यदि यह पुस्तक जनता मे लोकप्रिय हुई, तो सांप्रदायिकता को खत्म करने मे सहायक होगी। यदि आप अपने प्रात मे इस पुस्तक का उपयोग कर सके तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। इस प्रकार लेखक को सहायता और उसके कार्य मे उसे प्रोत्साहन भी मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित

आपका शुभाकाक्षी,
सुभाषचद्र बोस

सम्मानीय श्रीयुत विश्वनाथ दास
प्रधानमंत्री, उडीसा

अपर्णा देवी की ओर से

2, बेलतला रोड
23 8 38

सुभाष बाबू,
मैं, कीर्तनपदावली भिजवा रही हूं, जिसे हमने सकलित किया है।

आशा है, आप स्वस्थ हैं।

आपकी
अपर्णा दी

बी. सी. राय को

2 सितबर, 1938

मेरे प्रिय डॉ राय
मैं उस बयान की प्रति भिजवा रहा हू, जो मैं प्रेस के लिए जारी करवाना चाहता हू। आशा है कि मैंने तथ्यो को सही रूप मे पेश किया है। यदि आपकी राय इसके विपरीत हो, तो कृपया मुझे सूचित करे।

आपका
सुभाषचद्र बोस

कुछ मित्रो से बातचीत के दौरान पता चला है कि हाल ही मे श्रीयुत प्रभुदयाल हिम्मतसिगका के बगाल लेजिस्लेटिव असेबली से त्यागपत्र दे देने के बाद उस पद को भरने के तरीके के विषय मे कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। ऐसी गलतफहमी कि डॉ बी सी रॉय को इस पद के लिए नामित किया जा सकता था। किंतु वास्तविकता यह है कि मैं नजरबद था और जब डॉ बी सी रॉय विधानसभा चुनावो की देख-रेख कर रहे थे तब दो प्रतियोगियो मे बूराबाजार की सीट के लिए समझौता हुआ था। वे प्रतियोगी थे श्रीयुत प्रभुदयाल हिम्मतसिगका और श्रीयुत ईश्वरदास जालान। इस समझौते के अनुसार श्रीयुत प्रभुदयाल बाबू एक या दो वर्ष के लिए सदस्य रहेगे तथा उसके बाद वे त्यागपत्र दे देगे। उनके स्थान पर श्रीयुत ईश्वरदास जालान को नामित किया जाएगा। डॉ बी सी रॉय भी इस समझौते से वाकिफ थे।

कुछ माह पूर्व जब प्रभुदयाल बाबू त्यागपत्र देने की सोच रहे थे, तब श्रीयुत जालान ने डॉ बी सी रॉय से मुलाकात की और उनसे कहा कि वे श्रीयुत जालान की उम्मीदवारी को स्वीकृति देगे। डॉ रॉय ने श्रीयुत जालान को काग्रेस असेबली पार्टी के नेता श्रीयुत शरत चद्र बोस से सपर्क करने की सलाह दी क्योकि वे श्रीयुत जालान की सहायता करने की स्थिति मे नहीं थे। प्रभुदयाल बाबू ने त्यागपत्र दे दिया। उन्होने जनता मे बयान दिया कि उन्होने श्रीयुत जालान के हित मे अपना त्यागपत्र दिया है। जब बगाल प्रदेश काग्रेस कमेटी

की कार्यकारिणी समिति के सामने यह मुद्दा उठा, तो उन्होने मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुझे लेकर एक उपसमिति बना दी कि हम लोग एक उपयुक्त व्यक्ति को नामित करे। उन दिनो मैं इन्फ्लूएजा से ग्रस्त था। जब यह खबर बाहर तक फैल गई कि श्रीयुत जालान को नहीं चुनने की सभावना बन सकती है, तो बूराबाजार मे उत्सुकता जागी। वहा के कुछ लोग मौलाना से मिले और उनके साथ स्थिति पर विचार-विमर्श करने के बाद उन्होने मुझे फोन पर बताया कि स्थितियो पर गौर करने के पश्चात वे महसूस करते हैं कि श्रीयुत जालान को नजरअदाज नहीं किया जाना चाहिए। मैंने इस रॉय से सहमति व्यक्त की। इस प्रकार श्रीयुत जालान को काग्रेस उम्मीदवार के रूप मे नामित किया गया। इस सदर्भ मे मै बता दू कि बहुत पहले से मैं डॉ राय को कहता आ रहा था कि उन्हे असेबली अथवा निगम मे आ जाना चाहिए। इस बयान के अनुसार मैंने डॉ के एस रॉय (भूतपर्व एल्डरमैन ऑफ कलकत्ता कारपोरेशन) को अपने पद से त्यागपत्र देने की प्रार्थना की और उनके ऐच्छिक त्यागपत्र के परिणामस्वरूप रिक्त हुए पद पर डॉ राय को निगम मे लाने मे सफल हुए। यदि किसी समय डॉ रॉय ने इच्छा व्यक्त की कि वे असेबली मे आना चाहते है, तो हम किसी सदस्य द्वारा उनके लिए सीट रिक्त करा लेगे। उन्हे चुनकर लाना सभव होगा किंतु उपर्युक्त परिस्थितियो मे डॉ राय को बूराबाजार चुनावी क्षेत्र से असेबली के लिए चुना जाना सभव नहीं था।

अमिता पुरकायस्थ (गुहा) के लिए

वर्धा के मार्ग मे
3 9 38

प्रिय बहन,

तुम्हारे दोनो पत्र समय पर मिल गए थे, किंतु उनका उत्तर नहीं पाया। गलती मेरी है-कृपया मुझे क्षमा करो। कार्य की अधिकता की वजह से पत्रो के उत्तर देने मे विलब हो जाता है, किंतु पत्र प्राप्त कर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। इस समय मे वर्धा की यात्रा पर हू। इसलिए गाडी मे कुछ आराम है। 8 तारीख को कलकत्ता लौटूगा। अगले ही दिन मद्रास की यात्रा पर निकल पड़ूंगा।

तुम्हारा पत्र पाकर मुझे विशेष हर्ष हुआ। तुम कुछ कार्य करना चाहती हो और मुझसे पूछा है कि किस क्षेत्र मे कैसा कार्य करू, ताकि देश की सेवा कर सकू। कितनी महिला कार्यकर्ता ऐसे प्रश्न पूछती हैं ? हमारे देश मे महिला कार्यकर्त्ताओ की कमी है। इस आवश्यकता को तुम पूरा करोगी इसमे कोई सदेह नहीं है। कुछ कार्यकर्ता कुछ दिन

कार्य करते हैं लेकिन फिर वे अन्य कामों में लग जाते हैं। ऐसा महिला कार्यकर्ता अधिक करती है। सामाजिक और पारिवारिक कारणों से महिला कार्यकर्ता अधिक समय तक सक्रिय नहीं रह पाती। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। रुचि और उत्साह की कमी, शादी घरेलू कामकाज भी इसके कारण हैं।

इसलिए पहले मैं कहना चाहूंगा कि सेवा को मिशन के रूप में स्वीकार करो। अपने मन में निश्चित कर लो कि देश-सेवा तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगी ? मैं ऐसा कोई कारण नहीं देख रहा कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी।

अब कार्य का प्रश्न है। तुमने पूछा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर तो तुमने स्वयं दे दिया है। तुम्हें कांग्रेस का कार्य करना होगा- निश्चय ही हर प्रकार से क्योंकि देश को स्वतंत्र कराए बिना कोई भी बड़ा कार्य या कोई भी महान कार्य करना संभव नहीं है।

स्वतंत्रता प्राप्त करना केवल पुरुषों का ही कार्य नहीं है- यह स्त्रियों का भी कार्य है। समाज का आधा हिस्सा महिलाएं हैं- इसलिए यदि महिलाएं जागरूक न हुईं तो देश भी जागरूक नहीं होगा। केवल महिला कार्यकर्ता ही समाज में स्त्रियों को जागरूक बना सकती हैं। इसलिए तुम्हें इस क्षेत्र में आना ही चाहिए। रुकावटों और कठिनाइयों से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। कार्य-क्षेत्र में बेशक कई कठिनाइयां आएंगी। यदि ऐसी रुकावटें हमें हतोत्साहित करेंगी तो व्यक्ति कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। कितनी महिलाएं उच्च शिक्षा पा सकती हैं ? क्या तुम उच्च शिक्षा पाने के बाद देश के लिए कार्य नहीं करोगी ? उस स्थिति में हम किस पर निर्भर करेंगे ?

तुमने महिला कल्याण संगठन बनाया है। यह बहुत अच्छी बात है। कृपया अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास करो। साथ-साथ उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दो ताकि निर्धन महिलाएं कुछ धनोपार्जन कर सकें। फिर घर-घर जाकर महिलाओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिलाओ। उन्हें लाठी और तलवार चलाना भी आना चाहिए। शरारती तत्वों द्वारा महिलाओं को बलात उठा ले जाने तथा तंग करने की घटनाएं देश में आए-दिन घटती रहती हैं। ऐसा किसी अन्य देश में नहीं होता। हमारे यहां महिलाएं अभी तक कमजोर हैं। हम महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है। यही तुम्हारा कार्य है। हमें महिलाओं को शक्तिशाली और बहादुर बनाना है तभी वे शक्तिशाली नायक पैदा करेंगी।

मैंने बहुत कुछ लिखा है। अब समाप्त करता हूं। समय-समय पर मुझे पत्र लिखती रहो। तुम्हारा समाचार पाकर प्रसन्न होऊंगा। मैं लगातार लिख पाने में असमर्थ हूं। इसके लिए तुम क्षमा करोगी। भगवान तुम्हारा भला करे।

तुम्हारा शुभाकांक्षी
सुभाषचंद्र बोस

बी. सी रॉय की ओर से

38, वैलिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता
10 सितंबर, 1938

मेरे प्रिय सुभाष,
तुमने जो प्रारूप मुझे भेजा है उसम कुछ सशोधन करके उसे वापस लौटा रहा हू। वे सशोधन निम्न प्रकार हैं

1 यह वास्तविक नहीं है कि मैने ईश्वरदास जालान और प्रभुदयाल के मध्य समझौते को स्वीकृति दी थी। उन्होने व्यवस्था कर लेने के बाद मुझे सूचित मात्र किया।

2 जालान ने मुझसे यह नहीं पूछा था कि उनके और प्रभुदयाल के मध्य समझौता उचित है या नहीं। उन्होने तो मुझसे यही पूछा था कि क्या मैं उनकी उम्मीदवारी को स्वीकृति प्रदान करता हू ? मेरा उत्तर था कि वे काग्रेस असेबली पार्टी नेता श्रीयुत शरतचद्र बोस से सपर्क करे।

3 यह स्थिति उचित नहीं है कि यह कहा जाए कि आपने मुझे कहा था कि यदि मैं असेबली या निगम मे जाना चाहू। आपको कोई आपत्ति न हो— स्थिति यह नहीं है। जहा तक मेरा सबध है स्थिति यह थी कि यदि आप मुझे दोनो जगहो मे से किसी भी जगह ले जाना चाहे, तो मैं काग्रेस के हित मे प्रसन्नतापूर्वक अपनी सेवाए देने को तैयार हू।

तुम्हारे इस नोट मे कुछ बाते ऐसी भी हैं, जिनके विषय मे मेरा व्यक्तिगत ज्ञान शून्य है। उदाहरण के लिए- 'बूराबाजार क कुछ क्षेत्रो मे उत्सुकता थी 'बूराबाजार के कुछ लोग मौलाना से मिले' आदि-आदि। जिस विषय का मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्ञान था और जिस बातो को मैं उचित नहीं मान रहा था, उन्हीं मे मैंने सशोधन किया है।

तुम्हारा शुभाकांक्षी,
बी सी रॉय

सीता सेन के लिए

द्वारा एन डी पारीख
26, मैरीन ड्राइव फोर्ट बबई
10 10 38, (तार द्वारा- पैनडैंट बंबई)

प्रिय सीता,
मुझे अफसोस है कि मैं दिल्ली से रवाना होने से पूर्व बहुत चाहने पर भी तुमसे नहीं मिल

पाया। आखिरी दिन मैं अत्यधिक व्यस्त था और बहुत से कार्यक्रमो से घिरा था। जिस दिन यहा से चला उस दिन सुबह तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर, मैं बहुत निराश था कि चाहने पर भी तुमसे नहीं मिल पाया। किंतु इसके लिए मैं और मेरा कार्यक्रम जिम्मेदार हैं। बहरहाल अगली बार सही।

इस बार मुझे निश्चित रूप से मलेरिया है। शायद कानपुर मे भी मलेरिया ही था, कौन जाने ? बहरहाल, हमने एम पी को घेर लिया है।

मै 15 या 16 तारीख को कलकत्ता के लिए रवाना होऊगा। आशा है दिल्ली मे मौसम अब कुछ ठडा हुआ होगा। जब मैं वहा था तो बहुत गर्मी थी। मुझे गर्मिया बिल्कुल भी पसद नही हैं।

विनय को प्यार और तुम सब का शुभकामनाए।

तुम्हारा शुभेच्छु,
सुभाषचद्र बोस

(अस्पष्ट) के लिए, जमनालाल बजाज के पत्रों में

38/2 एल्गिन रोड
कलकत्ता 21 अक्तूबर 1938

बबई और वर्धा मे मेरी जमनालालजी से उनके त्यागपत्र के विषय मे विस्तृत चर्चा हुई। मैंने बार-बार बताया था कि कई कारणो से मैं उनके त्यागपत्र को स्वीकार नहीं कर पा रहा हू। फिर मेरे विचार से कार्यकारिणी के सदस्य भी मेरी राय से सहमत थे। वे कारण निम्न हैं

1 यद्यपि मैं स्वीकार करता हू कि जमनालालजी को कुछ समय तक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, किंतु इसके लिए उन्हे त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं। जब सदस्य बीमार हो जाते हैं, तो वे आवश्यक विश्राम कर लेते हैं– लेकिन त्यागपत्र नही देते।

2 उनका विकल्प खोज पाना अत्यधिक कठिन कार्य होगा।

3 आठ माह का समय बीत चुका है और अब केवल चार माह का समय शेष है फिर इस अवस्था मे त्यागपत्र क्यो ?

4 इस समय त्यागपत्र देने से अनेक अफवाह और अतर्कथाए फैलेगी उनमे से कुछ कार्यकारिणी के लिए घातक होगी।

वर्धा मे मुझे जमनालालजी ने बताया कि नागपुर का एक समाचारपत्र यह प्रकाशित कर चुका है कि वे कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे रहे हैं क्योंकि काग्रेस पार्टी का मुख्यालय सतोषजनक कार्य नहीं कर पा रहा है– इसलिए जमनालालजी को प्रधानमंत्री

बनाना आवश्यक हो गया है।

इस रिपोर्ट ने मेरे पहले अनुमानो को सही ठहराया। मैने जमनालालजी को बताया था कि ऐसी सरासर गलत अफवाहो के कारण कार्यकारिणी को विवश होकर यह बयान देना पड़ेगा कि वे त्यागपत्र क्यो दे रहे हैं। ऐसे बयान के बारे मे हम क्या कहेगे ? यह कहना सत्य नही होगा कि वे शारीरिक व मानसिक रूप से थके हुए हैं– इसलिए उन्हे आराम की आवश्यकता है– अत उन्होने त्यागपत्र दिया है। क्योकि तब जनता तत्काल पूछेगी कि पडित जवाहरलाल नेहरू 5 माह तक बाहर रहे, किंतु उन्होने तो त्यागपत्र नहीं दिया।

वर्धा मे हमारी मुलाकात के अत मे जमनालालजी ने मेरे तर्क की प्रशसा की थी। मैने उन्हे बताया था कि जितने समय तक आराम करना आवश्यक होगा, तब तक के लिए हम उन्हे पूर्ण विश्राम करने देगे। लेकिन उन्हें त्यागपत्र देकर हमे दुविधा मे नहीं डालना चाहिए। उन्होने महसूस किया कि मुझे अतिम उत्तर देने से पहले वे आपसे बात करना चाहेगे। अत मैने उन्हे बताया कि मैं उनसे प्रार्थना करूगा कि आपके वर्धा लौटने तक वे कार्यभार सभाले।

मुझे प्रसन्नता होगी, यदि आप उन्हें यह सुझाव दे कि इन परिस्थितियों मे उन्हें त्यागपत्र देने पर जोर नहीं देना चाहिए।

प्रणाम

आपका शुभाकाक्षी,
सुभाषचद्र बोस

एम. एन. रॉय की ओर से

22 अक्तूबर, 1938

मेरे प्रिय मित्र

पिछले सप्ताह जब मैं लखनऊ मे था, तब मुझे बताया गया कि लाला शकरलाल किसी कार्य की वजह से आजकल यहा है और तुम्हारे निर्देशानुसार मुझसे मिलना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश मैं प्रादेशिक काग्रेस कमेटी के कार्य में अति व्यस्त था, उनके पास भी समय का अभाव था– अत हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। यहा लौटने पर आज उनका एक पत्र मिला, जिसके साथ एक प्रारूप सलग्न है जिस पर हस्ताक्षर करने का मुझसे आग्रह किया गया है। यह सर्कुलर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी तथा प्रादेशिक काग्रेस कमेटी के सभी सदस्यो को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस में वाम गुट बनाना है। उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम श्रीयुत सुभाषचद्र बोस के सुझाव पर सूची मे शामिल किया गया है। जिन लोगों से हस्ताक्षर करवाने हैं उनकी सूची भी सलग्न है।

यह कहना आवश्यक नहीं है कि मैं इस कदम का स्वागत करता हू तथा आपको पूर्ण

सहयोग देने का वायदा करता हू– जैसा कि पहले भी करता रहा हू। यह एक गभीर प्रयास है, जिसकी सफलता प्रारभिक कदमो पर ही निर्भर है। इसलिए यह सोचकर कि आप इन पर उचित ध्यान देगे मै एक दो सुझाव देना चाहता हू। चूकि यह मारूप है इसलिए जिनसे हस्ताक्षर करवाए जाने हैं– वे भी इसमे सशोधन आदि कर सकते हैं।

वैसे मै इस प्रारूप मे कही गई प्रत्येक बात से सहमत हू, फिर भी मेरे विचार मे दो-तीन सशोधन या परिवर्तन इसे और बेहतर बना देगे। इसलिए सुझाव देने की हिम्मत कर पा रहा हू

1 अनुच्छेद पाच मे प्रयुक्त शब्द *'सापदायिक'* हटा देना चाहिए। अल्पसख्यको को सवैधानिक सुरक्षा दिलाने के मसले को बिना शर्त सैद्धातिक स्वीकृति देना सापदायिकता को बढ़ावा देना नही है। राष्ट्रीय एकता के लिए भी यह खतरा नहीं है और न लोकतत्र के ही विरुद्ध है।

2 अगले अनुच्छेद का प्रारभिक वाक्य भी हटा दिया जाना चाहिए। यह वाक्य घोडे के आगे गाडी जोतने के समान है। उससे ऐसा लगता है कि हम औपनिवेशिक नियत्रण मे रहते हुए भी भारत की नागरिक स्वतत्रता पा सकते हैं। जबकि नागरिक स्वतत्रता मिलना हमारे आदोलन की सफलता पर निर्भर है।

3 अनुच्छेद 9 मे काग्रेस के चरित्र का जो वर्णन किया गया है उससे मै सहमत नही हू। मेरे विचार से वाम दल का कार्य काग्रेस को भारतीय जनता की क्रातिकारी लोकतात्रिक पार्टी मे बदलने का है। ऐसा करके ही हम वर्तमान नेतृत्व को अल्पसख्यको के हित के लिए सकुचित राजनीतिक गुट के रूप मे प्रस्तुत कर पाने मे सफल होगे। काग्रेस के पूर्ण स्वतत्रता के कार्यक्रम को समझने के लिए राजनीतिक सत्ता हथियाने की खातिर भारत की शोषित और दमित जनता की अपनी राजनैतिक पार्टी का होना अति आवश्यक है। लोकतात्रिक क्रातिकारी नेतृत्व तथा प्रगतिवादी सामाजिक विचारधारा द्वारा काग्रेस लोगो की सेवा कर सकती है। इस प्रारूप मे कुल मिलाकर यह बात कही गई है। इसलिए यह पैराग्राफ इसमे ठीक नहीं।

4 सख्या 4 मे *'समय की माग'* के अतर्गत *'साम्प्रदायिक सगठनो व नेताओ से वार्तालाप के स्थान पर'* से मै सहमत नहीं। इसे भी हटा दिया जाना चाहिए। हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि सापदायिक ताकतो व सगठनो का भी अपना महत्व है। इन ताकतो के प्रभाव से लोगो को मुक्त कराने के लिए हम साम्प्रदायिक सगठनो व नेताओ के प्रभावो को कम करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमे उनके कार्यों व मागो मे विचार-विमर्श के द्वारा उनको सबके सामने स्पष्ट रूप मे लाना होगा।

5 *'समय की माग'* ने *'एक शक्तिशाली स्वयसेवी शक्ति के निर्माण'* की बात

वस्तुत प्रयासों को दुहराने का अर्थ दे रहा है। यदि हमारा उद्देश्य स्वतत्रता-सेनानी तैयार करना है, तो हमे काग्रेस के सदस्यो को क्रियाशील बनाना होगा। स्वैच्छिक बल के निर्माण के विचार से ऐसा आभास होता है कि काग्रेस के सामान्य सदस्यो पर प्रभावशाली युद्ध के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता।

6 मैं स्वीकार करता हू कि हस्ताक्षर करने वाले लोगो की सूची के विषय मे मुझे कुछ उलझन है। गाधीवादी विचारधारा से जुडे लोगों को मिलाकर वाम दल बनाने की कोई सार्थकता नहीं है। इस सदर्भ मे मैं आपका ध्यान कामरेड मसानी के नेतृत्व मे सी एस पी के रुख की ओर आकर्षित करने पर विवश हू, जो उन्होने कम्युनिस्टो के प्रति अपनाया था। काग्रेस के अदर ही क्रातिकारी वाम दल का निर्माण करना खतरनाक है। कामरेड मसानी का बबई औद्योगिक-सघर्ष बिल तथा सामान्य हडताल के प्रति अपनाया गया रवैया वाम दल की योजना के अनुकूल नहीं है। यदि मैं वास्तव मे वाम दल के निर्माण को सहायता पहुचाना नहीं चाहता, तो मेरे लिए यह बहुत कठिन कार्य है कि मैं ऐसे लोगो का साथ दू, जिनका रवैया फासिस्टवादी ताकतो को सहायता देना हो। मुझे आशा है कि आप अपने प्रभाव द्वारा कम्युनिस्ट-विरोधी और सी एस पी की अवसरवादी नीतियो पर नियत्रण करने मे सफल हो पाएगे– तभी आपकी प्रेरणा से प्रारंभ किए गए कार्य को सफलता मिल पाएगी भले ही वे प्रयास वास्तविक नेतृत्व के बिना ही किए जा रहे हों।

इन टिप्पणियो के साथ मैं वाम दल के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करता हू और यदि मेरे सुझाव स्वीकार न भी किए गए, तो भी घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति देता हू। यद्यपि मुझे आशा है कि वे आपके सुझावो के अनुसार घोषणा-पत्र मे परिवर्तन लाने को अवश्य तैयार हो जाएगे।

आपका शुभाकाक्षी
एम एन रॉय

- पत्र की एक प्रति लाला शकरलाल को सूचनार्थ प्रेषित कर दी है।
- निम्न नोट को पद सख्या 6 में *'गाधीवादी विचारधारा'* के साथ जोडना है– यदि मैं अन्य लोगो की सूची समर्थन मे दू, तो वह इस कार्य के लिए अधिक उपयोगी रहेगा। आपसे सूचना मिलने के पश्चात मैं कुछ नामो का सुझाव दूगा।

सेवा मे,
सुभाषचद्र बोस
38/2, एल्गिन रोड,
कलकत्ता

'दैनिक दूरबीन' के लिए

1938 के लिए कार्यकर्ता
अध्यक्ष .
सुभाषचद्र बोस
कोषाध्यक्ष
जमनालाल बजाज
महासचिव
जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ता का पता
38/2, एल्गिन रोड,
कलकत्ता
टेलीफोन पार्क 59
तार सुवासबोस

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी
स्वराज भवन इलाहाबाद
टेलीफोन 341, तार काग्रेस

सदेश

बंगाल और असम मे एक राष्ट्रवादी मुस्लिम दैनिक समाचारपत्र की अति आवश्यकता है। बगाल के लोगो, विशेष रूप से मुस्लिम जनता, मे स्वतत्रता के सदेश को फैलाने के लिए इसकी जरूरत है। स्वतत्रता की प्रकृति, स्वतत्रता-प्राप्ति के साधन स्वतत्रता प्राप्त होने पर साधारण जनता को क्या आर्थिक लाभ मिलेंगे– ये सब बाते यदि बगाल की मुस्लिम जनता मे प्रचारित की जाए तो वे भी स्वतत्रता आदोलन के प्रति अवश्य आकर्षित होंगे। तब उन्हे पता चलेगा कि काग्रेस ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय सस्था है अत यदि स्वतत्रता पानी है, तो काग्रेस मे शामिल होने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

मुस्लिम बगाल के लिए राष्ट्रीय दैनिक *दूरबीन* का प्रकाशन मौलवी रेजाउल करीम के सपादन मे किया जा रहा है। मैं इस अखबार को शुभकामनाए देता हू और इसकी तरक्की की कामना करता हू।

सुभाषचद्र बोस
23 10 38

अमला नंदी (शकर) के लिए

1938 के लिए कार्यकर्ता
अध्यक्ष
सुभाषचद्र बोस
कोषाध्यक्ष
जगनालाल बजाज
महासचिव
जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ता का पता
38/2, एल्गिन रोड,
कलकत्ता
टेलीफोन पार्क 59
तार · सुवासबोस

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी
स्वराज भवन, इलाहाबाद
टेलीफोन 341, तार काग्रेस

प्रिय अमला 11 11 38

तुम्हारी पुस्तक *'सात सागरेर पारे'* ने मुझे नए प्रकार की खुशी दी है। यूरोप के कुछ सभ्रांत व्यक्ति भारतीय सिद्धातों को कितनी इज्जत देते हैं, उसकी व्याख्या तुम्हारी पुस्तक मे कई स्थानो पर हुई है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह तुम्हें उन लोगो की कोटि मे खडा करे, जो भविष्य मे भारतीय सस्कृति व साधना के लिए सम्मान का कारण बनेगे।

हमेशा की तरह मेरी हार्दिक शुभकामनाए तुम्हारे साथ हैं।

तुम्हारा शुभाकाक्षी,
सुभाषचद्र बोस

प्रिय सुश्री अमला नदी
कलकत्ता

एम. एन रॉय की ओर से

13, मोहिनी रोड, देहरादून
1फरवरी, 1939

मेरे प्रिय मित्र,

यह आवश्यक नहीं था कि मैं बधाई सदेश भेजू। ऐसी औपचारिकताओ की अपेक्षा अन्य कई गभीर कार्य हमे करने हैं। मैं नहीं जानता कि मेरी ओर से दिया गया कोई सुझाव

स्वागत योग्य है या नहीं। मैं जनता मे या व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे पत्राचार मे उसे व्यक्त नहीं करता हू। किंतु मालदा से तुम्हारा विचार सुनने के बाद मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हू कि निम्न पक्तिया लिखू।

मेरे विचार म, गाधीजी के बयान के बाद तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं नहीं जानता, उस बयान ने तुम पर क्या प्रभाव डाला है। मैं इस गाधीवादी रूप म युद्ध की घोषणा मानता हू- अर्थात असहयोग जो कि कांग्रेस की अदरूनी शक्तियो द्वारा जानबूझकर यह रुकावट पैदा की जा रही है ताकि तुम्हे और तुम्हारे सहयोगियो को नीचा दिखाया जा सके। गाधीजी के बयान का स्पष्ट अर्थ यह है कि कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप मे तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है तथा जिन्होने तुम्हारे चुनाव का विरोध किया वे ठीक थे। उस असमानता का तार्किक निर्णय यही है कि आपका कांग्रेस की एकता के लिए और गाधीजी के नेतृत्व मे अपना बलिदान देना चाहिए। मेरी निश्चित धारणा है कि इस प्रकार का बलिदान एकता के लिए अत्यधिक मूल्यवान है पर कांग्रेस का अत्यधिक हानि पहुचा सकता है। यह सोचना सरासर गलत है कि सुधारवादी गाधीवादी नेतृत्व को कायम रखना ही एकमात्र उपाय है और यही कांग्रेस की एकता का एकमात्र उपाय है। वास्तव में क्रांतिकारी सगठन की एकता विकास और शक्ति के लिए यह अति आवश्यक है कि समय-समय पर ऐसे तत्वो को निकाल बाहर किया जाए जो अपनी इच्छा को पूरे सगठन पर लाद देते है। इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस के अधिकाश लोगो का विश्वास पुराने नेताओ पर से उठ चुका है। यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अधिकाश व्यक्तिओ के निर्णय को तार्किक रूप मे पेश करे। उस हौसले व धैर्य से काम करे जो महान सस्था के चुने गए नेता से अपेक्षित हैं।

जहा तक यह प्रश्न है कि आपको क्या करना चाहिए- मैं यही सुझाव देना चाहूगा जो पिछले वर्ष आपके चुनाव के बाद दिया था कि इस वर्ष ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप स्वय को इस पद पर बनाए न रखे। मैं आपके समर्थक वामपथिया के बयान से अचभित हू कि उनका मानना है कि आपको उन पुराने नेताओ से सहयोग प्राप्त करने का हर सभव प्रयास करना चाहिए जो बहुमत के विश्वास को झुठला रहे हैं। इस वर्ष के अध्यक्षीय चुनाव के परिणाम का महत्व गाधीजी के स्वय के चरित्र पर स्पष्ट आक्षेप है। यह उनकी हार है। इस स्थिति म क्या किया जाना चाहिए इस बारे म सशय की कोई गुजाइश नहीं है। कांग्रेस को नया नेतृत्व प्रदान किया जाना चाहिए था जो गाधीवादी सिद्धातो और लक्ष्यो से पूर्णत मुक्त हो जो कि अब तक कांग्रेसी राजनीति का निर्धारण करते आए है। गाधीवादी सिद्धातो को उपनिवेशवाद-विरोधी ईमानदार राजनीति के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। वाममार्ग के लक्ष्यो को इस प्रकार की किसी भी परिकल्पना मे मिलाया नहीं जा सकता।

विघटन से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर अलगाव की आड़ी

रेखा खींचने मे कोई हानि नहीं है। मुट्ठी-भर नेता जिन्हें संगठन मे अंधविश्वास प्राप्त है, वे कांग्रेस को उसके उद्देश्यो से दूर ले जा रहे हैं। जब बहुमत के समर्थन द्वारा एक नया नेतृत्व कार्य करने का तैयार है और कांग्रेस को सही मार्ग पर लाने की कोशिश मे है, तब कांग्रेस के पुराने नेताओ को यह सोचना चाहिए कि वे कांग्रेस के प्रति वफादार रहना चाहते हैं या व्यक्तिगत अभिमान के कारण इसे छोड देना चाहते हैं।

संक्षेप मे, आप अभी भी कार्यकारिणी मे पुराने नेताओ को अवसर प्रदान कर सकते हैं कि वे अपने प्रभुत्व के समाप्त हो जाने के बावजूद सेवा कर सकते हैं। किंतु यदि उन्हें आपके बहुमत के समर्थन से अध्यक्षीय चुनाव जीतने के बाद कार्यकारिणी के चुनाव मे हस्तक्षेप करने की छूट दी जाए, तो यह कदम आत्मघाती होगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है, वह यह है कि कांग्रेस के नए नेता मे ऐसा साहस और ऐसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि वह गांधीजी की इच्छाओ के बावजूद तब स्वतंत्र रूप में कार्य कर सके जब देश मे क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता हो।

इस तथ्य को सामने रखकर कि हारा हुआ अवसरवादी गुट युवा वामदल के नेतृत्व के कार्यों मे बाधा उत्पन्न करने मे हर संभव शक्ति का प्रयोग करेगा, ताकि उसे नीचा दिखा सके– हमें चाहिए कि हम कार्य को संगठित रूप में करें, न कि किसी बहुत बडे राजनीतिक प्रदर्शन पर बल दें। वाममार्ग की विजय का उत्साव मनाना जल्दबाजी होगी। दुर्भाग्य से संवैधानिकता बडे नेताओ के छोटे-से क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि मंत्रालयो को स्वीकार कर लेने के कारण यह संगठन के उच्च एवं निम्न पदो तक फैल चुका है। जो लोग वाममार्गियों के साथ दिखाई देते हैं, वे भी सुधारवादी कारणो से भ्रष्ट हैं। पूरे देश की जिला कांग्रेस कमेटियां ऐसे ही तत्वों के नियंत्रण मे हैं। इस नियंत्रण से आज भी क्षेत्रीय स्वनियंत्रित संगठन लाभ उठा रहे हैं। नए वाममार्गी नेता का प्रथम कर्तव्य यही होगा कि वह इन लघु संस्थाओ को ऐसे अवांछित तत्वों के नियंत्रण से बचाए। दूसरे शब्दो में, सबसे पहले संगठन की समस्या को हल करना होगा।

इस प्रकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवालय का गठन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नीचे से ऊपर तक संगठन के निर्माण का उत्तरदायित्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवालय का होना चाहिए। ऐसे केंद्रीकृत निर्देशन व नियंत्रण द्वारा उन प्रांतीय झगडो और शत्रु-गुटो का अंत संभव हो सकता है, जो फिलहाल कांग्रेस मे उपस्थित हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव का पद किसी अनुभवी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए।

कठोर और निर्णायक कदमो का सुझाव देने मे मैं उन समस्याओ को कम करके नहीं आंक रहा, जो सामने उपस्थित होने वाली हैं। मुझे लगता है कि नई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उदारवाद के प्रति रुझान रहेगा। इससे इस स्पष्ट नीति मे बाधा पैदा होगी कि आप के सहयोगियो को बहुसंख्या मे कार्यकारिणी में शामिल किया जाए।

आपको देशबंधु के अनुभव को दुहराना होगा और आपातकाल के लिए तैयार रहना होगा। इस कठिनाई का सामना करने के उद्देश्य से आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्तमान कार्य-पद्धति का अनुगमन नहीं कर सकते।

किंतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों को पार करने की एक लोकतांत्रिक पद्धति भी है। यह सदस्यों के बहुमत (मेरा अभिप्राय मूड से है) को नहीं दर्शाती। वह मार्ग यही है कि आप विशेष अधिवेशन बुलाएं, जो कि निश्चित रूप से आपकी नीति को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विरुद्ध पेश करेगी। इस विशेष अधिवेशन में निर्णयात्मक बहुमत जिसे निश्चित रूप से आमन्त्रित किया जाएगा वामपंथियों द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा– जिसके द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण का कार्य नीचे की समितियों पर नियंत्रण स्थापित करके तथा प्रत्येक सदस्य का राजनीतिक स्तर ऊंचा कर किया जाएगा।

अंत में, कांग्रेस द्वारा जिस नीति का अनुपालन आप करवाना चाहते हैं वह उस प्रस्ताव में पूर्ण रूप से वर्णित होनी चाहिए जिसे कांग्रेस अधिवेशन में परिचर्चा के लिए पेश किया जाना है। इस प्रकार आप पुराने नेताओं की वास्तविकता को उजागर करने का अवसर पाएंगे।

यह प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष पेश किए जाने हैं जिसके वर्तमान गठन के मुताबिक वे आप द्वारा अध्यक्षीय चुनाव में पेश की गई स्पष्टवादिता के कारण उन प्रस्तावों को पारित नहीं करेंगे। उस स्थिति में आपको अपने प्रस्ताव सीधे कांग्रेस के समक्ष पेश करने होंगे तथा पुराने नेताओं की स्पष्ट नीति का खुले-आम विरोध करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार वास्तविक मुद्दे स्पष्ट होंगे और उच्च राजनीतिक स्तर पर विवाद खड़ा होगा। इससे आंदोलन के विकास में बहुत मदद मिलेगी।

यह कहना आवश्यक नहीं है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी मेरे सहयोग की आवश्यकता हो, मुझे पर निर्भर रह सकते हो। पत्र-व्यवहार में अधिक नहीं कहा जा सकता तथा कई सुझावों में विस्तृत वार्तालाप अपेक्षित है, जो मिलने पर ही संभव है। इस माह के मध्य में मेरी कलकत्ता आने की संभावना है। तब हम व्यक्तिगत रूप से उन मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं?

शुभकामनाओं और हार्दिक बधाई के साथ

आपका शुभाकांक्षी
एम. एन. रॉय

मुस्तफा अल नाहस पाशा के लिए

डी एल टी

मुस्तफा अल नाहस पाशा
हेलियोपोलिस
काहिरा
मिस्र

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की ओर से मै आपको और आपके सहयोगियो को काग्रेस के सालाना अधिवेशन मे त्रिपुरी मे 10 मार्च को सादर आमत्रित करता हू और बाद मे कुछ दिन मिस्र के नेता के रूप मे यहा ठहरने का आमत्रण देता हू। आपकी यात्रा से दोनो देशो के बीच सद्भावना को शक्ति मिलेगी और हमारे देशवासियो के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आपके प्रवास के दौरान भारत आपको हार्दिक स्वागत व सम्मान प्रदान करेगा।

सुभाष बोस
अध्यक्ष

सुभाषचद्र बोस
38/2, एल्गिन रोड,
कलकत्ता
7 फरवरी, 1939

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी महासचिव के लिए

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता
अध्यक्ष
सुभाषचद्र बोस
कोषाध्यक्ष
जमनालाल बजाज
महासचिव
जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ता का पता
38/2 एल्गिन रोड कलकत्ता
टेलीफोन पार्क 59
तार सुवासबोस

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी
स्वराज भवन इलाहाबाद
टेलीफोन 341 तार काग्रेस

सेवा मे
कार्यकारी महासचिव
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी
इलाहाबाद

28 फरवरी, 1939

प्रिय मित्र,
आप जानते ही हैं कि मिस्र का प्रतिनिधिमडल त्रिपुरी काग्रेस मे भाग लेने आ रहा है। काग्रेस अधिवेशन के बाद हमे उनके लिए दस दिन की यात्रा का कार्यक्रम बनाना है। कृपया महत्वपूर्ण प्रातीय काग्रेस कमेटियो से यह पूछने के लिए परिपत्र भेज दे कि क्या वे इस प्रतिनिधिमडल को अपने प्रदेशो मे आमत्रित करना चाहगे ? क्या वे अपने प्रात मे उनका खर्च वहन कर पाएगे ? आपको उनसे यह भी कहना है कि वे उन्हे अधिकतम सुविधाए उपलब्ध कराए। लाहौर दिल्ली लखनऊ आगरा इलाहाबाद, बनारस, पटना कलकत्ता मद्रास नागपुर आदि शहरो मे ही घूमने लायक समय उनके पास होगा। बाकी के स्थानो को हमे छोडना होगा। वे लगभग पद्रह दिन भारत मे रहेगे। इनमे से 3-4 दिन वे त्रिपुरी मे बिताएगे। प्रातीय काग्रेस कमेटिया आपको त्रिपुरी के पते पर अपने उत्तर भिजवा सकती हैं। मैंने स्वागत समिति से त्रिपुरी मे उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए कह दिया है।

आपका शुभाकाक्षी
सुभाषचद्र बोस

एम एन. रॉय की ओर से

3 बी, स्टोर रोड
बालीगज
कलकत्ता
5 मार्च ,1939

सेवा मे,
सुभाषचद्र बोस
अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस
त्रिपुरी

प्रिय मित्र,
अपनी यात्रा से इफ्लूएजा लेकर लौटा हूं। यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि आप भी बीमार थे। इसलिए हमारा पुन मिलना सभव नहीं हो पाया तथा हम शेष विषयो पर बातचीत नहीं कर पाए। मुझे विश्वास है कि 6 तारीख के त्रिपुरी सम्मेलन मे आपके समर्थको द्वारा पेश किया जाने वाला प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। बिस्तर पर पड़ा होने के कारण मैं 6 तारीख से पहले त्रिपुरी नहीं पहुच सकता। इसलिए मैंने प्रस्तावो के प्रारूप कामरेड जयप्रकाश नारायण को भिजवा दिए हैं। मेरे विचार से यह उन लोगो द्वारा पायोजित होना चाहिए जिन लोगो को भविष्य मे काग्रेस के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व सभालना है। उन प्रारूपो की प्रतिया सलग्न हैं। मुझे विश्वास है कि इन प्रस्तावो के पक्ष मे बडी सख्या मे मत (प्रतिनिधियो का) प्राप्त होगा। यदि अन्य वाममार्गी दलो ने भी अपना समर्थन दिया, तो बहुमत अवश्य प्राप्त हो जाएगा।

मै 7 तारीख को बबई मेल से त्रिपुरी पहुचूगा। आशा करता हू कि अत्यधिक श्रम के कारण आपका स्वास्थ्य बिगडेगा नहीं।

आपका शुभाकाक्षी
एम एन रॉय

अन्य १६

जैकब गुणानिधि विश्वास के लिए

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सुभाषचंद्र बोस

कोषाध्यक्ष

जमनालाल बजाज

महासचिव

जे बी कृपलानी

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
स्वराज भवन, इलाहाबाद

झीलगुड़ा पोस्ट ऑफिस
जिला मानभूम
बिहार
14.4.38

मेरे प्रिय श्री विश्वास

जब से मैंने समाचारपत्रों में नए मनोनीत काउंसलरों की सूची देखी है, तभी से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था। जब आप काउंसलर थे, तब उन्होंने आपको सच्चाई व स्पष्टवादिता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आपके चरित्र की जानकारी मुझे है। और मुझे विश्वास है कि इस बार आपका नाम शामिल न होने से आप परेशान नहीं होंगे।

मैं वर्ष 1924 से निगम से संबद्ध रहा हूं। आपको मालूम ही है कि मुझे किसी की खुशामद या बिना वजह प्रशंसा करने की आदत नहीं है। बिना बढ़ा-चढ़ाकर बात कहने के बावजूद मैं यह कह सकता हूं कि यह मेरे अनुभव में पहली बार देखने में आया है कि जब मनोनीत क्रिश्चियन काउंसलर ने निगम में अपने कर्तव्यों को एक सच्चे क्रिश्चियन के रूप में पूरा किया हो। आपको समाज की मैं कद्र करता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारी अभिन्न मैत्री और भी गहरी होगी।

वापसी पर आपसे मिलने की प्रतीक्षा में हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में हम लोग सहयोग करेंगे और अन्य क्षेत्रों में मिल-जुलकर कार्य करेंगे।

मैं तेजी से स्वास्थ्य-लाभ कर रहा हूं।

सादर,

आपका शुभाकांक्षी
सुभाषचंद्र बोस

अमियनाथ बोस के लिए

जामदोबा
17 4 39

मेरे पिय अमि
पिछले दो माह से मैं बिस्तर पर हू। यह सबसे लबी व बुरी बीमारी है। मुझे ब्रोको-न्यूमोनिया कुछ और बीमारियो के साथ हो गया है (लीवर और आतो मे सक्रमण है)। इस बीमारी के साथ-साथ राजनीतिक सकट के कारण मानसिक उद्वेग भी है। मुझे किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक आराम नहीं मिल पाया। तेज बुखार होने के बावजूद बिस्तर मे कार्य करना पडता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मै कभी स्वस्थ नहीं हो पाऊगा। किंतु सकट की घडी बीत गई है। मैं स्वस्थ होने को हू। 21 तारीख को मैं कलकत्ता जाऊगा। वहा बगाल प्रदश काग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक भी है। तापमान सामान्य है, कमजोरी लबे समय तक चलेगी। यदि जा सका, तो गर्मियो मे परिवर्तन के लिए जाऊगा। देखते हैं,क्या होता है!

आपके कागजात मिल गए हैं। अत आपन बयान और उसके उत्तर मे जारी बयान (जो कि अध्यक्षीय चुनाव के पहले और बाद मे जारी किए गए थे) साथ ही काग्रेस का लेखा-जोखा भी देखा होगा। पुराने नेताओ का मानना है कि मुझे चुनाव मे 25 या 30 प्रतिशत मत पाप्त होगे। इसलिए नतीज से उन्हे धक्का लगा है। उन लोगो मे बेचैनी का आलम है। उन्हे लगा कि न केवल सात प्रातीय सरकारे उनके हाथो स फिसली जा रही है, बल्कि गाधीवादियो को लगा कि उनका 20 वर्ष का कार्य एक दिन मे धुल गया। उनका सारा नजला मुझ पर गिरा। देशबधु के बाद से किसी ने भी उन्हे इतनी बुरी तरह नही हराया था। तब गाधीजी ने बयान जारी किया। उन्होने पुराने नेताओ को बचाते हुए कहा कि उनकी हार मेरी हार है। केद्रवादियो की राय बदलने लगी। वे हमे समर्थन देने को बाध्य थे किंतु जैसा कि उन्होने बताया, वे गाधीजी को निकाल बाहर करने को तैयार नहीं थे।

मेरी अस्वस्थता उस समय की सबसे बुरी घटना थी। त्रिपुरी निश्चय ही हमारी हार थी। किंतु जैसा कि बबई के मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था, यह बिस्तर मे पडे एक ऐसे बीमार आदमी का मसला है, जो (1) पुराने नेताओ के 12 महारथियो, (2) जवाहरलाल नेहरू (3) सात प्रातीय सरकारो (जो पुराने नेताओ का प्रचार करन म सलग्न हैं) तथा (4) महात्मा गाधी के नाम, प्रभाव व सम्मान से सघर्ष कर रहा था। उन्होंने इस हार को नैतिक विजय की सज्ञा दी।

हार की वजह सी एस पी (काग्रेस समाजवादी पार्टी) के नेतृत्व द्वारा धोखा दिया

जाना भी था और कार्यो मे हुई गलतियो के भी कारण। अब सी एस पी की जडे हिल गई हैं, क्योकि उसके नेताओ की त्रिपुरी नीति के कारण कार्यकर्ताओं मे विद्रोह की भावना पैदा हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी भी सी एस पी के साथ सवार थी, लेकिन अतिम क्षण में पदाधिकारियो के विद्रोह के कारण सी एस पी नेताओ द्वारा निर्धारित नीतियो (सी एस पी नेताओ के साथ गुप्त समझौता) का बिल्कुल उलट हुआ।

सकट की इस घडी मे मुझे व्यक्तिगत रूप मे किसी व्यक्ति ने इतनी हानि नहीं पहुचाई जितनी पडित नेहरू ने। यदि वे हमारा साथ देते, तो हमे बहुमत प्राप्त होता। यदि वे तटस्थ भी रहते तो भी हमे बहुमत मिलता। किंतु त्रिपुरी मे उन्होने पुराने नेताओ का साथ दिया। मेरे विरुद्ध उनके प्रचार ने मुझे 12 महारथियो के कार्यो से भी ज्यादा हानि पहुचाई। कितने दुख की बात है यह।

फिलहाल भविष्य अनिश्चित है। मेरे और गाधीजी के बीच वार्तालाप चल रहा है। किसी निष्कर्ष पर पहुचेगे या नहीं, अभी कहना कठिन है। यह भी सभव है कि अतत मुझे त्यागपत्र देना ही पडे।

जनता की नजर मे सी एस पी गिरी है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि इससे एम एन रॉय को लाभ हुआ है। वे आजकल बगाल की यात्रा पर हैं। हर जगह उनका सम्मान किया जा रहा है। बगाल मे उनके प्रति सहानुभूति है, किंतु क्या वे कोई पद पा सकेगे? यह उनके समर्थको पर निर्भर है कि वे किन लोगो से समझौता करते हैं। वे अति व्यक्तिवादी हैं। इसलिए मिलकर कार्य करने मे असमर्थ हैं। यही उनकी सबसे बडी कमजोरी है।

अध्यक्षीय चुनाव और उसके बाद की घटनाए कितनी भी दुर्भाग्यशाली क्यो न हो, लेकिन उन्होने राजनीतिक जागरूकता को प्रखर किया है। बाद मे ये प्रगति के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हमारा भविष्य फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन अतत है उज्ज्वल। एक यथार्थवादी के रूप मे मैं यह कह रहा हू। 90 प्रतिशत प्रगतिशील और क्रातिकारी शक्तिया हमारे साथ हैं।

मुझे खेद है कि अध्यक्षीय चुनाव के बाद जवाहर की स्थिति खराब हुई है— विशेष रूप से त्रिपुरी मे उनके रवैये के कारण उनके अपने प्रशसक ही उनसे खफा हो चुके हैं। प्रतिनिधियो ने डेढ घटे तक उन्हें सुनने से इकार किया, वे तभी शात हुए जब मेजदादा (शरतचद्र बोस) ने उनसे शात रहने की अपील की। ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज तक कभी नहीं।

प्यार,

सदैव आपका

सुभाष

एम. एन. रॉय की ओर से

3 बी, स्टोर रोड
बालीगंज, कलकत्ता
18 अप्रैल, 1939

प्रिय मित्र,

विजयनगरम जिला कांग्रेस कमेटी ने मुझे उस ज्ञापन की प्रति भेजी है, जो उन्होंने तुम्हारे सम्मुख पेश किया। मुझसे कहा गया है कि विचारवादियों के मुद्दे को उठाने की आवश्यकता के बारे में आपसे कहूं। यदि मैं उनसे इस विषय में न्याय नहीं चाहता होता तो निश्चय ही मैं ऐसा नहीं कर पाता और संबद्ध गुट का सदस्य न होता। विजयनगरम जिला कांग्रेस संगठन दो वर्षों से वामपंथी के नियंत्रण में था। पी सी सी उन्हें हटाने की कोशिश में है और इस प्रयास में वह हर प्रकार का हथकंडा अपनाने को तैयार है। फिर भी क्रांतिकारियों के नियंत्रण को कमजोर करना संभव नहीं हुआ, क्योंकि वे अच्छा कार्य कर रहे थे तथा सभी सदस्यों का विश्वास उन्हें प्राप्त था। इस विषय का विस्तृत वर्णन ज्ञापन में किया गया है। मुझे आशा है कि आप समय निकालकर इसे पूरा पढ़ेंगे और ऐसे निर्देश जारी करेंगे, जिससे क्रांतिकारियों को दक्षिणपंथियों के षड्यंत्रकारी आक्रमण से बचाया जा सके। यह बता दूं कि इस जिले के सभी तेरह प्रतिनिधियों ने आपके पक्ष में मत दिया और इस कारण भी डी सी सी उन पर आक्रमण कर रही है।

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपका स्वास्थ्य अब ठीक है। आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने योग्य हो गए हैं। आप बहुत कठिन परिस्थितियों से घिरे हैं तथा उपनिवेशवाद-विरोधी सभी लोगों से आपको पक्का और सही समर्थन मिलना आवश्यक है। मैं पूर्ण सहयोग का वायदा दोहराता हूं तथा इस तथ्य से भी परिचित हूं कि किन्हीं कारणों से (जिनसे मैं अनभिज्ञ हूं) आपको मेरी वफादारी के प्रति संशय है। वास्तविकता यह है कि मुझे यह रिपोर्ट मिली है कि हाल ही में मित्रों से वार्तालाप के दौरान आपने मुझे एक कैरियरिस्ट के रूप में परिचित कराया। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। फिर भी मैं आपके उस प्रयास का स्वागत करूंगा, जो आप इस भावना को हटाने के लिए करेंगे। मुझे विश्वास है आप उचित समझेंगे, तो ऐसा अवश्य करेंगे।

शुभकामनाओं और हार्दिक बधाई सहित,

आपका शुभेच्छु,
एम एन रॉय

श्रीयुत सुभाषचंद्र बोस
जामदोबा

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यकारी महासचिव के लिए

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता
अध्यक्ष
सुभाषचद्र बोस
कोषाध्यक्ष
जमनालाल बजाज
महासचिव
जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ता का पता
38/2, एल्गिन रोड,
कलकत्ता
टेलीफोन पार्क 59
तार सुवासबोस

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी
स्वराज भवन, इलाहाबाद
टेलीफोन 341, तार काग्रेस

झीलगुडा पोस्ट ऑफिस
जिला मानभूम
बिहार
18 अप्रैल, 39

सेवा मे
कार्यकारी महासचिव
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी
इलाहाबाद

प्रिय मित्र
आज ही मैने अपको निम्न तार भेजा है

कृपया सभी प्रादेशिक काग्रेस कमेटियो को तार द्वारा सूचित करे कि 23 अप्रैल को 'युद्ध विरोधी दिवस' के रूप मे मनाए। आज ही प्रेस सूचना भी जारी की है —सुभाष बोस।

आज जो बयान प्रेस मे जारी किया उसकी प्रति भी इसके साथ भेज रहा हू।

आपका शुभाकाक्षी
सुभाषचद्र बोस

सीता सेन के लिए

झीलगुडा पोस्ट ऑफिस
जिला मानभूम
बिहार
19439

मेरी प्रिय सीता,
तुम्हारे पहले बच्चे के जन्म पर बधाई का पत्र मैं बहुत पहले लिख चुका होता, जब लीला से मुझे यह समाचार मिला। उसने बताया कि तुमने काफी तकलीफे उठाई, किंतु अब पहले से बेहतर हो। मुझे आशा है कि अब तुम और तुम्हारा बच्चा दोनो ही स्वस्थ होगे।

पिछले दो माह से मैं बहुत कष्ट मे हू– विशेष रूप से सकट की घडी मे अपने स्वास्थ्य के बिगड जाने के कारण। बहरहाल सकट टल गया है। मैं ठीक हो रहा हू और जीवन के सघर्ष के लिए एक बार फिर तैयार हो गया हू। 21 तारीख को मैं कलकत्ता जा रहा हूं।

सतोष के पिछले पत्र का उत्तर न दे पाने के कारण मैं उससे क्षमा चाहता हू, जो उसने मेयो अस्पताल या किसी के विषय मे लिखा था। मै इस विषय मे सहायता करने को तैयार था– हालाकि मैं नहीं जानता कि कोई परिणाम निकलेगा इसका या नहीं। किंतु अवाछित घटनाओ ने मुझे घेर लिया है यह भी नहीं जान पा रहा कि सिर के बल खडा हू या पैरो के बल।

मैं नहीं जानता कि फिर कब तुम्हे पत्र लिख पाऊगा क्योकि मैं उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हू। किंतु कृपया समय-समय पर अपनी सूचना मुझे देती रहना।

प्यार सहित,

तुम्हारा शुभाकाक्षी,
सुभाषचद्र बोस